छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **तृतीय सत्र**

गुरुवार, दिनांक 25 जुलाई, 2024

(श्रावण 03, शक सम्वत् 1946)

[अंक 04]

Webcopy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 25 जुलाई, 2024

(श्रावण 3, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) इधर एक ही दिन में खाली हो गया ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- विपक्ष तो एक ही दिन में थक गया है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय अध्यक्ष जी, आपको हमारी चिन्ता क्यों है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष इन पॉच दिनों में अलग-थलग पड़े दिख रहे हैं, उनके समर्थन में कोई नहीं है ।

डॉ. चरण दास महंत :- आपकी नजर हमारी तरफ ही रहती है, क्या बात है ?

श्री केदार कश्यप :- आप लोग केवल 5 हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नजरें इनायत कर रहा हूं ।

डॉ. चरण दास महंत :- नजरें इनायत करो न, मैं तो हाजिर हूं । आजू-बाजू मत किया करो ।

<u>जिला-सरगुजा में उपलब्ध मशीनरी से किसानों को प्रदत्त सुविधा</u>

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

1. (*क्र. 899) श्री प्रबोध मिंज : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** संभागीय कार्यालय, कृषि, जिला-सरगुजा में शासन द्वारा वर्ष 2021-22 से 2023-24 एवं 2024-25 में जून, 2024 तक कितनी एवं कौन-कौन सी मशीनरी कार्य हेतु उपलब्ध कराई गई है ? जानकारी उपलब्ध कराएं? **(ख)** वर्ष2021-22 से जून, 2024 तक शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई मशीनरी की कितने किसानों को सुविधा प्रदान की गई ? जानकारी उपलब्ध कराएं? **(ग)** उक्त विभाग के अधिकारियों को किस-किस मद में, कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार है?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय, बिलासपुर (सरगुजा संभाग समाहित) के अंतर्गत कार्यालय सहायक कृषि यंत्री, अंबिकापुर जिला सरगुजा को वर्ष 2021-22 से 2024-25 में जून, 2024 तक राज्य शासन द्वारा कृषि कार्य हेतु दो मशीनरी (1 डायरेक्ट राईस सीडर एवं 1 मल्टीक्राप प्लांटर) उपलब्ध कराई गई है। **(ख)** उपलब्ध मशीनों से वर्ष 2021-22 से जून 2024 तक 83 कृषकों को कस्टम हायरिंग की सुविधा प्रदान की गई है। **(ग)** छ.ग. वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 1995 के तहत् कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार**[1] है।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कृषि मंत्री जी से प्रश्न किया था । संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय अम्बिकापुर में खुला हुआ है और उस संभागीय कार्यालय में 2021 से जून, 2024 तक किसानों की सुविधा के लिए कौन-कौन सी मशीनें उपलब्ध कराई गई थी ? मैं जानना चाहूंगा कि उनको क्या-क्या सुविधाएं और कौन-कौन सी मशीनरी उपलब्ध कराई गई थी । मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 2022 से लेकर 2024 तक 1 डायरेक्ट राईस सीडर मशीन और 1 मल्टीक्राप प्लांटर उपलब्ध कराई गई है । मैं समझ नहीं पाया कि डायरेक्ट राईस सीडर मशीन और मल्टीक्राप मशीन किसानों के लिए क्या काम करती है और उसका उपयोग वहां क्या हुआ है ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत ही सक्रिय सदस्य भाई प्रबोध मिंज जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है । आपने इस मशीन के बारे में जानकारी मांगी है । मैं आपको जानकारी उपलब्ध करा दूंगा कि इन मशीनों का क्या-क्या उपयोग होता है और यह कृषि कार्य से ही संबंधित है । खेतों की लेवलिंग से लेकर वहां मिट्टी को कैसे अच्छे तरीके से खेती लायक बनाया जा सके और इस मशीन का उपयोग ज्यादातर धान की बोनी के लिए किया जाता है।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धान की बोनी के लिए और खेतों को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है । इसमें बताया गया है कि 83 कृषकों को कस्टम हायरिंग की सुविधा प्रदान की गई है । कस्टम हायरिंग की सुविधा का तात्पर्य मैं समझ नहीं पाया कि कस्टम हायरिंग कैसे की जाती है और केवल 83 किसानों को इसकी सुविधा दी गई है । आपने कहा कि उसमें खेतों का समतलीकरण और बाकी चीजों के लिए उस मशीन का उपयोग किया जाता है तो न वहां रोटा वेटर उपलब्ध है, न उसमें केज्विल उपलब्ध है, न कोई नांगर उपलब्ध है । इन मशीनों का क्या काम है और वहां जो मशीनें हैं, वह बिना रोटा वेटर, बिना नांगर और बिना केज्विल के क्या काम करती हैं? मेरी जानकारी के अनुसार दो साल हो गये है, लेकिन मशीनों का कोई उपयोग नहीं हुआ है । जब से वहां मशीन गई है, वह खड़ी है, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ है और जो 83 किसानों ने कस्टम हायरिंग का

[1] परिशिष्ट "एक"

काम पता नहीं उसी मशीन में कराए हैं या और किसी पहले की मशीनों से खेती कार्य कराया गया है, इसकी जानकारी दे दें ।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पहले की मशीनें रखी हुई हैं, लेकिन वर्तमान में उस क्षेत्र में उस केन्द्र में जो मशीनें हैं, वह सभी चालू हालत में है । जहां तक आपने कहा है कि यह सभी मशीनें उपलब्ध हैं और किसानों को सस्ते में कैसे खेती-किसानी करने के लिए वह मशीन उपलब्ध हो सके, चाहे वह रोटा वेटर हो, चाहे ट्रेक्टर हो, चाहे लेवलर हो, इन सभी मशीनों को सब्सिडी बेस पर किसानों को उपलब्ध कराया जाता है । अब यह बात सही है कि मात्र 83 किसानों को सुविधा उपलब्ध हो पायी है । मैं इस विषय को काफी गंभीरता से लेते हुए विभाग को भी निर्देशित किया है। यह जनहित का मामला है, हम आमजनों के, आम किसानों के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं कि उनको कैसे अच्छी सुविधा दे सकते हैं ? जब सरकार की बहुत अच्छी योजना है और यह पूरी तरह से केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। मुझे सदन में बताते हुए खुशी है कि पहली बार भारत सरकार ने इस योजना को महत्व प्रदान किया है। हमें भारत सरकार से पहले जो आवंटन मिलता था, उससे ज्यादा, इस बार डबल आवंटन दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि बाकी जो कमियां है, उन सभी कमियों को समय रहते हुए पूरा करेंगे। खासकर हमारा जो सरगुजा संभाग है, हमने वहां संभागीय यंत्री कार्यालय बनाया है, जिससे उस क्षेत्र में रहने वाले तमाम किसानों के लिए इस विभाग के माध्यम से जो सुविधाएं दे सकते हैं, हम उनको वह सुविधा पहुंचा सकें, दे सकें।

अध्यक्ष महोदय :- वह पूछ रहे हैं कि कस्टम हायरिंग क्या है ? आप यही पूछ रहे हो न ?

श्री प्रबोध मिंज :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- आप उनको वह समझा दीजिये।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को ऑन पेमेन्ट इस मशीनों का उपयोग करने के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराते हैं।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। आपने 83 किसानों को कस्टम हायरिंग सुविधा उपलब्ध कराना बताया है। क्या आप उनकी सूची उपलब्ध करा देंगे ? सरगुजा संभाग, बहुत बड़ा संभाग है। मुझे लगता है कि वहां हजारों किसान हैं। शासन की इतनी बड़ी योजना है और आज तक मात्र 83 किसानों को उसका लाभ मिला है। मेरी जानकारी के अनुसार मशीनें दो साल से खड़ी है। उसमें जो सहायक कृषि यंत्री है, उनको को केवल 5 हजार रूपये का वित्तीय अधिकार है। छोटा सा मशीन खराब होकर पड़ा हुआ है और उसका मेन्टेनेंश करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। उसके डीजल वगैरह के लिए पैसा नहीं है और इसके चलते किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। मात्र 83 किसानों को कस्टम हायरिंग सुविधा प्रदान किया जाना बताया गया है, मेरी जानकारी के अनुसार केवल नाम मात्र किसानों का नाम उल्लेख कर दिया गया

होगा। इसमें वहां ना तो रोटा वेटर चल रहा है, ना केडविल है ना नांगर है। वहां कोई चीज ही नहीं है, ताकि किसानों को दिया जा सके। आप इस ओर ध्यान देंगे और सहायक यंत्री को भी 5 हजार रूपये से ज्यादा मेंटनेंश हेतु वित्तीय अधिकार बढ़ायेंगे, ताकि किसानों को लाभ मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि यह पूरे संभाग के लिए है तो अंबिकापुर मे उसका कार्यालय है। यदि उस मशीन को रामानुजगंज ले जाना है तो वह मशीन कैसे जायेगी ? राईस सीडर और मल्टीक्राप प्लांटर वहां तक कैसे जायेगी ? मंत्री जी, आपके विधानसभा क्षेत्र तक कैसे जायेगी ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विद्वान सदस्य ने एक साथ बहुत सारा प्रश्न किया है। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। जहां तक किसानों की सूची की बात है, मेरे पास सूची उपलब्ध है, मैं 83 किसानों की सूची आपको उपलब्ध करा दूंगा।

आपने दूसरा प्रश्न किया है कि इनकी जो पेईंग कैपेसिटी है, उनका जो अधिकार है, उस अधिकार के तहत उनका वित्तीय अधिकार बहुत कम है, हम उसे भी रिवाइज कर रहे हैं, उसे अपग्रेड कर रहे हैं। हमने कल चर्चा के दौरान इस बात को सुनिश्चित किया है कि उनका जो अधिकार है, उसमें वृद्धि करते हुए इसे बढ़ायेंगे।

आपने तीसरी प्रश्न बाकी क्षेत्रों में सुविधा प्रदान के बारे में किया है, तो बाकी जिलों में भी जो पदों की कमियां है, उसे भरते हुए इस योजना को कैसे अच्छे ढंग से चलाकर आम किसानों को, जो गरीब किसान हैं, उनको कैसे सुविधा दे सकें, इसके लिए हमारा विभाग सुनिश्चित करेगा।

कोण्डागांव जिलांतर्गत सोलर लाईट का क्रय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

2. (*क्र. 496) सुश्री लता उसेंडी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** कोण्डागांव जिले में प्रधानमंत्री आर्दश ग्राम योजना व अन्य योजनांतर्गत जनपद एवं ग्राम पंचायतों में वर्ष 2021-22 से जून, 2024 तक कुल कितने सोलर लाईट हेतु क्रय आदेश किसके द्वारा, किसको, कितनी राशिके, किस दर पर एवं कब दिये गए हैं तथा इन्हें कब तक लगाया जाना था, कब लगाया गया तथा गुणवत्ता की जांच कब व किसके द्वारा की गई? इस हेतु कितना भुगतान, किसको कब एवं किसके द्वारा किया गया व कितना भुगतान शेष है? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार कार्यों हेतु कब, किसके द्वारा व क्या शिकायत की गई ? उसकी जांच कब व किसके द्वारा की गई तथा जांच के प्रमुख निष्कर्ष क्या थें तथा दोषी कौन पाया गया एवं दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या यह सही है कि इस संबंध में विभागीय जांच भी की गई और इसमें तत्कालीन अधिकारी दोषी पाए गए?

यदि हॉ तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? क्या यह सही है कि उक्त अवधि में जैम पोर्टल से क्रय प्रतिबंधित होने के बाद भी जैम पोर्टल से खरीदी की गई? यदि हॉ तो कब व कितनी राशि की खरीदी जैम पोर्टल से किसके द्वारा की गई व दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) कोण्डागांव जिले में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत सोलर लाईट का क्रय नहीं किया गया है। अन्य योजनाओं के अंतर्गत जनपद व ग्राम पंचायतों में वर्ष 2021-22 से जून 2024 तक क्रय की गई सोलर लाईट के क्रय आदेश, राशि, दर, स्थापित किये जाने का दिनांक, गुणवत्ता की जांच, राशि का भुगतान, भुगतान प्राप्तकर्ता तथा भुगतान हेतु शेष राशि आदि का विवरण **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार कार्यों के संबंध में की गई शिकायत, उसकी जांच, जांचकर्ता अधिकारी,जांच के प्रमुख निष्कर्ष तथा दोषी पाये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-ब** अनुसार है।**(ग)** यह सही नहीं है कि इस संबध में विभागीय जांच भी की गई और इसमें तत्कालीन अधिकारी दोषी पाए गए बल्कि सही यह है कि प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत स्वीकृत स्ट्रीट लाईट की स्थापना संबंधी कार्यों के क्रियान्वयन की प्रारम्भिक जांच में तत्कालीन प्रभारी परियोजना प्रशासक श्री संकल्प साहू शासन निर्देशों का पालन किया जाना न पाए जाने के कारण निलंबित किया जाकर आरोप पत्र जारी किया गया है। विभागीय जांच संस्थित नहीं की गई है। यह कहना भी सही नहीं है कि उक्त अवधि में जेम पोर्टल से क्रय प्रतिबंधित होने के बाद भी जेम पोर्टल से खरीदी की गई। बल्कि सही यह है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार जेम पोर्टल से सामग्री की खरीदी प्रतिबंधित नहीं है। इस स्तर से राज्य स्तरीय समिति गठित की जाकर जांच की कार्यवाही की जा रही है।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत जिला कोण्डागांव में पंचायतों में हो रहे सोलर स्ट्रीट लाईट की कितनी शिकायतें माननीय मंत्री जी को प्राप्त हुई है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

श्री राम विचार नेताम :- कृपया आप एक बार फिर से प्रश्न कर दीजिए।

सुश्री लता उसेण्डी :- जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत आपको जिला कोण्डागांव में पंचायतों में हो रहे सोलर स्ट्रीट लाईट कार्य से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसपर क्या कार्रवाई की गई है?

श्री राम विचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, अभी हमें इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी और विधान सभा को अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है। मेरे पास सूचना के अधिकार के तहत् उसके पेपर हैं। मैंने 1 तारीख को प्रश्न लगाया था और 12 जून को सूचना के अधिकार के तहत् मुझे एक प्रपत्र प्राप्त हुआ है,

जिसमें 3 लोगों ने शिकायत की है और उसकी पूरी जांच हुई है। जिनके द्वारा उसकी जांच की गई है, उन्होंने इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजी है। यदि विभाग के पास इसकी जानकारी नहीं है और विधान सभा में गलत जानकारी दी जा रही है तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? जहां-जहां पंचायतों में काम हो रहे हैं, क्या आप विधान सभा की समिति से इस पूरी योजना की जांच कराएंगे? यह सोलर स्ट्रीट लाईट पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केन्द्र बिंदु बन गया है और उसका श्रेय हमारे विपक्ष के बंधुओं को जाता है। यह वर्ष 2021-2022 का मामला है। (शेम-शेम की आवाज)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय जी, यह वर्तमान का है विपक्ष में नहीं जाता है। (व्यवधान)

सुश्री लता उसेण्डी :- अध्यक्ष महोदय, जब चाहे सक्षम अधिकारी ने अपनी मर्जी से एजेंसी बदल दी। अपनी मर्जी से एजेंसी तय करके जो सक्षम एजेंसी नहीं हैं, उनसे भी काम करवाया गया और पूरे कोण्डागांव जिले में भ्रष्टाचार हुआ है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या आप इसमें एजेंसी तय करने वाले और इसमें कार्य करने वाले उन सक्षम अधिकारियों के खिलाफ विधान सभा की समिति से जांच कराएंगे और तत्काल उन अधिकारियों को निलंबित करेंगे? अध्यक्ष महोदय, यदि आप मुझे अनुमति देंगे तो मेरे पास सूचना के अधिकार के तहत् जो सारी जानकारियां हैं, उनको मैं यहां पर पढ़कर भी बता सकती हूं या सदन के पटल पर भी रख सकती हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप जानकारी उपलब्ध करा दीजिएगा। मंत्री जी।

श्री राम विचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि किया तो आपने है और हम लोग इसको भर रहे हैं। (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- आप विधान सभा के विधायक दल से इसकी जांच करवा लीजिए।

श्री राम विचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार के समय सारे नियम-कानून-कायदों को ताक पर रखते हुए मनमाने तरीके से सब काम हुए हैं। माननीय आदरणीया लता उसेण्डी जी इस सदन की सदस्य ही नहीं हैं, बल्कि हमारे प्रदेश की कद्दावर नेता हैं। आपकी भावना के अनुरूप इन समस्त विषयों को देखते हुए मैं इसकी इस सदन की समिति से जांच कराने के लिए सहमत हूं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया।

श्री राम विचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, इस तरह के प्रकरणों के दायरे को बढ़ाते हुए प्रदेश स्तर में जब इसकी जांच के बिंदु तय हों तो उसे भी इसमें शामिल किया जाए। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- पर्याप्त हो गया।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक लाइन का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने तो व्यापक बता दिया। आप छोटा सा प्रश्न पूछ लीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा छोटा सा नहीं और छोटा सा प्रश्न है। मंत्री जी, आपने उत्तर के लास्ट पैरा में लिखा है कि राज्य स्तरीय समिति गठित की जाकर जांच की कार्रवाई की जा रही है तो जो राज्य स्तर की समिति इसकी जांच कर रही है, क्या वे बिंदु भी आपकी विधायकों की समिति में शामिल रहेंगे या आप प्रश्नों के अंतर्गत ही विषय को रखेंगे?

श्री राम विचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जैसे विद्वान सदस्य की जब कोई बड़ी एजेंसी जांच करने लगती है तो स्वाभाविक है कि बाकी जो नीचे स्तर की जांच होती है, उसमें वह समेट लिये जाते हैं और उसके साथ समाहित हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि हमने अपने आप में एक विस्तारित उत्तर दिया है। इसका जितना विस्तार कर सकते हैं, उसको इस सदन की समिति तय करेगी कि इसमें किन-किन बिंदुओं को शामिल करना है।

अध्यक्ष महोदय :- पर्याप्त हो गया। ठीक है। इससे बड़ी कोई समिति नहीं हो सकती है। इसमें पर्याप्त जवाब आ गया। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल।

न्यू जनरेशन वाटरशेड डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

3. (*क्र. 704) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** न्यू जनरेशन वाटरशेड डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट अंतर्गत राज्य कार्यालय स्टेट लेवल नोडल एजेंसी द्वारा जिलों में कितनी राशि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने हेतु आबंटन की गयी हैं? क्या जिलों में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की राशि प्रावधानिक राशि से कम दी गई हैं? हां तो राज्य कार्यालय द्वारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मद की राशि किस-किस तरह व्यय की जा रही है? राज्य कार्यालय द्वारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की राशि का किन-किन एजेंसीयों को विगत तीन वर्ष से जून, 2024 तक में कब-कब भुगतान किया गया हैं, मदवार, एजेंसीवार, विकासखंडवार, जिलेवार जानकारी देवें? **(ख)** क्या स्टेट लेवल नोडल एजेंसी द्वारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मद की राशि को राज्य कार्यालय द्वारा व्यय किया जा सकता है? यदि हां तो किये गये व्यय की जिलेवार, वर्षवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) न्यू जनरेशन वाटरशेड डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट अंतर्गत राज्य कार्यालय स्टेट लेवल नोडल एजेंसी द्वारा जिलों को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने हेतु प्रति परियोजना 04.00 लाख की दर से कुल 45 परियोजना हेतु राशि रू. 180.00 लाख आबंटन किया गया। हॉ, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हेतु प्रावधानित राशि से कम दी गई है। राज्य कार्यालय द्वारा डिटेल प्रोजेक्ट मद की राशि का व्यय ई-डीपीआर साफ्टवेयर के माध्यम से परियोजना के डीपीआर तैयार करने एवं परियोजना के मानचित्र तैयार करने के लिए किया गया है। राज्य कार्यालय द्वारा डिटेल

प्रोजेक्ट रिपोर्ट हेतु दिनांक 02.08.2022 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एन.आई.आर.डी.पी.आर.), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, हैदराबाद को रू. 8.85 लाख एवं दिनांक 27.04.2022 तथा 13.06.2023 को छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (सी.जी. कास्ट) रायपुर को रू.26.30 लाख का भुगतान किया गया है। मदवार, एजेंसीवार, विकासखंडवार, जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[2] **अनुसार** है। **(ख)** जी हॉ, स्टेट लेवल नोडल एजेंसी द्वारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मद की राशि को राज्य कार्यालय द्वारा व्यय किया जा सकता है। भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी गाईड लाईन 2021 (बिंदु क्रमांक 7.1.6 एवं 9.3.3.-सी) अंतर्गत परियोजनाओं के डीपीआर निर्माण हेतु राज्य स्तर से तकनीकी सहयोग एवं जीआईएस आधारित प्लानिंग किये जाने का प्रावधान है। जिलेवार, वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- मैंने माननीय मंत्री जी से डी.पी.आर. से संबंधित सवाल किया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि डी.पी.आर. बनाने के लिए प्रति परियोजना राशि प्रावधानित थी, फिर भी प्रावधानित राशि से कम क्यों दी गई?

श्री राम विचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जानकारी चाही है कि इन्हें राशि कम कैसे दी गई। अध्यक्ष महोदय, वॉटरशेड में होता यह है कि इसमें एक तो जिला स्तर की कमेटी होती है और जिला स्तर के जो अधिकारी होते हैं, वहां से एक डी.पी.आर. तैयार किया जाता है और उसके बाद हमारे डी.पी.आर. को प्रदेश स्तर की हमारी कमेटियॉ करती हैं। इसलिए जिला स्तर पर जो काम हो रहे हैं, जिला स्तर में उसके खर्च किए जाते हैं और उसके बाद प्रदेश स्तर की हमारी जो कमेटी होती है, प्रत्येक परियोजना स्तर पर एक बेस लाईन सर्वे का काम किया जाता है, जो हमारे जिला स्तर के या फिर ब्लॉक स्तर के जो हमारे परियोजना स्तर के हैं और सर्वे के पूर्व में निर्मित संरचनाओं का चिन्हांकन उसके जियो टैग से लेकर तमाम सारे बिन्दुओं को शामिल करते हुए उसकी जांच की जाती है। इसके साथ ही साथ जो चयन, जियो टैगिंग हितग्राही चयन, स्व सहायता समूह का चयन ये सभी नीचे स्तर पर हमारे परियोजना स्तर पर होते हैं। इसके अलावा आगे के जो काम होते हैं, उसे स्टेट लेवल की कमेटियॉ करती है इसलिए यह राशि उसके आधार पर दी जाती है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा कि जिले के आधार पर होता है। अध्यक्ष महोदय, कोई जिला बड़ा है तो कोई जिला छोटा है, किसी में आवश्यकता ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, तो सबकी राशि एकसमान कैसे? दूसरा प्रश्न कि क्या परियोजना में लगने वाले अनुमानित बजट की एक प्रतिशत राशि डी.पी.आर. तैयार करने के लिए उपयोग की जाती है? यदि हॉ, तो प्रत्येक जिले को कितनी-कितनी राशि दी गई?

---

[2] परिशिष्ट "दो"

श्री राम विचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बात तो यह बता रहा हूं कि ये जिलेवार आवंटन नहीं है। उसमें जो परियोजनाएं बनती हैं कि हम पांच हजार हेक्टेयर में बना रहे हैं या चार हजार हेक्टेयर में बना रहे हैं, उसके आधार पर आवंटन जारी होते हैं, इसलिए उसके आधार पर ही एक प्रतिशत राशि जो निर्धारित है, उतनी राशि उन्हें दी जाती है। जैसे आप ही प्रश्न किया कि परियोजना में जिले में कैसे कम दिया गया, तो जिला स्तर पर परियोजना स्तर पर जो डी.पी.आर. तैयार हो रहा है, वहॉ का जो स्टाफ काम कर रहा है, उसके लिए, उनके जो खर्च हैं, वहॉ दिया जा रहा है और बाकी की जो राशि है, स्टेट लेवल के हमारे जो काम करने वाले हैं, उनको दिया जाता है। इसमें इस प्रकार से है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, इसमें आपके विभाग के द्वारा जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, उसमें जो प्रावधानित राशि थी, किसी जिले में 8.45 लाख थी, किसी में 11 लाख थी लेकिन एक निश्चित राशि तय करके प्रत्येक में 4-4 लाख रुपए कर दिया गया। ये वर्ष 2021-22 के बाद वर्ष 2022-23 तक था और वर्ष 2023-24 में तो उल्लेख ही नहीं है। अभी क्या डी.पी.आर. हेतु प्रदान की गई राशि का भुगतान किया जा चुका है? यदि डी.पी.आर. तैयार किया जा चुका है तो डी.पी.आर. तैयार होने के पश्चात् क्या-क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी देवें?

श्री राम विचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, जहॉ तक आपने डी.पी.आर. के बारे में बात की है, जो निर्धारित राशि होती है, ये राशि सब जगह दी जाती है। जो राशि डी.पी.आर. बनाने के लिए तकनीकी कार्य हेतु है जैसे जी.आई.एस. है, डी.पी.आर. है, ये कार्य राज्य स्तर पर किए जाते हैं, एवं वह राशि राज्य स्तर पर आवंटित की जाती है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार एजेंसी का नाम परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी बताया गया है। उक्त एजेंसी का मतलब समझाने का कष्ट करें ?

श्री रामविचार नेताम :- आपने क्या पूछा ? एक बार दोहराईये।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आपने एजेंसी का नाम परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी बताया है। क्या आप उक्त एजेंसी का मतलब बतायेंगे ?

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, क्रियान्वयन एजेंसी वह है, जिसमें विभाग काम कर रहा है। उस परियोजना में जो एजेंसी काम कर रही है। वह क्रियान्वयन एजेंसी कृषि विभाग भी हो सकता है, अन्य विभाग भी हो सकते हैं। मैंने तो उसमें पूरा उत्तर दिया है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आपके जवाब में विभाग के द्वारा सारे जिलों में सिर्फ एक ही नाम परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी लिखा है। जब काम अलग-अलग विभाग की एजेंसियों को मिला है, तो उसका नाम प्रस्तुत होना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया। मेरा इसमें एक और प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत हो गया। चलिए, एक आखिरी प्रश्न कर लीजिए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा है कि उक्त परियोजना में महिला समूह एवं कृषकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। किन-किन जगहों पर प्रशिक्षण दिया गया है ? मुझे उसकी जानकारी चाहिए और क्या आपने वर्ष 2023-24 तक इसमें कोई प्रावधान किया है या नहीं किया है या करने वाले हैं, उसकी जानकारी दीजिए?

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, यह जो आपका जल ग्रहण क्षेत्र है। इसमें जैसे बताया गया है कि लगभग 5 हजार हेक्टेयर से लेकर 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को मिलाकर एक जल ग्रहण का क्षेत्र बनता है। वह क्षेत्र बनने के बाद वहां उसका डी.पी.आर. बना, उस डी.पी.आर. के आधार पर तैयार हो गया। अब उसके आधार पर मैंने आपको उसकी डिटेल जानकारी उपलब्ध कराई है। जहां तक स्व सहायता समूह...। मैं आपके ही प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी अधूरी है। यह आपका विभाग है, आपके विभाग से पूर्ण जानकारी आनी चाहिए थी, जो अधूरी है। इसलिए मुझे यह बात रखनी पड़ी है। जिस प्रशिक्षण की बात की गयी है। वह प्रशिक्षण अभी तक कहीं पर भी प्राप्त नहीं हो रहा है। यह सिर्फ हवा हवाई बातें हैं। आपका विभाग अभी तक इसमें सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। आपसे निवेदन है कि यह काम सही ढंग से हो और डी.पी.आर. का उपयोग सही ढंग से हो पाये।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, बहुत अच्छा सुझाव है। सुशांत शुक्ला जी।

श्री रामविचार नेताम :- आपने कहा कि यहां प्रशिक्षण नहीं हुआ। ठीक से डी.पी.आर. तैयार नहीं हुआ। यह आपका प्रश्न है । यह तो आपके कार्यकाल का है। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, कार्यकाल आपका हो या हमारा हो। वह 2022-23 का हो या 2023-24 का हो। आपके विभाग ने 2023-24 का उल्लेख नहीं किया है। 2021-22 और 2022-23 का उल्लेख है। अभी तक जो कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए, वह नहीं बढ़ी है। मतलब कहीं न कहीं आपका विभाग इसमें ढीला है।

<u>बेलतरा वि.स. क्षेत्र में रजिस्ट्री (पंजीयन) हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण</u>

[वाणिज्यिक कर]

4. (*क्र. 779) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंजीयन कार्यालय (पंजीयन एवं मुद्रांक) में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 30.6.2024 तक रजिस्ट्री हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए? कितने आवेदनों का निराकरण किया गया? कितने लम्बित हैं? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में गलत रजिस्ट्री, रजिस्ट्री

में अनियमितता, रजिस्ट्री रोकने हेतु कितनी शिकायतें/आवेदन प्राप्त हुए? प्राप्त शिकायतों/आवेदनों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) बेलतरा विधानसभा अंतर्गत पंजीयन कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 30.06.2024 तक कुल 23,623 दस्तावेजों का पंजीयन किया गया है। समस्त आवेदनों का निराकरण किया गया है, कोई भी अवेदन लंबित नहीं है। वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन	लंबित आवेदन
2021-22	7389	7389	0
2022-23	6863	6863	0
2023-24	7424	7424	0
2024-25 (30.06.2024)	1947	1947	0
योग -	23623	23623	0

(ख) निरंक

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न माननीय वित्त मंत्री जी से है। मैंने जो प्रश्न पूछा है, उस पर आये हुए जवाब से कई पूरक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। इसमें पहला पूरक प्रश्न उत्पन्न होता है कि पंजीयन कार्यालय द्वारा रजिस्ट्री पूर्व मौके पर भूमि का सत्यापन नहीं करना और भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य खुली भूमि बताकर कराया जाता है। जिससे शासन को राजस्व की प्राप्ति नहीं होती। शुल्क में कमी आती है। क्या आप इसे रोकने के लिए निर्देश जारी करेंगे ? समय-समय पर इसके संबंध में जो शिकायतें प्राप्त होती है, उसके निराकरण की क्या व्यवस्था है ?

श्री रिकेश सेन :- अध्यक्ष महोदय, आज वित्त मंत्री जी कलेक्टर वाले लुक में वापस आ गये हैं।

श्री कवासी लखमा :- कलेक्टर वाले लुक जैसे या [XX][3] वाले लुक जैसे।

श्री ओ.पी. चौधरी :- आप एक बार पहन के आईये, फिर बतायेंगे। इसके लिए फिटनेस लगती है। पेट को छुपाने के लिए कुर्ता-पजामा पहनना उचित नहीं है। कुर्ता- पजामा अच्छा है, लेकिन पेट को छुपाने के लिए अच्छा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पंजीयन में कई प्रकार की विसंगतियों का उल्लेख किया है और विभाग द्वारा उनको रोकने के लिए पंजीयन में बहुत सारे सुधारों की प्रक्रिया लगातार की जा रही है। हम बहुत सारे ट्रांसपेरेंसी के स्टेप लेने के भी प्रयास कर रहे हैं। विशेष रूप से पिछले सात महीनों में जो एक कदम उठाया गया है, वह विभागीय सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन करने का निर्णय लिया गया है। रजिस्ट्री

[3] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

डिपार्टमेंट के अंतर्गत विजिलेंस सेल बनाया गया है । यहां पर जो बड़े और विशेष केस हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड केस हैं या भू व्यपवर्तन, डायवर्सन हो जाए रहता है, उस तरह के केस हैं उनको आकस्मिक रूप से भी देख सकेगी और कोई शिकायत आएगी तो उसकी उच्च स्तरीय जांच करने के लिए एक सेपरेट विभागीय सतर्कता प्रकोष्ठ विजिलेंस सेल का गठन किया है।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब अपूर्ण है। मैंने यह पूछा है कि इसमें समय-समय पर शिकायतें करने के कोई प्रावधान की व्यवस्था बनायी है क्या ? इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि राज्य स्तरीय है। जबकि जिला स्तर पर पंजीयक कार्यालय पर शिकायतें होती हैं। चलिए, मैं इस पर दूसरा प्रश्न पूछता हूँ मेरा प्रश्न बेलतरा विधान सभा पर आधारित है । शासन के नियमानुसार राजस्व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय-समय पर टुकड़ों पर प्रतिबंध लगाकर राजस्व खसरों पर रोक लगाने की व्यवस्था दी गई है, परन्तु यह देखने में आया है कि प्रतिबंध के बावजूद भी, पंजीयन विभाग द्वारा संबंधित खसरे और रकबे की रजिस्ट्री कर दी जाती है तो क्या इस संबंध में दोषियों पर कोई कार्यवाही सुनिश्चित हुई है ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शिकायत के संबंध में पहले सदस्य महोदय ने कहा तो वहां पर जो जिला स्तर पर शिकायतें की जाती हैं, उनमें ज्यादातर यह रहता था कि वही लोग पंजीयन किये रहते हैं और वहीं पर शिकायते होती हैं इसलिए इसका निराकरण क्वालिटी तरीके से नहीं हो पाता। इसलिए उच्च स्तरीय एक अलग से सेल का गठन किया गया है ताकि जिला स्तर पर भी जो शिकायतें होती हैं उनका अच्छे तरीके से निवारण किया जा सके और जो भू खण्ड के टुकड़ों के बारे में सम्माननीय सदस्य की चिंता है, वह भी बहुत जायज चिंता है। जो उन्होंने अपने विधान सभा क्षेत्र बेलतरा के लिए जो प्रश्न किया है उनमें भी कई खसरों को प्रतिबंधित किया गया है। जिन खसरों को प्रतिबंधित किया गया है अगर उनमें कोई भी रजिस्ट्री हुई हो तो मुझे, माननीय सदस्य महोदय उसकी जानकारी दे सकते हैं। अभी हमारे पास जितनी जानकारियां आयी हैं, उसमें किसी प्रकार की शिकायत का उल्लेख होना नहीं है। अभी तक हमारे पास इसकी कोई शिकायत नहीं आयी है। जो प्रतिबंधित खसरा है, मैं, माननीय सदस्य महोदय को प्रतिबंधित खसरों की सूची दे दूंगा। अगर उसमें कोई भी पंजीयन हुआ होगा तो निश्चित रूप से उसमें कार्यवाही होगी।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विषय और संज्ञान में आया है। आपके कार्यकाल के समय ही वर्ष 2007-2008 में कोटवारी जमीनों पर प्रतिबंध की व्यवस्था लगायी गयी थी, परन्तु पिछले 5 वर्षों में बेलतरा विधान सभा और बिलासपुर जिले में कोटवारी जमीन के पंजीयन के लगभग 18 से ज्यादा मामले पंजीयन कार्यालय से पंजीयन करके निष्पादित किये गये हैं। जबकि राजस्व अभिलेखों में उसे कोटवारी जमीन अंकित रहता है, उसके बावजूद भी वह पंजीयन कर दिये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी जमीनों का पंजीयन निरस्त किया जायेगा ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटवारी भूमि शासकीय भूमि ही होती है। शासन के प्रति जो कोटवार सेवा करता है उसके लिए सेवा भूमि के रूप में प्रदान किया जाता है ताकि वह उसमें खेती करके कमा खा सके। कोटवारी जमीन कहीं से किसी व्यक्ति की जमीन होती ही नहीं है। पहले बहुत सारे प्रकरण हुए थे कि कोटवारी जमीनों को बेच दिया गया था। पूर्व में जब आपकी सरकार थी, उस समय इस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया गया था। अगर कोई ऐसा मामला है जो पिछले सालों में हुआ है, जैसा कि सम्माननीय सदस्य महोदय ने कहा है तो निश्चित रूप से हम उसकी जांच कराएंगे। हमें इसमें यह देखना पड़ेगा कि राजस्व विभाग से जो रिपोर्ट आयी है, उसमें गड़बड़ी थी या पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने गड़बड़ी की। इसमें जो भी जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। अगर कोटवारी जमीनों की खरीदी-बिक्री का ऐसा केस हुआ है तो वह किस स्तर पर है? क्योंकि कई केस ऐसे हैं, जिनमें ऐसा हुआ है कि विभाग द्वारा कार्यवाही करने के लिए पहल भी की गई, लेकिन वह किसी न्यायालय या उच्च न्यायालय में स्थगन की स्थिति में है तो जो भी स्थिति में होंगे, हम उस पर कार्यवाही करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- एक-एक करके, माननीय सदस्य छोटा-छोटा प्रश्न करें। अभी बहुत सारे लोग तैयार हैं।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से एक छोटा सा प्रश्न है। पूर्व की सरकार के समय स्टाम्प ड्यूटी में 30 प्रतिशत की छूट दे दी गयी। फिर आपने उसकी रजिस्ट्री शुल्क बढ़ा दी तो क्या आपने उसमें कैश पेमेण्ट ही स्वीकार किया। आपने पंजीयन कार्यालय में चेक या ड्राफ्ट से शुल्क क्यों स्वीकार नहीं किया ? क्या आप इसका स्पष्टीकरण देंगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में हजारों केस ऐसे हैं कि वहां पर लोगों ने जाकर चेक, ड्राफ्ट दिया। तब उन्हें मना कर दिया कि साहब, यह नहीं लगेगा। केवल कैश पेमेण्ट होगा। इस प्रदेश में कितने लोगों ने जो 30 प्रतिशत छूट दी, उसका लाभ उठाकर के कितने प्रतिशत लोगों ने आपकी शुल्क को नगद में जमा किया है? यह आंकड़ा आपके पास होगा, मेरा यह आग्रह है कि एक बार इसका परीक्षण करायेंगे?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने गाईडलाईन दर का जो बिन्दु उठाया है, उसमें मैं कुछ बातें सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। सम्माननीय सदस्य ने एक लाईन कहा कि उसे बढ़ा दिया गया है। तो मैं सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि उसे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया गया है। पिछली सरकार के समय में 30 प्रतिशत की छूट देकर गाईडलाईन रेट को कम कर दिया गया था। उसका नोटीफिकेशन 31 मार्च 2024 तक का था। 31 मार्च 2024 को वह नोटीफिकेशन की तारीख स्वमेव समाप्त हुई है तो कोई बढ़ाने वाला विषय नहीं है।

श्री राजेश मूणत :- उसमें confusion यह है, मैं गाईडलाईन का नहीं कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप पहले माननीय मंत्री जी का जवाब सुन तो लीजिए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कैस में भी आऊंगा। पहले मेरा जवाब देने दिया जाये। इसमें प्रदेश में बहुत सारे विषय आये कि गाईडलाईन रेट बढ़ गया, ये हो गया, वह हो गया। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, गाईडलाईन रेट नहीं बढ़ाया गया था। नोटीफिकेशन की तारीख खत्म होती है, एक बिन्दु। अध्यक्ष महोदय, दूसरा बिन्दु महत्वपूर्ण है जब हम सोचते हैं कि गाईडलाईन रेट कम है या ज्यादा है तो उसका सीधा प्रभाव केवल जमीनों के, प्लाट के खरीदी-बिक्री करने वालो लोगों और बिल्डर पर ही शहरों में ही नहीं पड़ता है, गाईडलाईन रेट जब कम होता है तो उसका प्रभाव भू-अर्जन होने वाले किसानों पर भी पड़ता है। जो 05 सालों से जमीन का रेट नहीं बढ़ा था बल्कि उसे 30 प्रतिशत कम कर दिया गया था, उससे भू-अर्जन में four times 30 प्रतिशत की कमी मतलब, four times में 120 प्रतिशत का भू-अर्जन में किसानों को नुकसान हो रहा था। इसलिए यह स्टेप किसानों के हित में भी रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि जब मार्केट रेट में और गाईडलाईन रेट में अगर बहुत अंतर आ जाता है तो निम्न मध्यमवर्गीय परिवार के लोग जब बैंकों में लोन लेने के लिए जाते हैं तो जो उनको लोन चाहिए, गाईडलाईन रेट कम होने के कारण लोन नहीं मिल पाता। इसलिए यह स्टेप मध्यवर्गीय लोगों के लिए काफी लाभकर हुआ है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या उसके कैश में पेमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं ? इसकी अभी मेरे पास जानकारी नहीं है। मैं उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करके सम्माननीय सदस्य को उपलब्ध कराऊंगा।

श्री राजेश मूणत :- मानीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ा विषय यही है कि आपने सामान्य रूप से गाईडलाईन में 30 प्रतिशत की कमी कर दी। उसके अंदर आदमी का एक नंबर का पैसा कम लगा। उधर जाकर स्टाम्प ड्यूटी में आपने अंदर तो कर दिया, लेकिन मुद्रांक शुल्क के अंदर जा करके कमी कर दी। लोगों ने रजिस्ट्री शुल्क तो पटाया, लेकिन पूरे प्रदेश में रजिस्ट्री शुल्क जहां भी हैं, 99 प्रतिशत कैश में जमा हुआ है। मेरा इतना ही निवेदन है कि एक तरफ उधर राजस्व का नुकसान भी किये हैं, जिन्होंने कैश में जमा किया, लोगों ने ड्रॉफ्ट जमा किये तो उसको मना दिया, आप कहेंगे तो मैं रायपुर का उदाहरण देकर कैश की डिटेल दे दूंगा। मेरा इतना ही आग्रह है कि इसको दिखवा लें।

श्री ओ.पी. चौधरी :- जी।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, एक मोरो प्रश्न आ जाये, एकय साथ उत्तर दे देंगे। माननीय मंत्री जी कहत रहिस हे कि कोटवार मन के जमीन हा पूरा शासकीय जमीन होथे। आपके माध्यम से मैं कहना चाहत हौं..।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं कि मूल प्रश्नकर्ता का प्रश्न पूरा हो जाये, फिर अन्य सदस्यों को अवसर देंगे।

श्री रामकुमार यादव :- मैं माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपको मौका दे दूंगा। चलिये, आप प्रश्न कर लीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो कोटवारी जमीन का विषय आया था, उसमें सेवा करने वाला विषय बताये हैं, जबकि मालगुजारी से प्राप्त कोटवारों की जमीन पर रोक लगी हुई है। वह भी पंजीयन निष्पादित हो रहे हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम में एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है आज दिनांक तक पैन कार्ड, आधार कार्ड वेरीफिकेशन का प्रावधान नहीं है। पंजीयन शुल्क ऑनलाईन लेने के लिए कोई प्रावधान की व्यवस्था नहीं है। नगरीय निकाय, राजस्व और टी.एन.सी. जिनको हम अरबन आवास के माध्यम से मानते हैं, इनकी कोई संयुक्त कार्य प्रणाली नहीं है। इस कारण से यह जो अवैध पंजीयन होते हैं जिसमें शासन को राजस्व की हानि होती है, यह लगातार बने हुए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आने वाले समय में ऐसी प्रणाली स्थापित की जायेगी जिससे राजस्व की प्राप्ति में कमी न हो ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में लगातार major reforms कर रहे हैं और हम पूरे रजिस्ट्री के प्रोसेस को पेपरलेस बनाने के लिए स्टेप ले रहे हैं। सम्माननीय सदस्य राजेश मूणत जी ने कैशलेस पेमेंट का प्रश्न उठाया था तो ऑनलाईन भुगतान की सुविधा ऑलरेडी प्रारंभ की जा चुकी है। अगर कोई कैश पेमेंट कर रहा है तो उसमें उसको छूट जरूर दी गई है, लेकिन पैन कार्ड का और आधार्ड का इंटीग्रेशन भी प्रोसेस से कर दिया गया है। अगर कोई कैश पेमेंट करता है तो उसकी पूरी जानकारी पैन के साथ अटैच की जा सकती है और कोई इनकम टैक्स में चोरी करने का प्रयास करेगा तो उसमें उससे आसानी से कैच किया जा सकता है। यह प्रोसेस कर दिया गया है। इसके लिए एक Mobile App भी बना दिया गया है और आने वाले समय में पेपरलेस, Mobile App और फेसलेस रजिस्ट्रेशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में घर से लोग रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, उनको ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- सुशांत जी, आपका प्रश्न हो गया। आप बाकी लोगों को पूछने दीजिये। आपके तीन प्रश्न हो गये हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का भी प्रश्न है। एक ही प्रश्न में 20 मिनट हो गये हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय मंत्री जी, आपके इतनी मेहनत करने के बाद क्या शासन स्तर पर राजस्व प्राप्ति में बढ़ोत्तरी हुई है?

अध्यक्ष महोदय :- सुशांत जी, आपके तीन प्रश्न हो गये। आप पूछिये। इसी प्रश्न में बाकी लोग भी पूछ रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न में 20 मिनट हो गये हैं। सर, हम लोगों का भी प्रश्न लगा है।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि अंबिकापुर पंजीयन कार्यालय बहुत छोटा है। वहां पर पंजीयन कराने वालों की संख्या बहुत है। वहां बैठने की व्यवस्था नहीं रहती है और अगर उप पंजीयक छुट्टी में चला जाता है तो वहां दूसरे उप पंजीयक की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण आई-डी चेंज करने में कम से कम पांच-सात दिन लगते हैं। उस पीरियड में पंजीयन कार्य बंद हो जाता है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं इस विषय पर आपका सिर्फ ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं, कृपया इसको ध्यान देंगे। वहां हमारा कंपोजिट बिल्डिंग तैयार है।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- सुशांत जी, आपका प्रश्न हो गया।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, मेरी एक विषय पर मांग है। आपसे संरक्षण की उम्मीद है। सिर्फ एक विषय है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- आपके ही प्रश्न में आ रहे हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह देखने में आया है कि जब बगैर मूल्यांकन किए पंजीयन होते हैं तो पंजीयन अधिकारी संबंधित रजिस्ट्रेशन को रोक कर मूल्यांकन करने जाते हैं, जिससे आर्थिक लाभ प्राप्त करके उस अवैध खसरे नंबर को पंजीकृत कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित होगी या नहीं होगी?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। चलिये, धर्मजीत जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह Revenue का मसला बहुत पेचीदा है, यह हर विधान सभा क्षेत्र में है। यह कोई अकेले सुशांत शुक्ला जी का समस्या नहीं है, यह बिलासपुर का ही समस्या नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि सदन में बैठे हुए 90 विधायकों के जिनका-जिनका भी जिला है, वहां के कलेक्टर को आप यह निर्देश देंगे क्या कि वहां पर t&c के लोग रहे, रजिस्ट्रार रहे, तहसीलदार रहे, संबंधित एस.डी.एम. रहे? और एक दिन सिर्फ Revenue के लिए कलेक्टर महोदय, सांसद एवं विधायक की उपस्थिति में या हो सके तो यदि वहां प्रभारी मंत्री रह

सकते हैं तो उनकी उपस्थिति में सिर्फ Revenue के मसलों में हमारी बात को सुनने का प्रयास सरकार करेगी, एक?

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हम हर बात को विधान सभा में नहीं लगा सकते हैं। हम लोग कितनी समस्या को विधान सभा में लाते रहेंगे। क्या आप जिले स्तर पर एक समय के अंदर में मीटिंग फिक्स करेंगे, क्या सरकार का आदेश जाएगा कि हम लोगों को बुलाकर हमारे अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र की अलग-अलग समस्या हैं तो वहां रजिस्ट्रार रहे, t&c के लोग रहे, एस.डी.एम. रहे, तहसीलदार रहे, कलेक्टर रहे? हम वहीं के वहीं अपनी बात कहेंगे। उनको अपनी तकलीफ भी बतायेंगे, हम उनको अपनी शिकायत भी देंगे और हम सरकार का पक्ष भी जानेंगे कि आप उसमें क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कृपया करके आप सदन में घोषणा करें कि हर जिले में मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें विधायक को अनिवार्य रूप से बुलाकर उनके समक्ष ही और यदि सांसद और प्रभारी मंत्री आए तो उनका तो अधिकार भी है, स्वागत भी है तो क्या आप यह मीटिंग फिक्स करायेंगे ? क्योंकि हमारा 80 प्रतिशत समस्या निराकरण होगा और नहीं होगा तो आज सुशांत जी ने प्रश्न लगाया है। अभी मेरा भुंइया प्रोग्राम के संबंध में ध्यानाकर्षण आ रहा है, यह प्रश्न पूछ-पूछ कर कितना लगायेंगे, उतना तो कार्यकाल में कार्य नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्रश्न बहुत लम्बा हो गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, आप प्लीज बता दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, मैं एक दो लोगों को अवसर दे रहा हूं। आप सबकी बात सुन लीजिये, फिर आखिरी में एक साथ जवाब दे देना। रामकुमार यादव जी।

श्री ओ.पी. चौधरी :- जी।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी बोलत रिहीस कि कोटवार मन के जमीन हा पूरा शासकीय होथे, लेकिन ओहा तो कलेक्टर रह चुके हे, अभी ओहा चूंकि मंत्री हे। कोटवार के जमीन दो प्रकार के होथे। एक, सेवा भूमि होथे अउ दूसरा मालगुजारी जमीन होथे। ता मालगुजारी जमीन आप जैसे गौटिया मन सेवा करे बर दे रहा अउ ओमन के पक्का जमीन हे। शायद आप ला या अउ कलेक्टर ला जानकारी होना चाहिए। कोटवार असना कमजोर व्यक्ति हे कि थानेदार जात हे अगर कोई फंसिया के मर गे, ओला निकाल, कलेक्टर चल दिस, ओला निकाल, चारों तरफ मा कोटवार हा डंडा खाथे, डांट खाथे अउ ओखर जमीन के पता नइ काबर सब ओकर दुश्मन हे ? मोर आपसे निवेदन हे कि ओहा चार पीढ़ी ले सेवा करत-करत आवत हे । कोटवार घर जाकर देखिहा दू भुतिहा चउंर नइ रहय । ओखर लिये भी हमन ला चिंता करना चाहिए । सबसे जुड़-मिल के मैं कहना चाहत हंऔं कि कोटवार के जो मालगुजारी जमीन है । ओला पक्का जमीन करके देवा, ओला छेड़खानी मत करओ । उहू मन इंसान

हे । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहत हंओं कि मालगुजारी जमीन बर आपके का सोच हे ऐला आज आप बतावओ ।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं चूंकि रजिस्ट्री के संबंध में चर्चा हो रही है । मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं । चूंकि मैंने ज्यादातर अपने जिले में देखा है कि जो रजिस्ट्री शुल्क लिया जाता है वह तो राजस्व में जाता है लेकिन हमारे यहां सारे रजिस्ट्रियों में अनिवार्य 3000, 5000, 10,000 ऐसा रेट बंधा हुआ है और खूब भ्रष्टाचार होता है । बिना पैसे दिये कोई रजिस्ट्री नहीं होती । माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या उसको रोकने के लिये आप कोई सार्थक कदम उठायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप सभी का एक-साथ जवाब दे दीजिये । अब यह प्रश्न लंबा हो गया है ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि हम इसमें बहुत सारे मेजर रिफॉर्म्स कर रहे हैं । ऑनलाईन पेमेंट, पेन कॉर्ड से इंटीग्रेशन, आधार कॉर्ड से इंटीग्रेशन, रेरा के साथ बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, भूइंया साफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेशन यह सारे स्टेप ले रहे हैं । मोबाईल एप बना रहे हैं, उससे सारे डॉक्यूमेंट्स को कोई देख सकता है, अपलोड कर सकता है हम इस स्तर तक ले जाने का बड़ा काम कर रहे हैं । सम्माननीय सदस्य राजेश जी ने अम्बिकापुर का विषय उठाया कि वहां पर कम होने के कारण सेटअप की समस्या आती है । इस बार के वर्ष 2024-25 के बजट में रेवेन्यू स्टाफ में 15 तहसीलदार, नायब तहसीलदार का पोस्ट रायपुर में सेंक्शन किया गया ताकि काम अच्छे से हो सके । इसी तरह का अगर सेटअप रिवाईज करने की जरूरत है तो अम्बिकापुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई सब जगह के लिये देखकर सेटअप को भी रिवाईज करेंगे । रामकुमार जी ने कोटवारी का जो विषय उठाया है वह मूल रूप से राजस्व विभाग का विषय है और दशकों से जो व्यवस्था चली आ रही है उसी संदर्भ में मैंने कमेंट किया है कि जो शासकीय जमीन होती है, वह सेवा भूमि होती है लेकिन कोटवार के हितों का पर्याप्त संरक्षण किया जायेगा।

श्री रामकुमार यादव :- मालगुजारी जमीन ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मालगुजारी की अलग कैटेगरी है । शासकीय भूमि भी सेवा भूमि के रूप में दी जाती है और सम्माननीय सदस्य धर्मजीत जी ने यह बात उठायी है कि वहां पर स्थानीय स्तर पर इशूज को एड्रेस किया जा सके तो टेक्नॉलाजी के माध्यम से काफी-कुछ इसका समाधान हो पायेगा । सब लोगों का इंटीग्रेशन रहेगा तो टुकड़ों की जमीन नहीं बिक पायेगी । तत्काल भूइंया साफ्टवेयर से लिंक रहेगा तो नामांतरण वगैरह हो पायेगा लेकिन उन्होंने जो कहा है कि स्थानीय स्तर पर बैठक करने के लिये तो उसके लिये हम निश्चित रूप से संबंधित कलेक्टरों को निर्देशित करेंगे और यह बैठक सुनिश्चित करायेंगे । माननीय सदस्य गजेन्द्र जी ने जो कहा है तो ट्रांसपरेंसी लाकर,

टेक्नालॉजी लाकर चीजों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है । कहीं पर कोई विशेष शिकायत हो तो हमें तत्काल दें, हम उसकी तत्काल जांच करायेंगे और रेवेन्यू की वृद्धि का जहां तक सवाल है । इस अवधि तक का पिछले साल का 697 करोड़ रेवेन्यू था वह बढ़कर 790 करोड़ हुआ है । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, चरणदास महंत जी ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सुशांत शुक्ला जी ने जो बात उठायी है कि वहां पर जांच तो इसके लिये राज्य स्तर पर जांच टीम गठित की जायेगी और जांच टीम को उनके बेलतरा विधानसभा में भेजा जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- पर्याप्त है । हो गया ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गजेन्द्र यादव जी ने जो बात उठायी उसका उत्तर नहीं आया है वह पूरे प्रदेश में है ।

अध्यक्ष महोदय :- राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ है । चलिये ।

जिला सक्ती में डोलोमाईट उत्खनन तथा शर्तों का पालन

[आवास एवं पर्यावरण]

5. (*क्र. 700) डॉ. चरण दास महंत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला सक्ती में विगत 05 वर्ष में डोलोमाईट उत्खनन के लिए पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कब-कब/कहां-कहां पर, किसको-किसको, सम्मतियां/अनुमतियां दी गईं? उत्पादन क्षमता खसरा नंबर, रकबा एवं भू-स्वामित्व सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें? यदि नवीनीकरण किया गया हो तो उसका विवरण भी बताएं? क्या कोई वैधानिक स्वीकृति/अनुमोदन शेष भी है? यदि हां तो क्या-क्या और क्यों? (ख) क्या उक्तन क्षेत्र में संचालित समस्तह खदानों में नियमों, निबंधनों तथा शर्तो का पालन किया जा रहा है? यदि हां तो वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया? निरीक्षण तिथि एवं अधिकारी का नाम, पदनाम सहित जानकारी देवें? निरीक्षण में क्या-क्या कमियां/त्रुटियां पाई गई तथा क्या-क्या कार्यवाहियां की गई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क)जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हां।[4] सभी संचालित खदानों द्वारा जल एवं वायु सम्मति में निहित शर्तों का पालन किया जा रहा है। जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

---

[4] परिशिष्ट "तीन"

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी जी का ध्यान खींचना चाहता हूं । अभी आपने बहुत फॉयरिंग झेली है । मैं आपको परेशान नहीं करूंगा इसलिये आप मेरी बात सुन लीजिये । (हंसी) मैं पहली बात तो यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी आप यह स्वीकार करेंगे न कि आप हमारे पड़ोसी हैं और आप जांजगीर जिले में दण्डाधिकारी पद पर भी रह चुके हैं । मेरा प्रश्न बहुत सामान्य है । जैसा कि आपने संख्या में दिया है, वहां पर आपकी मात्र 19 खदानें हैं । मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं ज्यादा है । उन 19 खदानों के माध्यम से जो डोलोमाईट और लाईमस्टोन की खोदाई चल रही है या वहां क्रेशर लगाये गये हैं । वह 19 खदान 1900 गांवों को प्रभावित कर रहे हैं । आप जब भी वहां जायेंगे तो वहां के किसान आपसे यह शिकायत करेंगे कि उसका जो राखड़ होता है, उसका जो शील्ड होता है वह उनके खेतों में जम रहा है । उनकी उपज कम हो गयी है और उधर से निकलने वालों को राखड़ की परेशानी से घंटों लग जाते हैं । मेरा प्रश्न ये था कि ये जो खदानों की आपने स्वीकृति दी है, उसकी जांच बराबर नहीं होती, उसकी जांच होते रहना चाहिए और सही-सही जांच होते रहना चाहिए। कागज में जांच होती है। जैसा आप समझते हैं, मैं समझता हूं, आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि कागज में जांच होने का क्या अर्थ होता है और वही जांच आपने कराई है। होती आ रही है, आपने नहीं कराई है अभी तो आप सात ही महीना से हैं, आप क्या कराएंगे? तो मेरा निवेदन ये है कि यहां एक स्पेशल अधिकारियों का एक जांच दल बना दे। 19 के 19 खदानों में कितना उनको रकबा मिला था? कितने में डोलोमाइट का उत्पादन कर रहे हैं, कितने में का लाइम स्टोन का क्रशर लगा हुआ है? किन-किन आपने इसमें जो नाम दिये हैं, अध्यक्ष महोदय, ये सब सक्ती जिले के हैं, जैजेपुर के हैं। आसपास के गांव के लोग गरीब लोग हैं मगर वह खुदाई गरीब नहीं कर रहे हैं। वह खुदाई कलकत्ता वाले कर रहे हैं। रायगढ़ नहीं कहूंगा, कलकत्ता वाले कर रहे हैं, कुछ रायगढ़ के भी हैं और दोबारा-तिबारा शोषण हो रहा है तो मेरी इन बातों को आप गंभीरता से समझे होंगे, ऐसा मैं समझता हूं और मुझे थोड़ा अपने उत्तर से संतुष्ट करने की कोशिश करिए कि मैं क्या कह रहा हूं?

श्री ओ.पी. चौधरी :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, डोलोमाइट की ये जो खदानें हैं, उनका मसला आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने उठाया है और उन्होंने कब क्या-क्या निरीक्षण किया गया है, उसकी जानकारी चाही थी तो उनको सभी जानकारी प्रेषित की गई है। लेकिन जैसा कि अध्यक्ष महोदय, इसमें 2024 में भी कई जांचें हुई हैं। कई चेकिंग कई निरीक्षण हुए हैं, लेकिन जैसा कि नेता प्रतिपक्ष जी चाहते हैं कि अच्छे तरीके से पुनः एक बार जांच हो तो एक टीम बनाकर सारे डोलोमाइट खदानों की जांच आगामी सत्र से पहले एक बार पूरी तरह से हम करवा देंगे। ।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं और कुछ नहीं पूछते हुए एक कबीर जी की शायरी कहूं या कविता कहूं?

अनेकों प्रश्न ऐसे हैं, जो दोहराए नहीं जाते।

मगर उत्तर भी ऐसे है, जो बतलाए नहीं जाते।

तो आप कुछ उत्तर को बतलाना नहीं चाहते और मैं प्रश्न को दोहराना नहीं चाहता, उसको आप समझते होंगे, इसका अर्थ क्या होता है?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए धन्यवाद। चलिए दोनों समझ गए। (हंसी) राजेश जी।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, अच्छे से जांच की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल जांच कराइए।

कमल विहार बोरिया खुर्द गजराज तालाब के आस पास की भूमि का प्लान

[आवास एवं पर्यावरण]

6. (*क्र. 672) श्री राजेश मूणत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर विकास प्राधिकरण की कमल विहार योजना के तहत बोरिया खुर्द स्थित गजराज तालाब के आस पास की भूमि का मास्टर प्लान में क्या उपयोग दर्शाया गया था तथा प्राधिकरण ने इसके आस पास की भूमि में क्या प्रोजेक्ट विकसित करने का प्लान रखा था? **(ख)** क्या इस भूमि को विक्रय/लीज पर देने हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी? यदि हां, तो कब और इसमें अद्यतन स्थिति क्या है? पूर्ण विवरण देवें। **(ग)** क्या इस भूमि के उपयोग को लेकर रायपुर विकास प्राधिकरण तथा न्यूनतम निविदाकार के बीच मतभेद उत्पन्न हो गये हैं तथा प्रकरण आरबिट्रेशन में है? यदि हां, तो इसकी अद्यतन स्थित क्या है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :(क)रायपुर विकास प्राधिकरण की कमल विहार योजना के तहत बोरिया खुर्द स्थित गजराज तालाब के आस-पास की भूमि का रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में भू-उपयोग आमोद-प्रमोद प्रयोजन अंतर्गत क्षेत्रीय उद्यान हेतु दर्शाया गया था/प्रस्तावित था तथा प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 अंतर्गत एवं कमल विहार योजना के स्वीकृत लेआउट के अनुसार स्वीकार्य योग्य प्रोजेक्ट विकसित करने का प्लान रखा गया हैं।**(ख)**जी, हां। भूमि के विक्रय हेतु ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 03.02.2023 को आमंत्रित की गई थी। न्यूनतम निविदाकार को आवंटन आदेश दिनांक 12.04.2023 को जारी किया गया था। निविदा की शर्तों के अनुसार निविदाकार को 05 माह के भीतर प्रथम किश्त की जारी जमा करते हुए अनुबंध निष्पादित किया जाना था, किन्तु निविदाकार द्वारा समयसीमा पर अनुबंध निष्पादित नहीं किया गया। निविदाकार द्वारा कमर्शियल कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट द्वारा प्रकरण का निपटारा आरबिट्रेशन के माध्यम से किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। वर्तमान में आरबिट्रेशन की प्रक्रिया जारी हैं।**(ग)**जी, हां। प्रकरण

आरबिट्रेशन में हैं। वर्तमान में आरबिट्रेशन की प्रक्रिया जारी हैं। डेवलपर द्वारा क्लेम जमा किया जा चुका हैं, जिसके संबंध में प्राधिकरण का जवाब प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री राजेश मूणत :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है। कमल विहार प्रोजेक्ट के अंदर जो खास कर हमारा वहां एक तालाब है। उस तालाब के पास में एजुकेशन पार्क बनाने की योजना की है। क्या वह 1600 एकड़ का जो पूरा प्रोजेक्ट है, उसमें मूल स्वरूप उस समय क्या था और वर्तमान में क्या है? ये स्पष्ट कर दें।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सम्मानित सदस्य ने प्रश्न किया है। रायपुर विकास प्राधिकरण की कमल विहार योजना के तहत्..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय, एक सेकंड। यह प्रश्न कौशल्या विहार का है या कमल विहार का है? क्या है? उसका नाम क्या है? कमल विहार है या कौशल्या विहार है? आप उत्तर कौशल्या विहास का दे रहे हैं या कमल विहार का दे रहे हैं?

श्री ओ.पी. चौधरी :- आज की तारीख में कमल विहार और कौशल्या विहार दोनों नाम में सम्मिलित है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं मेरा यह कहना है कि नाम कौशल्या विहार है या कमल विहार है? या दोनों एक ही चीज है?

श्री रामकुमार यादव :- दो कइसे होही, एक ठोक तो होही बबा।

श्री अजय चन्द्राकर :- दोनों एक ही चीज है या नाम को बदलेंगे..।

श्री रामकुमार यादव :- एक के दो नाम नहीं होये भाई।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट यार।

श्री रामकुमार यादव :- भारी जैकेट पहन के आये हे। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- एक तो मोर में बोलना नहीं हे, उमेश से पूछ ले कि मोर बारे में बोलना हे या नहीं। अउ ओला पूछ ले। क्या है आपने वापस कौशल्या विहार का नाम कमल विहार स्वीकृत कर लिया है? यह पूछ रहा हूं।

श्री राजेश मूणत :- लो न साहब, महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सामान्य बोलचाल की भाषा में कमल विहार प्रोजेक्ट पहले कमल विहार था, इसलिए कमल विहार कहा जाता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, तो आप कौशल्या विहार की जगह में कमल विहार को कमल विहार करने की घोषणा कर दीजिए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- पिछली सरकार के समय में इसका कौशल्या माता विहार नामकरण किया गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- यही कह रहा हूं कि मूल नाम कमल विहार है, कौशल्या विहार की जगह में और कोई बना लीजिए। मूल नाम को बदलने की जरूरत क्या है? साथ में उसकी घोषणा कर दीजिए। क्योंकि इसमें कमल विहार प्रिंट है। आपने कमल विहार स्वीकार किया है। कौशल्या विहार का उल्लेख नहीं है। तो उसे वैसा स्वीकार कर लीजिए।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में सरकार के स्तर पर चर्चा करेंगे कि क्या होना चाहिए । फिलहाल मैं सम्माननीय सदस्य के सवाल का जवाब देना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, रायपुर विकास प्राधिकरण की इस योजना के तहत बोरियाखुर्द स्थित गजराज तालाब के आसपास की भूमि का रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित 2021, यानि 2021 के पहले वाला जो मास्टर प्लान था, उसमें आमोद-प्रमोद प्रयोजन अंतर्गत क्षेत्रीय उद्यान सिटी पार्क इसका लैंड यूज़ था । 2021 के मास्टर प्लान के हिसाब से । प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत टाऊन प्लानिंग की गई, कौशल्या विहार/कमल विहार के रूप में । उसके तहत स्वीकृत ले-आऊट के अनुसार ले-आऊट में स्वीकार्य योग्य लिखा गया है । यानि जो लैंडयूज़ है उसके अनुसार डेव्हलपमेंट कर सकते हैं, ऐसा लिखा गया है । तत्कालीन कमल विहार का जो प्रोजेक्ट बना था उसमें इसके लिए 40 करोड़ रूपए फंड रेज़िंग का भी प्लान दिखाया गया है ।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यही है कि तालाब के सौन्दर्यीकरण का प्रावधान था । सब कुछ होने के बाद रायपुर विकास प्राधिकरण ने एक नई एनआईटी निकालकर तालाब के सौन्दर्यीकरण का मामला किनारे करके रिक्रियेशन पार्क बनाने के लिए टेंडर आमंत्रित कर दिया । क्या यह उचित है या अनुचित है ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, जो लैंडयूज है, 2021 के मास्टर प्लान में सिटी पार्क था और 2031 के नवीन मास्टर प्लान के अनुसार आमोद-प्रमोद है, इंटरटैन्मेंट है तो इसके तहत यह प्रोजेक्ट लाया गया था । इसमें ऑनलाईन निविदा की गई थी और ऑनलाईन निविदा करके दो पार्ट में इसको किया गया था 7-ए और 7-बी, 7-ए पार्ट का तीन बार टेंडर करने के बाद भी कोई बिडर नहीं मिला इसके कारण यह फाइनलाइज नहीं हुआ । 7-बी में टेंडर फाइनलाइज हुआ है और इसके बेस प्राइज़ से करीब 10 करोड़ ज्यादा 72 करोड़ में वह टेंडर श्री जी कृपा ने लिया है । जो रॉ-लैंड है उसको आमोद-प्रमोद में परिवर्तित कराने की या जो भी लैंड यूज़ में आवश्यक परिवर्तन कराने की जिम्मेदारी बिडर की है और बिडर ने आरडीए से कहा कि आप चेंज कराकर दो । जबकि टेंडर कंडीशन के अनुसार स्वयं कराना था । इसलिए वह कॉमर्शियल कोर्ट में चला गया और कॉमर्शियल कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आर्बिट्रेशन में जाइए तो यह मामला फिलहाल आर्बिट्रेशन में चल रहा है ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी आमोद-प्रमोद की परिभाषा बता दें । आमोद-प्रमोद में क्या काम हो सकते हैं, क्या काम नहीं हो सकते हैं, केवल परिभाषा बता दें ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- मास्टर प्लान के हिसाब से पूरी सूची है । आमोद-प्रमोद के अंतर्गत जो जो उपयोग किया जा सकता है और आमोद-प्रमोद के लैंड यूज़ के अनुसार ही उस प्रोजेक्ट को डेव्हलप किया जाएगा । उसके अंतर्गत जो स्वीकार्य चीजें की जा सकती हैं जैसे क्लब हो सकता है, एम्यूजमेंट पार्क हो सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती है । जो आमोद-प्रमोद के अंतर्गत है उसी के अंतर्गत ही उसको डेव्हलप किया जाएगा और आर्बिट्रेशन में यह मैटर गया है, ये रिस्पॉसिबिलिटी आरडीए की है या बिडर की, इस कॉम्प्लेक्सिटी के कारण वह आर्बिट्रेशन में है । आमोद-प्रमोद के अनुसार ही लैंडयूज़ का उपयोग किया जाएगा ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, मूणत जी परेशान हैं । आमोद-प्रमोद की परिभाषा जानना चाहते हैं । आमोद का तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे । प्रमोद का मतलब वह होता है जो उत्तर बतलाए नहीं जाते । आप समझ गए होंगे ।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर प्रश्न है । मास्टर प्लान में लैंडयूज़ चेंज करने का प्रावधान आमोद-प्रमोद में क्या था यह मैंने पूछा ? रिक्रियेशन पार्क बनाने के लिए आपने टेंडर निकाल दिया, आरडीए ने तय कर दिया । पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री ने टेंडर को फाइनल करने के लिए फाइल बुलाकर अपने पास रख ली। आमोद-प्रमोद में कहीं पर भी शादी घर नहीं बन सकता । आमोद-प्रमोद के अंदर कहीं भी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय राजेश मूणत जी, आमोद-प्रमोद जोर-जोर से बोलने का विषय नहीं है । उसके सम्पूर्ण ज्ञाता नेता प्रतिपक्ष जी हैं आप चाहें तो बिना जोर-जोर से बोले उनसे पूछ सकते हैं ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न के पीछे के पूरी कहानी यह है कि RDA ने पहले भी यह टेंडर निकाला था। उस समय वह जमीन उनके पास नहीं थी। वह जमीन राजस्व विभाग की जमीन थी, उनके खाते में नहीं चली। लेकिन वह टेंडर कैंसिल हुआ। आज फिर यह टेंडर निकालकर जो शर्ते NIT है। कमल विहार 1600 एकड़ के अंदर अपने आप एक स्टेट का सबसे बड़ा प्राजेक्ट आया है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि उस समय अवैध प्लाटिंग कि खिलाफ आपने कितना विरोध सहा है। लोगों ने कुछ किया तो नहीं। अभी अजय चंद्राकर जी ने कहा था, अब क्या करेंगे, कुछ कर तो पाए नहीं, खाली नामांतरण कर दीजिए। नया राजधानी के अंदर ईंट जोड़ नहीं पाए, खाली खंभा लगा दीजिए, नाम लगा दीजिए, इसके नाम पर ये, इसके नाम पर ये। इसी प्रकार से माता कौशल्या का नाम ला करके वहां पर लगा दिया, पूरा प्रोजेक्ट अंधेरे में डूबा पड़ा है, लेकिन क्या रायपुर विकास प्राधिकरण नियमों के विपरीत जा करके लैंड यूज चेंज कर सकता है ? मेरा सीधा प्रश्न है। रायपुर विकास प्राधिकरण को प्रावधान नहीं है। ले आउट प्लान में जो भी संशोधन करना पड़ेगा, रायपुर विकास प्राधिकरण को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास भेज करके पुन: ले आउट प्लान एप्रूवल

कराना पड़ेगा और बिना उसके कराए अगर NIT निकाल सकता है, टेंडर आमंत्रित कर सकता है। टेंडर OK करके रायपुर विकास प्राधिकरण ने OK कर दिया, उस आदमी ने अपनी मनी पटा दी और मनी पटाने के बाद फाईल मंत्री जी ने मंगा ली और अपने पास रखी। उसका निर्णय इसलिए नहीं हुआ कि उस व्यक्ति ने अपना टेंडर वापस नहीं लिया। यह मेरा सीधा आरोप है।

अध्यक्ष महोदय :- राजेश जी प्रश्न है या सुझाव है।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष जी, इसमें प्रश्न यही है। बिना ले आउट प्लान चेंज किए कैसे टेंडर आमंत्रित हो गया ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, जो सम्माननीय सदस्य ने कहा है, सबसे पहले 2018 में प्रयास किया गया था, उस समय सम्माननीय राजेश मूणत जी मंत्री थे। उस समय RDA के माध्यम से उसको डेव्हलप करने का प्रयास किया गया था। RDA की वित्तीय स्थिति बाद में खराब होती गयी तो यह अच्छे से हो नहीं पाया। जो वैकल्पिक योजना पार्ट-2 आया, इस लैंड को कामर्शियल व्यावसायिक प्रयोग करते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना था जो कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने रिजेक्ट कर दिया, उसके कारण नहीं हो पाया। तीसरे स्तर पर जो प्रोजेक्ट आया है, इसमें पहली चीज यह जमीन वर्तमान में RDA के नाम पर है। दूसरी चीज जो लैंड यूज चेंज किए बिना प्रोजेक्ट कैसे लगाये गये ? यह सम्माननीय सदस्य का विषय है। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि उस टेंडर के कंडीशन में यह लिखा हुआ है कि लैंड यूज के अनुसार जो भी चेंजेस की जिम्मेदारी है, वह बिडर की होगी, यह लिखा हुआ है। यह टेंडर के कंडीशन में लिखा हुआ है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आश्चर्यजनक है। आप टेंडर निकाल रहे हो, जो लैंड यूज है, उसका लैंड यूज ही नहीं है, उसके बिना आपने उसकी NIT अप्रूवल कर दी और NIT अप्रूवल करके उसके टेंडर को स्वीकृत भी कर दिया। यह इस प्रदेश के अंदर पूर्व सरकार का एक अनोखा इतिहास है। मेरे को आश्चर्य लगता है। बिना लैंड यूज चेंज किए, बिना कुछ किए टेंडर निकल गया, टेंडर अप्रूवल हो गया। उस आदमी के टेंडर का मंत्री ने उसमें पैसा नहीं पटाया तो वह आदमी कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा कि आप आरबिट्रेशन में जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आश्चर्य लगता है।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह मेरे क्षेत्र का विषय है।

श्री राजेश मूणत :- क्या इसकी जांच करा करके दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ? एक लाईन का उत्तर है।

श्री मोतीलाल साहू :- अध्यक्ष महोदय, यह विषय मेरे क्षेत्र से संबंधित है।

श्री राजेश मूणत :- भैया मेरा समय हो गया, इतना तो उत्तर दे दीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री राजेश मूणत :- क्या दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिसने नियमों के विपरित किया ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, टेंडर कंडीशन का पूरा परीक्षण कराएंगे और जो टेंडर कंडीशन थे, उसमें बिडर को लैंड यूज चेंज कराने का था, इसमें टेंडर में लैंड यूज को स्पेसीफाई नहीं किया गया था और जो वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान है, उसी लैंड यूज के तहत् इसको कराया गया है।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, आपने मास्टर प्लान में रोक लगा दी। आपने हाउस में घोषणा की है।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, जांच चल रही है।

श्री राजेश मूणत :- जब जांच खत्म ही हो गया तो...।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय

12.00 बजे

सदन को सूचना

"एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत वृक्षारोपण

अध्यक्ष महोदय :- "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत आज दोपहर 01.30 से 3.00 बजे तक विधान सभा आवासी परिसर में माननीय सदस्यों द्वारा पौधरोपण किया जाना है ।

माननीय सदस्यों के पौधरोपण स्थल तक आवागमन की सुविधा हेतु विधान सभा के व्ही.आई.पी. प्रवेश द्वार पर दो बसों की व्यवस्था कराई गई है।

कृपया माननीय सदस्यगण अपनी सुविधानुसार पौधरोपण कार्यक्रम में सम्मिलित हों ।

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय केदार कश्यप वन मंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों की ओर से लॉबी स्थिति कक्ष में, पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

अध्यक्ष महोदय :- पत्रों का पटल पर रखा जाना । श्री चौधरी जी।

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षित स्थानीय नगरीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं, अनुदान प्राप्त एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 8-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षित स्थानीय नगरीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं, अनुदान प्राप्त एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(2) छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 पटल पर रखता हूं ।

पृच्छा

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरे को अनुमति...।

डॉ.चरणदास महंत :- स्थगन दिया है ना । आप अंग्रेजी कोट पहनकर आ गये हो तो हम लोगों को चमकाना चाहते हो ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपसे बड़ी विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे दल के सभी सदस्यों ने लगभग इस बात की चिंता की है कि उनके क्षेत्र में डेंगू, मलेरिया और डायरिया का प्रभाव इतना बढ़ रहा है कि हर जगह कुछ न कुछ लोगों की मृत्यु भी हो रही है, अस्पतालों में जा रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, इसलिये हमारे पूरे विधायकगण इससे परेशान है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हमारे विधायकगण परेशान है, मैं समझता हूँ कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य भी इस बात की चिंता में है कि उसके क्षेत्र से मलेरिया और डेंगू की बीमारी अचानक कैसे बढ़ रही है । अध्यक्ष महोदय, इसे सौभाग्य कहें कि दुर्भाग्य कहें कि आप हमारे मंत्री हैं और आप के खिलाफ मुझे बोलना पड़ रहा है । अस्पतालों में दवाई बिल्कुल नहीं है, अस्पतालों में ब्लड टेस्ट करके यह पता लगाया जाता है कि यह मलेरिया है, डेंगू है, डायरिया है, उसकी कोई जानकारी आपके सरकारी अस्पताल, यहां तक मेकाहारा अस्पताल में नहीं है । इसमें तो गरीब लोग ही बीमार होते हैं, जिनके पास अच्छे रहने की जगह नहीं है, जिनके पास अच्छे से पानी की व्यवस्था नहीं है, वही मलेरिया से परेशान होगा, वही डायरिया से परेशान होगा और समस्त लोगों को यह कह दिया जाता है कि हमारे पास ब्लड टेस्ट करने का रिएजेन्ड नहीं है, हम ब्लड टेस्ट नहीं करते, वह कहते हैं कि जाकर प्रायवेट दुकान से करा लो, उस प्रायवेट दुकान से करा लो, यहां प्रायवेट दुकान से करा लो, उनके प्रायवेट दुकान आने-जाने और उसके रिपोर्ट आने तक जो यहां पिछले चार महीनों में बवंडर मच गया है, उसके कारण हर जगह चाहे रतनपुर हो, बिलासपुर हो, आपका मनेन्द्रगढ़ हो, आपके कवर्धा का बोड़ला हो, सब जगह मरीज लोग बहुत परेशान है । अनेक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उससे हमारे

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

विधायकगण परेशान है । विधायकगणों को ठीक से जवाब नहीं मिल रहा है कि दवाई क्यों नहीं है । दवाई के बारे में पूछे जाने पर कहा जाता है कि अस्पताल में दवाईयां खत्म हो चुकी है । मलेरिया की जांच नहीं हो पायेगी । इस तरह से प्रदेश में जो वातावरण बना हुआ है, यह पूरे प्रदेश में बना है । हमारे क्षेत्र में ही नहीं, आपके क्षेत्र में भी बना है । इसलिये मैं चाहता हूँ और स्थगन प्रस्तुत किया है । अगर आप हम पर बड़ी कृपा कर देंगे तो मैं कहूंगा कि इस स्थगन को स्वीकार करें और चर्चा कराएं । आप मुझ पर इससे और बड़ी कृपा करना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा कि एक-डेढ़ घंटे की चर्चा विधान सभा में करा ली जाये, जिसमें सभी विधायकगण अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं बता सकें और इस चिन्ता से हम सब मुक्त हो सकें । यह विशेषकर अस्पतालों की बदहाली, दवाई नहीं होने का प्रश्न है और यहां अब दवाई किससे खरीदी जाये, यह बहुत बड़ा प्रश्न उठा हुआ है । मैं किसी भी आरोप, किसी भी प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता । अगर इसको माननीय मंत्री जी सुन रहे होंगे तो इसको बेहतर ढंग से समझेंगे और हमारे साथी इस संबंध में अनेक चिन्ताएं व्यक्त कर रहे हैं, वह आपके सामने चिन्ता व्यक्त करना चाहते हैं । कृपा इस स्थगन को ग्राह्य करके हम सबको सुनने की कृपा करें ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दुर्ग जिला गृह निर्माण मर्यादित, राजनांदगांव द्वारा दुर्ग में स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध प्लाटिंग की गई है और वर्षों से यह काम हो रहा है । जो 42 प्रतिशत जमीन छोड़ी जाती है, उसको भी बेच दिया गया । वर्ष 1960-61 से अभी तक भू-भाटक नहीं पटाया गया और उसको जोड़ा जाये । अभी तो अरबों रूपए की क्षति शासन को हुई है। इस संबंध में मैंने ध्यानाकर्षण दिया है । राज्य शासन को चूना लगाने और क्षति पहुंचाने का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा । इसलिए मेरा आग्रह है कि इस महत्वपूर्ण विषय को देखते हुए मेरे ध्यानाकर्षण को स्वीकृत करने का कष्ट करेंगे ।

श्री विक्रम मण्डावी (बीजापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी इंसान को अपने जीवन में सबसे ज्यादा चिन्ता होती है तो वह अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहता है । अभी वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि सदन के सभी सदस्य चाहें वे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी सदस्य लगातार स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं । अपने-अपने विधान सभाओं क्षेत्रों में चिंतित हैं और जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में डायरिया, मलेरिया जैसी घातक बीमारियां फैली हुई हैं । हमारे बस्तर की बात करें तो बस्तर में हमारी सरकार ने जो मलेरिया मुक्त अभियान चलाया था, उसकी अच्छी सफलता वहां पर मिल रही थी । बस्तर मलेरिया मुक्त होने जा रहा था, लेकिन सरकार बदलने के बाद उस अभियान को भी बंद करने का काम किया गया, जिसके चलते मेरे बीजापुर जिले में पोटाकेबिन और आश्रम में पढ़ने वाले गरीब बच्चे की मौत मलेरिया जैसी बीमारी से होती है । उसके बाद विभाग पोटाकेबिनों में, आश्रमों में जाकर मलेरिया का टेस्ट कराता है तो लगभग 300-400 बच्चे मलेरिया पॉजिटिव पाये जाते हैं और यह सिर्फ बीजापुर की ही बात नहीं है, पूरे प्रदेश में है। कबीरधाम में डायरिया से 5 व्यक्तियों की मौत

हो गई और बच्चों की मौत हो रही है। यह लगातार चिन्ता का विषय है । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की जाये, ताकि पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा बहाल हो ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में ही 500 से अधिक व्यक्ति डायरिया से पीड़ित हैं । पिछले हफ्ते ही करमंदा गांव की एक महिला को जिला अस्पताल से यह बोलकर वापस कर दिया गया कि वहां पर बिस्तर उपलब्ध नहीं है, उसके डिस्चार्ज स्लिप में यह बात लिखी हुई है और दूसरे दिन सबेरे उसकी मौंत हो गई । इसी तरह हमारे यहां करमंदा में डायरिया से 4 व्यक्ति की मौंत हो गई । खुशिर में, पामगढ़ में लगातार मौतें हो रही हैं । 500 से अधिक लोग डायरिया की चपेट में सिर्फ एक जिले के हैं, उसके अलावा मलेरिया और डेंगू भी वहां फैला हुआ है, जिसकी दो मौतें अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में ही बलौदा ब्लॉक में हो चुकी है । हम लोगों के क्षेत्र में कोविड के समय जो ऑईशोलेशन वार्ड बनाए गए थे, वह जंग खाते पड़े हुए हैं तो No Bad Available कहकर लोगों को वापस भेजा जा रहा है। हमारे यहां के ब्लॉक में अभी तक क्लोरीन तक उपलब्ध नहीं हुई है कि वहां पर छिड़काव किया जा सके । हम लोगों के यहां क्लोरीन का पैसा आता था, वह अभी तक एन.एच.एम. से और बाकी चीजों से पैसा नहीं आया है । वहां पर बहुत भयावह स्थिति है । आपसे निवेदन है कि इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करने का अवसर दें ।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश डायरिया और मलेरिया जैसे घातक बीमारी से जूझ रहा है। कबीरधाम जिले के बोड़ला ब्लाक के सोनावाही में बैगा जाति के लोग रहते हैं। यह दुर्भाग्य है कि वहां पर राष्ट्रपति दत्तक पुत्र 5 बैगा आदिवासियों की डायरिया से मृत्यु हो गई है। उस बस्ती में बहुत सारे लोगों का बीमार पड़े हैं। वहां जांच के दौरान कहा गया कि अन्य चीजों के खाने से यह हुआ है। वहां के लोग आज भी डायरिया और मलेरिया से पीड़ित हैं। आदिवासी उप योजना के तहत केन्द्रीय सरकार की ओर से अलग से संचालित माडा क्षेत्र के बैगा जाति के लिए एक विशेष योजना है।, जहां सीधे केन्द्रीय सरकार से पैसा आता है। उस पैसे का उपयोग उस गांव में ना होना, बैगा प्रजाति के लोगों में ना होना यह हमारे लिए और शासन के लिए दुर्भाग्य है। मैं सोचता हूं कि ऐसे बैगा जाति के लोगों का बारिश शुरू होने के पहले ईलाज होना चाहिए, वहां के ऐसे बैगा आदिवासी अंचलों में देखभाल होना चाहिए। इस प्रकार की घटना होना दुर्भाग्यजनक है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में मलेरिया और डायरिया से पीड़ित हैं। आप इस पर चर्चा कराने की कृपा करेंगे।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने इस ओर ईशारा किया है। मैंने इस विषय पर प्रश्न लगाया था, दुर्भाग्य से वह प्रश्न उस दिन नहीं आ पाया। हमारे बहुत सारे साथियों ने ध्यानाकर्षण भी लगाया है। मुझे लगता है कि पूरा सदन इस पर चर्चा करना

चाहता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर इस पर चर्चा कराया जाता है तो सभी साथियों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप (श्री उमेश पटेल, सदस्य) गरम पानी पीजिये।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धर्मजयगढ़) :- अध्यक्ष महोदय, यह डायरिया का प्रकोप है, उनको मलेरिया होने की संभावना है, इनका चिकित्सा कराया जाये। (हंसी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला चिकित्सालयों में डाक्टरों और दवाईयों का भी आभाव है। गरीब आदिवासी परिवार के लोग नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारे लागों की स्वास्थ्य की चिंता और समस्याओं को देखते हुए हमारे प्रदेश में जो एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई पूरा कर चुके हैं, जो ट्रेनिंग कर चुके हैं, उन डाक्टरों की नियुक्ति की जाये। ताकि स्वास्थ्य की समस्या से निजात मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य की बहुत खराब स्थिति है। कोटा विधानसभा क्षेत्र में लोग मलेरिया और डायरिया के गंभीर जानलेवा रोग पीड़ित है। रतनपुर में विगत लगभग 15 दिनों में 300 लोग डायरिया से पीड़ित हुए हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। रतनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के नेवसा और मदनपुर के 4 ग्रामीणों की मौत हुई है। कोटा विधानसभा क्षेत्र के करवा, टेंगनमाड़ा, खोंगसरा और टाटीधास और सिलपहरी में बहुत बुरी तरह से मलेरिया फैला हुआ है और उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय हाट बाजार योजना शुरू की गई थी, उस योजना को तुरन्त शुरू किया जाये। दाई-ददा क्लीनिक कार्यक्रम से गांव के बाजार में जाने वाले हमारे सुदूर आदिवासी अंचल के लोगों को बहुत फायदा हो रहा था। उसको तुरन्त शुरू किया जाये।

श्रीमती चातुरी नंद (सराईपाली) :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान प्रदेश के लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर आकृष्ट कराना चाहत हंव। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश के अंतिम छोर जो उड़ीसा से लगे हुए सराईपाली विधानसभा क्षेत्र हे, मैं वहां के प्रतिनिधित्व करथव। मोर क्षेत्र उड़ीसा राज्य से लगे हुए हे। मोर क्षेत्र के ग्राम सिंघोड़ा के स्वास्थ्य केन्द्र के एम्बुलेंस ला जशपुर भेजे गय हे। का मोर क्षेत्र मा एम्बुलेंस के आवश्यकता नइ हे ? अगर मोर क्षेत्र में कोनो व्यक्ति बीमार पड़त हे तो ओला कैसे अस्पताल तक पहुंचाबो ? मोर क्षेत्र के 108 वाला गाड़ी आज जशपुर में हे। का सब्बो सुविधा मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र मा देहे जाही ? का मोर क्षेत्र मा नइ देय जाय का ? एखर अलावा मैं ये बताना चाहत हंव कि शनिवार अउ रविवार के शव वाहन ला बंद कर दिए जाथे, ओला जिला अस्पताल भेज दिए जाथे। पिछले दिन एक एक्सीडेंट होय रहिस हे, जेमा शव ला ले

जाए बर वाहन के कमी होइस, काबर कि शव वाहन जिला अस्पताल में जा रीहिस हे तो अइसे बहुत सारा दिक्कत आवत हे। एखर अलावा।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्रीमती चातुरी नंद :- अध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, आपकी बात आ गयी है।

श्रीमती चातुरी नंद :- अध्यक्ष महोदय, ए मोर क्षेत्र के बहुत गंभीर मामला है। वहां एक तरफ तो कहे जात हे कि अस्पताल में दवाई नहीं हे, फेर हमर बसना के नेशनल हाईवे में अब्बड़ संख्या में कीमती सरकारी दवाई फेंक दे गे रीहिस हे। ए बहुत दु:ख के बात हे। एखर जांच होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। मोहले जी, एक मिनट।

श्री जनक ध्रुव (बिन्द्रानवागढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र एक वनांचल क्षेत्र है और पहाड़ों से घिरा हुआ है। वहां पर विशेष पिछड़ी जनजाति कमार और भुंजिया निवास करती हैं। पहाड़ी इलाका और दूरांचल होने के कारण स्वास्थ्य अमला आमामोरा और कामरभवदी जैसी जगहों में नहीं जाता है, इसलिए बरसात के दिनों में अभी वहां पर बहुत बुरी स्थिति है, जिसके कारण 26 गांव मलेरिया से प्रभावित हैं। अभी-अभी पिछले सप्ताह दो बच्चों की मलेरिया से मौत भी हो चुकी है। जब मैं स्वयं उनके पास गया और उनसे पूछा कि आप मैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ईलाज करवाने के लिए क्यों नहीं गये तो उनके पालक का सीधा-सीधा यह आरोप था कि चूंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर और स्वास्थ्य अमला नहीं है, इसलिए उन्होंने धमतरी जाने की बात कही और उसको refer center बताया। इसी प्रकार से देहारगुड़ा (दर्रीपारा) में 4 वर्ष के एक और बच्चे दलेन्द्र नागेश की मृत्यु भी मलेरिया से हुई है। मैं चाहूंगा कि ऐसे दूरांचल क्षेत्र, जहां पर कहते हैं कि अमीर धरती के गरीब लोग और जहां हीरे के खदान जैसे क्षेत्र हैं, वहां पर जाने के लिए सुगम रास्ता और बिजली नहीं है। ऐसे क्षेत्र में जहां विशेष पिछड़ी जनजाति कमार और भुंजिया निवास करती हैं तो ऐसे मलेरियाग्रस्त क्षेत्रों में स्वास्थ्य अमले की भरपूर देख-रेख होनी चाहिए, डी.डी.टी. का छिड़काव होना चाहिए और मच्छरदानी का भी वितरण होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने की मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से मलेरिया और डायरिया आज के समय में प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी समस्या है। मेरे क्षेत्र में इससे 4 लोगों की मौत हुई और 74 लोग इतने गंभीर रहे कि आज भी वह काम करने की स्थिति में नहीं हैं। इस सदन में इस बात पर चर्चा करने की आवश्यकता है कि पिछले 7 महीने में ऐसी कौन सी परिस्थिति निर्मित हुई कि समूचा छत्तीसगढ़ मलेरिया का शिकार हुआ और उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था में

अचानक यह बात क्यों आई ? एक समय ऐसा भी था जब दिल्ली की सरकार ने सर्वाधिक मलेरिया रोकथाम की सराहना की थी तो छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना हुई थी और निश्चित रूप से मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ हुआ था। इसलिए आज आवश्यकता है कि इसपर चर्चा हो। मैं आपसे इस बात का निवेदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री लखेश्वर बघेल (बस्तर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला किसी particular विधान सभा क्षेत्र या जिला का नहीं है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में डायरिया, उल्टी दस्त और मलेरिया फैली हुई हैं। यह गंभीर विषय है, इसलिए आप इसको ग्राहृय करके इसपर चर्चा करने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। भूपेश बघेल जी।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में उल्टी दस्त और मलेरिया से लोग पीड़ित हैं। चाहे वह बीजापुर की बात हो, चाहे कवर्धा की बात हो, चाहे बिलासपुर हो, जांजगीर-चांपा हो, चाहे महासमुंद हो या गरियाबंद हो। सभी जिलों में इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं। लोगों का ईलाज नहीं हो पा रहा है और लोग इससे पीड़ित हैं। दवाईयां उपलब्ध नहीं हैं और लोगों की मौतें हो रही हैं। हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन प्रस्ताव लाया है। मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष और ट्रेजरी बेंच से यह आग्रह करूंगा कि इसे स्वीकार कर लीजिए। यह जन-जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है और पूरे प्रदेश में यह फैला हुआ है। अभी बारिश हुई है तो शहरों में भी जल जमाव होगा तो वहां पर बहुत सारे मच्छर भी पनपेंगे। उससे मलेरिया, डेंगू और तमाम प्रकार की बीमारियां होने की भी संभावना है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस विषय में सरकार की क्या तैयारी है, इस पर चर्चा हो जाए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और अन्य माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र में डायरिया, मलेरिया तथा अन्य विषयों को लेकर आज सदन का ध्यान आकर्षित किया। ये विषय महत्वपूर्ण हैं और निश्चित रूप से मैं कल किसी न किसी रूप में इस विषय को समय दूंगा और इसे लूंगा और उस पर चर्चा भी होगी। मुझे लगता है कि आज अन्य विषय करने की अनुमति प्रदान करें।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन था कि कल ध्यानाकर्षण या किसी न किसी माध्यम से चर्चा कराने हेतु आपने आश्वस्त किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद, लेकिन ध्यानाकर्षण में तो दो या तीन सदस्य पूछ सकेंगे इसलिए और भी जो लोग सवाल पूछना चाहें, उनको अवसर दे दें, क्योंकि प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल, ज्यादा लोगों को अवसर देंगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- अध्यक्ष महोदय, मेरा शून्य काल का विषय यह है कि राष्ट्रीय राज्यमार्ग बिलासपुर-मुंगेली-पोंड़ी-पंडरिया बन रहा है, इस रोड पर नाली भी नहीं बनी है एवं रोड जर्जर स्थिति में है और कई जगहों पर गड्ढे बन गए हैं, जिससे वर्षा ऋतु में लोगों के घरों में पानी भर रहा

है। उस रोड में सी.सी. रोड लगी है, लेकिन कार्य नहीं हुआ है। नालियॉं दशरथपुर, जरहागांव तथा अन्य जगहों पर नहीं बनी हैं। मैं चाहूंगा कि इस पर सरकार ध्यान दे और इन कार्यों को कराए।

श्री विक्रम उसेण्डी (अंतागढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कांकेर जिले के पखांजूर से गढ़चिरौली-नागपुर मार्ग में जून, 2021 में करीब 12 किलोमीटर में प्रधान मंत्री सड़क बनकर पूर्ण हुआ था, लेकिन दोबारा मरम्मत नहीं होने के चलते घुटने तक से भी ज्यादा गड्ढे हो गए हैं और उसमें चलना मुश्किल हो गया है। इससे वहॉं महाराष्ट्र से पखांजूर तक चलने वाली बस, जो पहले चल रही थी, वह बंद हो गई है और वहां आम जनता की आवाजाही पूरी तरह से बंद है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। इस मामले में उसकी मरम्मत हेतु अप्रैल, 2023 को जिला प्रशासन से भी यहां पर पत्र भेजा गया था, किन्तु वह हुआ नहीं है। इस बात को लेकर जनता में बहुत नाराजगी है, मैंने इस पर ध्यानाकर्षण दिया है, इस पर चर्चा कराने का कष्ट करेंगे।

समय:
12.23 बजे

<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना में दर्शाए विषयों की अविलंबनीयता और महत्व को देखते हुए माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह पर सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138(3) को शिथिल कर मैंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किए जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। मैं समझता हूं, सदन इससे सहमत होगा।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

<u>(1) छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दवा एवं उपकरणों की खरीदी में अनियमितता</u>

श्री धरम लाल कौशिक (बिल्हा) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना यह है कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दवाईयों की खरीदी में विगत 3 वर्षों में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। इसके संबंध में लगातार शिकायतें भी की गई हैं, जिसमें पत्र दिनांक 12 व 13 दिसंबर, 2022 को सचिव, तत्कालीन माननीय लोक स्वास्थ्य मंत्री, सीजीएमएससी व अन्य को शिकायतें की गई थीं, जिसमें छत्तीसगढ़ महालेखाकर द्वारा उठाई गई आपत्ति एवं उसकी जांच का भी उल्लेख किया गया था, मगर इस पर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कोई जांच न करा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया। इसके साथ ही दो वर्षों में 9M India Limited व अन्य कंपनियों को भी नियमों के विरूद्ध दवाई आपूर्ति हेतु क्रय आदेश बाजार से अधिक दर पर बिना मांग के दिया गया। इसी प्रकार हार्मोनल जांच के लिए

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपयोग आने वाले रीएजेंट के करोड़ों की सप्लाई भी बिना मांग पत्र के कर दी गई थी। इस संबंध में दुर्ग सीएमएचओ द्वारा 25 जून, 2024 को एक समाचार पत्र में अपना पक्ष दिया है कि सीजीएमएससी से इन्हें सीधे भेजा गया है तथा उन्हें जानकारी तक नहीं दी गई है। इसी प्रकार खैरागढ़ जिले में सीबीसी की किट बिना मांग बैच नंबर एएमएन 0222 भेजा गया, जो 30 नवंबर, 2023 को कालातीत हो गई, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ के 170 सीएससी, 750 से अधिक पीएससी और 30 जिला अस्पतालों में रीएजेंट भेजा गया तथा अधिकांश रीएजेंट एमआरपी से कई गुना अधिक दर से क्रय किया गया तथा उपयोग नहीं होने के कारण कालातीत हो गए, जिससे शासन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही फुल्ली ऑटो-एनेलाईजर मशीन मॉडल नंबर रिस्पॉस 910 व कोड नंबर ई.क्यू.पी. 0458 तथा अन्य इसी प्रकार की मशीनें जो कि 2022 एवं 2023 में क्रय की गईं, जिसका कंपनी के जेम पोर्टल में दर लगभग 6 लाख है तथा सीजीएमएससी द्वारा 23.95 लाख में कई गुना अधिक दर में क्रय कर अनियमितताएं की गईं। दवाइयाँ व उपकरण न केवल बिना मांग के बल्कि अधिक दर पर बिना बजट उपलब्धता के मिलीभगत कर क्रय की गई थी। इसकी लगातार शिकायतें की गईं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे आम जनता में भारी रोष व्याप्त है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- अध्यक्ष महोदय, यह कहना गलत है कि छत्तीसगढ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दवाइयों की खरीदी में विगत 3 वर्षों में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है, अपितु सत्य यह है कि दवाइयों की समस्त खरीदी सी.जी.एम.एस.सी. लिमिटेड द्वारा खुली निविदा के माध्यम से दर प्राप्त कर की गई है।

यह सत्य है कि महालेखाकार द्वारा ऑडिट आपत्ति उठाई गई है। अवगत होना चाहेंगे कि ऑडिट कार्यालयीन कार्यों की समीक्षा करने की प्रक्रिया है। समय-समय पर प्राप्त होने वाली ऑडिट आपत्तियों पर कार्यालय द्वारा स्पष्ट जानकारी बनाकर महालेखाकार को अवगत कर निराकरण किया जाता है।

यह कहना गलत है कि 9 एम इंडिया लिमिटेड व अन्य कंपनियों को भी नियमों के विरुद्ध दवाई पूर्ति हेतु क्रय आदेश बाजार से अधिक दर पर बिना मांग दिया गया, जबकि सत्य यह है कि सी.जी.एम.एस.सी. द्वारा दवाइयों के समस्त दर-अनुबंध खुली निविदा के माध्यम से किये गये हैं एवं दर-अनुबंध करते समय अन्य राज्यों के कार्पोरेशन जैसे कि- राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड एवं मार्केट दर से तुलना की जाती है, तत्पश्चात ही दर-अनुबंध किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दवाइयां जैसे कि - पैरासिटामॉल 500 एम.जी. टेबलेट 0.42 रूपये (42 पैसे), पैरासिटामॉल पिडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन 125 एम.जी./5 एम.एल. 6.18 रूपये, डाइसाईक्लोमिन एच.सी.एल. 10 एम.जी. टेबलेट 0.12 रूपये (12 पैसे), जिंक सल्फेट डिस्परसिबल टेबलेट 0.18 रूपये (18 पैसे), फेरस सल्फेट एवं फोलिक एसिड टेबलेट (रेड कलर) 0.16 रूपये (16 पैसे) है। विगत 03 वर्षों में निगम द्वारा बिना मांगपत्र के कोई भी दवाई का क्रय आदेश जारी नहीं किया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी बार-बार कह रहे हैं कि यह कहना गलत है, यह कहना गलत है। यह भाषा सही नहीं है। यह कहना गलत है, ऐसा नहीं लिखा जा सकता। हमेशा यह लिखा जाता है कि यह कहना सही नहीं है। हमारी बात को यह कैसे गलत ठहरा देंगे ? यदि हमारी बात गलत है तो यह बहस क्यों कर रहे हैं और उत्तर क्यों दे रहे हैं ? और यह कौन हैं कि बिना बहस के निर्णय करके हमको गलत कह दे ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, जो ध्यानाकर्षण कराया गया है। उसमें शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। यह शब्द उपयोग होना चाहिए कि जो कहा गया वह सही नहीं है। उन्होंने जो गलत शब्द के उपयोग में आपत्ति उठाई है, मैं उसे उचित मानता हूं। इसलिए आगे इसके लिए सावधानी बरते।

श्री श्याम बिहारी जायवाल :- यह कहना सही नहीं है कि हार्मोनल जांच के लिये उपयोग होने वाले रिएजेंट के करोड़ों की सप्लाई भी बिना मांग पत्र के कर दी गई थी। अपितु सत्य यह है कि हमर लैब अंतर्गत हॉर्मोनल जांच के लिये उपयोग होने वाले उपकरण हॉर्मोन एनालाइजर एवं उसमें लगने वाले रिएजेंट का मांगपत्र संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से प्राप्त होने पर सी.जी.एम.एस.सी. द्वारा क्रय कर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में आपूर्ति कर दी गई है। यह सत्य नहीं है कि दुर्ग सी.एम.एच.ओ. द्वारा 25 जून, 2024 को एक समाचार पत्र में अपना पक्ष दिया है कि सी.जी.एम.एस.सी. से इन्हें सीधे भेजा गया है, जबकि सत्य यह है कि दुर्ग सी.एम.एच.ओ. ने किसी प्रकार का पक्ष नहीं दिया है। सी.जी.एम.एस.सी. को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से रिएजेंट के मांगपत्र प्राप्त हुए थे, तदानुसार आपूर्ति की गई है। पुनः लेख है कि खैरागढ़ जिले में सी.बी.सी. किट की आपूर्ति हेतु मांगपत्र संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से प्राप्त हुआ था। उक्तानुसार आपूर्ति की गई है।

यह उल्लेखनीय है कि सी.बी.सी. किट बैच नम्बर ए.एम.एन. 0222 की आपूर्ति निगम द्वारा खैरागढ़ जिले में नहीं की गई है। सी.बी.सी. किट रिएजेंट हेतु दिनांक 16.06.2023 एवं 12.07.2023 को अंतिम क्रय आदेश जारी किया गया था। उक्त रिएजेंट कालातीत नहीं हुए है। यह कहना सही नहीं है कि छ.ग. के 170 सी.एस.सी. 750 से अधिक पी.एस.सी. और 30 जिला अस्पतालों में रिएजेंट भेजा गया तथा अधिकांश रिएजेंट एम.आर.पी. से कई गुना अधिक दर से क्रय किया गया तथा उपयोग नहीं होने के कारण कालातीत हो गया, जिससे शासन को अरबों रूपये का नुकसान हुआ है। अपितु सत्य यह है कि निविदा में प्राप्त रिएजेंट की दर अनुसार ही छत्तीसगढ़ के विभिन्न सी.एच.सी., पी.एच.सी. एवं जिला अस्पतालों में क्रय कर आपूर्ति किया गया है एवं उक्त रिएजेंट कालातीत नही हुए है।

यह कहना सही नहीं है कि छ.ग. के फुल्ली आटो-एनेलाईजर मशीन मॉडल नं. रिस्पान्स 910 व कोड नं. ई.क्यू.पी. 0458 तथा अन्य इसी प्रकार की मशीनें जो कि 2022 एवं 2023 में क्रय की गई, जिसका कंपनी का जैम में दर लगभग 6 लाख है तथा सी.जी.एम.एस.सी. द्वारा 23.95 लाख में कई गुना अधिक दर में क्रय कर अनियमितता की गयी। अपितु सत्य यह है कि जैम में वर्तमान में फुल्ली

आटो-एनेलाईजर मशीन मॉडल नं. रिस्पान्स 910 व कोड नं. ई.क्यू.पी. 0458 के नाम से कोई भी उपकरण उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में फुल्ली आटो-एनेजाईजर मशीन का क्रय संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से प्राप्त स्पेसिफिकेशन के आधार पर जारी खुली निविदा में एल-1 दर प्राप्त होने के आधार पर ही किया गया है। पूर्व में भी वर्ष 2018 में उपरोक्त उपकरण का क्रय 23.95 लाख में किया गया था।

सी.जी.एम.एस.सी. द्वारा दवाई एवं उपकरण का क्रय मांगपत्र के अनुसार ही किया जाता है, यह भी अवगत होना चाहेंगे कि दवाई की आपूर्ति स्वास्थ्य संस्थाओं में करना एक निरंतर प्रक्रिया है. जिसके लिये बजट समय-समय पर संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। अतः आम जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

समय
12.25 बजे **(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)**

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, यह अरबों रूपये के घोटाले का मामला है। इसलिए इसमें आपका संरक्षण चाहिए। मैं छोटा-छोटा प्रश्न पूछूंगा और माननीय मंत्री जी से जवाब लेते जाऊंगा। मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि दिनांक 12 एवं 13 दिसम्बर, 2022 को सी.जी.एम.एस.सी. में दवाई रिएजेंट उपकरण की खरीदी में नियमों का पालन न करने व ए.जी. छत्तीसगढ़ की आपत्तियों पर कार्यवाही न करने के संबंध में शिकायत किसके द्वारा की गई थी? तथा इन शिकायतों में किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध शिकायत की गई है?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह जो सी.ए.जी. का ऑडिट है एक सतत् प्रक्रिया है और उनकी जो भी आपत्तियां आती हैं उसका निराकरण करते हैं और यह सी.जी.एम.एस.सी. में जब से इसका गठन हुआ है तब से सी.ए.जी. महालेखाकार के द्वारा इसका ऑडिट कराया जाता है। साथ ही में शिकायतों के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि अभी तक कुल 25 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें 15 निराकृत हैं और अभी 10 शिकायतें प्रक्रियाधीन हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैंने यह पूछा है कि इसमें किसके द्वारा शिकायत की गई है और किस अधिकारी के विरूद्ध में शिकायत की गई है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, आप अनुमति देंगे तो मुझे इन 25 शिकायतों को बताने में थोड़ा समय लगेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप उसको पटल पर रखवा दीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- ठीक है। अगर माननीय सभापति महोदय जी अनुमति देंगे तो हम पटल पर रख देंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है या यहां पर पढ़ने का समय दें। मेरे पास 25 शिकायतों की सूची हैं।

सभापति महोदय :- अभी समय की कमी है। वह पटल पर रख देंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, चलिये। यह अच्छी बात है। यह जो आपने शिकायतों के निराकरण करने की बात कही कि हमने इतनी शिकायतों का निराकरण किया। आपके द्वारा क्या निराकरण किया गया ? आप यह बता पायेंगे ? और यह निराकरण किनके द्वारा किया गया ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने यह बताया कि अगर अनुमति हो तो सभी शिकायतों को पढ़ने में समय लगेगा। उनमें 10 शिकायतें निराकृत हुई हैं। इसमें कुल 25 शिकायतें थीं और 15 शिकायतें निराकृत हैं और 10 शिकायतें प्रक्रियाधीन हैं। आप चाहेंगे तो मैं अलग से पूरी कॉपी उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, आप मुझे अलग से उपलब्ध करवा दीजिएगा।

सभापति महोदय :- आपको उसकी कॉपी अलग से उपलब्ध करवा देंगे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको अलग से कॉपी उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछ लेता हूँ। यह स्पेसिफिक प्रश्न है। वर्ष 2022 में श्रीमती मीनाक्षी गौतम, यह महाप्रबंधक, वित्त के पद पर रही हैं। आप मुझे केवल इतना बता दीजिए कि क्या इनके विरूद्ध शिकायत हुई या नहीं हुई है?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2020 से 2022 तक मीनाक्षी गौतम पदस्थ रही हैं, इसके विरूद्ध विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री धरमलाल कौशिक :- ठीक है। माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 2022-23 में EDTA Tube pediatric and adults Mokshit Care से कितने रुपये की दर में लिया गया था, व्ही.के. मेडिकल तथा फार्माडिल रायपुर से कितने रुपये की दर में लिया गया था ? केवल इतना बता दीजिए, मेरे छोटे-छोटे प्रश्न हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- EDTA Mokshit Corporation से, चूंकि आप पिछले विधान सभा के उत्तर का किये होंगे, पिछले विधान सभा के उत्तर में 2352 रुपये में खरीदना बताया गया था, परंतु 2352 रुपये के एक बंडल में 100 पीस होते हैं। चूंकि उस समय ऐसी भावना ऐसी आई थी कि एक syringe की कीमत 2352 रुपये की है, परंतु उसमें 100 का बंडल होता है, 2352 रुपये में खरीदी की

गई थी। अन्य संस्थाओं में क्रय की दर 8.50 रुपये थी और Mokshit Corporation का 100 के मानक से क्रय की दर 23.52 रुपये थी। परंतु कई सामग्रियों के उनके विभिन्न स्पेसीफिकेशन, गुणवत्ता के नार्म्स में फर्क आता है इसलिए दरों में एकरूपता संभव नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- EDTA Tube pediatric क्या है, वह आपको तो मालूम है न ? वह Tube क्या है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- यह Tube ऐसी है जिसमें न्यूनतम मात्रा में कम से कम ब्लड सैंपल इकट्ठा किया जाता है।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह ब्लड सैंपल ले करके जांच के लिए भेजते हैं, वही Tube है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- हां।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसमें आपने जो आपने 2352 रुपये में खरीदी की है, यह जो आप अभी 100 की बात बता रहे हैं, आपने पहले भी नहीं बताया है। अब मैंने प्रश्न किया है कि सिविल सर्जन रायगढ़ ने 2.60 रुपये में खरीदी की है। इसके बाद में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सरगुजा ने 2.15 रुपये में खरीदा।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- ठीक है। मैं भी आपसे कोई छिपा नहीं रहा हूं। सभापति महोदय, पिछले बार संशोधित जवाब में विधान सभा कार्यालय को भेज दिया गया था। वह त्रुटिवश बंडल को 100 नग लिखना भूल गये थे।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, संशोधित उत्तर आया ही नहीं था, न मिला था, न उसके अनुसार से प्रश्न पूछा गया और न जवाब दिया गया। यदि आप भेज देते या यही संशोधित उत्तर हाथ में भी दे देते तो भी उसके हिसाब से प्रश्न पूछ लिया जाता।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह संशोधित उत्तर विधान सभा को भेज दिये हैं। उसकी कापी मेरे हाथ में है। विभाग ने संशोधित उत्तर को भेज दिया है।

सभापति महोदय :- चलिये मंत्री जी ने बता दिया है। आप प्रश्न कर लीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मेरा छोटा-छोटा प्रश्न है। मैं बिल्कुल समय नहीं ले रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि D-Dimer वर्ष 2022-23 में किस दर पर और कितनी राशि में और कितनी खरीदी की गई है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, C.G.M.S.C. corporation के द्वारा सैकडों प्रकार के आइटम खरीदे जाते हैं, सभी आइटम के बारे में स्पेसीफिक बता पाना संभव नहीं है। जितने भी प्रकार की खरीदी हुई है, मेरे पास पूरा बंच है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसको पटल पर रख देता हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- आाप पटल पर रखवा दीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- कौशिक जी, बहुत लंबी सूची है। आप स्पेसीफिक कोई चीज होगी तो उसको पूछ लीजिए। दवाओं की इतनी लंबी सूची है, उसको पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- आप चाहें तो मैं पृथक से आपको भी दे सकता हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, पृथक से देने का नहीं है। मैं जितने प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, आप यह बता रहे हैं कि मैं पटल पर रख देता हूं या बंच मेरे को उपलब्ध करा देंगे। मैं तो स्पेसीफिक प्रश्न पूछा हूं कि वर्ष 2022-23 में D-Dimer किस दर पर, कितनी खरीदी गई है ? किस-किस से खरीदी गई है ? मेरा स्पेसीफिक प्रश्न है, कोई बहुत लंबा-चौड़ा प्रश्न नहीं है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, इसमें 878 प्रकार के आयटम हैं। इसमें मुझे कुछ समय दीजिये या तो आप स्वयं उधर से लीजिये। कोई प्रक्रिया होगी तो मैं पटल पर रख दूंगा।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, वह जिस पार्टिकुलर चीज के लिए पूछ रहे हैं, यदि उसका जवाब हो तो आप पार्टिकुलर बता दीजिये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, उन्होंने मुझे ध्यानाकर्षण विषय में स्पेशिफिक जानकारी नहीं दी है। अब 878 प्रकार के आयटम हैं तो मुझे ढूंढने में तो समय लगेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पटल पर रख दीजिये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, पटल में रखने का प्रावधान होगा तो मैं पटल पर रख दूंगा, यह छुपाने का कोई विषय नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, मैंने केवल D-Dimer FS की जानकारी पूछा है। आपने उसको एक जगह 10,95,000 रूपये में खरीदा है। उसका एक जगह सप्लाई 70,600 रूपये में हुआ है और यदि अभी ऑनलाईन खरीदेंगे तो वह 5 लाख रूपये का है। यह मैंने आज ऑनलाईन से निकालकर रखा है, आज इसकी ऑनलाईन कीमत 5 लाख रूपये का है। खरीदी थोड़ा बहुत का नहीं है, करोड़ों रूपये का है इसलिए मंत्री जी उसमें बोल रहे हैं कि मुझे पढ़कर बताना पड़ेगा। आप आज उसकी ऑनलाईन खरीदी कर लीजिये। आप उसका ऑनलाईन कीमत निकलवा लीजिये। मैंने निकलवाकर लाया है। आपने उसको दोगुना कीमत 10,95,000 हजार रूपये में खरीदा है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य स्पेशिफिक बता रहे हैं तो मैं उसको दिखवाकर पृथक से उनको उपलब्ध करवा दूंगा। मैंने पहले भी कहा कि एप्पल मोबाईल, एप्पल मोबाईल कहने से उसके rate में कई variant हो जाते हैं। कई कंपनियों के Specification है, उसकी Quality है, उसके गुण-दोष हैं, उसमें फर्क आता है इसलिए दरों में variation हो सकता है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है। वर्ष 2023 में फुल्ली आटो-एनेलाईजर मशीन किस दर से, कितनी संख्या में खरीदी गई है और इसके

लिए कितनी राशि का रीएजेंट खरीदा गया है, कृपया आप यह बतायेंगे? यह विधान सभा के कल दिनांक 24.07.2024 का मोतीलाल जी का प्रश्न है। आपने फुल्ली आटोमेटेड बायोकेमेस्ट्री एनालाईजर विथ आई.एस.इ. मोड्यूल मोक्षित कार्पोरेशन से खरीदी की है। जेम पोर्टल में इसका rate 4 लाख 85 हजार रूपये है और वैसे डायसिस का खरीदेंगे तो 8 लाख 50 हजार है। आपने जो जवाब दिया है, उसी में मैं प्रश्न पूछ रहा हूं और आप उसको बता नहीं पा रहे हैं। यह जवाब विधान सभा के कल के प्रश्न में है। यह मोतीलाल साहू जी का प्रश्न है, जिसमें आपने यह जवाब दिया है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने दरों के संदर्भ में बताया है। एक तो जैम में Same Specification के जिसका आपने ध्यानाकर्षण में उल्लेख किया था, लगभग उससे सभी मिलते हैं, लेकिन उसके Specification में फर्क है, Quality में फर्क है। जिन मशीनों को 6.50 लाख में खरीदना बता रहे हैं तो दोनों मशीनों के गुण-दोष में कहीं न कहीं अंतर है, इस वजह से rate में इतना अंतर है।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, गुणों का अंतर नहीं है, अंतर खरीदी और कमीशन का है। उसमें गुण वही है। जो वह मशीन काम करेगा, वह मशीन भी वही काम कर रहा है। आपने उसकी जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई थी, उसमें सदस्यों का नाम भी है। दिनांक 09.01.2010 तक उसकी जांच करके सारे बिंदुओं पर प्रतिवेदन देना था, क्या उसमें प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया?

समय :
12:44 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी जांच प्रक्रिया प्रारंभ है। विभिन्न समाचार पत्रों में, विभिन्न सदस्यों की शिकायतें मौखिक रूप से भी आ रही थीं कि पिछली सरकार में बहुत घोटाला हुआ है, ज्यादा दर पर समान एवं मशीन खरीदे गये हैं। माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार बनने के बाद उसके लिए तत्काल यह निर्णय लिया गया है कि सभी मशीनरी, दवायें और रीएजेंट पर हम लोग जांच करेंगे । चूंकि जांच का दायरा व्यापक है । पूरे प्रदेश के नीचे में उप स्वास्थ्य केंद्रों तक उसके रीएजेंट, दवाईयां और मशीनरी गये हैं और अभी उसकी जांच चल रही है । हम लोग जल्द ही प्रयास कर रहे हैं कि जांच होकर उसकी पूरी स्थिति पता चल सके ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे छोटे-छोटे दो प्रश्न हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप और कितने प्रश्न पूछेंगे ? 20 मिनट हो गये हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है । आपने सुना होगा कि एक का भी जवाब नहीं आ रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- वे बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं । चलिये, अब आप आखिरी एक प्रश्न पूछिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे छोटे-छोटे प्रश्न हैं । क्या मैसर्स 9 एम इंडिया लिमिटेड द्वारा सी.जी.एम.एस.सी. को जितने भी ड्रग उत्पाद लाईसेंस जमा किये गये उसका एफ.डी.एफ. से कब सत्यापन कराया गया है ? और नहीं कराया गया है तो कब तक कराया जायेगा ? मेरा एक-एक लाईन का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, हो गया । बस आखिरी है । इसमें और लोग पूछ रहे हैं ।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैसर्स 9 एम इंडिया लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ के बीच दिनांक 13.10.2020 को एम.ओ.यू. किया गया है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी से संबंधित एक और प्रश्न पूछ लेता हूं फिर माननीय मंत्री जी एक-साथ उत्तर दे देंगे । एक तो यह हो गया । मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मैसर्स 9 एम इंडिया लिमिटेड के ड्रग लाईसेंस को टेक्नॉलाजी ट्रांसफर लेकर जारी किया गया था यदि हां तो जिस कंपनी से टेक्नॉलाजी ट्रांसफर की गयी तो दोनों कंपनी में समस्त समानता का सत्यापन व परीक्षण कब व किसके द्वारा कराया गया और नहीं तो कब तक करवाया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब बैठ जाईये ।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैसर्स 9 एम इंडिया लिमिटेड और छत्तीसगढ़ सरकार में दिनांक 13.10.2020 को एम.ओ.यू. हुआ था । जिसके तहत् उसमें यह एम.ओ.यू. हुआ था कि उसकी आवश्यकता का 50 प्रतिशत या फिर उत्पादन का शत्-प्रतिशत जिसमें जो कम हो । उत्पादन कम हो या फिर आवश्यकता कम हो उसमें से एक कोष की खरीदी करनी है इसके लिये सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के राजपत्र में भी प्रकाशित किया और मैसर्स 9 एम इंडिया लिमिटेड के लिये आरंभिक 3 वर्षों में उसके टर्न ओवर अनुभव प्रमाण-पत्र, डब्ल्यू.एच.ओ. प्रमाण पत्र जैसी शर्तों से छूट भी प्रदान की जाने हेतु उसमें एम.ओ.यू. हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब बचा हुआ प्रश्न अजय जी पूछ लेंगे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अंतिम प्रश्न है । मंत्री जी आपने जो जवाब दिया था मैंने उसी को आज ध्यानाकर्षण में पूछा है । मेरे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आया है, चूंकि अरबों रूपये की खरीदी का मामला है । चाहे वह मशीन का मामला हो, रीएजेंट का मामला हो या आपके ट्यूब का मामला हो। जो खरीदी की गयी है और बाहर का जो रेट है मतलब सरकारी अस्पताल में भी जो खरीदी की गयी है उसमें जो अंतर आया है तो मंत्री जी मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इस मामले के 3 साल की वर्ष 2021 से 2023 तक जितनी भी सी.जी.एम.एस.सी. के द्वारा जो खरीदी की

गयी है क्या आप उसकी जांच करायेंगे ? और जांच कराकर यह बतायेंगे कि जांच में उसकी क्या रिपोर्ट आयी और यह जांच कब तक करायेंगे ?

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी कुछ ही समय पहले जवाब दिया है कि हम इसकी व्यापक जांच करा रहे हैं । हमारे पूरे उसके तहत् कर रहे हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री जी, कब तक करवा लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- व्यापक जांच बोल रहे हैं न ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री जी, व्यापक जांच में कब तक करायेंगे ?

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जल्द ही संभावित 3 महीने के अंदर इसको करायेंगे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- 3 महीने के अंदर ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अजय जी ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी...।

अध्यक्ष महोदय :- आप इसमें ?

श्री अजय चंद्राकर :- आप आखिरी में पूछ लीजियेगा न । आपको तो कभी भी खड़े होने का अधिकार है । आप कहीं पर कभी भी खड़े हो सकते हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण में जो प्रश्नाधीन अवधि है । इस अवधि में अर्थात् ध्यानाकर्षण में जो अवधि उल्लेखित है उसके तहत् आपके विभाग ने या सी.जी.एम.एस.सी. ने कितनी राशि के उपकरण और दवाई खरीदी ? वह कितनी राशि की थी ? उसमें से कितने का भुगतान हो गया ? और कितने का भुगतान रूका है और उसे कब तक किया जायेगा ?

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग प्रकार की दवाई, रीएजेंट और सभी का अलग-अलग भुगतान है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय, आप सबका जोड़कर मुझे बता दीजिए। अलग -अलग है, यह नहीं। हमने उपकरण मद में इतने की खरीदी की, प्रश्नाधीन अवधि में इतनी दवाई खरीदी। इस-इस कंपनी से खरीदी, उसका इतना भुगतान किया है और इतना भुगतान हम कब तक करेंगे? बस एकदम अलग-अलग 840 प्रकार का है, वह मुझको मत बताइए, पटल में मत रखिए।

अध्यक्ष महोदय :- उपलब्ध करा देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, रिकॉर्ड में आ जाए। आज तक आपने जितनी बार भी आसंदी ने व्यवस्था दी कि अलग से बताएंगे और उपलब्ध कराएंगे। आज तक किसी चीज़ पर उपलब्ध नहीं हुआ है?

अध्यक्ष महोदय :- करा दें। करा दें। चलिए बैठिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, अमर जी।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड साहब। क्या मुझे अलग से बताएंगे या अभी उत्तर देंगे?

अध्यक्ष महोदय :- अलग से बताएंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो इसमें बता दीजिए, आज तक कोई अलग से आपकी व्यवस्था में किसी मंत्री के द्वारा माननीय मंत्री के द्वारा नहीं बताया गया है। तो अलग से कल बता देंगे या एक हफ्ते में बताएंगे? अलग से ये भी बता देंगे

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- आपको कल हम अलग से उपलब्ध करा देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रश्न को दोहरा दूं?

अध्यक्ष महोदय :- आपको कल उपलब्ध करा देंगे। अमर जी, छोटा प्रश्न करिए।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री जी से नीतिगत प्रश्न कर रहा हूं कि जो सी.जी.एम.एस.सी. है, ये जो दवाई खरीदी और उपकरण खरीदी है, डिमांड कैसे आती है और किस आधार पर उसके टेंडर होते हैं? बस केवल नीतिगत बता दीजिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सी.जी.एम.एस.सी. केवल खरीदी और सप्लाई का छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग का एक विभाग है। उसको दवाई की आपूर्ति के लिए जो संचालक, स्वास्थ्य सुविधाएं, जो डी.एच.एस. है, जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का डी.एम.ई., या सी.एम.ई है, उनके माध्यम से और एन.एच.एम, इनके माध्यम से जो भी डिमांड रहते हैं, उसके वो मांग पत्र देते हैं। उसके आधार पर सी.जी.एम.एस.सी. टेंडर करती है। फिर इसके बाद उसका उन स्थानों तक आपूर्ति की जाती है।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, जो डिमांड आती है, वह तो पिछले जो अनुभव है उसके आधार पर आती है। पहले और पिछली बार जो दवाई खरीदी इस साल इतना अनुमानित है, लेकिन जो अप्रत्याशित जो खरीदी होती है, जिसका ये क्वेश्चन चल रहा है कि जिसकी डिमांड ही नहीं है। उपकरण टेस्टिंग की लैब जहां नहीं है। चाहे वो डी.एच.एस. ने दिया हो, सी.जी.एम.एस.सी. मुझे मालूम है कि डी.एच.एस. के आधार पर ही खरीदता है तो ये जितने भी प्रकरण आ रहे हैं कि जहां पर लैब नहीं है, वहां पर ब्लड टेस्टिंग की requirement आ गई। तो ये इस प्रकार के जो जरूरत नहीं थी और उसके बाद डी.एच.एस. से डिमांड आई और सी.जी.एम.एस.सी. ने टेंडर किया तो जो वैसी डिमांड आई, उस प्रकरण की क्या ई.ओ.डब्ल्यू. से जांच कराएंगे क्या?

Uncorrected and unedited/Not for Publication

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस विभाग को काफी लंबे समय से देखा है। आपकी जो चिंता है, उससे मैं सहमत हूं और अगर सी.जी.एम.एस.सी. ने बिना किसी भी..।

श्री अमर अग्रवाल :- सी.जी.एम.एस.सी. नहीं, मैंने कहा कि उसके पास डिमांड डी.एच.एस. से आती है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- हां, मैं उसी में आ रहा हूं।

श्री अमर अग्रवाल :- अगर जो चीज उपयोगी नहीं थी, उसकी जबर्दस्ती मांग क्रिएट की गई। आज ये जो जितने प्रश्न आ रहे हैं, उसका आधार ही वही है। मैं वही बोल रहा हूं, जहां डिमांड नहीं थी, ये सप्लायर लोग डिमांड क्रिएट कराते हैं और क्रिएट कराकर सी.जी.एम.एस.सी. से टेंडर कराते हैं, बाद में जांच होती है। क्या जिसकी अप्रत्याशित डिमांड आयी और जिसके टेंडर हुए, जिसके विवाद से ये सारे प्रश्न आये हैं, उसकी ई.ओ.डब्ल्यू. से जांच करायेंगे क्या?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस बात की चिंता कर रहे हैं, उसके लिए फार्मेट बनाकर मैं आज से एक महीने पहले ही संबंधित हमारे जो नीचे के अधिकारी हैं, ए.सी.एस. से लेकर सभी को दे दिया है। निश्चित रूप से अगर डिमांड के विपरीत कोई खरीदी किये होंगे..।

श्री अमर अग्रवाल :- मंत्री जी, मैं फिर वही बात कर रहा हूं। मैं नये की बात नहीं कर रहा हूं। पुराने समय में हुआ था, वे सारे प्रकरण ई.ओ.डब्ल्यू. को देंगे क्या?
ई.ओ.डब्ल्यू. से उसकी जांच करायेंगे क्या?

श्री धरमलाल कौशिक :- ये आपके समय का नहीं है। ये आपके समय का नहीं है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- नहीं, मैं पुराने की बात कर रहा हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- ये आपके समय का नहीं है और इसलिए आप ई.ओ.डब्ल्यू. से जांच कराने की घोषणा कर दीजिए। ये आपके समय का नहीं है। आप चिंता मत करिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसको मंगवाया है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- ई.ओ.डब्ल्यू. छोटा है, सी.बी.आई. से करवाइए।

श्री रामकुमार यादव :- मानना पड़ही, एबो झन घेर डारे तभो ले वाह मंत्री जी अइसने होना चाहिए ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अगर मैं जांच से संतुष्ट नहीं हुआ तो निश्चित ही अन्य एजेंसी से जांच कराऊंगा । अभी मैं खुद ही जांच करा रहा हूं ।

श्री अनुज शर्मा :- मेरा प्रश्न खरीदी से संबंधित ही है । जब कोविडकाल था तो जिलों को अलग-अलग मदों में अधिकार दिया गया था कि वे आवश्यकतानुसार खरीदी कर लें । इसी में मेरा प्वाइंटेड

प्रश्न है, इसमें बहुत हेरफेर हुआ है । व्यावसायिक मद 10009 इसकी जांच कराएंगे क्या, केवल इतना बता दें, नहीं तो फिर मैं पूरी कथा पढ़ूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- कथा नहीं पढ़ना है, बस हो गया ।

श्री अनुज शर्मा :- मैं चाह रहा हूं कि इसकी जांच करा लें ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सदस्य अलग से बता देंगे, जिसमें है । उसको हम लग से दिखवा लेंगे ।

श्री अनुज शर्मा :- नहीं, इसकी प्रॉपर जांच हो जाए ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- आप दे दीजिएगा, जांच करने योग्य होगा तो कराएंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- कागज दे दीजिएगा ।

श्री अनुज शर्मा :- जी ।

श्री रामकुमार यादव :- देख लेंगे भई, मंत्री जी को इतना परेशान मत करो ।

अध्यक्ष महोदय :- महंत जी, पूछिए ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को नहीं घेर रहा हूं । मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि कौन सी दवाई आपने खरीदी, कितने में खरीदी, क्या हुआ । जिस ढंग से उनको घेरकर यह पूछा जा रहा है कि किस किस दवाई को कब खरीदा गया, कितने पैसे में खरीदा गया, कहां से खरीदा गया, इसकी जांच कराएंगे क्या ? यह सब चीज ठीक है, जो करना है करें । इनको यह शक है कि यह कांग्रेसकाल की दवाईयां हैं, सबकी जांच कराओ । जबकि मुझे चिंता इस बात की है कि आप जांच 6 महीने में कराएंगे, साल भर में कराएंगे, 2 साल में कराएंगे, इसकी कोई चिंता नहीं । मुझे चिंता है जब तक जांच नहीं होती तब तक कोई सब्स्टीट्यूट, कोई विकल्प होना चाहिए । दवाई की व्यवस्था होगी इसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी करें । वे आज बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे पूरे मंत्रिमंडल की बैठक कराएं, अपने अधिकारियों की बैठक कराएं और जीवन रक्षक दवाई भी इसमें शामिल है, कोविडकाल में खरीदी गई दवाई भी इसमें शामिल है । अगर ये दवाईयां बाजार से गायब हो गईं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं डायरिया, मलेरिया में हो रहा है । छत्तीसगढ़ में, बस्तर में मलेरिया उन्मूलन करने के लिए आपने योजना बनाई, काम शुरू किया और योजना बंद कर दी इसलिए दवाई नहीं है और लोग मर रहे हैं । अब ऐसे सैकड़ों लोग न मरें इसके लिए कोई विकल्प खोज लीजिए आप लोग, विकल्प । यह मेरा निवेदन है ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, उन्होंने सुझाव दे दिया, आप इसका क्रियान्वयन करें।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- कहीं दवाई की कमी नहीं है । सारी दवाईयों की खरीदी जारी है लेकिन जो दवाई खरीदी हुई है जिस पर आप सब लोगों को आशंका है इस पर तीन आईएएस लोगों की टीम जांच कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- करा लीजिए ।

(2) प्रदेश में भुईंया प्रोग्राम के क्रियान्वयन में दर्ज त्रुटियों से डायवर्सन प्रक्रिया को बंद रखा जाना.

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- छत्तीसगढ़ राज्य में भुईंया प्रोग्राम किसान भाईयों के लिए एक अभिशाप बन गया है । सर्वोच्च प्राथमिकता में किसानों की परेशानियों को तत्काल और प्रभावी ढंग से निराकरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों को प्रदेश के राजस्व अमले दरकिनार किए बैठे हैं । भुईंया प्रोग्राम में खसरा, बी-1 एवं नक्शा ऑनलाईन एंट्री करते समय पटवारियों से हुई त्रुटियों के चलते प्रदेश के किसान तहसील कार्यालय, एसडीओ के कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं । इन त्रुटियों के लिए भू-राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत प्रकरण एसडीओ के न्यायालय में दर्ज करने कहा जा रहा है, जबकि इस धारा के तहत राजस्व के जिममेदारों को स्वप्रेरणा से प्रकरणों की त्रुटि सुधार किया जाना चाहिए । साधारण से हुए त्रुटि सुधार जो तहसील स्तर पर हो जाता था, वह अब एसडीओ के न्यायालय में पेश करना बाध्यता है, वहीं एडीओ को अपनी प्रोटोकाल ड्यूटी से फुर्सत नहीं है, किसान साल-साल भर एसडीओ न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं, वहीं दुरूस्तीकरण के नाम पर अवैध उगाही भी खुले आम चल रही है । जून-जुलाई 2024 की स्थिति में रायपुर, बिलासपुर, मुंगेली, दुर्ग, राजनांदगांव सहित पूरे प्रदेश में ऐसे प्रकरणों की संख्या लाख से भी अधिक है । त्रुटि सुधार करवाना, किसानों के लिए एक अदालती मुकदमा का रूप ले लिया है, वहीं हद तो यह है कि निवेश क्षेत्र बिलासपुर संभाग के तखतपुर अंतर्गत तखतपुर, पंडरिया, निगारबंद, पड़रिया, टीहूलाडीह, नगोई, कुंवा, अमोलीकापा, जरेली, खपरी, लिदरी, जरौधा, अरईबंद, गुनसरी, मरही, मोढ़े, बेलसरी इसी प्रकार निवेश क्षेत्र सकरी के अंतर्गत भाड़म, घुटकू, पोडी, देवरीकला सहित पूरे क्षेत्र में कलेक्टर बिलासपुर के द्वारा कृषि भूमि के व्यपवर्तन कार्य विगत समय से अनाधिकृत रूप से बंद कर दिया गया है। भूमि स्वामी हक की भूमि का मद परिवर्तन नहीं होने से क्षेत्र में भवन निर्माण, व्यावसायिक प्रयोजनार्थ, औद्योगिक स्थापना जैसे विकास कार्य पूरी तरह ठप्प है। डायवर्सन के कार्य बंद होने से भू-स्वामी अपने ही मकान, व्यवसाय उद्योग लगाने में असहाय हो गए हैं। शासन/प्रशासन से लोग निरंतर गुहार लगा रहे हैं, मगर प्रशासन नजरअंदाज करने में लगा है। भुईया प्रोग्राम के क्रियान्वयन में हुए त्रुटियों एवं बेवजह डायवर्सन प्रक्रिया को बंद रखने से किसानों में भारी रोष व्याप्त है।

समय :
1:00 बजे

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय वरिष्ठ विधायक ने किसानों की, भूमि स्वामियों की बड़ी चिंता की है।

यह कथन सही नहीं है कि छत्तीसगढ़ राज्य में भुईया प्रोग्राम किसान भाईयों के लिए एक अभिशाप बन गया है। यह कहना भी सही नहीं है कि मान. मुख्यमंत्री जी के निर्देशों को प्रदेश के राजस्व अमले दर किनार किए बैठे हैं। बल्कि वस्तुस्थिति यह है कि सर्वोच्च प्राथमिकता से किसानों की परेशानियों को तत्काल और प्रभावी ढंग से निराकरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अक्षरशः पालन करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। यह कहना भी सही नहीं है कि भुईया प्रोग्राम में खसरा, बी-1 एवं नक्शा ऑनलाईन एन्ट्री करते समय पटवारियों से हुए त्रुटियों के चलते प्रदेश के किसान तहसील कार्यालय, एस.डी.ओ. के कार्यालय में चक्कर काटने में मजबूर है। यह कहना भी सही नहीं है कि साधारण से हुए त्रुटि सुधार जो तहसील स्तर पर हो जाता था, वह अब एस.डी.ओ. के न्यायालय में पेश करना बाध्यता है, वहीं एस.डी.ओ. को अपनी प्रोटोकॉल ड्यूटी से फुर्सत नहीं है। यह कहना भी सही नहीं है कि किसान साल-साल भर एस.डी.ओ. न्यायालय के चक्कर काट रहे है, वहीं दुरुस्तीकरण के नाम पर अवैध उगाही भी खुलेआम चल रही है। वस्तुस्थिति यह कि किसानों द्वारा उन त्रुटियों के सुधार हेतु तहसील कार्यालय या एस.डी.ओ. के कार्यालय में व्यक्तिशः जाने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार किसानों की सुविधा के लिए किसी भी लोक सेवा केन्द्र अथवा अपने मोबाईल के माध्यम से शासन द्वारा अधिकृत वेबसाईट भुइंया के माध्यम से घर बैठे प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में दर्ज कराया जा सकता है, जिसका निराकरण छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा में वर्णित प्रावधानों के अधीन राजस्व प्रकरणों का नियमानुसार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निराकरण किया जा रहा है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में यह अधिकार तहसीलदार को प्रत्यायोजित कर दिया गया है। यह कथन भी सही नहीं है कि जून जुलाई 2024 की स्थिति में रायपुर, बिलासपुर, मुंगेली, दुर्ग, राजनांदगांव सहित पूरे प्रदेश में ऐसे प्रकरणों की संख्या लाख से भी अधिक है। बल्कि वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में राजस्व न्यायालय में भू-अभिलेख त्रुटि सुधार के कुल 28,651 प्रकरण विचाराधीन है जिसमें से 8,410 प्रकरण समय सीमा के भीतर है एवं 20,241 प्रकरण समय सीमा के बाहर है। राजस्व वर्ष 2022-23 में कुल 25,990 प्रकरणों के निराकरण किये गये है। राजस्व वर्ष 2023-24 में अब तक 54,154 निराकरण किया गया है। वर्तमान में जिला रायपुर में कुल 1133 प्रकरण विचाराधीन है जिसमें से 436 प्रकरण समय सीमा के भीतर हैं एवं 697 प्रकरण समय सीमा के बाहर है। राजस्व वर्ष 2022-23 में कुल 2071 प्रकरणों के निराकरण किये गये हैं। राजस्व वर्ष 2023-24 में अब तक 2,446 निराकरण किया गया है। इसी प्रकार जिला

बिलासपुर में कुल 2,725 प्रकरण विचाराधीन है जिसमें से 525 प्रकरण समय सीमा के भीतर है एवं 2,200 प्रकरण समय सीमा के बाहर है। राजस्व वर्ष 2022-23 में कुल 1,024 प्रकरणों के निराकरण किये गये हैं। राजस्व वर्ष 2023-24 में अब तक 1,371 निराकरण किया गया है। साथ ही जिला मुंगेली में कुल 1,145 प्रकरण विचाराधीन है जिसमें से 380 प्रकरण समय सीमा के भीतर है एवं 765 प्रकरण समय सीमा के बाहर है। राजस्व वर्ष 2022-23 में कुल 1,063 प्रकरणों के निराकरण किये गये हैं। राजस्व वर्ष 2023-24 में अब तक 706 निराकरण किया गया है। दुर्ग में कुल 1,229 प्रकरण विचाराधीन है, जिसमें से 476 प्रकरण समय सीमा के भीतर है एवं 753 प्रकरण समय सीमा के बाहर है। राजस्व वर्ष 2022-23 में कुल 1610 प्रकरणों के निराकरण किये गये हैं । राजस्व वर्ष 2023-24 में अब तक 1435 निराकरण किया गया है । जिला राजनांदगांव में कुल 1221 प्रकरण लंबित है, जिसमें से 377 प्रकरण समयसीमा के भीतर है एवं 851 प्रकरण समय सीमा के बाहर है । राजस्व वर्ष 2022-2023 मेंकुल 588 प्रकरणों के निराकरण किये गये हैं । राजस्व वर्ष 2023-2024 में अब तक 603 निराकरण किया गया है ।

यह कथन भी सही नहीं है कि निवेश क्षेत्र बिलासपुर संभाग के तखतपुर अंतर्गत तखतपुर, पंडरिया, निगारबंद, टिहुलाडीह, नगोई, कुवां, अमोलीकांपा, जरेली, खपरी, लिदरी, जरौंधा, अरईबंद, गुनसरी, करही, मोढ़े, बेलसरी इसी प्रकार निवेश क्षेत्र सकरी के अंतर्गत भाड़म, घुटकू, पोड़ी, देवरीकला सहित पूरे क्षेत्र में कलेक्टर बिलासपुर के द्वारा कृषि भूमि के व्यपवर्तन कार्य विगत समय से अनाधिकृत रूप से बंद कर दिया गया है, भूमि स्वामी हक की भूमि का मद परिवर्तन नहीं होने से क्षेत्र में भवन निर्माण, व्यावसायिक प्रयोजनार्थ, औद्योगिक स्थापना जैसे विकास कार्य पूरी तरह ठप्प है । डायवर्सन के कार्य बंद होने से भू-स्वामी अपने ही मकान, व्यवसाय उद्योग लगाने में असहाय हो गए हैं । वस्तुस्थिति यह है कि व्यपवर्तन के संदर्भ में विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4-46/7-1/2019 दिनांक 04/09/2019 द्वारा व्यपवर्तन के लिये अनुज्ञा हेतु सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नियुक्त होने से कलेक्टर बिलासपुर के द्वारा भूमि व्यपवर्तन के संबंध में किसी प्रकार के रोक नहीं लगाई गई है । अनुविभाग तखतपुर अंतर्गत ग्राम तखतपुर, पंडरिया, निगारबंद, टिहुलाडीह, नगोई, कुवां, अमोलीकांपा, जरेली, खपरी, लिदरी, जरौंधा, अरईबंद, गुनसरी, करही, मोढ़े, बेलसरी इसी प्रकार निवेश क्षेत्र सकरी के अंतर्गत भाड़म, घुटकू, पोड़ी, देवरीकला को संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर के द्वारा बिलासपुर विकास योजना 2031 अनुसार मास्टर प्लॉन तैयार होकर प्रकाशन हो चुका है एवं उल्लेखित क्षेत्र/ग्राम में छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 लागू है । साथ ही छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 के तहत वर्तमान में भू उपयोग से भिनन भू-उपयोग में तब्दील किये जाने हेतु संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर से लिखित स्वीकृति/अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक है । भूइयां प्रोग्राम के क्रियान्वयन में त्रुटियां का निराकरण शिविर का आयोजन किया

जाकर सजगता से किया जा रहा है तथा नियमानुसार अधिसूचित क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में डायवर्सन बंद नहीं किया गया है, अत: किसानों में रोष व्याप्त नहीं है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह कोई तखतपुर की समस्या नहीं है, यह पूरे प्रदेश की समस्या है । भूईयां प्रोग्राम में अगर मेरे नाम से कोई जमीन है और वहां पर प्रवेश नहीं हुआ, उसमें एन्ट्री नहीं हुई, मान लीजिए नाम गलत लिखा गया, टंकराम वर्मा जी का टंक वर्मा लिख दिये तो खेल खत्म हो गया । धर्मजीत सिंह का नाम यदि धर्म सिंह लिख दिये तो खेल खत्म हो गया और आदमी बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसके नाम से कई किस्म के हथकंडे लोग अपनाते हैं और उनको आर्थिक रूप से ब्लैकमेलिंग का शिकार होना पड़ता है । अध्यक्ष महोदय, आप मुझे यह बता दीजिए कि अगर मेरे पास कागज है, उसमें दूसरा नाम कैसे लिखा जाता है, आपके रिकार्ड में जो नाम लिखा है, वही नाम लिखना चाहिये ना, नाम जानबूझकर उसको ट्विस्ट करके लिखते हैं, ताकि वह उद्योगधंधे का रूप ले सके । आप ही बताईये कि नाम एन्ट्री करने की जिम्मेदारी किसकी है और अगर वह गलत नाम एन्ट्री किया है तो उसके लिये कौन रिसपॉसिबल है, आप उस पर क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिलेखों का डिजिटलाईजेशन कार्य आपके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुआ था । आधुनिक तकनीकी और वर्ष 2016 में ऑनलाईन आपके समय ही प्रारंभ हुआ । जब कोई नई टेक्नालॉजी विकसित करते हैं तो प्रारंभिक तौर पर उसमें कहीं-कही दिक्कतें होती है । आज यह भूईयॉ एप जो है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है और जहां-जहां त्रुटि हो रही है, जिस जिले में, जिस पटवारी में तो वहां पर उसके लिये स्टेट में हर जिले के लिये एक-एक प्रोग्रामर बिठाकर रखा गया है और त्रुटि सुधार के काम में सरलीकरण किया गया है । पूर्ववर्ती सुधार में जो त्रुटि सुधार है, जैसा कि आपने बताया कि नाम में गलती हो गयी तो उसका सुधार कौन करेगा ? पूर्ववर्ती सरकार में यह काम एस.डी.एम. के पास था, लेकिन किसानों की तकलीफों को देखते हुए, भूमि स्वामी की तकलीफों को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अधिनियम में संशोधन करके अनुविभागीय अधिकारी के पास जो अधिकार था, उसको सरलीकरण, विकेन्द्रीयकरण किया गया है । अब ये त्रुटि सुधार का काम तहसीलदार करेंगे । (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, हर त्रुटि सुधार का मामला न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी के यहां भेजा जाता था । वह सरकार भेजी है तो ठीक है, वही लोग भेजे होंगे, लेकिन आप जरा व्यवहारिक रूप से समझिए कि एक गांव के किसान को एस.डी.एम. के कोर्ट में वैसे ही जो पुराने रेग्युलर कोर्ट में केसेश हैं, उनका तो फैसला नहीं हो पा रहा है, अब वहां पूरा अंबार लग रहा है कि मेरा नाम रामकुमार है, राम लिख दिया गया है । मेरा नाम धर्मजीत है तो धर्म लिख दिया गया है । ऐसा जानबूझकर हो रहा है और वहां भीड़ लगी हुई है । आपने इसको तहसीलदार को देने की घोषणा की है

तो जरा एक बार फिर से जोर-जोर से बोलकर बताईए कि नाम सुधार का अब अधिकार तहसीलदार को दिया जाता है, ऐसा सरकार की ओर से पहले तो यहां घोषणा करिए । फिर मैं आगे बात करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी बोल चुके हैं । धर्मजीत जी, आपका जो प्रमुख प्रश्न था, उसका उत्तर मंत्री जी के जवाब में आ गया है । मंत्री जी, एक बार और बोल दीजिए तो वे संतुष्ट हो जाएंगे ।

श्री टंक राम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, जब माननीय डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब उस समय भी त्रुटि सुधार का अधिकार तहसीलदार को था, ताकि किसान परेशान मत हों, लेकिन सरकार बदली को कांग्रेस सरकार ने यह अधिकार छीनकर एस.डी.एम. को दे दिया गया । एस.डी.एम. के अधीन दो-तीन-चार तहसील आता है । बहुत से तहसील होने के कारण प्रकरण बहुत ज्यादा हो जाता था, किसानों को चक्कर लगाना पड़ता था । हमारे मुख्यमंत्री जी ने पीड़ा को, दर्द को समझा इसलिए इसका सरलीकरण किया गया है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- बहुत-बहुत धन्यवाद । आपने यह अधिकार एस.डी.एम. से लेकर तहसीलदार को दिया तो किसानों की मदद करने की दिशा में एक कदम तो बढ़ा है । माननीय मंत्री जी, लेकिन मेरे ध्यानकर्षण में आपने सभी बातों को यह सही नहीं है, यह सही नहीं है, यह सही नहीं है, कहा है । अगर सही नहीं है तो मेरा ध्याकर्षण सब गलत है क्या ? मैं तो बोल ही रहा हूं कि तहसीलदार से होना चाहिए। आप कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार एस.डी.एम. से करा रही थी । मैं बोल रहा हूं कि किसान भटकते हैं, आप बोलते हैं कि वे नहीं भटकते । एकाध बार सरप्राईज़ विजिट करके देखिए कि किसानों को कितनी तकलीफ होती है और उनको कितनी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है । माननीय मंत्री जी, मैं बाकी आंकड़ों में नहीं जाता, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे तखतपुर तहसील के बहुत से गांव का जिक्र मैंने इस ध्यानाकर्षण में किया है, उसमें डायवर्सन नहीं हो रहा है और आप कहते हैं कि डायवर्सन हो रहा है । पिछले महीने इन गांवों में एक भी डायवर्सन हुआ हो तो आप मुझे बता दीजिए । कोई भी एक गांव का बता दीजिए, जिसमें डायवर्सन हुआ हो । कोई भी एक गांव का नाम बता दीजिए, जो आपकी इच्छा हो, वह बता दीजिए ।

श्री रामकुमार यादव :- उद्योगपति को छोड़कर ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं किसानों के जमीन की डायवर्सन की बात कर रहा हूं, मैं भू माफिया लोगों के लिए नहीं करता । मैंने तो मांग की है कि भू माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की जाये और मैं भू माफियाओं को वहां काम करने भी नहीं दूंगा । मैं इस सरकार की मदद से उनको कुचलूंगा ।

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री जी ह ये बात ला सुनथे । मंत्री जी कहाथे कि राजस्व विभाग में एक भी किसान ह तकलीफ नहीं पावथे अउ अगर सबसे ज्यादा तकलीफ हवय तो अभी 6 महीना में हवय ।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह डायवर्सन कभी पुराने नेताओं के कहने से रूका हुआ है । मंत्री जी, आपको मालूम नहीं है । पुराने कांग्रेस के विधायक लोगों ने इसको रूकवाया है ।

श्री रामकुमार यादव :- किसान मन दर-दर भटकथ हवय । तहसीलदार नहीं मिलथे, एस.डी.एम. नहीं मिलथे, पटवारी नहीं मिलथे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- तखतपुर की रजिस्ट्री तक को बिलासपुर ट्रांसफर कर दिया गया। यह क्या तरीका है ? वहां पर जमीन का [XX][5] वहां चल रहा है, मैं उसको रोकने का काम कर रहा हूं ।

श्री रामकुमार यादव :- [XX] 6 महीने में कर दिया गया । आज किसान मन दर-दर भटकत हवय, का बात करथौ ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप मांग करिए, मैं तो आपसे मदद मांग रहा हूं । जितने भू माफिया हों, उनको कुचलकर रख दीजिए । हमारे भू माफिया से कोई हमदर्दी नहीं है, (मेजों की थपथपाहट) लेकिन किसानों को उसमें से कुछ मदद चाहिए तो वे भी आप करिए ।

श्री रामकुमार यादव :- आप किसान मन के रजिस्ट्री बढ़ा देव ।

श्री धर्मजीत सिंह :- वे भू माफिया की तर्ज पर कलेक्ट्रेड में जाकर डायवर्सन नहीं कराएंगे ।

श्री रामकुमार यादव :- यह विष्णु देव साय जी के पहला सरकार ए, जेमन किसान जाथे तो ओ मन ला आधा से ज्यादा पहिली से दे ला लगथे । आप का बात करथौ। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- मुआवजा में बड़ा-बड़ा बंडल मिला है न ।

श्री धर्मजीत सिंह :- भू माफिया की तर्ज पर जाकर रेवेन्यु वालों से बात नहीं करेंगे । वे किसान हैं, सरकार उनसे पूछकर उनकी मदद करे कि मैं मदद करूं ।

श्री रामकुमार यादव :- किसान मन दर-दर भटकथे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- रामकुमार जी, आप बाद में अनुमति लेकर खड़े हो बोल लीजियेगा। मुझे तो अपनी बात पूरी करने दो। अध्यक्ष महोदय, इसमें उन्होंने कहा है कि डायवर्सन पर कोई रोक नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि डायवर्सन पर रोक है। मेरे क्षेत्र के लोग आवेदन दिए हैं, आवेदन की कापी मेरे पास है। आप मुझे बताईये कि यदि रोक नहीं है तो कितना डायवर्सन हुआ ? यदि आप नहीं बता सकते तो आप स्पष्ट रूप से विधान सभा में यह बोल दीजिये कि तखतपुर क्षेत्र के इन गांवों में एवं इसके अलावा अन्य गांवों में किसी भी किसान के जमीन के डायवर्सन पर कोई रोक नहीं है। उसे एस.डी.एम. लेवल या जो भी लेवल के अधिकारी की अनुमति है, वह उसको लेने के लिए पात्र है, आप यह बोल दीजिये।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर जिले के जिन ग्रामों का अभी उल्लेख हुआ है, वहां अभी डायवर्सन कार्य बंद है। वहां के लिए मास्टर प्लान बनकर तैयार है। धारा 16 के तहत प्रारंभिक प्रकाशन हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ राज्य..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, डायवर्सन का विषय है, मास्टर प्लान का नहीं है।

---

[5] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

Uncorrected and unedited/Not for Publication

श्री टंकराम वर्मा :- संचालक, नगर ग्राम निवेश से अनुमति नहीं मिल पाई है। उसके कारण अभी डायवर्सन की प्रक्रिया, प्रक्रियाधीन है।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत सिंह जी, चलिये, मंत्री जी ने कारण बता दिया।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं सर, मैं तो उसका निराकरण भी चाहता हूं। यह कई साल से पड़ा हुआ है। अगर आपका डायरेक्टर, नगर निवेश सन् 2029 में अनुमति देगा तो वहां के किसान तो नहीं रूकेंगे। आप समय सीमा के लिए आश्वस्त कीजिये कि आप यह सब कब तक क्लीयर करेंगे और हमारे किसानों को डायवर्सन लेने की अनुमति कब मिलेगी ? आप हमको समय बताईये ? अगर उस आफिस में है, अगर वह पैदल भी जायेगा तो महीने भर में तखतपुर, बिलासपुर पहुंच जायेगा। आप पैदल भिजवा दीजिये। साहब, आटो में भेजेंगे तो दो दिन में पहुंच जायेगा। आप बोल रहे हैं कि मास्टर प्लान तैयार है। अगर यह नहीं होगा तब कब तक कैसे होगा ? फिर कैसे होगा ? किसी को अपनी बच्ची की शादी करना है, अभी मंत्री जी हैं, पूरी सरकार है, मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। आप मुझे यह बताईये कि आपकी प्रक्रिया में उस किसान का क्या दोष है ? वह अपनी जमीन का डायवर्सन कब करायेगा ? वह अपना मकान नहीं बना पा रहा है, दुकान नहीं खोल पा रहा है। आप स्टार्टअप की बात करते हैं, वह छोटा-मोटा उद्योग नहीं लगा पा रहा है। यह किस प्रकार की स्कीम है, यह कोई बंगलौर थोड़ी है, यह तखतपुर का गांव है। उसको पांच मिनट में बनवाईये और छठवे मिनट में रवाना करिये। आप मुझे आश्वस्त करिये, नहीं तो आप इस डायवर्सन की समस्या का समाधान करिये। हमारे किसान परेशान हैं, थक गये हैं। मैं सुन-सुनकर परेशान हूं। लेना एक ना देना दो, सुबह से फोकट का परेशानी आता है। माननीय मंत्री जी, आप डायवर्सन को कराईये। आप कैसे करायेंगे, बताईये ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उल्लेखित ग्रामों का डायवर्सन है, वह अंतिम प्रक्रिया में संचालक के यहां है। आज चौधरी जी से चर्चा करता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निहायत जनहित का विषय है। आदमी सरकारी कारणों से परेशान है। इस विभाग के माननीय मंत्री जी भी उपस्थित हैं। Joint responsbility है। यह किसानों के डायवर्सन का मामला है, कोई माफिया के डायवर्सन का भी विषय नहीं है।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष जी, माननीय धर्मजीत सिंह जी जिस गांव का उल्लेख कर रहे थे, उस पंडरिया गांव में मेरी पैतृक सम्पत्ति भी है। डायवर्सन का विषय पिछले 8 सालों से लंबित है। पैतृक सम्पत्ति मेरे पिता जी के नाम पर है। एक तो वहां की व्यवस्था के कारण त्रुटि सुधार नहीं होता है। माननीय सदस्य जिस भुईंया एप की बात कर रहे थे। अगर किसान बैंक से लोन लेता है, तो वह उस (एप) पर दर्ज नहीं होता है और भुईंया एप तकनीकी तौर पर खुलता भी नहीं है और डायवर्सन का विषय भी लंबित है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब आप बोलने वाले हैं इसलिए मैं एक बात और बोल देता हूं। पहले तखतपुर में तहसील में रजिस्ट्रार के यहां जमीनों की रजिस्ट्री होती थी, एक विधायिका जी की रूचि की वजह से वह आजकल बिलासपुर ट्रांसफर हो गया है। उसको फिर से तखतपुर ला दीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, आप सब चीज ला एके ठन मा जोड़ के बता देहा। यह समस्या पूरे प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र के मामला हे। अगर आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान रहथे तो पटवारी से रहथे। कलेक्टर ला भेंट डारिहा, मुख्यमंत्र जी ला भेंट डारिहा, धर्मजीत सिंह जी ला भेंट डारिहा, लेकिन पटवारी ला नइ भेंटे बर मिलय। माननीय अध्यक्ष जी, आप मुख्यमंत्री रह चुके हा, आप बड़े-बड़े पद मा गंभीरता से विचार करथव। मोर आपसे निवेदन हे कि आप एक अइसे प्रस्ताव कर दो कि पटवारी के मुख्यालय में एक ठन भवन बनाया जाए अऊ पटवारी ला सर्व सुविधा दे के ऊंहा बैठाया जाए ताकि किसान ला पटवारी ला खोजेन झन लगे। सरकार ए व्यवस्था ला बना दीही तो समस्या खतम हो जाही।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें एक छोटा सा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- आप मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए।

श्री प्रबोध मिंज :- अध्यक्ष महोदय, सरगुजा जिले में एक भी नगर निवेश कार्यालय में पिछले एक-डेढ़ महीने से कोई अधिकारी ही नहीं है। डायवर्सन का तो विषय ही नहीं उठता है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप जवाब दीजिए।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो विषय आये हैं, जो हमारे आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित हैं। एक मास्टर प्लान का विषय आया है तो मास्टर प्लान के संबंध में सम्माननीय सदस्य की उपस्थिति में आज ही अधिकारियों से चर्चा करके इसको जितनी जल्दी हो सके, पूरा कराने के लिए हम प्रयास करेंगे और जल्दी से जल्दी कर लेंगे। दूसरा विषय बिलासपुर में रजिस्ट्री होने की बात आई है तो उसको तखतपुर में लाने के लिए हम जल्द से जल्द within a month कोई न कोई निर्णय लेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- पूरा जवाब आ गया है। उमेश पटेल जी।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मंत्री ओ.पी. चौधरी जी ने एक नई परंपरा की शुरूआत की है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं क्योंकि यह परंपरा रही है कि एक ध्यानाकर्षण या प्रश्न का उत्तर एक ही मंत्री देते हैं और यदि आवश्यकता पड़ गई तो मुख्यमंत्री जी

उसमें हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन आज माननीय धर्मजीत जी के ध्यानाकर्षण में दो-दो मंत्री उत्तर दे रहे हैं और आपने इस परंपरा की शुरूआत की है, इसके लिए आपको भी धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही भोजन अवकाश के लिए अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित।

(1.21 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

समय:
3.01 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ विधान सभा परिसर में जो वृक्षारोपण का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(3) मिनीमाता बांगो परियोजना अंतर्गत पोता से मालखरौदा होते हुए बड़े सीपत तक नहर निर्माण प्रारंभ नहीं होना

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है: मिनीमाता बांगों योजनान्तर्गत....।

(श्री उमेश पटेल, सदस्य की आवाज कम आने पर)

अध्यक्ष महोदय :- आप आराम से पढ़िए।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पास लिखित में है।

अध्यक्ष महोदय :- उनका सारा आवाज कल निकल गया है। (हंसी)

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मिनीमाता बांगो योजनांतर्गत पोता से मालखरौदा होते हुए बड़े सीपत तक नहर के बॉयी नहर के निर्माण कार्य के लिए छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक 611/एफ-7-195/31/एस-2/2021 अटल नगर, दिनांक 13.02.2023 द्वारा सिंचाई रकबा 140 हेक्टेयर बढ़ाने के लिए रुपए 315.56 लाख की प्रशासकीय स्वीकृतिँ प्रदान की गई एवं पोता से मालखरौदा होते हुए बड़े सीपत तक नहर के दॉयी नहर के निर्माण कार्य के लिए छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक 911/एफ-7-194/31/एस-2/2021 अटल नगर, दिनांक 27.02.2023 द्वारा सिंचाई रकबा 370 हेक्टेयर बढ़ाने के लिए रुपए 315.46 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी एवं कार्यपालन

अभियंता मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 05 खरसिया के सिस्टम टेंडर नंबर 136421 एवं 136504 एन.आई.टी. नं. 01/एसएसी/2023-24 ग्रुप नंबर 1 एवं 2 के लिए दिनांक 02.06.2023 के द्वारा निविदा बुलाई गई एवं निविदा प्रक्रिया पूर्ण करते हुए कार्यपालन अभियंता मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5 खरसिया द्वारा दिनांक 28.08.2023 को उपरोक्त दोनों कार्यों के लिए ठेकेदारों के साथ अनुबंध किया गया, जिसका नंबर 1 डीएल/2023-24, दिनांक 28.08.2023 एवं 2 डीएल/2023-24 दिनांक 28.08.2023 है। आज दिनांक तक लगभग 10 माह बीत जाने के बाद भी उपरोक्त दोनों अनुबंधों के अंतर्गत नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, जो सरकार एवं विभाग की विफलता है। उपरोक्त कार्य प्रारंभ नहीं होने से किसानों एवं आमजन में असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

(श्री उमेश पटेल की आवाज कम आने पर)

श्री राम कुमार यादव :- आवाज दब गे हे, लेकिन बात में दम हे।

जल संसाधन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, जी हॉ, ध्यानाकर्षण सूचना में वर्णित प्रशासकीय स्वीकृति एवं निर्माण उपरांत प्रस्तावित सिंचाई संबंधी विवरण सही है। प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत कार्य के लिए आमंत्रित निविदाओं का विवरण 1 डी.एल. दिनांक 28.08.2023 नहीं, अपितु 2 डी.एल. दिनांक 28.08.2023 एवं 3 डी.एल. दिनांक 28.08.2023 है। उपरोक्त दोनों निविदाओं के माध्यम से प्रस्तावित निर्माण उपरांत क्रमश: 140 हेक्टेयर एवं 370 हेक्टेयर रकबे, जहां सिंचाई नहीं हो पाती है, उसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, परंतु यह कहना सही नहीं है कि दोनों अनुबंधों के अंतर्गत नहर निर्माण प्रारंभ न होना सरकार एवं शासन की विफलता है। वस्तुत: प्रस्तावित नहर निर्माण स्थल का मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 19.02.2022 को निरीक्षण करने पर यह तथ्य संज्ञान में आया कि उपरोक्त प्रस्तावित नहर निर्माण के बाद भी किसानों की समस्या का हल होने में कठिनाई होगी क्योंकि कुरदा वितरक नहर में जल स्तर नीचे होने से, प्रस्तावित नवीन नहर में भी जल प्रवाह संभव नहीं हो पाएगा। अतः तकनीकी आवश्यकता के कारण समस्या का सार्थक निराकरण करने कुरदा वितरक नहर में दो स्थानों क्रमशः आर.डी. 16110 मीटर एवं आर.डी. 20800 मीटर पर क्रॉस रेगुलेटर का निर्माण किया जाना आवश्यक है, तद्नुसार तकनीकी स्वीकृति एवं निविदा में उक्त क्रॉस रेगुलेटर के निर्माण का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। प्रस्तावित नवीन नहर का हेड रेगुलेटर आर.डी. 15980 मीटर पर निर्माण किया जा चुका है। नहर का निर्माण इसी अनुबंध अंतर्गत किया जाना है। कुरदा वितरक नहर के दाहिनी ओर तथा बांयी ओर 370 हेक्टेयर सिंचाई से वंचित क्षेत्र को सिंचाई सुविधा का लाभ होगा। इसी प्रकार आर.डी. 20800 मीटर पर क्रॉस रेगुलेटर के निर्माण द्वारा समस्या ग्रस्त कुरदा वितरक नहर के ही टेल एरिया में 140 हेक्टेयर (दांयी तथा बांयी ओर) के लिए वर्तमान निविदा में ही नहर निर्माण पूर्ण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना संभव होगा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है, कि संवेदनशील शासन द्वारा किसानों की समस्याओं का स्वयं संज्ञान लेकर निराकरण किया जा रहा है। अतः सरकार एवं विभाग

सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, जिससे किसानों एवं आमजनों में असंतोष एवं आक्रोश नहीं अपितु हर्ष का वातावरण है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि केनाल बनने के बाद भी दोनों तरफ क्रॉस रेगुलेटर की आवश्यकता थी। क्या इसे निविदा में जोड़ा गया ? क्या इसकी प्रशासकीय स्वीकृति मिली ? यदि इसे निविदा में सम्मिलित किया गया और इसकी प्रशासकीय स्वीकृति मिली, तो इसके लिए किस स्तर के अधिकारी द्वारा या शासन स्तर पर अप्रूवल लिया गया ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके संदर्भ में पहले ही बताया कि मुख्य अभियंता द्वारा निरीक्षण करने पर यह तथ्य संज्ञान में आया। क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने तो वहां के किसानों की मांग के आधार पर घोषणा कर दी। लेकिन जो वहां की वास्तविक स्थिति है, उसके माध्यम से नहरों में पानी जाने की स्थिति नहीं थी इसलिए वहां पर क्रॉस रेगुलेटर का निर्माण किया गया। उसके कारण अब वहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा रहा है।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, निविदा में यह स्पष्ट है कि केनाल बनेंगे और निविदा में जो बदलाव आया, तो उसमें शासन स्तर से अनुमति चाहिए होगी। यह तो अनिवार्य होगा। यदि यह अनिवार्य नहीं है तो बता दीजिए ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो पूरा मामला है, यह हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई घोषणा का मामला है। उस समय जो पूरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई, वह तत्कालीन सरकार के समय में प्रारंभ हुई थी और उसके बाद स्थल निरीक्षण करने के बाद ही उसमें बदलाव किये गये हैं। यदि आवश्यकता पड़ी तो वहां पर नहर का निर्माण भी कराया जायेगा। लेकिन अभी उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अलग है। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। मेरा प्रश्न यह है कि आपने जो स्थल निरीक्षण किया और उसके बाद जो बदलाव की आवश्यता पड़ी, क्या वह जो आवश्यकता थी, उसकी अनुमति शासन स्तर पर ली गयी है ? मेरा प्रश्न सिर्फ इतना ही है।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक 611/एफ7-195/31-एस-2/2021, अटल नगर, दिनांक 13.02.2023 द्वारा राशि 315.56 लाख की स्वीकृति दी गयी और तकनीकी स्वीकृति पश्चात ही उसका क्रॉस रेगुलेटर का कार्य प्रारंभ कराया गया।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूं। आप स्थल निरीक्षण करते हैं और आपको लगता है कि इसमें लोहे का गेट लगाने की आवश्यकता है। उसकी शासन स्तर पर अनुमति लेना अनिवार्य है या नहीं है, आप इतना बता दीजिये ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि वहां पर जो वास्तविक उनकी आवश्यकता है। उस समय जो तात्कालीन मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया गया तो उनको मालूम नहीं है कि वहां पर Up stream में है या Downstream में है उसके कारण से वहां पर Cross regulator का निर्माण कराया गया। यह मैंने पहले ही बताया कि इसमें दो तरीके से शासन की अनुमति दी गई है।

समय
3.11 बजे

अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा

अध्यक्ष महोदय :- अध्यक्षीय दीर्घा में माननीय श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष विराजमान हैं। मैं सदन की ओर से उनका स्वागत करता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इसमें उत्तर चाहता हूँ। मेरा प्रश्न simple है। एक काम स्वीकृत हो गया और स्वीकृत होने के बाद स्थल परीक्षण किया गया। उसमें यह पाया गया कि इसमें कुछ बदलाव करने की आश्यकता है, जो स्वीकृत हुआ है, शायद वह उतना आवश्यक नहीं है। यहां तक ठीक है। उसके बाद उसमें जो बदलाव करने की आवश्यकता है क्योंकि वह निविदा होगी तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि उसमें शासन स्तर से उसकी अनुमति अनिवार्य है या नहीं है?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए शासन से अनुमति है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए उन्होंने जो बदलाव किये हैं, उसके लिए शासन स्तर से अनुमति प्रदान की गई है? और यदि उसके लिए अनुमति प्रदान की गई है तो उसका कागज दिखवा लीजिए। उन लोगों ने जो Estimate में बदलाव किये हैं, उसमें जो अनुमति प्रदान की गई है वह कब और किसने प्रदान की है?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आपको इसकी जानकारी दे देंगे।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही कहा कि मुख्य अभियंता के माध्यम से उसका स्थल निरीक्षण करके, मुख्य अभियंता के माध्यम से यह कार्य प्रस्तावित किया गया था।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया कि इसकी शासन स्तर से अनुमति अनिवार्य है और जब मैं यह पूछ रहा हूँ कि इसकी शासन स्तर से कब, और किस स्तर के अधिकारी, मंत्री लेवल या सेक्रेटरी लेवल कहां से अनुमति प्रदान की ?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ए मोरे विधान सभा क्षेत्र के मामला हे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य का जवाब तो आ जाये।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी दोनों प्रश्न के एक साथ जवाब दे देतिस।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं। माननीय सदस्य का जवाब तो आ जाये। फिर हम आगे बढ़ेंगे।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपको इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आपको जानकारी उपलब्ध करवा देंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गंभीर है। यह मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि वहां पर लैफ्ट और राईट में कैनाल बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी। वहां एक एस.डी.ओ. और ई.ई. लेवल के अधिकारी Decide करते हैं कि इसमें कैनाल बनाने की आश्यकता नहीं है और सिर्फ इस पर Cross regulator से काम चल जाएगा । मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूँ कि इसकी प्रक्रिया में त्रुटि हुई है और अगर कोई प्रक्रिया त्रुटि हुई है तो क्या इसमें जांच कराकर, आप उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य की आवाज बैठ गई है और थोड़ा सा सुनना भी प्रभावित हुआ है। मैंने यह कहा कि मुख्य अभियंता के माध्यम से इसको परीक्षण किया गया। इसकी शासन से स्वीकृति है उसके पश्चात् इस पर कार्यवाही की गई है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह बता दीजिए कि इसकी शासन से स्वीकृति कब मिली ? आप पहले की स्वीकृति बता रहे हैं, आप कैनाल की स्वीकृति बता रहे हैं ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कैनाल की स्वीकृति नहीं बता रहा हूँ। मैं इसकी स्वीकृति बता रहा हूँ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर स्वीकृति नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको निविदा की कॉपी ...।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 31 करोड़ रूपये का मामला है, जिसमें बिना टेण्डर के काम हुआ है।

श्री उमेश पटेल :- अगर आप चाहेंगे तो यहां पर मैं पूरे निविदा की कॉपी प्रस्तुत कर दूंगा। उस निविदा में कहीं पर भी लोहे के गेट का या Cross regulator की बात ही नहीं है। वहां सिर्फ कैनाल के लिए टेण्डर हुआ है और जो टेण्डर हुआ है क्या उसे एक ई.ई. लेवल के अधिकारी काम को बदल सकता है ? अगर उस काम को वह अधिकारी नहीं बदल सकता तो उसके ऊपर कार्यवाही करिये। यह तो बहुत ही बड़ी अनियमितता है। अगर वहां पर लैफ्ट और राईट में कैनाल बनाने के लिए निविदा हुई है, जिससे हजारों किसानों को फायदा होगा। वहां पर उस कैनाल को न बनाकर, वहां सिर्फ लोहे के गेट का काम किया जाता है। अगर यह प्रक्रिया की त्रुटि नहीं है तो क्या है ? इसमें भारी अनियमितता है और हम लोग यह मांग करते हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद, उस पर कार्यवाही भी होनी चाहिए।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये मोरे क्षेत्र के मामला हे। मोर विधान सभा क्षेत्र के मामला हे। ओ समय जो तात्कालीन मुख्यमंत्री जो रिहिस हे। हम माननीय भूपेश बघेल जी से मांग करेन की जो पहले नहर बने रिहिस। चूंकि एक किसान के मामला हरे। माननीय मंत्री एला ध्यान से सुनिहौ। जो नहर बनथे ओ मे किसान ला पानी मिलना चाहिए। अगर वहां पर नहर बने हे, ओमा पानी नई मिलही तो कोई मतलब नहीं है। एकर खातिर मांग करेन कि नहर हा नीचे हे, खेत हा ऊपर हे तो ऐसे कुछ किया जाये ताकि नहर के पानी खेत मा जाये तो 3 नहर पास होईस। एक नहर हा पोतानहरपार से जमगहन, एक नहर कलमी से भठौरा, ये दोनों तरफ केनाल। लेकिन दुर्भाग्य के बात हे आज तक उन दोनो नहर में कोई प्रक्रिया चालू नई होईस हे। इनकी प्रशासनिक स्वीकृति हो गये हे लेकिन ओमा अभी तक काम शुरू नई होईस। ये दोठो नहर बनात हे, ऊहू में पानी नई जाये। तो सरकार के पैसा जो लगत हे। किसान ला आपकी भी चिंता होथे, अध्यक्ष जी आपकी भी चिंता रहथे कि किसान ला पानी मिलना चाहिए। एकर खातिर मैं सदन से निवेदन करना चाहत हवं कि पोता से जमगहन, कलमी से भठौरा, ये दोनों नहर ला आप इहां घोषणा कर देवव कि 6 महीने में बन जाये। मोर आपसे निवेदन हे कि इहूक ला दिखवा लौ। ओकर प्रशासनिक स्वीकृति भी हो गये हे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैं माननीय मंत्री जी से यही चाह रहा हूं कि निविदा की कापी में कहीं पर भी क्रॉस रेगुलेटर की बात नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मैं कापी प्रस्तुत कर दूंगा। आपको शासन लेवल पर किसी से अनुमति नहीं मिली है। वहां पर E. लेवल का अधिकारी है उसी ने निविदा होने के बाद अपने हिसाब से बदला है। अध्यक्ष महोदय, यह भारी अनियमितता है। इस भारी अनियमितता पर अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस विधान सभा का क्या मायने रह जायेगा, आपके यहां रहने का क्या मायने रह जायेगा? आप यहां घोषणा करिये कि इस पर जांच होगी और जांच होने के बाद जिस अधिकारी ने गड़बड़ी की है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पूरे विषय को ले करके चीफ इंजीनियर के माध्यम से उसकी तकनीकी स्वीकृति दी गई है, मैंने पहले ही इस बात को सदन में बताया है। इसमें कोई भी किसी तरीके से अनियमितता नहीं बरती गई है। चूंकि वहां का स्थल डॉउन स्ट्रिप में है, उसके कारण से उसकी वहां आवश्यकता है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निविदा में कहीं पर भी क्रॉस रेगुलेटर का उल्लेख नहीं है। आप चाहें तो मैं निविदा की कापी ला देता हूं। मैं पटल पर रखने के लिए तैयार हूं। यह भारी अनियमितता है, आपके विभाग में एक अधिकारी की मनमानी चल रही है और आप उस मनमानी को चलने देना चाहते हैं। आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप भिंलाई वाले कहां पहुंच गये।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय मंत्री जी, मोर चंदरपुर क्षेत्र के एक मांग हे, मोर आपसे निवेदन है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, प्रश्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बैठिये।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय मंत्री जी, अब तक आप सिंचाई मंत्री, वन मंत्री थे। अब आप नये पद संसदीय कार्य मंत्री पर पहुंच गये हैं जिसका पूरा ध्यान विपक्ष की ओर होना चाहिए। अगर हमारी मांग सही है, जो पटेल जी कह रहे हैं तो आपका ध्यान इधर भी जाना चाहिए। इधर से ध्यान हटाकर इधर करिये और इनकी मांग को पूरा करिये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम जी, अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़िये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो आ जाये, इसमें भारी गड़बड़ी है, पूरी अनियमितता है।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत हो गया, मंत्री जी जवाब दे चुके हैं।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है, किसान लोगों का मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब आ गया है, दोबारा जवाब नहीं आयेगा।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसानों का मामला है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनियमितता हुई है, माननीय मंत्री जी लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस अधिकारी को मत बताईये। हम आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री कवासी लखमा :- माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य अधिकारी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप उसको क्यों बचाना चाहते हैं ?

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप जांच का आदेश दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ है ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग माननीय मंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन करते हैं।

समय
3.18 बजे

बहिर्गमन

शासन के उत्तर के विरोध में

(श्री उमेश पटेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(4) कोरबा जिले में सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना हेतु विस्थापित किये गये परिवारों का पुनर्वास नहीं किया जाना।

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम (पाली-तानाखार) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :- कोरबा जिला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के अंतर्गत पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में अधिसूचित है एवं पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 को केन्द्र सरकार ने लागू किया था कि ग्राम सभाओ के जरिए अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए स्व-शासन सुनिश्चित हो सके साथ ही इसी क्रम में पेशा संशोधन अधिनियम 2022 को पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रभावशील में लाया गया है। जहां प्रदेश व देश के विकास में कोरबा जिला की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां पर देश एवं प्रदेश के विकास हेतु अनेकों सार्वजनिक उपक्रम व पावर प्लांट के साथ-साथ निजी कंपनी संचालित हैं। जिसमें जिले के हजारों परिवार विस्थापित/प्रभावित हुए हैं। सार्वजनिक उपक्रम, पावर प्लांट एवं निजी कंपनियों द्वारा निवेश के पूर्व रोजागर, पुनर्वास, विस्थापन एवं मूलभूत सुविधाओं के लिए शासन के नियमानुसार अनुबंधित होता है, किंतु सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी कंपनियों द्वारा अनुबंधित प्रावधानों को दरकिनार किये जाने से भू-विस्थापित/भू-प्रभावित किसान पीड़ित, प्रताड़ित एवं उपेक्षित हैं। इस तरह जिले में संचालित सार्वजनिक उपक्रम, पावर प्लांट एवं निजी कंपनियों द्वारा स्थानीय भू-विस्थापित/भू-प्रभावित पीड़ितों को दरकिनार कर कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की आउटसोर्सिंग के तहत् भर्ती किये जाने से लोग रोजी-रोजगार के लिए दर-दर भटक रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है,

जिसका भू-विस्थापित एवं भू-प्रभावितों के द्वारा अनेकों बार ध्यानाकर्षण कराया गया है, किंतु शासन-प्रशासन द्वारा सकारात्मक ठोस कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण भू-विस्थापित एवं भू-प्रभावित जनप्रतिनिधियों द्वारा निरंतर धरना प्रदर्शन एवं जन-आंदोलन करते रहते हैं, जिससे लोगों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों में शासन-प्रशासन के प्रति बहुत ज्यादा रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरबा जिला अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम व पावर प्लांट के साथ-साथ निजी कंपनियां संचालित हैं।

कोयला उत्खनन प्रयोजनार्थ भू-अर्जन हेतु कोल बेयरिंग एरियाज (एक्युजिशन एण्ड डेव्हलपमेंट) एक्ट 1957 के प्रावधानों के तहत् भारत के राजपत्र में धारा 4(1), धारा 7(1) एवं 9(1) की अधिसूचना उपरांत समस्त अर्जित भूमि केन्द्र सरकार में समाहित हो जाती है, तदोपरांत केन्द्र सरकार द्वारा धारा 11(1) की अधिसूचना जारी कर अर्जित भूमि को कोयला उत्खनन एवं अनुषंगीय प्रयोजन के उद्देश्य से कुछ शर्तों के अधीन सौंप दी जाती है। उक्त अधिनियिम के तहत् अर्जित भूमियों, उस पर स्थित मकान एवं अन्य परिसंपत्तियों का मुआवजा केन्द्र सरकार द्वारा जारी नियमों एवं दिशा-निर्देशों के तहत् पूर्ण पारदर्शिता के तहत् किया जाता है।

भूमियों के एवज में एस.ई.सी.एल. द्वारा जिला पुनर्वास समिति कोरबा एवं अन्य स्थानीय अर्जन से प्रभावित ग्रामवासियों के सहमति से लागू कोल इंडिया पुनर्वास नीति के प्रावधानों के तहत् अंगीकृत डिसेंडिंग ऑर्डर सिस्टम के अनुरूप स्वीकृत पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के तहत् नियमानुसार पात्र खातेदारों को मुआवजा, रोजगार एवं अपात्र खातेदारों को रोजगार के एवज में एकमुश्त मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता है। इस नीति में प्रति दो एकड़ पर कलेक्टर जिला कोरबा द्वारा अनुमोदित घटते क्रम के सूची के कट-ऑफ प्वाइंट तक रोजगार दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। रोजगार के अतिरिक्त एस.ई.सी.एल. द्वारा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रभावित ग्रामों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, मेधावी छात्र-छात्राओं के लिये कोचिंग व्यवस्था, बेरोजगार युवकों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं शिक्षित बेरोजगार युवकों को विशिष्ट ठेका कार्यों में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है।

राज्य के डी.एस.पी.एम. ताप विद्युत गृह कोरबा एवं हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम के भू-विस्थापितों को राज्य शासन द्वारा अनुमोदित पुनर्वास योजना के तहत् पुनर्वास की कार्यवाही की जा रही है। कुल 639 खातों में से 375 खातों के विरूद्ध नौकरी प्रदान की जा चुकी है। शेष खातों के विरूद्ध केवल 24 पात्र आवेदन लंबित हैं, जिन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

एनटीपीसी कोरबा द्वारा अवगत कराया गया है कि सभी भू-अर्जन वित्तीय वर्ष 2020-21 के पूर्व किया गया है जिसमें शासन के नियमों एवं प्रावधानों का पालन किया गया है । समय-समय पर पुनर्वास हेतु प्राप्त आवेदनों के पात्रता का परीक्षण एनटीपीसी एवं जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता

है एवं पात्र आवेदनों को अनुमोदित पुनर्वास योजना के अनुसार रोजगार/नौकरी उपलब्ध कराया जाता है । वर्तमान में जिला प्रशासन के स्तर पर आवेदन लंबित नहीं है ।

कोरबा जिले के सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी संस्थानों द्वारा भू-विस्थापित एवं परिवारों को समय-समय पर पात्रता अनुसार रोजगार उपलब्ध कराये गये हैं । जिसके अनुसार एसईसीएल गेवरा क्षेत्र में 2570, एसईसीएल कोरबा क्षेत्र 1167, एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र में 2052, एसईसीएल दीपका क्षेत्र में 1505, एनटीपीसी 323, लैको अमरकंटक पावर लिमिटेड 331, सीएसईबी पश्चिम 101, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह 155, स्प्रेक्टम कोल एवं पावर लिमिटेड 305, एसीबी इंडिया लिमिटेड 104, प्रकाश इंडस्ट्रीज 66, एसव्ही पावर प्राईवेट लिमिटेड 200 इस प्रकार कुल 8879 भू-विस्थापितों को पात्रतानुसार रोजगार प्रदान किया जा चुका है तथा शेष भू-विस्थापितों को पात्रता अनुसार रोजगार देने का कार्य सतत् प्रक्रियाधीन है। भू-विस्थापितों के आवेदन एसईसीएल, एनटीपीसी इत्यादि को प्राप्त होने पर इनके पुनर्वास संबंधी पात्रता की जांच संबंधित कंपनी एवं जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है एवं पात्रता होने पर रोजगार नियमानुसार उपलब्ध कराया जाता है ।

अत: यह कहना सही नहीं है कि सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी संस्थानों द्वारा अनुबंधित प्रावधानों को दरकिनार किये जाने से स्थानीय भू-विस्थापित एवं भू-प्रभावित किसान, पीड़ित, प्रताड़ित एवं उपेक्षित हैं तथा यह कहना भी सही नहीं है कि स्थानीय भू-विस्थापित/भू-प्रभावित पीड़ितों को दरकिनार कर कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की भर्ती आउटसोर्सिंग के तहत् भर्ती किये जाने से लोग रोजी रोजगार के लिये दर-दर भटक रहे हैं ।

लोगों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों में बहुत ज्यादा आक्रोश एवं रोष व्याप्त नहीं है ।

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कोयला उत्खनन प्रायोजनार्थ एवं अन्य प्रायोजनार्थ हेतु भू-अर्जन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) एवं पेसा एक्ट 1996, संशोधन अधिनियम 2022 का शासन को परिपालन करना होता है या नहीं ?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन के द्वारा जो पेसा एक्ट है उसका पूरा पालन किया जाता है और ग्राम सभा का विजन भी अलग-अलग उद्योग का अलग-अलग नियम है और कोयला, लोहा इसमें ग्राम सभा की आवश्यकता पेसा कानून में नहीं होती । पर्यावरण सुनवाई के लिये ग्राम सभा एवं प्रवर सुनवाई के लिये जन-सुनवाई का आयोजन होता है और वहां से अनुमति मिलती है तभी काम आगे बढ़ता है ।

श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130 पथरापाली से कटघोरा हेतु भू-अर्जन किया गया है । भू-अर्जन के समय कोरोनाकाल था और कोरोनाकाल

के समय सोशल डिस्टेंसिंग थी । माननीय मंत्री जी, उस सोशल डिस्टेंसिंग की अवधि में ग्राम सभा कैसे हुई ?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपना ध्यानाकर्षण कराया है उसमें इस बात का उल्लेख नहीं किया था । बाकी वे उसकी जानकारी दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसकी जांच करायेंगे और माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहां जो पुनर्वास नीति बनी है उसका अध्यक्ष प्रभारी मंत्री जी होते हैं और बहुत दिनों से इसकी बैठक नहीं हो पायी है । माननीय अमर अग्रवाल जी प्रभारी मंत्री थे, उस समय वर्ष 2017 में पुनर्वास नीति की बैठक हुई थी और अभी चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और अभी प्रभारी मंत्री जी हैं। हम एक डेढ़ महीने के अंदर पूरा पुनर्वास नीति की कोरबा जिला में बैठक कराएंगे। चूंकि मैं भी कोरबा जिला से आता हूं, मुझे भी एक-एक बात की जानकारी है और निश्चित तौर पर पुनर्वास नीति की बैठक होगी तो सारी समस्याओं का निदान होगा। हमारे प्रभारी मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि एक डेढ़ महीने के अंदर में ही क्योंकि प्रभारी मंत्री जी पुनर्वास नीति के अध्यक्ष होते हैं, वे बैठक कराएंगे ताकि हम कोरबा जिला वासियों का जो हम लोगों की समस्या है, उसका पूर्ण रूप से निदान हो सके। मैं माननीय सदस्य की पीड़ा से अच्छे से भली-भांति अवगत हूं, क्योंकि मैं भी कोरबा जिला का निवासरत करने वाला हूं। मेरे पास भी जो समस्या आती है, आज भले मैं शासन की ओर से जवाब दे रहा हूं, बाकी हम इस समस्या का निराकरण जल्द से जल्द पुर्नवास नीति की बैठक करके करेंगे।

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :- धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- इनके प्रश्न में आप कोरबा में कहां से आ गये?

श्री ब्यास कश्यप :- मेरा लगा हुआ जिला है।

अध्यक्ष महोदय :- कोरबा का आपसे लेना-देना नहीं है। कोयले का क्षेत्र हो तो बताइए कुछ?

श्री ब्यास कश्यप :- नहीं-नहीं, बोलने के लायक ही विषय है। अटल बिहारी वाजपेयी विद्युत ताप परियोजना जांजगीर में महत्वपूर्ण मड़वा पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में वहां भी भू-अर्जन की बहुत लंबी संख्या है। डेढ़ सौ से 200 अभी भी भू अर्जन के जो किसान हैं, उनके परिवार के लोगों को नौकरी पर नहीं रखा गया है और जिनको लगाया भी गया है, वह यानी की लाइनमैन के रूप में लगा है और अपने क्षेत्र से दूर डोंगरगढ़, राजनांदगांव तरफ वे ड्यूटी कर रहे हैं। महोदय, कम से कम उनको नजदीक ले आयें। अपने परिवार के नजदीक रहें, कई लोग रोते है, फ़ोन करके अवगत कराते हैं और बाकी भू अर्जन का बकाया, कृपा करके उनको नियुक्ति प्रदान की जाये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आपने मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर दिया। बहुत अच्छा है। ठीक है। मरकाम जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? भूल गये थे क्या?

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :- एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, सराईपाली ओपन कास्ट गुड़गुड जो है, आज भी वहां के जो किसान, जो विस्थापित परिवार हैं पुनर्वास के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी वर्ष 20 फरवरी, 2024 को धरना दिए, प्रदर्शन किए, उसके बाद 12, 13 जून को भी पुनर्वास को लेकर 2 दिन एस.ई.सी.एल. खदान को बंद किये थे। तो माननीय मंत्री जी चाहूंगा कि तत्काल उनकी पुनर्वास नीति का परिपालन एस.ई.सी.एल. से करवाएं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आपने बहुत ध्यान में ला दिया। आप दोनों एक ही जिले के हैं। क्या आप कभी बैठते नहीं?

श्री लखनलाल देवांगन :- बैठते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- छोटे-मोटे विषय का निराकरण करिए।

समय :
3:32 बजे

नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर
(2) श्रीमती शेषराज हरवंश
(3) श्री बघेल लखेश्वर

समय :
3.33 बजे

प्रतिवेदन की प्रस्तुति

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री विक्रम उसेण्डी, सभापति :- अध्यक्ष महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 2024 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्र.	सदस्य का नाम	समय
(क्रमांक 01)	श्री धर्मजीत सिंह	30 मिनट
(क्रमांक - 02)	श्री राजेश मूणत	30 मिनट

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(क्रमांक - 05)	श्री पुन्नूलाल मोहले	30 मिनट
(क्रमांक - 07)	श्री अजय चन्द्राकर	30 मिनट
(क्रमांक - 09)	श्रीमती अनिला भेंडिया	30 मिनट

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समय :
3.34 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थिति माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

(1) श्रीमती भावना बोहरा

(2) श्री पुन्नूलाल मोहले

समय
3.35 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024)

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8, सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मैं छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8, सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय।

अनुमति प्रदान की गई ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री ओ.पी.चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ।

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, मैं,

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- अध्यक्ष महोदय, ओ.पी.चौधरी जी प्रश्नकाल में थे, ध्यानाकर्षण में थे । ध्यानाकर्षण में एक मंत्री की जगह दो-दो मंत्रियों ने उत्तर दिया और अभी भारसाधक सदस्य नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है । भार साधक सदस्य यहां थे और बिना कारण बताए अनुपस्थित हैं तो मैं समझता हूं कि इसको कल के लिए बढ़ा दिया जाए ।

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, वे कारण बताकर गए हैं । मैं संसदीय कार्यमंत्री की हैसियत से प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- अध्यक्ष महोदय, माननीय भूपेश बघेल जी ने जो बात कही । उनके शासनकाल में भी और उनके पहले भी मंत्रिमंडल की संयुक्त जिम्मेदारी होती है और मंत्रिमंडल की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संसदीय कार्य मंत्री उपस्थित हैं । इसलिए उसको लिया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8, सन् 2024) का पुर:स्थापन करता हूं ।

(2) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 6 सन् 2024)

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- अध्यक्ष महोदय, ...

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । चूंकि इस विधेयक का असर बहुत व्यापक है, पूरे प्रदेश भर में है, पूरे किसानों से, मंडी से जुड़े हुए व्यापारियों से है । जब ऐसे बिल आते हैं तो प्रवर समिति को भेजा जाता है । लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद प्रवर समिति का गठन नहीं हुआ है । ऐसे में 67 (क) में यह प्रावधान है - भारसाधक सदस्य प्रस्ताव करे कि उनके विधेयक पर विचार किया जाए तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाए या प्रस्ताव में उल्लेखित की जाने वाली तिथि तक उस पर राय जाने के लिए परिचालित किया जाए । इस संबंध में मैंने सचिवालय को पत्र भी लिखा है । चूंकि यह बहुत व्यापक है और पूरे समाज को, किसानों को, व्यापारियों को प्रभावित करेगा, पशुपालकों को प्रभावित करेगा । मवेशी व्यापारियों को प्रभावित करेगा इसलिए इसे परिचालन में रखा जाए और जब परिचालन हो जाए तब फिर सदन में चर्चा की जाए ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय भूपेश बघेल जी ने प्रवर समिति के बारे में बात कही है । यह विधेयक छोटा-छोटा संशोधन विधेयक है । यह मूल विधेयक नहीं है जिसे प्रवर समिति को सौंपा जाए । अमूमन प्रवर समिति को सौंपने का निर्णय मूल विधेयक में होता है, संशोधन विधेयक तो बहुत कम क्षेत्रों को प्रभावित करता है और ऑलरेडी वह प्रावधान मौजूद है । जो प्रावधान मौजूद है, उसकी किसी धारा में छोटा सा संशोधन है । पहले से वह प्रावधान मौजूद है । आप देखिए मंडी शुल्क मौजूद है, उसमें कृषक कल्याण प्रतिस्थापित करना है । विधेयक में जो चीजें हैं ऑलरेडी ई-नाम देश में प्रचलित है,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उसको परिभाषित करना है । यह तो पहले से प्रचलित है । कोई नई चीज नहीं कही गई है, इसमें केवल छोटे-छोटे 2 संशोधन हैं। पैसा कहां जमा होगा, यह छोटा सा संशोधन है, इसमें व्यापक रूप से क्या प्रभावित होगा । जो 20 से 10 प्रतिशत किया गया है वह पहले से लागू है । इसमें कहीं पर भी यह आवश्यकता नहीं दिखती कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाए । यदि कोई मुख्य विधेयक होता और यदि वह सबको प्रभावित कर रहा है यदि उसे प्रवर समिति को देने की मांग करते तो बात समझ में आती । अभी जो चीजें इसमें हैं, आप विधेयक को पढ़ लीजिए इसमें सारी की सारी चीजें मौजूद है, उसमें छोटा-छोटा संशोधन है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य मंत्रणा समिति में भी यह बात आई तब भी कहा गया था, जो बात आप अभी कह रहे हैं कि यह बहुत छोटा सा संशोधन है। हम लोगों ने भी मान लिया था कि बहुत छोटा सा संशोधन है। लेकिन इस छोटे परिवर्तन में इतना व्यापक असर है कि यहां का व्यापार पूरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि चाहे वह कलकत्ता में हो, दिल्ली में हो, बांबे में हो, इसमें ऑनलाईन खरीदी कर सकते हैं जिसमें यहां कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, न यहां गोडाउन होगा। ऐसी स्थिति में केवल एक परिवर्तन किए हैं और इसका असर इतना व्यापक पड़ेगा कि पूरे किसानों को, पूरे व्यापारियों को इसका असर पड़ेगा। आप ऑनलाईन खरीदने के बाद उसमें कंट्रोल ही नहीं कर सकते, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा संचालित होगा। आप उसको ब्लैकलिस्ट भी नहीं कर सकते। उसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकते। आप किसानों के साथ कोई न्याय नहीं कर पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि यहां जो छोटे व्यापारी हैं, वह साल दो साल में पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्थिति यह होगी कि जो बड़े कार्पोरेट हाउस हैं, वे इसको औने पौने दाम में खरीदेंगे। यह एक छोटा परिवर्तन है, इसका असर व्यापक रूप से पूरे प्रदेश में पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो मवेशियों को बेचने का अधिकार है, इसको बाहर के लोग खरीदकर ले जाएंगे। मतलब यह है कि यदि यहां से मवेशी ले गये तो कोई दूध उत्पादन के लिए तो नहीं ले जाएंगे, छत्तीसगढ़ में वैसे भी गाय कम दूध देती है, हमारे घर के उपयोग के लिए आता है लेकिन यदि ले जाएंगे तो सीधा बांग्लादेश ही जाना है। अध्यक्ष महोदय, इसका असर बहुत व्यापक होने वाला है। इसलिए किसान संगठनों से बात कर लेना चाहिए, व्यापारी संगठन से बात कर लेना चाहिए, गौपालकों से बात कर लेना चाहिए। मेरा तो विधेयक से विरोध वगैरह नहीं है लेकिन इसका असर पूरे समाज में, पूरे छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसे रोकें और इसे परिचालन में लाएं। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- हां बोल लीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जितनी आपत्ति थी कि बाहर के लोग हैं, खदान है, गोदाम है, नहीं है, क्या है कैसे है। भारत सरकार के ई पोर्टल में वह ऑलरेडी अधिसूचित है, उनकी पूरी जानकारी है। कहीं पर ऐसा नहीं है कि अधिसूचित नहीं है। उसको बाहर के किस आदमी ने खरीद लिया, कैसे खरीद लिया। इसकी व्यापकता जबर्दस्ती बताई जा रही है। यह सारे कानून पहले से मौजूद हैं और भारत सरकार में अधिसूचित हैं। उसको छत्तीसगढ़ में कुछ अंशों में प्रभावशील बनाना है। यही मुख्य है। बाकी इसमें मंडी कृषक कल्याण हैं और कुछ छोटे-छोटे संशोधन हैं। जब बहस होगी तो हम उस बात को क्लियर कर लेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आप जो कह रहे हैं उसमें एक शब्द परिवर्तित है। बहुत ज्यादा परिवर्तित नहीं है लेकिन उस एक शब्द में उसका असर बहुत व्यापक है। आपने जो पहले संशोधन किया है, उसमें एक पैरा जोड़े हैं, उसी से सब कुछ खेल हो जाएगा। इसलिए यहां के जो व्यापारी हैं, जो छोटे-छोटे व्यापारी यहां मंडी में रजिस्ट्रेशन कराएं हैं, उनका व्यापार खत्म हो जाएगा। जो ऑनलाईन ट्रेडिंग हैं, उसमें इस संशोधन में कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक को वापस ले लें और इसको परिचालन में कर दें। सभी संगठनों से बात कर लें। क्योंकि अभी न किसान संगठन से बात किए हैं, न व्यापारी संगठन से बात हुई है, न गौपालकों से बात हुई है। इन सबसे बात कर लें उसके बाद यह विधेयक ले आएं, दो तीन महीने की बात है। आपके पास दो तीन महीने में सारे संगठन की बात आ जाएगी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले आप उद्देश्यों को पढ़ लीजिए। एक लाईन का है, कृषकों को उनकी कृषि उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो। अब मैं यदि कुछ दूसरी चीजें जोड़ दूंगा तो विधेयक में राजनीतिक बातें जुड़ जाएंगी। किसान किसी भी मूल्य पर देश भर में कहीं भी बेचेगा, उसमें शोषण कहां पर हो रहा है।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत कर लूं।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। आप तभी शुरू करेंगे। आपकी पूरी बात हो गयी।

श्री अजय चंद्राकर :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- मैं व्यवस्था दे देता हूं। उसके बाद मंत्री जी जो बोलना चाहें।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिरी बार और कहना चाहूँगा कि जो आप कह रहे हैं, यह बहुत छोटी सी बात है, आपको एक लाईन पढ़कर सुना देता हूँ ।

श्री रामविचार नेताम :- प्रस्तुत तो करने दीजिए महोदय ?

श्री भूपेश बघेल :- नहीं, नहीं, हम सबकी भावनायें जुड़ी हुई है । अब इसमें लिखा है कि निर्यात से अभिप्रेरित किसी उपज जिसमें पशु धन भी शामिल है, उसे भारत से बाहर भेजा जा सकता है । यह संशोधन में है, आप छोटी-मोटी बात कह रहे हैं ? यहां के पशुओं को भारत से बाहर भेजा जा सकता है,

यह संशोधन में आपके है। यह परिचालन में क्यों नहीं आनी चाहिये ? यह सब चीजें हैं । (शेम-शेम की आवाज) यह आपकी कापी है । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप हमारे पशु धन को कहां भेजना चाह रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- कानून के तहत देने की साजिश चल रहा है, जिनको देना है, उसके मालिक का नाम बता दीजिए ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने करोड़पति को और करोड़पति बनाने का काम शुरू कर दिया है । अडानी-अंबानी को यहां लाने का काम कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं ।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य, पूर्व मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या यह अधिनियम आपके सरकार के समय लागू नहीं था ? लागू था । पहले से ही हमारी 20 मंडिया उससे जुड़ी हुई थी, इसमें किसी प्रकार से प्रदेश के किसानों का अहित नहीं हुआ है । प्रदेश के किसानों के हित में ही हमारा यह बिल है । अध्यक्ष महोदय, हम इसे सोच-समझकर ही ला रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जितनी चिन्ता आप करते हैं, उससे ज्यादा चिन्ता करने वाले इधर बैठे हुये हैं । (मेजों की थपथपाहट) वह चिन्ता करके हमने दिखाया है, (मेजों की थपथपाहट) इसलिये कृपा करके इस पर चर्चा हो, चर्चा में जो भी विषय आपके आयेंगे, किसानों के हित में जो भी निर्णय करना होगा, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार उसे लागू करेगी, उसे पूरा करेगी । (मेजों की थपथपाहट)

समय
3.42 बजे

<u>अध्यक्षीय व्यवस्था</u>

अध्यक्ष महोदय :- कृपया आप नियम 67 के उप नियम (2) के पद (क) देखें उसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि- “यदि भारसाधक सदस्य प्रस्ताव करे कि उसके विधेयक पर विचार किया जाये तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये या प्रस्ताव में उल्लिखित की जाने वाली तिथि तक उस पर राय जाने के लिए परिचालित किया जाये ।”

आपने जो प्रस्ताव दिया है उसके अनुसार विधेयक को पारित करने के पूर्व राय जानने हेतु पारण प्रक्रिया आज दिनांक को रोकने के संबंध में है, उसके अनुसार केवल राय जानने के लिए केवल आज पारण प्रक्रिया को रोका जाना है । राय जानने की प्रक्रिया एक दिन में पूर्ण होना संभव ही नहीं है, इसलिए मैंने आपके इस प्रस्ताव को तकनीकी दृष्टि से सही नहीं होने के कारण सभा में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यह किसानों से जुड़ा हुआ है और व्यापारियों से जुड़ा हुआ है, यह पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिये आपसे आग्रह है कि प्रवर समिति है ही नहीं और इस कारण से आपसे आग्रह है कि अगले सत्र में कर लीजिए । कोई बहुत भागा थोड़ी जा रहा है । अगले सत्र बुला लीजिए, विशेष सत्र बुला लीजिए, कोई दिक्कत है क्या ? लेकिन पूरे समाज को पता तो चले, किसान संगठनों को पता चले, मवेशी व्यापार से जुड़े हुये हैं, व्यापारिक संगठनों से जुड़े हुये हैं, उनसे बात कर लीजिए और करें अध्यक्ष महोदय ?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक, बोलिये ।

कृषि विकास एवं कृषि कल्याण मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के व्यापक हित में, किसानों के हित में, मंडी अधिनियम के तहत छोटा-छोटा संशोधन लिया है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक, 2024 पर विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- कोई चर्चा हो जाये, उसके बाद मंत्री जी का जवाब आयेगा। आप शुरू करिये । एक बार आप बोल लें, फिर भूपेश जी बोलते रहेंगे । आप बोल लीजिए ।

श्री भूपेश बघेल :- इसका उद्येश्य बता दें ।

अध्यक्ष महोदय :- हां बोल लेंगे, सब बतायेंगे । भूपेश जी, आपको भी अवसर मिलेगा । मंत्री जी, आप शुरू करिये ।

कृषि विकास एवं कृषि कल्याण मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमने बताया कृषि और किसानों के व्यापक हित में सोच-समझकर हमने प्रस्ताव लाया है और जिसके तहत मंडी अधिनियम में संशोधन के लिये जो प्रस्ताव लाया है, उसमें धारा (2) की उपधारा (1) के खण्ड (च) तथा धारा 32 एवं 32 (क) में परन्तुक अंत: स्थापित जोड़ने के लिए इसमें छोटा-छोटा संशोधन लाया गया है, जिसमें आलरेडी पहले से ई-नाम के तहत उसे परिभाषित किया गया है । इस संशोधन विधेयक के माध्यम से पहले से ही हमारी 20 मंडी समितियां उससे जुड़ी हुई हैं । अब इसे जोड़ने से आप जिस प्रकार से शंका व्यक्त कर रहे हैं कि इसमें पूरे देश भर के बहुत अधिक बड़े लोग आ जाएंगे, दुनिया भर का पहाड़ टूट जाएगा, किसानों का अहित हो जाएगा, शोषण हो जाएगा । आप क्या बात कर रहे हैं ? जितनी प्रतिस्पर्धा होगी, यहां के किसानों को उनके ऊपज का उतना ही लाभ मिलेगा । हम मंडी में क्यों जाते हैं ? इसीलिए जाते हैं कि जो अधिकतम बोली लगाए, उसे हम अपनी सामग्री देते हैं, अन्न देते हैं और इसी में इसके लिए "ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार)" जो भारत सरकार का पोर्टल खुला हुआ है, उसके

तहत हमारी मंडियॉ जुड़कर देश के विभिन्न क्षेत्रों से जो हमारे यहां उत्पाद हो रहा है, उसकी बिक्री के लिए जो ओपन मार्केट होगा, उसमें ओपन बोली लगाकर ई-टेण्डरिंग के माध्यम से वहां सीधे अपना फार्म भर सकता है । जिसकी अधिक बोली होगी, उसको मंडी से दिया जाएगा और पेमेंट के लिए भी कोई परेशानी नहीं होगी । हम यही तो कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ धारा-19 में जो जोड़े हुए हैं, इसमें करीब 6 धाराओं में संशोधन है । उसमें जो "मंडी फीस" ले रहे हैं, उसके आगे "कृषक कल्याण शुल्क" जोड़ना है । बस इतना ही तो करना है । उस शुल्क के माध्यम से हमारे पास जो राशि जमा होगी, वह प्रदेश के व्यापक हित में, किसानों के हित में खर्च होनी है । यही तो उस नियम में परिभाषित किया जाएगा । इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई शंका है तो आप कृपा करके ऐसी शंका व्यक्त मत करिए । कम से कम हम लोगों के रहते हुए, हमारी सरकार के रहते हुए ऐसी शंका व्यक्त मत कीजिए । किसानों के हित में कहीं से भी आपको शंका करने की गुंजाईश ही नहीं छोड़ेंगे । इसलिए मैं यही चाहता हूं कि इसमें व्यापक चर्चा हो और इसको स्वीकृत करें ।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा विधेयक बनाने के लिए ही है । हम लोग विधेयक बनाने के लिए विधान सभा आये हैं इसीलिए यह विधायिका कहलाता है । माननीय रामविचार नेताम जी ने बहुत सामान्य सी बात कह दी, लेकिन आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (चचचच) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किये जाएं । यही खेल शुरू होता है । इसमें लिखा हुआ है-"ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार)" से अभिप्रेत है । कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रानिक (ऑनलाईन) कृषि व्यापार पोर्टल, जो मौजूदा कृषि उपज मण्डी समितियों को अधिसूचित कृषि उपज के क्रय एवं विक्रय के लिए एकीकृत करते हुए राष्ट्रीय बाजार से जोड़ता है ।" ठीक है, लेकिन आपने "मंडी फीस" की जगह "कृषक कल्याण शुल्क" कहा । अब इसके बाद आपकी पूरी मंडियों में कौन लोग आएंगे ? आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं । जब जियो कम्पनी का सिम शुरू हुआ तो वह फ्री में दिया था, 1 जीबी, 2 जीबी एक महीने, दो महीने तक आपको फ्री में बात करने की अनुमति दी थी । उसने पूरे मार्केट में कब्जा कर लिया, उसके बाद आज जियो के रिचार्ज की कीमत सबसे ज्यादा है । आशंका यही है। मंत्री जी, आपसे यही कहना चाहते हैं कि ई पोर्टल के माध्यम से कोई हैदराबाद में बैठा है, कोई कोलकाता में बैठा है, कोई बंगलौर में है, कोई दिल्ली में है, वह कहीं से भी बैठकर उसको खरीद सकते हैं तो जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं, वे नहीं खरीद पाएंगे और साल, दो साल में वह छोटा व्यापार पूरा खतम हो जाएगा। उसके बाद फिर यह खेल शुरू होगा, वह फिर औने-पौने दाम में फल, सब्जी, जितने भी कृषि उत्पादन हैं, लघु वनोपज हैं, उसकी खरीदी शुरू करेंगे, उनका एकाधिकार हो जायेगा। वही लोग

रेट खोलेंगे, वही लोग करेंगे। हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है ? वहां एक व्यक्ति खरीद रहा है, केवल अडाणी के कब्जे में है। कोई दूसरा रेट तय ही नहीं कर सकता, कोई दूसरा व्यापारी खरीद ही नहीं सकता है। वहां किसानों की यह स्थिति है। वहां के किसान औने-पौने दाम में सेब बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि यह जो नियम है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि परिचालन किया जाये। आप इसको छोटा सा संशोधन मत समझिये, इसका बहुत व्यापक असर होने वाला है।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान के महान हितैषी पार्टी के महान नेता माननीय भूपेश बघेल जी के समय में प्रदेश की 20 मण्डियां " ई-नाम" की मण्डियां थीं, जिसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र कुरूद की भी एक मण्डी है, जहां ऑनलाईन से कोई भी आदमी धान खरीद सकता था। अभी मैं जहां हूं, वहां कुरूद का व्यापारी भी खरीदते हैं, ट्रेडर्स वाले भी जाकर खरीदते हैं, वहां प्रदेश भर के लोग जाते हैं। पहले से ही 20 मण्डियों में यह संचालित है। जब वह इधर कुर्सी में बैठते थे, तब अडाणी और क्या-क्या नाम ले रहे थे, वह याद नहीं था। जैसे वह कुर्सी विपक्ष की तरफ गई तो किसानों का हित और बाकी चीजें सताने लगीं। उद्देश्यों और कारणों में एक ही लाईन का कथन है, मैं उसको पूरा पढ़ देता हूं। "यतः, राज्य सरकार का दृष्टिकोण है कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषिक कल्याण निधि तथा अन्य प्रदेश के मण्डी बोर्ड, आप बात करते-करते बंग्लादेश तक पहुंच गये थे, /मण्डी समिति के एकल पंजीयन/ अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/ प्रसंस्करणकर्ता, भारत सरकार द्वारा संचालित ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार), जिसमें 20 मण्डी पहले से जुड़े हुए हैं, पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज का क्रय-विक्रय बिना पंजीयन के कर सकें, जिससे कि कृषकों को उनकी कृषि उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो।" इसमें इतना ही कहना है। यह कृषकों के हित में है। मैं तो माननीय भूपेश बघेल जी से आग्रह करूंगा कि आप इसको सर्वसम्मति से पारित करायें। क्योंकि यह व्यवस्था आपके समय में चल रही थी। इस संशोधन विधेयक के बिन्दु क्रं.2 में (चचचचच) इसमें पांच 'च' है, वह सब एकीकृत बाजार से जोड़ता है। इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें बिन्दु क्रमांक 5 एवं 6 ऐसी हैं, जिसमें "मण्डी फीस" के साथ "कृषक कल्याण शुल्क" अन्तःस्थापित करना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय मूल अधिनियम की धारा 44 में पहले 20 प्रतिशत था, उसको 10 प्रतिशत करना है। धारा 43 के संशोधन में है कि पैसे कहां-कहां रख सकते हैं। अब मैं धारा 43 के संशोधन पर बोलता हूं। धारा 43 में पैसे को कहां-कहां रख सकते हैं, इस पर संशोधन है। उसमें परिभाषित किया गया है कि पैसे कहां-कहां, रख सकते हैं, बैंक में, सहकारी बैंक में, डाक घर में वह कहां जमा करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 प्रतिशत कृषि उपज मण्डी, इसमें भी संशोधन है। इसको भी पारित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक धारा में कृषक कल्याण से छूट देने का प्रावधान नहीं है। धारा 69 में कृषक कल्याण से छूट देने का प्रावधान है। माननीय मंत्री जी यही है ना ?

श्री राम विचार नेताम :- हां (सिर हिलाकर सहमति दी)

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त 6 धाराओं में यही है। यह एक छोटा सा संशोधन है। इसमें किसानों को कहीं भी किसी भी तरह से हित नहीं है, इसको विस्तृत किया गया है, बस। मण्डी शुल्क और किसान विकास शुल्क को परिभाषित किया गया है।

समय :
4.00 बजे

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल लाईन भर कहूंगा, जिसका मुझे अनुभव है। आपने विधेयक में लिखा है, धारा 44 क का संशोधन देख लीजिये -" छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि का उपयोग, नियमों में विहित प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा।" साहब, यह थोड़ी अस्पष्ट है, उसको अपने भाषण में स्पष्ट कर दीजियेगा। क्योंकि मेरा अनुभव है, आप जाकर देखियेगा कि मण्डी बोर्ड के पैसे से, चाहे वह किसी भी निधि के हों, पूर्व कृषि मंत्री जी के यदि सौ गांव होंगे तो सौ गांवों में क्या बने हैं और कौन से निधि से बने हैं। कितने रूपये के भवन बने हैं, उधर जो अधिकारी बैठे हैं, वह बता देंगे कि इस निधि से साजा का कितना कल्याण हुआ है। इसलिए जब आप कृपा करके बोलेंगे तो यह निहित प्रायोजनों के लिए किया जाएगा। जो अस्पष्टता है वह सदन के सारे सदस्यों के सामने स्पष्ट होना चाहिए कि कृषक कल्याण निधि का उपयोग नियम बनाकर सदन को विश्वास में लेकर इन-इन कामों में किया जाएगा। इसको आप स्पष्ट कीजिये ताकि करप्शन और एकाधिकार समाप्त हो। यहां 90 सदस्य अपने-अपने क्षेत्र से निर्वाचित होकर आते हैं, सभी सदस्य अकेले साजा से ही चुनकर नहीं आते हैं। आप मंत्री बने हैं तो केवल बलरामपुर का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि आप संपूर्ण छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां पर धान की सबसे बड़ी मण्डी है और वह छत्तीसगढ़ में धान की रेट खोलती है और बहुत कुछ खोलती है। वह मछली की भी रेट खोलती है। जैसे छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव अण्डे की रेट खोलता है, वैसे ही है। यह स्पष्टता आएगी तो अच्छा काम करने वाली बड़ी मण्डियां, जो लाइट मण्डी हैं, उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर और सभी चीजों में हमारा ध्यान जाएगा। पैसे कहां जा रहे हैं ? मेरा क्षेत्र है, लेकिन मण्डी नहीं है। उस क्षेत्र से एक पैसा नहीं मिल रहा है। आपको जो 500-600 करोड़ रूपये मिलते हैं, जिनको आप अलग-अलग जगहों में खर्च करते हैं। वह गौशाला में जाते हैं, अच्छी जगहों में जाते हैं और कर्मचारियों की वेतन निधि में जाते हैं। ये सब अच्छी चीजें हैं। इसमें कहीं भी आलोचना का विषय नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि जहां से सबसे ज्यादा आय आ रही है, उसके इन्फ्रास्ट्रक्चर को हम अच्छा करेंगे और आवक बढ़ाने के उपाय करेंगे तो आय बढ़ेगी तो वह अन्य बाकी लोगों को भी जाएगा। इसलिए आपने धारा-2 में जो (च) (च) जोड़ा है, मैं उसका भी समर्थन करता हूं। आपने कृषक कल्याण शुल्क को 6 धाराओं में अधिसूचित किया है, मैं उसका भी समर्थन करता हूं। धारा-37 (क) में छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निधि विकास तो हो गया। यह 10 प्रतिशत भी हो गया। आपने

अच्छे समय में इसकी पहल की है, अब फसल आने वाली है तो इन सारे विधेयकों का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- ब्यास कश्यप जी।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- पहले अन्य लोग बोल लें।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, अजय जी ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं उनको इसके लिए बधाई देता हूं। अब यह प्रतिबंध टूट गया है क्योंकि नेता जी ने आपसे बात कर ली थी और इस कारण से वह प्रतिबंध टूट गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- टूट गया है।

श्री भूपेश बघेल :- हां टूट गया है क्योंकि नेता जी ने आपसे पहले ही बात कर ली थी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय नेता जी, मैं आपको थैंक्यू कहता हूं क्योंकि लोकतंत्र में संवाद से अच्छा उपाय नहीं होता है। हर चीज या जो भी गलतफहमी होती है वह संवाद से ही दूर होती है।

श्री भूपेश बघेल :- लेकिन चींखना-चिल्लाना।

श्री अजय चंद्राकर :- साहब, यदि मेरी बात से आपको कहीं दु:ख पहुंचा रहा होगा तो आप एक बड़प्पन दिखाइये। मैं भी बड़प्पन दिखा देता हूं कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री भूपेश बघेल :- धन्यवाद। अजय जी, आप सदन से क्षमा मांगिये। मुझसे क्या क्षमा मांगेगे। आप सदन से खेद व्यक्त कीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने बड़प्पन दिखाई है तो मैं भी एक कदम आगे बढ़ूंगा।

श्री भूपेश बघेल :- बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये धन्यवाद।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय जी ने बहुत अच्छी बात कही है। वही बात को मैं कह रहा हूं और उसी बात को उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि जैसे कि यहां अण्डा उत्पादन होता है तो उसमें पूरे छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति का एकाधिकार हो गया है। वही मुर्गे-मुर्गियों और अण्डे की रेट को खोलता है। इसी चिंता को तो हम व्यक्त कर रहे हैं। हमारी चिंता यही है। यह संपूर्ण राज्य के व्यापारियों को बाहर करने की साजिश है। रामविचार जी, मैं थोड़ी गंभीर बात बोल रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में केवल धान का उत्पादन नहीं होता है। धान को तो सरकार खरीद रही है। जो अधिक उत्पादन होता है, वह मण्डियों में जाता है। गर्मी की फसल का उत्पादन मण्डियों में जाता है। लेकिन यहां बहुत सारी फसलों का उत्पादन होता है। यहां केवल धान का उत्पादन नहीं होता है। जितने लघु उपज का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, उतना कहीं नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन करना

चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि पूरा व्यापार खोल दिया जाए तो उसके बाद वह आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। जिन व्यापारियों का पंजीयन बाहर में हुआ है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकेंगे। उसने किसान को पैसे दिये या नहीं दिये और वह माल उठा लिया। दूसरी दिक्कत यह है कि वह मण्डी में नहीं आएगा और उसके दलाल लोग बाहर-बाहर घूमेंगे और वहीं से किसानों के पास से उठाकर ले जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। किसानों के सामने यह दिक्कत आने वाली है। दूसरी बात यह है कि जितनी भी उपज हैं, आप उन सभी की रेट तय कर दीजिए और समर्थन मूल्य घोषित कर दीजिए। छत्तीसगढ़ में जिस भी फसल का उत्पादन होगा, उसको वह उस समर्थन मूल्य के नीचे नहीं खरीद सकेगा। भारत सरकार ने किया है। यहां की जो फसल भारत सरकार की एम.एस.पी. में शामिल नहीं हैं, उन सबको इसमें जोड़ दीजिए कि एम.एस.पी. से नीचे कोई व्यापारी खरीद नहीं सकेगा। आप यह कर लीजिए। अब अजय जी चले गये हैं। आप उपाबंध में देखेंगे कि वह भी (चचचच) है। उपाबंध में देखेंगे कि धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (चचचच) में है कि (चचचच) "निर्यात" से अभिप्रेत है, कृषि उपज, जिसमें पशुधन भी शामिल है, का भारत से बाहर भेजा जाना। इसी प्रकार धारा 19 की उपधारा (2) में सारी चीजें हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब, यहॉ छत्तीसगढ़ का पशुधन जाएगा, तो वहॉ क्या करेंगे? मतलब, आप इस नियम को लागू कर देंगे, उसके बाद तो आपका बजरंग दल, विश्व हिन्दु परिषद एकदम बेरोजगार हो जाएगा। (हंसी) उन लोगों को तो लायसेंस मिल जाएगा। आप बाजार खोलेंगे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजरंग दल और विश्व हिन्दु परिषद बोले हैं, उसे विलोपित करा दिया जाए।

श्री गजेन्द्र यादव :- इसमें आपत्ति है, आप किसी व्यक्ति को किसी संस्था के साथ नहीं जोड़ सकते।

श्री भूपेश बघेल :- मोर बात ल सुन तो ले पहिली, ओखर बाद तोर आपत्ति होही त मैं वापस ले लुहूं। ते बईठ तो। मैं परसों ही माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था कि जिस तरह से यहॉ से गोधन की तस्करी हो रही है, चाहे उड़ीसा बॉर्डर हो, चाहे बागनदी बॉर्डर हो, चाहे मुख्य मंत्री जी के गृह जिले से हो, यहॉ सब जगहों से ट्रकों में भर-भरकर मवेशी बाहर भेजे जा रहे हैं। यदि आपने इन्हें निर्यात की छूट दे दी, जिसका मैंने उल्लेख किया, तो फिर बाजार खोलेंगे, वहॉ खरीदेंगे, उन्हें तो लायसेंस मिल गया, वह ले जाकर सबको बाहर भेजेंगे। वह बांग्लादेश के अलावा कहॉ जाएगा? ज्यादा से ज्यादा यूरोप चला जाएगा। ये आप छूट देने जा रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसे वापस लें। अजय जी भी भले ही आपका समर्थन कर दिए लेकिन बात तो मेरी ही बोले हैं। इसमें एकाधिर हो जाएगा, जिस प्रकार से जियो का एकाधिकार हो गया। आज उसी प्रकार से जितने भी बड़े व्यापारी हैं, कॉर्पोरेट हाऊसेस हैं, वह शुरु में तो बढि.या भाव देंगे किन्तु जो छोटा व्यापारी है, वह साल दो साल में मार्केट से बाहर हो जाएगा। साल दो साल में बाहर होने के बाद फिर यहॉ के किसानों की हालत बदतर

हो जाएगी। राम विचार जी, इसीलिए मैं बार-बार आग्रह कर रहा हूं कि इसका बहुत व्यापक असर होने वाला है। आप भी वरिष्ठ सदस्य हैं, आपका उद्देश्य भी किसानों को लाभ पहुंचाना है, हमारा भी उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना है। महीने दो महीने इसका परिचालन कर लीजिए, विशेष सत्र बुलाकर पास कर लीजिए। आप किसानों से, व्यापारियों से सबसे बात कर लीजिए। क्या मतलब होगा जैसा उस दिन कैबिनेट में फैसला किया कि उन सब भूखंडों, जिसे सामाजिक संगठनों को दिए गए थे, उनकी जांच की जाएगी, पर मुझे कल किसी ने बताया कि जो परिपत्र जारी किया गया था, उस परिपत्र को वापस ले लिया गया। तो ये बाद में वापस लेने का क्या मतलब है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई हठधर्मिता नहीं है, आप छोटे नहीं हो जाएंगे। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि व्यापारी संगठनों, किसान संगठनों से आप बात करें।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसान के संग-संग सवा साल-डेढ़ साल तक कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष रहेंव। ज्यादा नियम-कानून ला तो नई जानंव पर किसान के नाते जो संशोधन के बात आयेहे और ओ संशोधन में वईसने छन हो जाए कि जे प्रकार के तीन कृषि कानून ला केन्द्र सरकार ह वापस ले लीस तेखरे कस अभी भूपेश भैय्या कहत रहिसे कुछ दिन के बाद वापस ले बर मत पड़ जाए। बात एक ठन छोटे से संशोधन के नई हे, पर ये दूर तक जाहि। कृषि उपज मंडी जब बोलत हे कि बीस ठन कृषि उपज मंडी में पोर्टल में खुले रहिस तो छत्तीसगढ़ के जतका कृषि उपज मंडी तेमा खुलना चाहिए, कहीं पे कोई आपत्ति नई हे, पर संशोधन करके जेमन कार्पोरेट घराना हे या बड़े व्यापारी हे, तेमन ला इहॉ ले लाएके छत्तीसगढ़ के सरकार ला का फायदा होने वाला है? अधिकांश धान के किसान मन ला तो आप 3100 रुपए देवथ। इहॉ छोटे किसान, लघु अऊ सीमांत किसान हे, बड़े किसान नई हे। ये मनके कई छन के पंजीयन भी नई हो पाए रहय, धान ला बेच भी नहीं पाए, परंतु आप मन अच्छा व्यवस्था करे हव, तेखर प्रशंसा करत हंव, हम खुद 3100 रुपया मा बेचे हन अऊ उम्मीद हे कि ऐला लगातार जे प्रकार के अभी खरीफ फसल के ऐ दारी के रेट तय होये हे, वहू रेट ह तय होहि उहू जुड़के, हमन ला ज्यादा पइसा मिलिही, ऐ सरकार ले अभी हमन ला उम्मीद हे। वर्तमान में ये जो स्थिति बनत हे, डर वही बात के हे कि जे प्रकार से असम के सेब ला अडानी खरीदथे। जे प्रकार के हम ला डर कहाथन। काबर के तोर से एक ही ठन आग्रह है कि आप जो मंडी संशोधन विधेयक, क्रमांक-6 लाये हन। महूं किसान संगठन के सदस्य हव। हमर छोटे व्यापारी मन ला भी थोड़ा सलाह मशविरा कर लेबो, ताकि बाद मा यह जन आंदोलन की स्थिति न बने। किसान हितैषी सरकार के तमगा मत लगे। यह बहुत अच्छी बात है, यदि किसान के बात करथव, जनता हा आप ला चुनके लाये हे, तो कुछ करे बर उम्मीद लेकर लाये हे परंतु यह संशोधन हा किसान हितैषी नहीं, किसान विरोधी बने के बात मत आये। मोर ले आग्रह हे ऐला कुछ समय बाद अगले सत्र में रख देवव, हमर किसान भाई मन ले अउ व्यापारी भाई मन के जो संगठन हे, ओ संगठन ले बात कर लेवव। एखर मंडी

शुल्क के स्थान मा किसान कल्याण शुल्क लाये बर संशोधन लाये हे। ये विषय में अनुरोध है कि मे हर अनुभव करे हव कि कृषि उपज मंडी के समिति मन मा थोड़-थाड़ नहीं करोड़ों रूपया पड़े हे। अजय भैया, जे बात ला बतात रिहीसे, पिछली बार का हुईसे, मे हर तेन बात में नइ जावव। वर्तमान कृषि मंत्री ले मोर अनुरोध हे। ये पैसा के पूरा उपयोग केवल कृषि कल्याण में हो। आज भी किसान मन..।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, एक दिन कट्टी रहे और दूसरे दिन इनका समझौता हो गया। मैंने बताया था कि या तो चंद्राकर जी इधर से उधर जायेंगे या भूपेश बघेल जी उधर से इधर आयेंगे। लेकिन वह दोनों एक दूसरे से बात किये बगैर रह नहीं सकते। (हंसी)

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा-सा अनुभव के बात करना चाहत हव। अभी कृषक कल्याण में जो पैसा आने वाला हे। ये जेखर भी मंडी शुल्क के माध्यम से वह पैसा के सदुपयोग होये अउ वह पूरा पैसा केवल किसान मन के कल्याण में लगे। किसान कुटिर बने, अहाता बने, छतदार बने। आज भी यदि बढ़िया ढंग से व्यवस्थित हो जाये, तहान एक ठन धान नइ सड़ही। कई ठन मंडी मा धान मन पड़े हे अउ वो हर सड़थे। ओ मन बर गोदाम के व्यवस्था होये, ओ मन के शेड के व्यवस्था होये ताकि बरसात में भी हमर किसान मन ला तकलीफ मत होये। एखर बर मैं सरकार ले आग्रह करथो कि किसान कल्याण के अनुरूप किसान मन के धान खरीदी केंद्र में किसान के कल्याण मा आने वाला शुल्क जो जमा होही ओखर खर्चा के उपयोग होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये हो गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- ब्यास जी, आपने कितनी बढ़िया सलाह दी। पिछली बार हम लोगों ने वैसी ही चिट्ठी बनाकर दी थी कि यहां किसान शेड बना दीजिए, यहां चबूतरा बना दीजिए। वह चिट्ठी कचरे के डब्बे में फेंकायी थी और कहां-कहां, कैसे-कैसे 200-300 करोड़ रूपये का काम हुआ है, हम वैसे ही काम करा देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिये।

श्री ब्यास कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, मैं यही तो चाहत हव। किसान मन बर जे मण्डी बर जतका शुल्क आथे, ओला कौन कहात रिहीसे तेला मैं नहीं जानत हव। मोर माननीय सदस्य महोदय, हमू मन चाहत हन कि आप मन किसान कल्याण बर शुल्क लगाथे तो पूरा के पूरा पैसा ओ किसान मन के कल्याण में खर्च होये। न कि सी.सी. रोड में होये। मोला ये सरकार ले उम्मीद हे कि किसान मन के कल्याण बर जतका पैसा आही...।

श्री अजय चन्द्राकर :- ब्यास जी, ते साजा ले घूमकर आ। किसान कल्याण कैसे होथे, देखकर आ।

श्री ब्यास कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, साजा में का हुइसे, तेला मैं नहीं कहना चाहत हव।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कार्यकाल में एक विधान सभा में, एक जिला में मंडी निधि का 3 हजार करोड़ रूपये रोड और नाली में खर्च किया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिये बता देता हूं।

श्री ब्यास कश्यप :- का आपो मन अइसने करना चाहत हव ? आपो मन वही तैयारी में हव का ? देखो भैया, मे हर अभी बीच में माननीय मंत्री महोदय ले मिले रेहेन और उनसे आग्रह करे रेहेन, कुछ-कुछ प्रस्ताव दे रेहेन कि ये काम ला कर देबे गा। परंतु मे हर दुर्भाग्य से कांग्रेसी हो गे रेहेन। (हंसी) ये द्वेष नहीं रहना चाहिए। जतका भी सम्माननीय सदस्य हे, सब सदस्य मन के क्षेत्र में बराबर विकास काम होना चाहिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, यह स्वीकार कर रहे हैं कि यह दुर्भाग्य से कांग्रेसी हैं। (हंसी)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- आपको भाजपाई होना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- ब्यास जी, तोला कोई कांग्रेसी नहीं माने। तै भाजपाई हस। तोर खून भाजपाई हस। तै चिंता मत कर।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हर हमर तरफ आ गे हे। (व्यवधान)

श्री ब्यास कश्यप :- मैं जो हूं, यहां हूं। मे हर पुराना विषय में बात नहीं करना चाहत हव।

श्री अजय चन्द्राकर :- यहू मन ला नइ माने। तै मत चिचिया।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मोर अनुशंसा से नेता जी ला शामिल करे रिहीसे।

श्री ब्यास कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, मोर क्षेत्र में एको ठन बूता ला नइ करे, कहाथे कि ये हर कांग्रेसी विधायक हस। ऐसे में थोड़ी चलही।

श्री रामविचार नेताम :- ब्यास भाई, तै चिंता मत कर। (हंसी)

श्री ब्यास कश्यप :- ले ना भैया, देखत हव। तीन महीना के बाद दिसम्बर में सत्र फिर चाहू होही। कतका कस बूता ला करे हस, पता चल जाही।

श्री रामविचार नेताम :- देखो भाई, वो तरफ सूखा गे हे। (हंसी) उधर सूखा पड़ गे हे।

अध्यक्ष महोदय :- विधायक जी, चलिए हो गया, बैठिये। भावना बोहरा जी।

श्री ब्यास कश्यप :- भैया, ओ सूखाय नहीं हे। जांजगीर के कृषि उपज मंडी मा 25 करोड़ रूपये मिले हे। कम से कम वहां के अनुशंसा ला कर दिहा। मोला यही आशा और विश्वास हे। धन्यवाद्।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद् देती हूँ कि इस सदन में हमारे सामने पहली बार जो विधेयक प्रस्तुत हो रहा है, मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर मिला है। साथ में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2024 में जो संशोधन हुआ है। मैं आदरणीय मंत्री जी को धन्यवाद् देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने इस सदन के सामने बहुत

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

महत्वपूर्ण विषय को प्रस्तुत किया है। हम बिल्कुल इस विधेयक का समर्थन करते हैं और यहां पर इस छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2024 के समर्थन के विषय में ही अपने सुझाव, वक्तव्य रखने के लिए खड़ी हुई हूँ। यहां अलग-अलग लोगों, पक्ष और विपक्ष ने अपने विषय रखे हैं और मुझे यह बिल्कुल पता है कि वे मुझसे कहीं ज्यादा अनुभवी हैं। क्योंकि वे काफी समय से राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं जिन्होंने मण्डी के काम को बहुत नज़दीक से देखा है। यहां पर वे सारे व्यक्ति उपस्थित हैं, लेकिन इस विधेयक को पढ़ने के बाद, जितना मुझे समझ में आता है। मुझे यह लगता है कि पहला जो विषय है वह किसी चीज का नाम, पहला यहां जो विषय आया है कि मूल अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (2),(3) एवं (4) में, जहां कहीं भी शब्द "मण्डी फीस" आये हों के पश्चात्, शब्द "तथा कृषक कल्याण शुल्क" अन्त:स्थापित किया जाए। इससे इस विधेयक को लाने का दृष्टिकोण साबित होता है कि जहां पर कोई फीस ली जाती है ऐसा लगता है कि आप किसी से यह वसूली, तगादा कर रहे हैं, लेकिन उसके नाम में जो परिवर्तन करके "कृषक कल्याण शुल्क" का जो नाम दिया गया है । निश्चित ही स्पष्ट है कि किसानों के कल्याण के विषय में जो भी इसमें से आय आयेगी, उसे किसानों के कल्याण के विषय में खर्च किया जाएगा। पहले मैं माननीय मंत्री जी को इस नाम के परिवर्तन के लिए धन्यवाद् देती हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय, मैं बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं कहूंगी, लेकिन जितना मैंने समझा है। अभी यहां पर जिस तरीके से चर्चाएं हो रही थीं कि यहां का मार्केट बड़ा है। प्रदेश के बाहर के लोगों को इसमें ज्यादा अवसर मिलेगा, यहां पर जीयो का उदाहरण दिया जा रहा था। मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि जब हमारे किसान भाई या अगर कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति स्मार्ट फोन इस्तेमाल करता है तो उससे यह कहा जाता है कि आप पढ़े-लिखे नहीं हैं, आप स्मार्ट फोन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिर वह व्यक्ति अपने आप को साबित करने के लिए दो दिन में उस स्मार्ट फोन के फंक्शन्स से अनुभव हो जाता है कि उसे स्मार्ट फोन में एक-एक Feature देख कर समझ में आता है कि यह स्मार्ट फोन ऐसे काम करता है। मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे गांवों के छोटे किसानों या कम पढ़े-लिखे व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि अपने क्षेत्र से बाहर जाकर अपने प्रदेश से बाहर जाकर, जो फसल की लागत है उसे दूसरी जगह पर अर्जित कर पाये। मुझे यह लगता है कि हमें इसका स्वागत करना चाहिए। अगर हम एक गांव में बैठे हुए हैं और उस गांव के मण्डी से बाहर जाकर, अगर बिना किसी पंजीयन, ताम-झाम के अवसर मिलता है कि हमें प्रदेश के बाहर अपनी उपज का ज्यादा रेट मिल रहा है हम एक छोटे किसान होकर भी, मुझे लगता है कि हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं तो मैं यह कह सकती हूँ कि यह बहुत अच्छा विषय है और इस छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2024 में बिल्कुल संशोधन होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और विषय कहना चाहूंगी। जब भी हम कोई फसल लगाते हैं । उस फसल को लगाने में जो लागत आती है वह लागत आती ही है, लेकिन जब हम उसको मार्केट में बेचने जाते हैं तो हमें साथ में परिवहन का भी खर्च उठाना पड़ता है। अगर आज यह प्रक्रिया कहीं न कहीं चालू होती है, इस छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2024 में संशोधन होता है तो हमें घर बैठे, वहां की जो फीस है हमने जिस रेट पर बेचा है वह हमारे घर से लेकर जाएंगे जिससे किसानों का जो कहीं न कहीं परिवहन शुल्क है वह भी काफी हद तक बचेगा। इसमें एक विषय में आदरणीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगी। जो माननीय अजय चन्द्राकर जी ने भी कहा है और हमारे विपक्ष के एक भाई ने भी कहा है मैं भी उस विषय पर अपनी बात रखना चाहूंगी। जो मण्डी बोर्ड का विषय आता है। क्योंकि हमें लगातार 6-7 महीने एक जनप्रतिनिधि के रूप में हो गया है जहां भी मण्डी बोर्ड का विषय आता है वहां पर यह पता चलता है कि मण्डी बोर्ड में चाहे दो करोड़ रूपये, तीन करोड़ रूपये है और मण्डी बोर्ड में जितनी भी राशि है तो हम यह सोचते हैं कि हम इसका काम सी.सी. रोड के निर्माण में करवा दें, हम इसका काम सामुदायिक भवन के निर्माण में करवा दें। आदरणीय मंत्री महोदय जी, मेरा आपसे यही आग्रह है कि जो "कृषक कल्याण शुल्क" में जो पैसा आएगा जो किसान के हित में कल्याण के लिए पैसा जाएगा, उसका सदुपयोग सिर्फ किसानों के हितों में होना चाहिए। आज जब धान खरीदी का समय आता है। हम लगातार यह चीज देखते हैं कि जब किसान धान बेचने जाते हैं तो वहां सोसायटियों में न उनके पानी, बैठने की व्यवस्था नहीं होती है। न वहां उनके भोजन के लिए कैंटिन की व्यवस्था होती है। वे जिस रास्ते से सोसायटी में आते जाते हैं, वह पूरी मिट्टी को पार कर, उस सोसायटी तक पहुंचते हैं। मेरा निवेदन यही है कि इस छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2024 में संशोधन के बाद में जो मण्डी फीस, "कृषक कल्याण शुल्क" ले रहे हैं। उससे जो राशि आती है अगर प्रदेश के किसानों के हित में उसका खर्च हो तो मुझे यह लगता है कि उससे उचित कुछ नहीं हो सकता है। मैं आदरणीय कृषि मंत्री जी को बहुत अभिनंदन करती हूँ और मैं पूरे खुले मन से इस विधेयक का स्वागत करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि पक्ष और विपक्ष दोनों इस विधेयक को जरूर स्वीकार करेगा क्योंकि यहां पर सभी किसान पुत्र हैं। मैं वापस आपका अभिनंदन करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए, आपको धन्यवाद् देती हूँ।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है। इस बात के लिए धन्यवाद और देना चाहूंगा चूंकि यह विधेयक पूर्णत: किसान विरोधी है, आपने बोलने का अवसर दिया है, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा। यह विधेयक वही है जो दिल्ली सरकार ने लाया था, केवल इस विधेयक का स्वरूप बदला गया है, इस विधेयक का उद्देश्य लगभग वही है। छोटा विधेयक का नाम

दिया जा रहा है, लेकिन इस विधेयक में मूल काम वही होगा जो दिल्ली सरकार ने किया। आजादी के बाद इसी स्वरूप के केन्द्र सरकार के विधेयक के विरोध में किसान आंदोलन किये थे, हजारों किसान शहीद हुए और उनकी जानें गईं। उसी का परिणाम हुआ कि पहली बार आपकी दिल्ली की डबल इंजन की नरेन्द्र मोदी जी सरकार ने किसी विधेयक को वापिस लिया है। इसी तरह के विधेयक को वापिस लिया गया है। उस विधेयक में भी यही व्यवस्था थी। पूरे देश के अंदर व्यापारी कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, खरीदी कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं। मेरा अनुभव, विश्वास कहता है कि आप किसानों के साथ इतना गलत नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, आप जिस तरह से इस विधेयक को पारित कराने के लिए अड़े हुए हैं, आप इस छत्तीसगढ़ के सदन को अघोषित रूप से केन्द्र शासित राज्य मत बनाईये। अंदर से वहीं का निर्देश है, तभी ये विधेयक को पारित कर रहे हैं लेकिन ये सच है किसान इस विधेयक का विरोध करेंगे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस सदन में जो बोले हैं, ये सच है। आप इसमें किसानों से राय लीजिए। आप भी किसान हैं, मैं भी किसान हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं खेती और व्यापार कैसे चौपट होता है। जो किसान 4-5 साल रेंगहा दे देता है, वह दोबारा खेती करने की स्थिति में नहीं रहता। ठीक उसी तरह से अंबानी, अडानी आयेंगे। वह पहले रेट देंगे, 3-4 साल में व्यापारी खत्म हो जायेंगे। उस क्षेत्र से व्यापारी हट जायेंगे। उसके बाद एक और उदाहरण बताना चाहूंगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप एक मिनट सुन लीजिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अंबानी जी के यहां शादी में अखिलेश यादव और दिग्विजय सिंह जी दोनो गये थे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- शादी अलग बात है। देश में तो नरेन्द्र मोदी जी ने आज तक जितना समय सार्वजनिक जगह में नहीं दिया, उतना समय वहां दिये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- ले ना ममा हो गये, बईठ, तैंहा बोल डारेस। ओमा तोर नेता हा सबो बोल डारे हे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल रूप से..।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐ ममा, दोनों में कौन ला नेता मानथस ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हमारे दोनों नेता हैं और दशमलव का अंतर नहीं है। आपकी तरफ चल रहा है। आप उधर जाने की पर्याप्त कोशिश कर रहे हैं। वह सब आपसे डरते हैं कि मेरे जगह में कब आ जायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में पोल्ट्री का व्यापार किसान भाई शुरू किये और किसानों के लिए एक अच्छा व्यापार साबित हो रहा था। लेकिन पोल्ट्री फार्म में जब ऐसे ही इंट्री हुई, एक बड़े व्यापारी ने रेट को गिराया। आज मजबूर होकर जिनके पास 50,000 रुपये का भी पोल्ट्री फार्म है, वह 10,000 रुपये में एग्रीमेंट करके दिया जा रहा है। जैसे पोल्ट्री व्यापार किसानों से छीना गया, वैसे ही होगा। माननीय मंत्री जी, आप समझ लीजिए यह सामान्य विधेयक नहीं है। 10 साल, 20 साल बाद

आंदोलन होगा, आपका अभी तक बहुत अच्छा नाम है। मैं नहीं चाहता कि आपके सुपुत्र मेरे बड़े भाई को भी इसके नाम से बोला जाये कि इसके पिता जब कृषि मंत्री थे, तब हमारे साथ अन्याय हुआ। दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी शुरू में गौ हत्या रोको नारा दे कर यहां तक पहुंची है। गौ माता की तस्करी के लिए खुले आम कानून बना रहे हैं। पहले तस्करी रोको बोलते थे। आप लाईसेंस दे रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलता। लेकिन गौमाता का दूसरे देशों में क्या उपयोग होगा, आप भलीभांति समझ रहे हैं। लेकिन आप इतने क्यों मजबूर हैं?

कृषि मंत्री (श्री राम विचार नेताम) :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। द्वारिकाधीश जी, आपका जैसा नाम है, वैसा आपके मुखार्जन से थोड़ा आवाज निकले तो ठीक रहेगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- इसलिए वह जनता की हित के लिए ही बात कह रहे हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, मैं आपको इसीलिए आगाह कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी कलम से किसानों के साथ अन्याय हो, मैं नहीं चाहता हूं कि कि आपकी कलम से किसी दूसरे देश में गौमाता किस उपयोग में जाएगी, यह आप समझ रहे हैं। मुझे तो अंदेशा है कि अब गौमाता की तस्करी में अडाणी का प्रवेश हो रहा है।

श्री दिलीप लहरिया :- मंत्री जी, आपको सुदर्शन चक्र का ताकत मालूम है या नहीं है?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस कानून के लागू होने से हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होगी। आज तक देश के अंदर राजधानी दिल्ली में जैसा कील ठोका गया था, जैसे किसान प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, वैसे ही आंदोलन छत्तीसगढ़ के किसान भी करेंगे। अभी छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हैं, वह फिर से आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बहत ही वरिष्ठ हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि केवल दलगत राजनीति से हटकर व्यापारियों भाइयों के हित में भी, किसानों के हित में इस विधेयक को रोका जाए और गौमाता के हित में तो इस विधेयक को रोका ही जाये। गौमाता की तस्करी अब नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बैठ जाईये। बहुत अच्छा। (मेजों की थपथपाहट) धरमलाल कौशिक जी।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारिकाधीश जी राम विचार जी को गीता की तरह उपदेश दे रहे थे, लेकिन राम विचार जी गीता का उपदेश सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री धरम लाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री राम विचार नेताम जी के द्वारा छत्तीसगढ़ कृष उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2024 के माध्यम से एक छोटा सा संशोधन लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। उसमें धारा 5, 6 व 7 को देखेंगे तो धारा-7 में केवल एक लाईन का संशोधन है, मैं उसको बाद में बताऊंगा। धारा-2 में जो संशोधन हुआ है, वह "ई-नाम

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(राष्ट्रीय कृषि बाजार) से संबंधित है और इस संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। धारा-19 में केवल इतना संशोधन आया कि "मण्डी फीस" आये हों के पश्चात्, शब्द "तथा कृषक कल्याण शुल्क" अंत:स्थापित किया जाए। मण्डी शुल्क, इस प्रदेश का ऋण का हड्डी हमारे अन्नदाता हैं और हमारे किसानों को धान का उचित मूल्य मिल सकें, किसानों की खुशहाली हो। किसानों को जब अधिक से अधिक दाम मिलेगा तो किसान सुखी रहेंगे। अभी छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा 3100 रूपये में धान की खरीदी की जा रही है। इसका उदाहरण सभी जगह दिया जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में किसान सबसे ज्यादा खुशहाल हैं और इस खुशहाली का कारण है कि हम उनको धान का सबसे ज्यादा रेट दे रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसान केवल धान का फसल ही नहीं लेते। हमारे यहां धान के अतिरिक्त गेहूं की खेती है, दलहन की खेती है, दलहन के बाद तिलहन की खेती है, मक्के का खेती कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के खेती के अंतर्गत में अब हमारे यहां किसान उपज लेना शुरू कर दिए हैं। जब हमारे किसान विभिन्न प्रकार के खेती के उपज शुरू किए हैं तो निश्चित रूप से धान के साथ में उनको अन्य फसल का भी अच्छा दाम मिलना चाहिए, ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ मिल सके। जो संशोधन किया गया है, उसका मूल कारण यही है कि "ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार)", इस संशोधन के बाद में छत्तीसगढ़ के अलावा हिंदुस्तान में किसी भी किसानों का पंजीयन होगा तो वह वहां से ऑनलाईन यहां खरीदी कर सकते हैं। जब वह ऑनलाईन खरीदी करेंगे तो मुझे कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है कि किसानों को उससे नुकसान होगा। चूंकि जब बाजार खुला रहेगा तो किसानों को धान का जहां ज्यादा रेट मिलेगा, जिससे वह ज्यादा रेट में बेच सकता है और जो ज्यादा रेट में धान लेना चाहे, वह ले सकते हैं। यदि प्रदेश में उनकी माल ज्यादा रेट में बिकेगी तो स्वाभाविक रूप से उसको बेचने में कोई रूचि नहीं लेंगे। लेकिन जब उनको उजप का सही मूल्य न मिले और कहीं से उनको उपज का सही मूल्य मिलेगा तो उसके लिये उनको बाजार उपलब्ध होगा । इस संशोधन को किसानों के हित में लाया गया है और इससे किसानों को लाभ मिलेगा । दूसरा मैं समझता हूं कि इसमें एक लाईन का संशोधन है कि जहां पर मण्डी शुल्क लिखा हुआ है, कृषक कल्याण शुल्क तो अभी जो कृषक कल्याण शुल्क लिया जा रहा है उसको इसके माध्यम से स्थापित किया जा रहा है कि जहां-जहां पर मण्डी शुल्क के पश्चात् में शब्द तथा कृषक कल्याण शुल्क अंत:स्थापित किया जाये । सात धारा में केवल इतना ही इसमें लिखा गया है चूंकि यह जो कृषक कल्याण शुल्क है यह छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि कहलायेगी और कृषक कल्याण निधि का जो खर्च है वह किसानों के हित में ही होगा। किसानों के हित का आशय यह है कि अपनी उपज को लाने के लिये जहां पर सड़क की आवश्यकता है और सड़कें नहीं हैं तो निश्चित रूप से उसका उपयोग किया जायेगा । आज हम धान की खरीदी बड़ी मात्रा में करते हैं लेकिन हमारे यहां मण्डी में आज भी खुला हुआ है, छाया की व्यवस्था नहीं है, सभी जगह शेड की व्यवस्था नहीं है और इसके कारण आपने कई बार देखा है कि जहां मण्डी में धान रखा हुआ है और जहां छावनी नहीं है । वहां

पर हमारा धान रखा हुआ है और वह भीग जाता है और भीगने के कारण किसानों का नुकसान होता है, सरकार का नुकसान होता है । यदि वहां बड़े-बड़े शेड बनाये जायेंगे, वहां छावनियां बनेंगी तो निश्चित रूप से हमारा धान अच्छा रहेगा, उसकी कस्टम मीलिंग भी ठीक होगी और सरकार को उसकी राशि भी मिलेगी । मैं समझता हूं कि मंत्री जी विचार करें कि किसानों के कल्याण के लिये इसमें और क्या-क्या किया जा सकता है । चूंकि विशुद्ध रूप से शुल्क का नाम ही दिया गया है कृषक कल्याण शुल्क । किसानों के कल्याण के लिये इस राशि का खर्च होगा और जो भी राशि आयेगी उस राशि में से जो खर्च होगा तो निश्चित रूप से किसानों को उसका लाभ मिलेगा । इसमें जो बहुत प्रकार की बातें आ रही हैं और मैं नहीं समझता हूं कि आज जो बात कही जा रही है कि आज नहीं तो कल धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, घेराव करना पड़ेगा । 3100 रूपये दे रहे हैं, इससे किसान प्रसन्न हैं कि नहीं हैं ? तो क्या कहीं पर कोई घेराव हुआ है ? क्या कहीं पर कोई आंदोलन हुआ है ? (मेजों की थपथपाहट) बल्कि मैं यह कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में यदि सबसे ज्यादा खुशहाली के रास्ते पर कहीं किसान है तो हमारे छत्तीसगढ़ के अन्नदाता हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के किसान हैं क्योंकि हम उनको उनकी उपज का मूल्य दे रहे हैं और इसी से किसानों में खुशहाली आयेगी । (मेजों की थपथपाहट)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- कौशिक भैया, पहले भी छत्तीसगढ़ में यह बात होती थी कि किसानों को व्यापारी लूट रहे हैं । 10 साल, 20 साल बाद फिर वही लौटेगा । बहुत लंबे संघर्ष के बाद सही समय आया था ।

श्री धरमलाल कौशिक :- हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में वो दिन भी देखा है कि धान को चिभोर-चिभोर कर पानी में डूबोया जाता था । देखो हो न, हमने वह दिन भी देखा है । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अभी जिसकी बात कर रहे हैं न वही दिन फिर से आयेगा । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- अभी धान ला हल्दी पानी में भिगो के, सूखो के किसान ला देथे । (व्यवधान) ता किसान बेचे जाथे । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- लेकिन वह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप देख लीजियेगा वह दिन फिर आयेगा ।

श्री भूपेश बघेल :- आपके सरकार हल्दी पानी में डूबोकर किसान ला बोए बर देथे । (व्यवधान) 90 परसेंट जर्मिनेशन नहीं आवय । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- वह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- अभी विष्णुदेव सरकार हा हल्दी पानी में डूबो-डूबोकर, सूखो के बीजहा के नाम ले लूटत हे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने उस समय इसीलिये कहा था कि जिस प्रकार से कांग्रेसियों की सरकार किसान के धान को पानी में चिभोर-चिभोरकर डूबोये हैं । जब

चुनाव का समय आयेगा तो कांग्रेस के प्रत्याशी को पानी में चुभोड़-चुभोड़कर डूबोकर वोट देना है और इसके कारण सत्ता से बाहर हुए। (मेजों की थपथपाहट) और 15 साल तक हमारी सरकार चली ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करें । संगीता सिन्हा जी । हो गया ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यही आग्रह करना चाहूंगा कि कृषक कल्याण के हित में जो अच्छा किया जा सकता है वह करना चाहिए । बहुत छोटा सा संशोधन है, मैं इसका समर्थन करता हूं और मैं चाहूंगा कि सर्वसम्मति से इसको पारित करें । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, संगीता सिन्हा जी ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत देर से चर्चा हो रही है।

अध्यक्ष महोदय :- संगीता जी।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मछली पालन को भी कृषि का दर्जा मिला है। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप विधान सभा में विषय लेकर आइए। विधान सभा तो चर्चा का मंच है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी-जी।

अध्यक्ष महोदय :- आप लेकर नहीं आते। ये आपकी कमजोरी है। चलिए, सिन्हा जी। आपको कौन रोकता है?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- निजीकरण हो जायेगा तो बहुत मुश्किल हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप इसमें विषय लेकर आइए। नियम, कानून, प्रक्रिया से उसमें चर्चा करायेंगे। सिन्हा जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2024 में मैं बोलने के लिए खड़ी हूं..।

श्री अजय चन्द्राकर :- पहली एक लाइन मोला बता। ए मैडम।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, मैं बोलने के लिए खड़ी हूं।

श्री देवेन्द्र यादव :- आप बैठिए। आप पहले बैठिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय जी, मैं बोलने के लिए खड़ी होती हूं और ये चन्द्राकर जी खड़े हो जाते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट।

श्री देवेन्द्र यादव :- ये गलत बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका हमेशा इसी तरह का तरीका रहता है। आप पहले बैठिए। आप हमारे सदस्यों को बैठने के लिए बोल सकते हैं तो हम भी आपको बोल सकते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं एक लाइन नहीं बोल पाती हूं और चन्द्राकर जी खड़े हो जाते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय भूपेश बघेल जी, वे मुझे बैठ जाओ बोल रहे हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- आप हमारे सदस्यों को कैसे बोलते हैं कि आप बैठ जाओ। आप भी ऐसा नहीं कर सकते।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक लाइन बस बता। ते खेती ला देखथस कि सिन्हा जी देखथे।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- देखिए, खेती ला दूनू झन देखथन।

श्री अजय चन्द्राकर :- बस, ओतका पूछे बर तो खड़े होये रहौ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- दूनू झन, मैं एती आथौ तो वो देखत रहिथे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो ये संशोधन आया है, बार-बार हमारे मंत्री जी कह रहे थे कि पहले से ही छत्तीसगढ़ में यह व्यवस्था लागू है, पहले से ही ये व्यवस्था लागू है। लगातार बोल रहे थे। चंद्राकर जी भी बोले, मंत्री जी भी बोले। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर ये व्यवस्था लागू है तो फिर इसमें विधेयक लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब पूर्व में हमारे पास व्यवस्था है तो फिर इसमें चर्चा का विषय ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, मुझे पूर्व की बातें याद आ गयी थीं, जो केंद्र में तीन कानून लाए थे और तीन काले कानून लाए उसके लिए पूरे राज्य के किसानों ने बहुत संघर्ष किए। छत्तीसगढ़ से भी गए थे, बिहार से भी आए और हरियाणा से भी आए। सभी ने संघर्ष किया। कई दिनों, सालों तक उन्होंने संघर्ष किया और मजबूर होकर केंद्र सरकार को तीन काले कानून को वापस लेना पड़ा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आज के विधयक को देखने से यही लगता है कि फिर से वही दिन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में आने को है और पूरे छत्तीसगढ़ में 90 से 92 प्रतिशत लोग किसानी करते हैं और इस विधेयक को पेश करने से पहले इसमें किसानों से चर्चा या किसी व्यापारी से चर्चा तो करना चाहिए और उनकी राय से ये विधेयक पास करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि ये जो विधेयक है, उनसे जुड़ा हुआ है न कि हमारी आम जनता से मतलब हम लोग से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह सबसे ज्यादा यह किसानों को प्रभावित करेगा। अध्यक्ष महोदय जी, हालांकि हमारे मंत्री साहब बोल रहे थे, छोटा सा संशोधन है। हमारे पूर्व मंत्री जी बोले कि यह छोटा सा संशोधन पूरे राज्य को प्रभावित करेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आप 3100 समर्थन मूल्य में आप ले रहे हैं और ये जो विधेयक पारित हो जाएगा तो बाहर से लोग आएंगे। 3200, 3400, 3500, 4000 रूपये में लेंगे। ये दिन दूर नहीं है। आकर लेंगे और बाद में हमारे अनाज को हम ही को बेचा जाएगा । क्योंकि हमारे राज्य से दूसरे राज्य के लोग हमारे धान को लेने आएंगे, हमारे अनाज को लेने आएंगे। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे क्षेत्र की जनता को, किसानों को, व्यापारियों को बहुत प्रभावित करेंगे। मंत्री जी, आप इस बात को समझ नहीं रहे। मैं इस

बात का निवेदन भी कर रही हूं जैसे केंद्र की सरकार ने समझदारी से काम लिया और कानून को वापस लिया। ऐसे आज का विधेयक भी आपको ऐसे कानून वापस लेने के लिए, विधेयक को आपको वापस ले लेना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं इस विधेयक में देख रही थी। इसमें (चचचच) में है निर्यात से अभिप्रेत है कृषि उपज, जिसमें पशुधन भी शामिल है। अध्यक्ष महोदय जी, भारत से बाहर भेजा जाना आज तक छत्तीसगढ़ से हमारा जो भी पशुधन है वह हमारे तक था। अब कोई भी हमारे पशुधन को बाहर ले जाएगा। आप तो बहुत समझदार हैं। मंत्री जी, आप दिल से जीते है, मैंने आपको पास से देखा है। आप सबके प्रति बहुत समर्पित हैं । तो आप इस बात को सोचिए, सब की बात में ना आइये। आपसे निवेदन है कि हमारे किसान भाइयों के बारे में सोचिये। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अडानी अंबानी की बात करते हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि जब जियो आया था तो हम घंटों घंटों बात करते थे और हम उस समय भी अलर्ट थे, हमने सबसे कहा था । अभी घंटों-घंटों कोई मायके बात कर रहा है, कोई ससुराल बात कर रहा है । मतलब लगातार एक-दो घंटे बात करने के आदी हो गए । आज की स्थिति यह है कि सबका रेट बढ़ गया है । आज लोग जियो का रिचार्ज कराने में डर रहे हैं, बिल्कुल यही स्थिति होगी । अध्यक्ष जी, आज हमने पता लगाया तो हमें पता चला है कि अडाणी, अम्बानी यहां पर जमीन खरीदी कर रहे हैं । हो सकता है यहां बैठे कई लोग सौदा भी करके आए होंगे । उन्होंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है अंबानी लोगों ने अभी से जमीन खरीदी शुरू कर दी है । 500 एकड़ फुल खरीदी शुरू कर दी है । वे तैयारी में है कि बाहर से आकर हमारे लोगों के सामान को, धान को लेकर जाए । अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वो सरकार हितैषी सरकार है, किसानों ने आपको वोट दिया है, उन किसानों ने आपको चुना है, उन किसानों की चिंता कीजिए, उनके बारे में सोचिए और इस विधेयक को रोकिए । अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के विरोध में हूं और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद् ।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस महत्वपूर्ण मंडी (संशोधन) विधेयक के संबंध में बहुत सारे सदस्यों ने न केवल अपने विचार रखे बल्कि कई तरह की चिंता भी व्यक्त की । आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय अजय चन्द्राकर जी, माननीय ब्यास कश्यप जी, श्रीमती भावना बोहरा जी, माननीय द्वारिकाधीश यादव जी, माननीय धरमलाल कौशिक जी और अंत में माननीया संगीता सिन्हा जी । जिन्होंने इस संशोधन को लेकर कई तरह की चिंता व्यक्त की है । मैं पहले ही इस बात को रख चुका हूं हमारे अन्य सदस्यों ने भी इस विषय की ओर अपने विचार रखे हैं । आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारी सरकार किसानों के हित की चिंता नहीं करेगी और कैसे सोच सकते हैं कि इस संशोधन के माध्यम से हम किसानों का हम अहित करने वाले हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं अभी सुन रहा था जिस प्रकार से सदन में आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, बहुत ही वरिष्ठ नेता और किसानों

के तथाकथित चिंता करने वाले आदरणीय भूपेश बघेल जी तो ऐसी-ऐसी बात रखने लगे कि यहां कहां कहां से बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को ले आए । यहां बंगलादेश, पाकिस्तान के लोग आ जाएंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इन लोगों ने जोगी जी के शासन में बहुराष्ट्रीय कंपनी सिजेंटा को लाने की कोशिश की थी, आपको याद होगा ।

श्री रामविचार नेताम :- उनके एजेंट यही बैठा करते थे । महोदय, जिस धारा का आपने जिक्र किया है, आपने जिक्र किया है तो स्वाभाविक है कि आपके माध्यम से प्रदेश में भी एक संदेश जाना चाहिए । आपने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 19, सन् 1973) की धारा 2, धारा 19 (ख), धारा 20, धारा 23, धारा 32, धारा 32(क) के संबंध में जिक्र किया है । जिसमें है, जो आपने पढ़ा है । यह बात है जिसमें कि आदरणीय द्वारिकाधीश जी ने भी शंका व्यक्त की और श्रीमती संगीता जी ने भी इसके उपबंध में जो व्यवस्था है, उसके आधार पर आपने शंका व्यक्त की है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हमारा जो मंडी अधिनियम है, इसमें प्रभावशील अनुसूची में पशुपालन, मछलीपालन तथा मतस्य पालन शामिल नहीं हैं और इन पर मंडी अधिनियम प्रभावशील नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी से स्पष्ट हो जाता है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। आदरणीय भूपेश बघेल जी और बाकी सदस्यों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बावजूद अगर कहीं भी इसमें परीक्षण करने की जरूरत होगी तो मैं इसे दिखवाऊंगा, परीक्षण भी करूंगा और इस संशोधन विधेयक से बाहर भी करेंगे। जहां तक संशोधन की बात है, यह स्वाभाविक है कि ई नाम पोर्टल के माध्यम से पूरा देश जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ ही जुड़ा हुआ है, पूरे देश के अन्य राज्यों की मंडिया भी जुड़ी हुई है। देश में जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी उतनी ही लोगों को सस्ती सामग्री मिलेगी या अच्छे कीमत पर मिलेगा। यह आप चाहते हैं ना कि प्रतिस्पर्धा बढ़ना चाहिए। मार्केट ओपन होना चाहिए, यह आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इसीलिए उसी के तहत् ई नाम के माध्यम से पूरे देश भर की मंडियों को जोड़ने का भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना चल रही है। किसानों के हित में इतना महत्वपूर्ण क्रांतिकारी निर्णय करने का अभियान चला है, मैं समझता हूं, इसका स्वागत करना चाहिए। आप कृपा करके प्रदेश की जनता, प्रदेश के किसानों को गुमराह करने की कोशिश न करें, इससे अहित होगा। मैं समझता हूं कि प्रदेश के किसान या प्रदेश की जनता आपकी बातों में कभी आने वाली नहीं है। कभी नहीं आ सकती। अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस विधेयक के माध्यम से हमने छोटा-छोटा संशोधन लाया है। हम इसमें किसी भी प्रकार से किसानों का अहित होने नहीं देंगे। ई नाम के माध्यम से पूरे प्रदेश भर की मंडियां ओपन मार्केट रहेगा। उनको रजिस्ट्रेशन की बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी। इसके माध्यम से जुड़ करके वह ऑनलाईन मार्केटिंग कर सकता है, शामिल हो सकता है। उन्हें पेमेंट के लिए भी बार-बार चक्कर नहीं कांटना पड़ेगा। वह इसके माध्यम से देख सकता है कि कहां की मंडी में कौन सी सरना धान, कहां पर क्या रेट मिल रहा है। अगर विष्णु भोग बेचना हो, जीरा फुल

बेचना हो तो वह वहां पर देख सकता है। बस्तर, सरगुजा या जशपुर के बहुत सारे उत्पाद हैं, उनको अच्छे मार्केट की जरूरत कहां हो सकती है। ई नाम के माध्यम से उन्हें अच्छी मंडी मिल जाएगी और किसानों को उसका लाभ मिलेगा। मैं समझता हूं, इससे सहमत होना चाहिए। जहां तक आदरणीय अजय चंद्राकर जी ने कृषक कल्याण के संबंध में जो शंकाए व्यक्त की है। मैं समझता हूं, वे ऐसी शख्सियत हैं, चाहे कोई भी कृषि मंत्री या मुख्यमंत्री रहें, वे लड़कर और अपने-अपने उपाय से वहां से भी काम निकाल लेते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महोदय जी, मंत्री बना दीजिए न। दो पद खाली हे। (हंसी)

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, इसलिए अब इसमें राज्य विपणन विकास निधि की राशि कृषक कल्याण के नाम से जमा होंगे। उसके माध्यम से जो स्टेट में राशियां जमा होंगी, उससे निश्चित ही किसानों के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं। उस प्रावधान के तहत् अकाल मृत्यु पर भी हम नियम (6) के तहत् किसानों को मुआवजा देते हैं। किसी की फसल जल जाने पर मुआवजा देते हैं। खरही में आग लग गया, उसके लिए और आगजनी में कोई नुकसान हो गया, व्यक्तिगत कोई दुर्घटना हो गया, बीमा प्रीमियम के लिये भी दिया जाता है, कृषि और संबद्ध विभागों को भी राज्य शासन से जब जरूरत होती है, उसे भी इसके माध्यम से उन्हें सपोर्ट किया जाता है । अध्यक्ष महोदय, कुलमिलाकर यह जो संशोधन लाया गया है, यह प्रदेश के किसानों के व्यापक हित में उनकी चिन्ता करते हुये विधेयक लाया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाये और मैंने अपने वक्तव्य में ही इस बात को रख दिया है कि कृपा करके शंका करने की बात नहीं है और कभी भी आपको लगे कि किसानों के लिये नुकसानदेह हो रहा है, कहीं गड़बड़ी हो रही है तो हम लोग बैठे किसलिये हैं, यह तत्काल काम करने वाली सरकार है । यहां पर नुकसान हो रहा है, आप इशारा करिये, वहां पर हमारी सरकार खड़ी हुई दिखलाई देगी । अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 6, 2024) पर विचार किया जाये ।

श्री भूपेश बघेल :- डिवीजन, डिवीजन ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बोल ही नहीं पाये, फिर से एक बार पूछ लेता हूँ ।

श्री भूपेश बघेल :- डिवीजन, डिवीजन ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- डिवीजन ।

अध्यक्ष महोदय :- मत विभाजन के लिये घंटी बजाई जाये, लॉबी को खाली किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मत विभाजन होगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- अब मत विभाजन होगा । मत देने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि जो माननीय सदस्य इस विधेयक को पारित किये जाने के पक्ष में मत देना चाहें, वे मेरी दायी ओर की लाबी में, जो माननीय सदस्य इस विधेयक को पारित किये जाने के विपक्ष में मत देना चाहें, वे मेरी बायी ओर की लाबी में चले जाएं। वहां रखी मत विभाजन सूची पर अपना हस्ताक्षर सभा कक्ष में लौट आएं ।

	हां पक्ष		**ना पक्ष**
01	श्री श्याम बिहारी जायसवाल	01	श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
02	श्री भईया लाल राजवाड़े	02	श्री लालजीत सिंह राठिया
03	श्री भूलन सिंह मराबी	03	श्री अटल श्रीवास्तव
04	श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े	04	श्री दिलीप लहरिया
05	श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते	05	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
06	श्री रामविचार नेताम	06	श्री ब्यास कश्यप
07	श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा	07	डॉ. चरण दास महंत
08	श्री प्रबोध मिंज	08	श्री रामकुमार यादव
09	श्री राजेश अग्रवाल	09	श्री बालेश्वर साहू
10	श्रीमती रायमुनी भगत	10	श्रीमती शेषराज हरवंश
11	श्री विष्णु देव साय	11	श्री द्वारिकाधीश यादव
12	श्रीमती गोमती साय	12	श्री संदीप साहू
13	श्री ओ.पी.चौधरी	13	श्री इंद्र साव
14	श्री लखनलाल देवांगन	14	श्री जनक ध्रुव
15	श्री प्रेमचन्द पटेल	15	श्रीमती अंबिका मरकाम
16	श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम	16	श्रीमती संगीता सिन्हा
17	श्री प्रणव कुमार मरपची	17	श्रीमती अनिला भेंडिया
18	श्री अरूण साव	18	श्री कुंवर सिंह निषाद
19	श्री धर्मजीत सिंह	19	श्री भूपेश बघेल
20	श्री धरम लाल कौशिक	20	श्री देवेन्द्र यादव
21	श्री अमर अग्रवाल	21	श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
22	श्री सुशांत शुक्ला	22	श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
23	श्री संपत अग्रवाल	23	श्री भोलाराम साहू
24	श्री टंक राम वर्मा	24	श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी
25	श्री अनुज शर्मा	25	श्री बघेल लखेश्वर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

26 श्री मोतीलाल साहू
27 श्री गुरू खुशवंत साहेब
28 श्री इन्द्र कुमार साहू
29 श्री रोहित साहू
30 श्री अजय चन्द्राकर
31 श्री ललित चन्द्राकर
32 श्री गजेन्द्र यादव
33 श्री रिकेश सेन
34 श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा
35 श्री ईश्वर साहू
36 श्री दीपेश साहू
37 श्री दयालदास बघेल
38 श्रीमती भावना बोहरा
39 श्री विजय शर्मा
40 श्री विक्रम उसेण्डी
41 श्री आशाराम नेताम
42 श्री नीलकंठ टेकाम
43 सुश्री लता उसेण्डी
44 श्री केदार कश्यप
45 श्री किरण देव
46 श्री विनायक गोयल
47 श्री चैतराम अटामी

26 श्री विक्रम मण्डावी
27 श्री कवासी लखमा

अध्यक्ष महोदय :- विधेयक के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए और विधेयक के विपक्ष में 27 मत प्राप्त हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 13 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 13 इस विधेयक का अंग बने।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- अध्यक्ष महोदयस, मैं प्रस्ताव करता हूं कि-छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 6 सन् 2024) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 6 सन् 2024) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(मेजों की थपथपाहट)

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यह इस प्रदेश के लिए काला कानून साबित होगा । अभी भी वक्त है, यह विधेयक वापस ले लो । यह प्रदेश के लिए ठीक नहीं हो रहा है ।

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, अब पता नहीं माननीय भूपेश बघेल जी को पिछले 5-6 महीने में क्यों इतनी शंका हो रही है । अब तो हर कोई के ऊपर शंका कर रहे हैं । रात में सोते हैं तो बगल वाले पर शंका कर रहे हैं (हंसी) और इनके इर्द-गिर्द जितने लोग इनके खास हैं, उनको भी आजतक बड़े ही शंके की दृष्टि से देख रहे हैं । पता नहीं कि आप लोगों का क्या चल रहा है ? शंका कारण क्या है महोदय ?

समय :
5.09 बजे

<u>नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा</u>

<u>प्रदेश में तेजी से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए बेहतर उपाय</u>

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोगों का भी उल्लेख करता हूं और बात शुरू करता हूं । माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, दो मिनट बैठिए । दो मिनट बैठिए न, आपका उल्लेख करने वाला हूं । अध्यक्ष महोदय, आपने सबसे पहले इसको स्वीकार किया और समय दिया, उसके लिए

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 139 अमूमन उस तरह के होते हैं, जो बहुत रिलेवेंट, बहुत ही लोक महत्व के विषय हों और अन्तर्विभागीय हो। यदि एक विभाग का विषय हो तो मंत्री जी से या माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न या किसी अन्य माध्यम से चर्चा कर सकते हैं। मैं आपको (डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष) याद इसलिए कर रहा हूं कि इसमें राजनीति से परे हटकर चर्चा में भाग लीजिये। दूसरा, आपके समय से यह चला आ रहा है, मैं इसको नया लगाता भर हूं। मैंने अभी भी याद दिलाया, मैंने सचिवालय को भी कहा कि कम से कम इसको लगा दीजिये। आपने 5 साल में सिर्फ एक विषय पर नियम 139 के तहत चर्चा करवाई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी परिवहन मंत्री हैं, माननीय विजय शर्मा जी गृह विभाग के मंत्री हैं, माननीय अरूण साव जी स्थानीय शासन और पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के मंत्री हैं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। यह विषय कम से कम 5 विभागों को स्पर्श करता है। महोदय, मैं तो सबसे पहले आपसे यह आपत्ति लूंगा कि अधिकारी दीर्घा में पुलिस विभाग का एक अधिकारी मौजूद है, एक और अधिकारी, कौन से लेवल का है, मैं उसको पहचानता हूं। मौतों पर आपकी गंभीरता कैसी है ? और मौत कैसे हो रहे हैं, मैंने आपका उत्तर पढ़ा है। मैं सत्तारूढ़ दल का विधायक हूं, लेकिन मैं असहमत नहीं कह सकता। लेकिन इस विषय में सरकारी उत्तर नहीं आना चाहिए। हमको figer and facts से दूर नहीं जाना चाहिए।

समय
5.11 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

लोकतन्त्र या लोक कल्याणकारी राज्य की पहली अवधारणा जनता की सुरक्षा होती है, कानून का राज्य, जीवन की सुरक्षा, आज के जीवन की सुरक्षा होती है। पूर्ववर्ती सरकारें हों या आज की सरकार हो या कल की सरकार हो, मैं इस वार्ता को समर्पित करता हूं 25.05.2024 की एक दुर्घटना को, जिसमें 18 निरीह, गरीब बैगा आदिवासी लोग सड़क दुर्घटना में एक साथ मरे। ना मैं भा.ज.पा. सरकार को कहूंगा ना मैं कांग्रेस सरकार को कहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैंने आपको बताया कि मेरे आकड़ें पुराने हैं। मैं विधानसभा में कागज भर लगाते रहता था। आंकडों में कुछ तब्दीली आ गई होगी, लेकिन आंकड़ों को मत सुधारियेगा। यह आंकड़ों का खेल नहीं है। यह असली समस्या का खेल है और किसकी भूमिका कितनी है, कौन कितनी भूमिका निभाता है। मुझे तो आपकी गंभीरता दिख रही है, केवल दो अधिकारी बैठें हैं। एक तो आई.पी.एस. हैं और गृह विभाग का एक अधिकारी कौन से लेवल का है, मैं देख रहा हूं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, आपने 5 विभाग का नाम बताया, छठवां विभाग, पशुपालन विभाग भी बता दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- पशुपालन विभाग को भी जोड़ लीजिये। मैं उसका उल्लेख करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2023 की तुलना में 2024 में प्रथम तिमाही में 6,390 लोगों की सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 2939 लोगों की मृत्यु हुई। पिछले साल की तुलना में प्रथम छमाही में लगभग 5.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आंकड़ों के हिसाब से छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन जो संख्या आ रही है, 20 लोग सड़क दुर्घटनाओं या विभिन्न तरह की दुर्घटनाओं में मरते हैं। माननीय सभापति महोदय, क्या इसे कल्याणकारी राज्य कहेंगे ?

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होते तक सभा के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमशः)

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, पी.आई.बी. की रिपोर्ट के हिसाब से सड़क दुर्घटनाओं में छत्तीसगढ़ का 12वां स्थान है। आप रिपोर्ट को देखेंगे तो महासमुन्द, गरियाबंद, धमतरी, बेमेतरा, राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा, बस्तर, कोण्डागांव, सुकमा, मोहला-मानपुर-चौकी, सारंगढ़, मनेन्द्रगढ़ विरल जिलों में सड़क दुर्घटना में थोड़ी सी कमी आई है तो दूसरी ओर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ ऐसे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन जिलों में दुर्घटना में 5.6 प्रतिशत और मृत्यु दर में 5.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैंने आपको बताया कि मई महीने तक 2939 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बहुत सारे ध्यानकर्षण लाते हैं, बहुत सारे स्थगन लाते हैं, हम बहुत सारे जनहित की बात करते हैं, 2939 सौ 3 हजार लोग मरे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है ? मुझे यह कहने और स्वीकार करने में मजबूत नहीं है कि मैं जिम्मेदार हूं। यदि इस सदन का निर्वाचित सदस्य हूं, यदि इस सदन में इसकी गंभीरता नहीं दिखती है और इसके उपाय की घोषणा नहीं होती है। मैं तो बोलता हूं कि सरकारी वक्तव्य नहीं, घोषणा तक नहीं होती है जो हम कर सकते हैं तो फिर व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठेगा। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें कहूंगा। इस प्रदेश में 73.43 लाख वाहन पंजीकृत हैं, जिसमें हैवी वाहन 18.25 लाख, मोटर सायकिल 55.18 लाख हैं। यदि राजमार्ग को छोड़ दिया जाए तो हम कैसी सड़कें बनाते हैं? पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों के बारे में मंत्री महोदय बताएंगे कि जिला मार्ग और अंतरमार्ग कितनी क्षमता के बनते हैं। पी.एम.जी.एस.वाई. या ग्रामीण सड़कें कितनी भार क्षमता की बनती हैं और उनकी दशा क्या है? सड़क की लंबाई, उसके मेंटनेंस और उसके निर्माण के लिए बजट प्रावधान क्या है? मैंने वक्तव्य को पढ़ा है, उसमें इसके लिए एक

लाइन का उल्लेख नहीं है और न इस योजना की स्वाकारोक्ति है कि जो हैवी वाहन चल रहे हैं। मैं बेतरतीब वाहनों पर आऊंगा कि उसके लिए हम सड़क में कुछ करें या उसके लिए कोई संकल्प व्यक्त करें या उसके लिए हमारे पास धन कम है। सबसे ज्यादा density कोरबा में है। यदि दुर्घना का घनत्व सबसे ज्यादा रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में है तो क्या वहां की हैवी वाहनों या कोल वाशरी से लेकर बड़े-बड़े ट्रांसपोर्ट करने वालों के लिए हम कोई उपाय या उपकर लगा सकते हैं? माननीय वित्त मंत्री जी, मैंने उपकर की बात की है। भूपेश बघेल जी इस सदन में मौजूद हैं। स्वास्थ्य के लिए शेष लगाया था। जिस दिन पी.आई.एल. लगाया था, उस दिन तक स्वास्थ्य विभाग को शेष का एक रूपया नहीं मिला था। शेष में 2,000 करोड़ रूपये से अधिक एकत्र हो गये थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को एक रूपये नहीं मिला था। दुर्घटना का अध्ययन करने वाली जो संस्थाएं हैं। मैंने 15-20 कारण बताये हैं और भी हो सकते हैं। मेरा अध्ययन पर्याप्त है। मैं यह धोखे से नहीं मानता हूं। मैं तो सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूं कि जन-धन की क्षति कैसे रोकी जा सकती है और यह सदन समवेत् स्वर में क्या निर्णय ले सकता है। मुझे सरकारी वक्तव्य से बिल्कुल मतलब नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं। यह मेरे वक्तव्य के लिए गौरव का विषय है। मैंने नेता प्रतिपक्ष जी से आग्रह किया।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- चंद्राकर जी, मैं जा रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- जी। आप जा सकते हैं। भूपेश जी हैं। अच्छा, आप कुछ बोल रहे हैं। हिट एण्ड रन। हिट एण्ड रन में गुजरात में अभी माहौल गर्माया हुआ है। पूरा समाचार पत्र में है कि कैसे लोग जमानत में छूटे। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। खराब सड़कें होना, ओव्हर लोडिंग, गलत पार्किंग, ओव्हर स्पीड वाहन चालकों की लापरवाही, शराब पीकर गाड़ी चलाना, मोबाईल इस्तेमाल करना, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना, वाहन की फिटनेस टेस्ट की कार्रवाई नहीं होना, वैवाहिक-धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रमों के लिए यात्री माल वाहनों का इस्तेमाल करना, ब्लैक स्पॉट, यातायात नियमों की जानकारी का अभाव, भूपेश बघेल जी और माननीय गृहमंत्री जी, गाड़ियों पर कार्रवाई को टालने के लिए राजनीतिक दबाव, भूपेश बघेल जी मवेशियों के बारे में कह रहे थे कि सड़क पर मवेशियों का अवारा घूमना, काऊ-कैचर। रायपुर नगर-निगम में काऊ-कैचर बने हुए हैं। मैं बीच-बीच में पढ़ता हूं कि रायपुर नगर-निगम में काऊ-कैचर बने हैं परंतु मैं यह नहीं जानता हूं कि काऊ-कैचर के लिए कौन कितना बजट देता है। आगे मैं बजट पर आता हूं। स्थानीय पुलिस। मैं स्थानीय पुलिस के बारे में टिप्पणी नहीं करता हूं। इसको अभी रोक देता हूं। उसकी भूमिका के बारे में आगे बात करेंगे। दुर्घटना के बाद की स्थिति क्या है? यह ऑल इंडिया लेवल की बातें हैं। छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है। उसमें लोगों ने जो प्रमुख कारण बताये हैं, वह घायलों को सही समय पर ईलाज नहीं मिलना है। आप देखिये कि आपने 102, 108, 112 और हर डायल के लिए 101 नंबर जारी किये हैं। जितने 6,000 से ऊपर घायल हुए हैं, उसका आप किसी ए.जी.ओ. या संस्था से अध्ययन करवाइये कि घायल के प्रथम पांच मिनट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हार्ट-

अटैक में सी.पी.आर. देते हैं। जैसे हार्ट-अटैक के लिए प्रथम 10 सेकण्ड काफी होते हैं, वैसे ही उन घायलों के प्रथम 5 मिनट काफी होते हैं। आपके पास अस्पताल पहुंचाने का समय कितनी देर है? यदि गंभीर रूप से घायल है तो सरकारी मदद या ईलाज की कोई स्पष्ट व्यवस्था या स्पष्ट सिस्टम नहीं होना। तीसरी बात - जो घायलों के इलाज के लिए है, जैसे मैंने चार क्षेत्र बताए - कोरबा, रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, उसमें आपके स्वास्थ्य की क्या नीति है? आप कोई ट्रामा यूनिट बता सकते हैं, जिसे कि ट्रामा कहा जाता है? घायलों के तत्काल इलाज के लिए आप बता सकते हैं कि ट्रामा की क्या स्थिति है? क्या पांच-छः मंत्रियों ने मिलकर इसके लिए चर्चा की कि हमने एक नोडल मंत्री बेचारे गृह विभाग के मंत्री को बना दिया और हम अपनी जवाबदारी से बरी हो गए? बेचारा शब्द गलत है, मैं माफी मांगता हूं। लोग मर रहे हैं और हम उत्तर दे रहे हैं! माननीय मुख्य मंत्री जी, सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में ये पांच-छः विभागों में तालमेल नहीं होना है। आपको एक परिवहन विभाग की बात बता देता हूं। पीएचक्यू में एक सेल बना है, परिवहन विभाग उसका पालक विभाग है। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है कि चालान के पैसे उस सेल में रखे जाएं और दुर्घटना को रोकने के लिए जो कमेटी बनी है, आप मुझको ये बतायेंगे कि कमेटी के नियम क्या हैं, कितने दिन में सी.एस. उसकी बैठक लेते हैं, कितनी बैठकें हुईं और आज तक के मिनिट्स में कितने में क्या-क्या कार्रवाइयॉ हुईं। सिर्फ ये बताए हैं कि सी.एस. नियमित बैठकें लेते हैं, तो फिर इन छः महीनों में छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाएं 6 प्रतिशत कैसे बढ़ गईं? मतलब इन विभागों में नियंत्रण नहीं है। पुलिस रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट के हिसाब से छत्तीसगढ़ में यातायात पुलिस का सेटअप है क्या? यदि है तो कौन-कौन से शहरों में है? यह किसी को नहीं मालूम। जब भी व्ही.आई.पी. ड्यूटी लगती है, यदि कल भूपेश जी ने प्रदर्शन किया या कोई व्ही.आई.पी. मूवमेंट हुआ, तो वह देखेंगे, पर यदि जनसामान्य चल रहा है, तो कुछ नहीं। विजय शर्मा जी, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, क्योंकि इस विषय को मैं डायवर्ट नहीं करना चाहता, ये जितने ओव्हरलोड हैं और जितनी चीजें हैं, त्यौहार जैसी हैं। ओव्हरलोड की चेकिंग करना त्यौहार है। दारू पीकर गाड़ी चलाने का जो टेस्ट होता है, वह त्यौहार है। जब आप फटकार लगाते हैं, तो एक दिन उसकी टेस्टिंग हो जाती है। आजकल मोटरसाईकिल 50 लाख रुपए तक की आती है। जो सामान्य आदमी लेता है वह सवा लाख-डेढ़ लाख रुपए तक की ले सकता है। फिर मैं उस शब्द का इस्तेमाल करता हूं कि क्या इकबाल है। मैं तीन महीने के लिए गृह मंत्री था। मैंने अनिवार्य कर दिया था कि हेलमेट जरुरी है और आज कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई की, शाम को मेरे पास रिपोर्ट आनी चाहिए। आज पूरा विपक्ष बैठा है, हेलमेट जरुरी करने का कानून क्यों नहीं बना सकते? उसमें क्या जनजागरण होता है? मैं व्ही.आई.पी. रोड में रहता हूं, स्टंटबाज़ घूम रहे थे और मेरे सामने टकराकर गिरे। मैं गाड़ी रोका, लोग आ गए तो मैं आगे बढ़ गया, यदि नहीं आते, तो मैं अपनी गाड़ी में उनको अस्पताल तक लाता। पुलिस प्रशासन त्यौहार की तरह मत करे। आप देख लीजिए कि जो मालिक का निरीह ड्राईवर है, उसको पकड़ लेंगे और पांच सौ रुपए चाहिए करके तीन तमाचा लगा देंगे।

मेरे साथ अभी रेत खदानों के नज़दीक चलिए, एक भी-एक भी ओव्हरलोड को आपका आदमी पकड़ ले, तो मैं मान जाऊंगा। ये आपके साथ भी है, मैं भूपेश बघेल जी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, इसलिए इसको किसी दल के चेहरे से न बांधा जाए। मैं परिवहन विभाग की बात कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में सरकार का एक भी ड्राइविंग स्कूल नहीं है। जो प्रायवेट ड्राइविंग स्कूल हैं, उनमें अधिकांशत: बड़े घर की महिलाएं कार चलाना सीखती हैं या टीनएजर्स बच्चे शौक में उसको सीखने जाते हैं। मैंने एक बार सुझाव दिया था कि पेशेवर ड्रायवरों के लिए एल एंड टी जैसी संस्थाओं से समझौता कर लीजिए। हैवी गाड़ियों को चलाने के लिए, सीखने के लिए, बताने के लिए कोई मानक मापदंड कि ये सीख गया है, यह छत्तीसगढ़ में नहीं है। भारत माला में इतनी बड़ी-बड़ी मशीनें चल रही हैं, आप देख लीजिए और उसमें कहॉं के ड्राईवर आते हैं, उसे देख लीजिए। आज भी हार्वेस्टर चलवाने वाले लोग ड्राईवर और मैकेनिक लाने पंजाब जाते हैं। छत्तीसगढ़ में इतने हार्वेस्टर हो गए किन्तु ये (पूर्व मुख्य मंत्री श्री भूपेश बघेल की ओर मुखातिब होकर) बड़ी-बड़ी बात करते हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ियों को रोजगार दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ियों के लिए सोच रहे हैं, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया ये भूपेश बघेल जी का प्रिय नारा होता था, किन्तु इन्होंने यहां के लोगों का कौशल उन्नयन नहीं किया। पैसे जो उस कमेटी में आते हैं, बजट में आपने 20 करोड़ रुपए रखा हो या 30 करोड़ रुपए रखा हो, आप यह हिसाब तो जरूर बताईयेगा कि क्या यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो रोड एंड सेफ्टी कमेटी बनी है, पैसे सीधे उसके खाते में जाये ? उसका भारसाधक विभाग परिवहन क्यों होगा, पुलिस क्यों नहीं होगा ? सभापति महोदय, अब ब्लैक स्पॉट के बारे में बोलना चाहूंगा। यहां स्थानीय शासन मंत्री बैठे हैं। मैं एक जगह का उदाहरण दे देता हूं। पी.डब्ल्यू.डी. के सचिव साहब आ गये हैं। मैं बोल रहा हूं कि आप मेरे इलाके की दो सड़क काट दीजिए। ट्रैफिक पुलिस ने रायपुर शहर के जो 25 ब्लैक स्पॉट बताये हैं, मैं उन्हें तीन महीने में खत्म करूंगा या चार महीने में खत्म करूंगा। प्रदेश भर में ब्लैक स्पॉट हैं। ट्रैफिक के हिसाब से और पी.डब्ल्यू.डी. के हिसाब से जो ब्लैक स्पॉट हैं, यहां वित्त मंत्री जी बैठे हैं, मैं अगले वित्तीय वर्ष में उन ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के लिये पैसे लेकर आऊंगा । हम एक सांस में सड़क न बनाये लेकिन ब्लैक स्पॉट से इस प्रदेश को मुक्त करेंगे। क्या यह इच्छाशक्ति है, क्या यह घोषणा हो सकती है ? मुझे आपके पढ़े हुए वक्तव्य को सुनने में कोई रूचि नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं, मैं उसको पढ़ चुका हूं। मेरी रूचि यह है कि यहां इतने बड़े-बड़े लोग बैठे हैं, तो उसमें कमिटमेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। जो वेलफेयर स्टेट की असली अवधारणा है, वह वेलफेयर स्टेट इस सदन में दिखेगा या नहीं दिखेगा ? क्या हम एक जगह पर ट्रॉमा सेंटर खोल सकते हैं ? क्या हम बिलासपुर में, रायगढ़ में या कहीं पर भी ट्रॉमा सेंटर खोल सकते हैं ? क्या सी.एस.आर. मद से खोल सकते हैं या डी.एम.एफ. मद से खोल सकते हैं ? यहां इतने बड़े-बड़े लोग बैठे हैं। एक ऐसा सर्वसुविधायुक्त अस्पताल, जिसको ट्रॉमा सेंटर कहा जाए, वह छत्तीसगढ़ में नहीं है। कहीं न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, तो कहीं ऑर्थोपेडिक नहीं है। वह बाहर से बुलाये जा रहे हैं।

परिवहन विभाग, स्थानीय शासन विभाग, पी.डब्ल्यू.डी. विभाग, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जो एक फिटनेस का सेंटर बना है, वह चालू है या नहीं है, मैं नहीं जानता। मैं जिस समय इस वक्तव्य को लगाता था, उस समय अकबर जी ने मुझे एक बार उत्तर दिया था कि वह नई राजधानी में बन रहा है। अभी वह बन गया या चालू हुआ है या नहीं हुआ है, वह मैं नहीं जानता। गाड़ियों के फिटनेस के बारे में कहना चाहूंगा। यदि 18.25 लाख हैवी गाड़ियां हैं, तो आप मुझे अपने वक्तव्य में यह जरूर बताईयेगा कि फिटनेस की क्षमता कितनी है, उसके परिवहन के नियम कानून है या नहीं है ? क्या आपकी ट्रैफिक पुलिस एंट्री लेने के पहले यह देखती है या नहीं कि इसके फिटनेस की चेकिंग साल में दो बार या तीन बार हुई है या नहीं हुई है ? वह इसे देखते हैं या नहीं देखते हैं ? मैंने इसीलिए कहा है कि उसे त्यौहार जैसे मत करें। पुलिस के पास कितने उपकरण हैं, आप कितने सेटअप देंगे ? अब मैं स्थानीय शासन को बता देता हूं। मैं ट्रैफिक लाईट के बारे में बता देता हूं। यहां उतने सेटअप तो नहीं है। कहीं पर डी.एम.एफ. से स्ट्रीट लाईट का सेटअप लग गया है। कहीं पर स्मार्ट सिटी मद से लग गया है। कहीं पर किसी जनहितकारी संस्थाओं ने ट्रैफिक पुलिस लगा दी है। रोटरी क्लब, रिलायंस क्लब, ऐसा कुछ होता है, यह समाज, वह समाज ने ये काम किया है। रायपुर राजधानी है। आप नया रायपुर के लिये एकीकृत कमांड बना सकते हैं, जहां पर ट्रैफिक नहीं है परंतु जहां पर डेनसिटी है, आप वहां भी करिये। आपका एकीकृत ट्रैफिक कमांड है। क्या आप यह घोषणा करेंगे कि हम इस साल रायगढ़ के ट्रैफिक सिस्टम को दुरूस्त करेंगे। हम अगले साल कोरबा को करेंगे या जो डेनसिटी वाली 5 जगह हैं, इसमें हम पूरे सिस्टम को चुस्त दुरूस्त करेंगे। ट्रॉमा का अस्पताल बनेगा। फिटनेस सेंटर बनेंगे। ड्राईविंग स्कूल खुलेंगे, हैवी ड्राईविंग स्कूल खुलेंगे। परिवहन उसका नोडल डिपार्टमेंट नहीं होगा। परिवहन के फिटनेस सेंटर, ड्राईविंग सेंटर होंगे। आप लाईसेंस के लिये गांव में शिविर लगायेंगे कि पंचायत में इस तारीख को शिविर लगाया जायेगा और इस तारीख को लाईसेंस दिया जायेगा। लाईसेंस करप्शन का माध्यम मत बने। आप इन चीजों को रखेंगे, इन चीजों को समझेंगे, यह सामंजस्य बनायेंगे तो इस प्रदेश में जो जनहित है, मैं बार-बार बोल रहा हूं जनता की सुरक्षा, जनता को न्याय देना, जनता का इलाज करना और शिक्षा देना, यह वेलफेयर स्टेट के प्रमुख दायित्व हैं और उसको हम सुरक्षा देने में हम असफल हैं और इसीलिए मैंने कहा कि इसको दलगत ढंग से ऊपर लीजिए। इसमें आपकी भी भूमिका है। ऐसा नहीं है। हम भी 15 सालों तक सत्ता में रहे हैं, हमारी भी भूमिका है। मैं इस विषय को 6 साल से लगा रहा हूँ। इसको 6 विभाग बैठकर, नियोजित करके प्लान बनाये, जिससे छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाएं कम हों। यदि मैं और ज्यादा बोलूंगा तो मेरे शब्दों अवृत्ति आएगी। मैं अपने शब्दों में अवृत्ति नहीं करना चाहता। मैं आपके सरकारी उत्तर पढ़ चुका हूँ । आप नवजवान मंत्री हैं, अभी इस सदन में मेरे लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति सौभाग्य है। आप घोषणाएं कर सकते हैं तो यह अच्छी बात है नहीं तो वह टेबल हो। अगर सरकार की ओर से Commitment आ सकती है तो यह अच्छी बात है, नहीं तो आपका उत्तर टेबल हो।

मैंने इसे पढ़ लिया है। यदि आप उस उत्तर को पढ़ेंगे तो उससे अच्छा उत्तर मत दीजिए, मैं इसकी अपेक्षा करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं भी एक विषय रखना चाहता हूँ।

सभापति महोदय :- आप अपना विषय रख लीजिए।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आज माननीय अजय चन्द्राकर जी ने बहुत गंभीर विषय पर चर्चा की है। मैं, आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। आज हम जिस पवित्र सदन में बैठे हैं, हम इस लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं और इसी से कुछ दूरी पर सफायर ग्रीन्स एक कॉलोनी है उसके बाहर एक बस से दुर्घटना होती है और वह बस होती है [6]**[XX]** उसकी तारीख 09.02.2023 थी। राजवर्मा नामक एक 18 वर्षीय युवा की मृत्यु होती है और इस विषय में पुलिस के साथ ...।

सभापति महोदय :- सुनिये। **[XX]** उल्लेख नहीं करते। यह सब विलोपित कर दीजिए। आप बैठिए। आपको बोलने का समय देंगे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं यही बोल रहा था कि **[XX]** बारे में यहां पर चर्चा नहीं होती। नये सदस्य हैं।

सभापति महोदय :- मैंने उसको संज्ञान में ले लिया। **[XX]**

श्री अनुज शर्मा:- माननीय सभापति महोदय, ठीक है। मैं उन शब्दों को वापस लेता है अगर यह मर्यादा में है तो ।

सभापति महोदय :- आप अभी बोलिएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट सुन लीजिए। विधान सभा सचिवालय नहीं, पूरे विधान मण्डल के बजट में भी चर्चा नहीं होती। विधान सभा में न्यायिक संस्थाओं के किसी चीज में चर्चा नहीं होती।

सभापति महोदय :- मैं आपको मौका दूंगा। आप फिर अपनी बात बोल लीजिएगा।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसे दूसरे शब्दों में बोल देता हूँ। उसमें बात यह है कि एक बस से एक बच्चे की मृत्यु होती है और उसको कोई मुआवजा नहीं मिल पाता है। क्योंकि यह पता नहीं चल पाता है कि उसकी किस दुर्घटना में मृत्यु हुई है, कौन से वाहन से दुर्घटना हुई और कौन शामिल था।

---

[6] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुन्डरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, यहां पर बहुत ही विद्वान साथी आदरणीय अजय चन्द्राकर जी ने अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर प्रदेश में तेजी से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जो 139 के अधीन चर्चा लायी है यह निश्चित ही एक बहुत ही चिंतनीय है।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रदेश में जो तेजी से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं एक चिंता का विषय है। यहां पर लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। इस पर हमें जरूर विचार करना होगा। हमें यह सोचना होगा और इस पर चिन्तन भी करना होगा। इस प्रदेश में जो तेजी से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के कारण लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। यहां पर बहुत बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि रात, दिन, शाम या सुबह जो भी समय हो, पुलिस वालों को दुर्घटना में शिकार व्यक्तियों के लिए जाना पड़ता है, उन्हें उनकी रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ती है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि वे आपराधिक घटनाओं को देखें या सड़क दुर्घटनाओं को देखें। कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं। अगर हम इसके प्रमुख कारणों में जाना चाहें तो यदि सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं के रेश्यों को देखें तो औद्योगिक क्षेत्र और माईन्स एरिया में दुर्घटनाएं होती हैं। जब हमारे बहुत से दिहाड़ी मजदूर काम करके, घर वापस आते हैं तो वह शाम की थकान को मिटाने के लिए मदिरालय जाते हैं और जब वहां से घर के लिए निकलते हैं तब वे सायकल या मोटर सायकल में होते हैं तो उनके सिर में हेलमेट नहीं होता है और वह नशे के सुरूर में रहते हैं, उन्हें न गाड़ियों की आवाज से मतलब होती है, न किसी से कोई मतलब होता है वह अपने सुरूर में चलते हैं और जब अचानक सामने कोई जानवर आ जाता है या पीछे से हार्न बजता है तो वह टकरा कर सड़क पर गिर जाते हैं या तो वह बुरी तरह से घायल हो जाते हैं या फिर काल के गाल में कल्वित हो जाते हैं । इसके लिए कई बार प्रशासन स्तर पर कोशिशें की गई हैं। इसके लिए कड़े नियम बनाने की जरूरत है। लोग कुछ दिन नियमों की सख्ती के बाद हेलमेट पहनते हैं, बढ़िया ड्यूटी में जाते हैं, अपने काम में जाते हैं, जहां पर भी काम करते हैं, वहां जाते हैं। कुछ दिन हेलमेट लगाते हैं लेकिन उसके वह धीरे-धीरे हेलमेट लगाने की आदत को छोड़ देते हैं। फिर वापस वही अपने ढर्रे में आ आते हैं, फिर वही प्रकिया, परपंरा चालू हो जाती है। इसमें कड़ा नियम बनना चाहिए ताकि लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके। लोग सुरक्षा के मापदंड और पैमानों को समझें। क्योंकि वह अकेले नहीं हैं, उनका परिवार भी उनका इंतजार करता है। पूरे दिन भर काम के लिए घर से निकले रहते हैं। परिवार को भी उम्मीद रहती रहती है, एक बेटा को अपने बाप की, एक पत्नी को अपने पति की, एक मॉ को अपने पुत्र की सुरक्षा की चिंता रहती है। उस परिवार में सबको उसका इंतजार रहता है। अगर प्रमुख कारणों में देखें तो नशापान है। खासकर चालक और युवाओं में पता नहीं आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, युवा नशे में ऐसे मस्त और मदहोश चलते हैं, गाड़ियों की बगैर हेलमेट राइडिंग करते हैं। लेकिन उनको यह पता

नहीं होता कि आज वह जिस उम्र की दहलीज में हैं, उसके लिए उनके मां-बाप ने कितने दु:ख, तकलीफ झेले हैं, वह भूल जाते हैं।

सभापति महोदय :- आप इसमें सुझाव दे दीजिए कि क्या करना है? सरकार को क्या करना चाहिए, आप सलाह दे दीजिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, वही सुझाव दे रहा हूं। इसमें युवा ज्यादा लिप्त हैं। कॉलेज, स्कूल या संस्थानों में दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता का कैंप लगाना चाहिए। जिसमें उन्हें सख्त रूप से निर्देश करें कि यदि नियमों का परिपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से उन पर दण्डात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, तब हम कम से कम उन अपराध या दुर्घटनाओं पर अंकुश लगा सकते हैं। युवा कम उम्र में वाहन चलाने लग गये हैं। उसके लिए स्वयं दोषी पालक हैं। 13-14 साल के बच्चों के हाथ में स्कूटी दे देते हैं। आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गई है। वह गाड़ी चल रही है या नहीं चल रही है, बगल वाले को, पड़ोसी को और न इधर को पता चलता है। वह उस स्कूटी को इतनी स्पीड से चलाते हैं और फिर कहीं जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। अगर हम 13-14 साल के बच्चों को मोटर सायकल, स्कूटी देंगे तो उसका परिणाम ऐसे ही होगा। उनको ट्रैफिक नियमों की बराबर जानकारी भी नहीं होती है। माननीय अजय चन्द्राकर जी ने कहा ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए कठोर नियम बनें। उनको जब ट्रैफिक नियमों की जानकारी नहीं होगी, तब तक वह इन दुर्घटनाओं को नहीं समझ पायेंगे। क्योंकि कभी लाईट बंद होती है तो कभी इधर से कभी उधर से तेजी से ऐसे निकल जाते हैं। अकसर यह सामने में हम लोगों को देखने को मिलता है। बहुत सी गाड़ियां तो बगैर फिटनेश के चलती हैं। जो कचरा वाली गाड़ी होती है, वह गाड़ियां इतनी कंडम अवस्था में रहती हैं। शाम को या रात को अचानक पूरा कचरा लेकर निकलते हैं, शहर में आते हैं। वह जिस तेजी से चलते हैं, कभी-कभी यह स्थिति होती है कि उन गाड़ियों के टायर फट जाते हैं या ब्रेक फेल हो जाता है, वह वहीं पर रूक जाते हैं। उससे भी दुर्घटनायें बढ़ती हैं। बहुत सी ऐसी गाड़ियां जो बगैर फिटनेश के चलती हैं, उन पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। रात्रि में जितने भी वाहन चलते हैं, चाहे वह ट्रांसपोर्टिंग के हों, माईन्स के हों, जब वह पूरी तेज आवाज के साथ गांव की गलियों से चलते हैं, केवल आदमी ही, जानवर भी उनके लपेटे में आ जाते हैं। बहुत से ऐसे जानवर जो रात को मरते हैं, वही ट्रक और बड़ी-बड़ी गाड़ियों की चपेट में आकर मरते हैं। जो गाड़ियां रात को माईन्स से निकलती हैं या अन्य राज्यों से जो गाड़ियां आती हैं, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए बताते हैं कि वह विभिन्न प्रकार के नशा को लेकर ट्रक या अन्य वाहनों को चलाते हैं। उन पर भी अंकुश लगना चाहिए, जो गाड़ियां ज्यादातर रात में चलती हैं। माननीय सभापति महोदय, जिस हिसाब से अंतर्राज्यीय सीमा पर अन्य राज्यों की गाड़ियां आती हैं, उनकी बराबर चेकिंग होनी चाहिए। उनके चालक, खलासी या उन सभी की चेकिंग होनी चाहिए, ताकि हमको पता चलें कि वह होश में है या मदहोश है। जब तक हम इसमें कड़ा नियम नहीं बतायेंगे, तब तक हम नहीं कह

सकते हैं कि दुर्घटना को रोका जा सकता है इसलिए इस पर कड़े नियम बनने चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती भावना बोहरा।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- आदरणीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आज की यह बहुत ही गंभीर विषय जिसे आदरणीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर जी ने लाया है। यह बहुत ही गंभीर विषय है। लेकिन मुझे आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि जैसा माननीय सदस्य अजय चन्द्राकर जी ने कहा कि वह पिछले 6 बार से इस विषय पर ऑलरेडी चर्चा के लिए आवेदन लगा चुके हैं, लेकिन वह स्वीकृत नहीं हुआ तो यह नये सदस्य के रूप में मेरे लिए काफी आश्चर्य का विषय है क्योंकि यह बहुत गंभीर मुद्दा था। यह समस्या किसी एक विधान सभा या किसी एक जिले में ही नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए बहुत गंभीर समस्या है। मैंने इसको इसलिए बहुत नजदीक से अनुभव किया है क्योंकि पिछले कुछ महीनों पहले ही वहीं सेमरहा की घटना है, जिसका जिक्र आदरणीय सदस्य ने भी किया है, जहां एक घाटी में एक्सीडेंट हुआ था और एक ही गांव के 19 परिवार के व्यक्तियों के मृत्यु हुई थीं, उसमें कुछ बच्चियां थीं, कुछ महिलाएं थीं, कुछ पुरूष थे। पुरूष ऐसे थे जो अपने घर का खर्चा चला रहे हैं, बच्चियों का खर्चा उठा रहे हैं। माताएं ऐसी थीं, जिनकी छोटी-छोटी 6 साल, 7 साल, 8 साल, 8 साल, 12 साल, 14 साल की बेटियां हैं, बेटे हैं। वह घटना सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उनकी गाड़ी घाटी में अनियंत्रित हुई, जिसके दो कारण थे। पहला, जहां तक यह संदेह है कि ड्राइवर ने एल्कोहल का सेवन किया हुआ था और दूसरा ड्राइवर को लगातार आपत्ति आ रही थी कि उसके पास शायद ड्राइविंग लाईसेंस नहीं था इसलिए जैसे ही गाड़ी अनियंत्रित हुई, वह ड्राइवर गाड़ी से कूद गया, जिसके कारण से वह गाड़ी घाटी में गिर गई थी। सभापति महोदय, यह जो प्रत्यक्ष रूप से दो विषय आता है, लेकिन मैं सदन के माध्यम से इसमें तीसरे विषय पर भी जरूर चर्चा करना चाहूंगी। तीसरा विषय यह था कि हमारी घाटी में क्रैश बैरियर की बात करते हैं, सावधानी की बात करते हैं। अगर हमारी घाटी में क्रैश बैरियर होता, जहां से लोगों का लगातार आना-जाना लगा रहता है, चाहे फोर व्हीलर गाड़ियां हों, टू व्हीलर गाड़ियां हों, लगातार घाटियों में गाड़ियां चलती हैं, क्रैश बैरियर नहीं होने के कारण वह दुर्घटना हुई। चाहे जिस विभाग की कमी रही हो। हो सकता है यदि क्रैश बैरियर होता, एक छेका बोलते हैं, वह होता तो इतनी बड़ी दुर्घटना होने से गाड़ी घाटी में गिरने से बच सकती थी। मुझे लगता है कि आदरणीय सदस्य ने बहुत गंभीर विषय में चर्चा का विषय उठाया है। उन्होंने बहुत सारे अलग-अलग विभागों को चुना है, मैं चाहे परिवहन विभाग की बात करूं, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करूं, 5 से 6 विभाग हैं, जो यहां पर उपस्थित हैं और जिनका उपस्थित होना जरूरी भी था। यहां आदरणीय विपक्ष के भाई के द्वारा बहुत सारी नियमों की बात की गई, साथ ही आदरणीय सदस्य के द्वारा भी की गई। मैं बहुत छोटी-छोटी विषय पर आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूंगी जो हमारी रोजमर्रा की जीवन से संबंधित है, जिसका हमें रोड एक्सीडेंट के रूप

में लगातार बहुत बड़ा खामियाजा पता नहीं कितने वर्षों से उठाना पड़ रहा है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहला विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि अलग-अलग विभागीय चर्चा जरूर हुई है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि हम जहां भी शराब भट्ठी देखते हैं, भले ही वह शराब भट्ठी आज हमारे गांवों या शहरों के कस्बों के बाहर है, मुझे लगता है कि वहां पर यह नियम जरूर होना चाहिए कि जितने लोग वहां पर खड़े होकर शराब का सेवन कर रहे हैं, उनको वहां शराब के सेवन करने के बाद उनको किसी भी तरीके से गाड़ी ले जाने पर बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। आज अगर हम शाम को कहीं पर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि हर किसी के हाथ में चाहे एक बाटल होता है, लेकिन सर पर हेलमेट नहीं होता है। वह नशे की हालत में लगातार गाड़ी चलाते हैं, जो उनके स्वयं की जीवन के लिए बहुत बड़ी लापरवाही साबित हो सकती है और स्वयं के साथ-साथ जो उस स्थिति में उनकी चपेट में आते हैं तो उनको 10-15 किलोमीटर जाना है या दूसरे शहर उस स्थिति में जाते हैं तो दूसरों के जीवन के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक हो सकता है तो इसमें जरूर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि जहां पर भी शराब भट्ठी के बाहर में इस तरीके से शराब का सेवन करके कोई गाड़ी चला रहा है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

आदरणीय सभापति महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि जब हम रायपुर से पंडरिया जाते हैं, जब रायपुर से बेमेतरा कॉस करते हैं, सिमगा क्रॉस करते हैं या आप यहां से धरसींवा चले जाईये, सिलतरा चले जाईये । मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगी । आप लगातार शाम के समय देखेंगे कि जैसे ही दिन ढ़लता है, वहां पर गौ माताओं की बैठने की व्यवस्था चालू हो जाती है । वह स्वत: ही आकर सड़कों में बैठ जाती हैं । मैं पक्ष की बात करूं या विपक्ष की बात करूं, हम गौ माता की जो सेवा की बात करते हैं, उसकी रक्षा की बात करते हैं तो शायद उस समय हम उन चीजों को दरकिनार कर देते हैं और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बड़े नियम तो जरूर बन जाते हैं लेकिन हम छोटी-छोटी चीजों को नजरअंदाज कर जाते हैं । मुझे लगता है कि इस विषय में कुछ ठोस कानून होने चाहिए कि जिसकी गाय है या जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, जिसकी गाय सड़क पर है तो मुझे लगता है कि उस पर भी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है ।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा तीसरा विषय यह है कि हम जब भी अपनी गाड़ियों में जाते हैं । हम जो भी गाड़ी इस्तेमाल करें, चाहे गाड़ी महंगी हो या सस्ती हो । विषय यह नहीं है । चूंकि हर गाड़ी में सीट बेल्ट की सुविधा होती है लेकिन जब हम यहां तक आते हैं या कहीं भी जाते हैं तो मुझे यह ध्यान नहीं है कि शायद कोई सीट बेल्ट लगाता होगा । अगर सीट बेल्ट की बीप-बीप की आवाज आती है तो हम एक पिन रखते हैं । सीट बेल्ट की उस जगह पर जहां बीप की आवाज आती है, हम एक पिन डाल देते हैं कि हमें सीट बेल्ट न लगाना पड़े । मैं एक उदाहरण भी दे सकती हूं कि जब हम अपने घर से निकलकर यहां तक पहुंचते हैं तो मुझे याद नहीं कि कभी हमारी गाड़ी, आज तो चलिये

जनप्रतिनिधि लोगों को जनरली नहीं रोकते हैं लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जब आप निकलते हैं । मुझे नहीं लगता कि अगर कभी कोई जुनून हुआ तो भले सीट बेल्ट चेक होगा लेकिन जनरली 99 परसेंट सीट बेल्ट की चेकिंग कभी नहीं होती कि व्यक्ति ने सीट बेल्ट लगाया है कि नहीं तो यह एक शोभा मात्र बन गया है । कभी-कभी जब अचानक से जुनून चढ़ता है कि ट्रैफिक नियम का पालन होना चाहिए तो यह बात आती है कि कितने लोगों ने हेलमेट लगाया है । मैं किसी एक पर्टिकूलर विभाग पर ब्लेम नहीं करूंगी लेकिन एक महीने का जोश रहता है कि कितने लोगों ने हेलमेट लगाया, कितने लोगों ने सीट बेल्ट लगायी, कितने लोगों के पास ड्राईविंग लाईसेंस है, किसके पास प्रदूषण का लाईसेंस है । बस यही चीजें खानापूर्ति बन गयी है तो मुझे लगता है कि बड़े नियम बनाने से अच्छा है कि पहले के जो नियम बने हैं, हम उनको कितनी कड़ाई से और कितने लंबे समय तक कंटीन्यू कर सकते हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण है । आज जब हम भारत से बाहर जाते हैं तो उन्हीं सारे नियमों का बल्कि उनसे कहीं ज्यादा उनसे कड़े नियमों का हम बहुत खुशी के साथ पालन करते हैं कि फलाना देश में तो यह नियम है, हमें इसे पालन करना पड़ेगा तो जब हम दूसरे देशों में जाकर उनके बनाये नियमों का पालन करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे भारत देश में बनाये हुए नियम और हमारे प्रदेश में बनाये हुए नियमों का भी हमें पालन करना चाहिए ।

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारे विषय हैं । मैं इस विषय में आदरणीय गृहमंत्री जी का भी ध्यानाकर्षण चाहूंगी । माननीय गृहमंत्री जी मैं आपका दो मिनट चाहूंगी और आपसे निवेदन भी करना चाहूंगी क्योंकि इससे अच्छा मंच नहीं हो सकता। चूंकि लगातार क्षेत्र में भी यह विषय आता है, जिस पंडरिया विधानसभा की मैं जनप्रतिनिधि हूं या जहां की मैं वोटर हूं । आज आप पंडरिया या पांडातराई की स्थिति देखेंगे, जैसे ही हम पंडरिया से आगे पोड़ी क्रॉस करते हैं पांडातराई, पंडरिया जाते हैं । आप कुकदुर जाने तक देख लीजिये कि लगातार जो ट्रैफिक की व्यवस्था है। मैंने प्रशासन में लगातार बैठक लेकर एस.पी. और कलेक्टर के माध्यम से इस विषय को रखा कि कवर्धा में ट्रैफिक लाईट्स लगी हैं, वहां पर हमारी पुलिस है लेकिन बाकी जगहों पर ट्रेफिक व्यवस्था के लिये आपने क्या किया है ? लगातार यह विषय आ रहा है कि कम से कम दोनों शहरों में, दोनों कस्बों में शाम के समय ट्रेफिक व्यवस्था देखने के लिये आप एक-एक ट्रैफिक पुलिस खड़े कीजिये । जो न केवल ट्रैफिक व्यवस्था देखे बल्कि इसको भी देखे कि शाम के समय जो गाड़ियों की पार्किंग हो रही है । लगातार पूरी सड़कों तक जो गाड़ियों की पार्किंग हो रही है उसकी व्यवस्था सुदृढ़ हो क्योंकि कभी-कभी यह स्थिति हो जाती है कि एक ट्रक आकर के एक व्यक्ति की दुकान में घुस गया और इसलिये घुसा कि पूरी सड़क में ट्रैफिक जाम था । गाड़ी निकालने की जगह नहीं थी । मुझे विश्वास है कि जिस तरह से अभी रोड एक्सीडेंट के लगातार खतरे बढ़ रहे हैं तो मैं इस विषय पर जरूर आदरणीय महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी ।

मानमीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिये अभिनंदन । लेकिन मैं अंत में एक बात अवश्य बोलना चाहूंगी कि केवल शासन या प्रशासन को इसके लिये दोष देना उचित नहीं है, हमें एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते इस बात को समझना चाहिए । अगर यह विषय यहां से बाहर जाये तो मैं अवश्य ही इस बात को कहना चाहूंगी कि आज हम जिस कॉलोनी में रहते हैं बमुश्किल 15-16 साल के बच्चे वहां पर चारपहिया चला रहे हैं वह भी बी.एम.डब्ल्यू. और रेंज रोवर जैसी गाड़ियां जो लगातार फुल स्पीड में चलती हैं । माता-पिता यह सोचकर खुश होते हैं कि मेरा बच्चा स्मार्ट है या गाड़ी बहुत अच्छे से चलाता है । शासन-प्रशासन के साथ-साथ माता-पिता की भी यह एक जिम्मेदारी है कि ट्रेफिक रूल्स के लिये और उनके बच्चों की सुरक्षा के लिये उनमें भी जागरूकता जरूरी है तो मुझे लगता है कि चाहे बच्चे बड़े घर के हों या छोटे घर के हों । चाहे वह 4 लोग मोटरसाईकिल में जा रहे हों या 16 साल का बच्चा कार ही क्यों न चला रहा हो । सभी में एक समान और लंबे समय तक कार्यवाही होनी चाहिए । जैसा कि आदरणीय सदस्य जी ने कहा था कि त्यौहार न बने। आज स्तिथि ये है कि मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन हम जब कभी देखते हैं कि रोड किनारे वाहनों की चेकिंग हो रही है। चाहे ना चाहे दिमाग में ये बात आ जाती है कि यहां पर कुछ तो चल रहा है, अब वह क्या कुछ चल रहा है, मैं सदन में नहीं कहना चाहूंगी। तो ये माइंड सेट जो लोगों का बना है, मुझे लगता है कि इसे भी चेंज करना बहुत जरूरी है। बहुत ईमानदारी के साथ मुझे लगता है कि ट्रैफिक नियम का पालन करना जरूरी है क्योंकि बहुत दूर-दूर तक जिस तरीके से हॉस्पिटल available नहीं है तो जान का खतरा जहां तक हॉस्पिटल पहुंचेंगे, वहां तक नुकसान भी हो सकता है। तो आपसे यही निवेदन है कि आज की इस चर्चा के बाद में विषय को संज्ञान में ले कर जो भी उचित कार्यवाही, नियम है, वह जरूर बने। आपने इस महत्वपूर्ण विषय में बोलने का मुझे अवसर दिया। मैं आपकी बहुत आभारी हूं।

सभापति महोदय :- श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज बढ़ती सड़क दुर्घटना पर हम सब बात रख रहे हैं। माननीय सभापति जी, राज्य की सड़कों, मार्गों में अत्यंत लापरवाही अत्यंत अनियंत्रित गाड़ी चलाने की वजह से अभी बहुत ही अत्यधिक सड़क दुर्घटना होते जा रही है। अत्यधिक तेज गति से वाहन चलाना, मोबाइल पर बात करते रहना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, इन बहुत सारे कारणों को हम लोगों ने अभी यहां पर हमारे साथियों ने व्याख्या की है। बीते वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा डब्ल्यू.एच.ओ. ने वैश्विक सुरक्षा सप्ताह के दौरान एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार सड़क दुर्घटना में प्रति वर्ष 10 से 11 लाख मौतें होती हैं एवं 50 लाख से अधिक लोग गंभीर शारीरिक चोट का शिकार होते हैं। 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोग सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं, जो कुल दुर्घटना 69 प्रतिशत है। आर.टी.ओ. विभाग द्वारा 70

से 80 तकनीकी निरीक्षक उप निरीक्षकों की भर्ती की गई है, जिनके द्वारा वाहनों का फिटनेस जांच किया जाना चाहिए, परंतु फिटनेस केंद्रों के निजी हाथों में दे दिया गया हैं, जिसके कारण बिना जांच के भी फिटनेट सर्टिफिकेट जारी कर दिया जा रहा है। तकनीकी निरीक्षकों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में पदस्थ किया जाये ताकि कार्यों का तथा परिवहन विभाग के कार्यों को सुचारू रूप से किया जा सके। मैं आपसे कहना चाह रही थी कि सड़क दुर्घटना के बारे में अभी चर्चा हो रही थी तो सभी बता रहे हैं कि पांच विभाग यहां पर उपस्थित हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं। सबसे पहले मोबाइल में बात करते जो भी परिवहन चालक दिखते हैं, उस पर कभी कारवाही नहीं हुई। भारी वाहन के बारे में कहना चाहूंगी कि जो अति भारी वाहन लेकर जा रहे हैं और ओवरलोडिंग जो होती है उस पर भी कार्रवाई बहुत कम होती है। जिसमें अभी अजय चंद्राकर जी ने कहा कि एक दुकान खोल दिया गया है। ये निश्चित ही ये चीज़ हमको देखने मिल रही है। हमारे डोंगरगढ़ शहर में शहर के अंदर से रोड गई हुई है, जिसमें भारी वाहन वहां से गुजरती है। एक छोटी सी बच्ची जो शाम के समय अपने चाचा के साथ टहलने निकली थी। भारी वाहन का कभी चेकिंग नहीं होना, उसकी गति तेज होना और जैसे टर्निंग के समय पर उस बच्ची का एक्सीडेंट हो जाता है। उस चक्का के नीचे उसका सिर आ जाता है और पूरा चकना चूर हो जाता है। ऐसी कई घटनाएं सिर्फ लापरवाही के कारण हो रही हैं। अगर हम और सारे विभाग ध्यान नहीं देते हैं, सारे विभागों पर ये लोडिंग की बात आ रही है, सारी बातें सारे विभागों पर ही जा रही हैं। चाहे सड़क के बारे में बोलो। सड़क अभी जर्जर स्थिति में है। वहां पर ब्रेकर्स नहीं बन रहे हैं।

सभापति महोदय :- सुनिए ना? आप यहां पर कुछ सलाह दे दीजिए ना?

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- हां, मैं इसके माध्यम से सलाह भी दे रही हूं।

सभापति महोदय :- हां, सलाह ही दे दीजिए कि आप चाहती क्या हैं?

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सड़कों पर ब्रेकर्स हों और साथ ही लोडिंग वाली जो परिवहन है उनकी चेकिंग हो, उनको शहर के अंदर प्रवेश करने से मना किया जाए और साथ ही पशु केयर पर ध्यान दिया जाए क्योंकि अधिकतर पशु सड़कों पर बैठे दिखते हैं। जब रात में सड़क पर गाड़ियां आ रही हैं तो अंधेरे में कई बार ऐसा होता है कि पशु सामने आता है और हम नहीं देख पाते। उसमें भी एक स्टीकर जिसमें लाइट पड़े और पता चले कि यहां पर सामने पशु है, ऐसा कोई माध्यम हो या तो फिर उनको संरक्षित किया जाए। उनको सड़क से सीधे उठाकर पशु केयर स्थान बनाये हैं, वहां पर ले जाया जाए। ऐसे में दुर्घटनाएं थोड़ी कम होंगी। सड़क के किनारे बहुत सारे पेड़ लगे हुए होते हैं, जो पेड़ अत्यंत नजदीक हैं, उनकी कटाई करवाई जाए । यदि पेड़ दूर है तो उसकी जरूरत छाया वृक्ष के रूप में पड़ती है लेकिन सटे हुए पेड़ों के चलते ओवरटेक के दौरान दुर्घटनाएं हो जाती हैं । सभापति जी, हम छोटे-छोटे बच्चों को भी फ्री छोड़ देते हैं कि जाइए आप सामान ले आइए या स्कूल आना-जाना करिये । बच्चे नियंत्रण में नहीं रहते, उन्हें नियम का पालन करना नहीं सिखाया गया है । कई जगहों पर एक ही वाहन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पर तीन-तीन बच्चे एक साथ जाते हैं । जब तक हम उन्हें नियम नहीं सिखाएंगे, उन पर पाबंदी नहीं लगाएंगे तो दुर्घटना के चांस बढ़ते जाएंगे । आपको बताना चाहूंगी मेरे ही विधान सभा क्षेत्र के ग्राम तिलई में एक ही परिवार के चार लोग शाम के समय बस का इंतजार करते बैठे थे, शाम का वक्त था एक वाहन जिसका चालक शराब पिये हुए था, उसने किनारे बैठे लोगों से गाड़ी टकरा दिया, वहां पर न तो ब्रेकर था, स्टापर था, वह मोड़ की जगह थी । ऐसी अनेक घटनाएं हो रही हैं । अभी भावना वोहरा जी ने बताया कि पहाड़ियों पर से गाड़ी गिर गई और 19 लोगों की मृत्यु हुई । एक चालक था जिसके पास लायसेंस नहीं था । लायसेंस नहीं होता है और उन्हें परिवहन नियमों की जानकारी ही नहीं रहती है । हमें शिविर लगाकर जानकारी देनी चाहिए । बिना लायसेंस के वाहन चलाने पर आपत्ति करनी चाहिए । सारे विभाग के अधिकारी यहां उपस्थित हैं मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें ट्रैफिक सिग्नल दुरूस्त करना चाहिए । कई बार किसानों के वाहन खेत से निकलते हैं और मिट्टी लगे चक्कों के साथ वे गाड़ियों को सडकों पर चलाते है, उसकी मिट्टी सडकों पर फैल जाती है । जिसके चलते फिसलने का डर रहता है । इसके कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं । सबको यह जानकारी है लेकिन हम लोगों ने अभी तक कोई नियम नहीं बनाया है । चाहे गृह विभाग हो, चाहे परिवहन विभाग हो, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, मैं सभी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि व्यवस्था को बनाने के लिए प्रयास करें । आपने बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद् ।

श्री किरण देव (जगदलपुर) :- माननीय सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद् । वास्तव में यह विषय यह किसी राजनीतिक दल, किसी समाज, किसी क्षेत्र का नहीं है । दुर्घटनाओं के विषय में, सड़क दुर्घटनाओं के विषय में सदन के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय अजय चन्द्राकर जी ने विस्तार से चर्चा की है । उन्होंने लगभग सभी विषयों को समाहित किया है । सड़क दुर्घटनाओं के कारणों को लेकर और सड़क दुर्घटनाओं से बचने के उपायों को लेकर विस्तृत चर्चा पूर्व के वक्ता भावना जी ने और बहन जी ने भी रखा। वैसे मैं कम विषयों पर बोलता हूं लेकिन यह विषय बहुत ही गंभीर है क्योंकि आप बीती भी है और हमारे सामने दुर्घटनाएं होते हुए हम सभी ने देखा है । दुर्घटना का शब्दिक अर्थ ही यही है अचानक हो जाने वाली घटना, जिस पर किसी का नियंत्रण न हो, उसके कारक अलग-अलग हो सकते हैं । लेकिन सामयिक और असामयिक निधन का मामला आता है तो ज्यादातर मामले दुर्घटना के होते हैं । अपना विषय रखते हुए आदरणीय चंद्राकर जी ने जिस तरह से बताया कि प्रतिवर्ष दुर्घटना के प्रतिशत में बढ़ोतरी हो रही है, स्वाभाविक है । थोड़ा पीछे जाएं तो अविभाजित मध्यप्रदेश के विषय में, उस समय का हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को देखते हैं तो उस समय की सड़कों की दुर्दशा और यह विषय से छूता हुआ जरूर है । लेकिन छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू की । जो सड़कें ग्रामों से निकलकर हाईवे से जुड़ रही हैं ।

समय :

6:00 बजे

मान्नीय सभापति महोदय, मैं बस्तर से आता हूं मेरे ख्याल से बस्तर से जो अन्य सदस्य आते हैं, एक समय था, जब हम बस्तर 6 से साढ़े 6, 7 घंटे में बस और निजी वाहन से पहुंचते थे। लेकिन जिस तरह से तेजी से सड़कों का निर्माण हुआ, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, आज हम तेज गति से उसी सड़कों पर जाते हैं और बिना रूके 4 घंटे में आ जाते हैं लेकिन हमें उस गति को मापना पड़ेगा। सड़कों का दोष नहीं है लेकिन उन सड़कों पर तेजी से ट्रैफिक बढ़ा है। अभी आपने बताया कि हमारे यहां, लगभग-लगभग 7 लाख से ज्यादा चारपहिया वाहन हैं, 55.18 लाख मोटर साईकिल हैं। आदरणीय सभापति जी, यह संख्या कम होने वाली नहीं है। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जाएगी यह संख्या बढ़ेगी। आज प्रत्येक घर में जितने सदस्य होते हैं, उतनी ही चारपहिया गाड़ी मिलती है। बहुत सारे विषय आये थे लेकिन इस विषय पर मैं अपनी बात जरूर रखना चाहूंगा। हम इस पर कितना नियंत्रण कर सकें, कितने प्रावधानों को निरूपित कर सकें। 4, 5 विभागों का जिक्र हुआ है। भावना जी ने कही है, चाहे वह पुलिस का विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य का विभाग हो, इनको समाहित करके कोई ऐसी योजना बने। मैं छत्तीसगढ़ और विदेशों के परिप्रेक्ष्य में नहीं जाना चाहता, वरना विदेशों में बहुत सारे लोग गये हैं और वहां पर ट्रैफिक नियमों का जो पालन किया जाता है और जितनी कठोरता से पालन होता है, सब जानते हैं। वहां हार्न बजाना जुर्म है, अर्थदंड हो जाता है। मान्नीय सभापति महोदय, अगर आप अनुमति देंगे तो मैं एक छोटा सा विषय उदाहरण के रूप में रखना चाहता हूं। महापौर के समय हमारा दल अध्ययन के लिए विदेश प्रवास में मलेशिया गया था । विभिन्न विषयों को लेकर हमारा अध्ययन दल रात को साढ़े 12 बजे बस में वापस आ रहा था, मार्ग एकदम सुना था। जब ट्रैफिक में रेड सिग्नल हुआ तो हमारी बस रूक गयी। हमारी बस के पास ही एक चमचमाती कार आकर रूकी। हमने उसमें थोड़ा सा देखा कि कौन है, क्या है । जब दूसरे दिन हमारा उप प्रधानमंत्री के यहां जाना हुआ तो पता चला कि वह कार उप प्रधानमंत्री जी की थी और वे उसमें बैठे थे। वह कार रूक गयी थी जबकि एक भी वाहन उस रोड पर नहीं थी। मुझे एक अनुशासन का मामला प्रतीत हुआ। ट्रैफिक नियमों में अनुशासन बहुत कठोरता से लागू करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। हम बस्तर जाते हैं, हम हमेशा वर्षों से बचपन से अभी तक लगातार 8, 10 दिनों में जाना होता है। अब तो बहुत सड़कों की फोरलाईन की घोषणा हो गयी है। लेकिन वहां पर जो कनेक्टिंग रोड आते हैं, उस पर किसी भी प्रकार की मार्गनिर्देशिका अंकित नहीं होती है। यह बहुत छोटा सा विषय है लेकिन ध्यान देने योग्य विषय है। अब तो डिवाईडर बनते हैं, जहां पर डिवाईडर बंद होते हैं, बीच में जो गैप मार्गों पर निकलने का होता है, वहां किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं होता है। उन जगहों पर अक्सर रात को दुर्घटना कारित होती है। रात को वाहन चालक के तो कई विषय हैं। वाहन चालक के विषय में सभी नें कहा है। कभी-कभी उसमें चालक की भी गलती होती है।

जब चालक का विषय आता है तो हम इस बात को भी जानते हैं और अभी तो बस्तर से रायपुर परिवहन का बड़ा लोड है। रात को कोई भी गाड़ी चला रहा होता है जिसके पास लाईसेंस है, जो गाड़ी का एक्चुअल ड्राईवर है, वह सोया हुआ है और उसका क्लीनर गाड़ी चला रहा है। लापरवाही और दुर्घटना कारित तो होगी ही होगी। दुर्घटना की सीधा-सीधा तात्पर्य यह है कि यह किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी के साथ भी हो सकता है। अब इन कारणों पर जाने की आवश्यकता है, मैं उन पर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। अजय जी ने पूरा विषय रखा है। लेकिन मैं यह बात जरूर रखूंगा कि इसको नियंत्रित या कम किया जा सकता है। इस पर कठोर नियम बने हुए हैं, यातायात नियम बने हुए हैं। परिवहन से संबंधित कई अलग-अलग नियम बने हुए हैं। उन नियमों का कठोरता से पालन करना है। सभापति महोदय, एक ब्लैक स्पॉट की बात हुई थी, मैं इससे सहमत हूँ । कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ ऐसे मोड़ है, जिन पर हमेंशा यह कहा जाता है कि यह दुर्घटना स्थल है, उसको चिन्हांकित किया जाये, व्यवस्थित किया जाये, इस पर ऐसा उपाय किया जाये कि उपबंध, कोई नियम को शामिल करते हुये, अब जो बहुत नशे में हो या लापरवाही में गाड़ी चला रहा हो तो किसी को भी रौंदते हुये चला जायेगा । सभापति महोदय, विगत 15 दिनों पहले मेरे सामने दुर्घटना हुई है, मैं भी इससे थोड़ा विचलित हुआ हूँ । सभापति महोदय, मेरे पास कोई आंकड़े नहीं है, प्रतिदिन ऐसी घटनायें हो रही है, यह कम नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ रही है । सभापति महोदय, समय पर अस्पताल न पहुंच पाना भी मौत का एक कारण होता है, यदि अस्पताल समय पर पहुंच जाते हैं तो उसे बचाया जा सकता है । ऐसी जगहों पर या अंधे मोड़ पर स्पीड ब्रेकर बनाया जा सकता है या कोई अन्य स्लोगन दिया जा सकता है । सभापति महोदय, मैं इस विषय पर जरूर कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से यह गंभीर चर्चा का विषय है, इसमें अनेक प्रकार के उपाय की आवश्यकता है। सभापति महोदय, शहर की व्यवस्थायें अलग है, आदरणीय अजय जी ने बताया है, लेकिन उन्होंने बस्तर को छोड़ा है, बस्तर में भी दुर्घटना के अलग-अलग कारण होते हैं । सभापति महोदय, हमारे सुदूर वनांचल क्षेत्रों में जात्रा, मंडई, तीज और त्यौहार अंदरूनी क्षेत्रों में होते हैं, वहां बड़े-बड़े मेले होते हैं, जब उसमें से ट्रेक्टरों में आना होता है या आटो में आना होता है, जहां 20 की संख्या होना चाहिये, वहां 50-60 लोग भरे होते हैं और गाड़ी पलट जाती है, इसमें होता यही है कि किसी प्रकार से संज्ञान नहीं लिया जाता । सभापति महोदय, इसके लिये नियम बनाये, उपबंध बनायें और जो नियम है, उसका कड़ाई से पालन हो तो यह जो बढ़ती हुई दुर्घटना है, उससे निश्चित रूप से कमी आयेगी । सभापति महोदय, सड़क दुर्घटना तो कभी भी और कहीं भी हो सकती है, इसके पहले भी अपनी बात को रखा है । सभापति महोदय, आज जो गंभीर विषय है, मैं अपना संक्षिप्त में बात रख रहा हूँ, मेरा इसमें कहना यह है कि हमें उन सभी दुर्घटनाओं के कारणों पर जाना होगा, इसमें बहुत ज्यादा लंबा बोलने की आवश्यकता नहीं है या ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है । सभापति महोदय, यह सामान्य सा विषय है, इस विभाग में आदरणीय विजय शर्मा जी हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है, जिस गंभीरता के साथ अपने

विभागों में रूचि रखते हैं, उसकी अवधारणा भी सुनिश्चित करते हैं । सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यातायात के नियमों में या परिवहन के नियमों में और कड़ाई करके अन्य विभागों को संतुलित करेंगे सभापति महोदय, दुर्घटनाओं मे मौत से बचा जा सके, ऐसे सारे नियम बनाना चाहिये। लम्बी बीमारी या जीवन पूर्ण होने पर मौत हो तो उसे सहन किया जा सकता है, लेकिन लापरवाही के कारण मौत हो तो उसे किसी न किसी प्रावधान से, किसी नियम से, किसी कानून से, सख्ती से रोकथाम कर सकें, उस पर कमी ला सकें तो मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा और सड़क मार्ग से बढ़ती हुई जो दुर्घटना है, वह चिन्ता का विषय है । सभापति महोदय, मैं इन्हीं विषयों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज जो इस पर चर्चा रखी गयी है, उसमें संबंधित विभाग संज्ञान लेते हुये, दृढ़ता से इस कानून को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखेंगे । धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्रीमती शेषराज हरवंश ।

श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय जी, सड़क पर तेज वाहन के चलते आये दिन दुर्घटना हो रही है, चाहे वह टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो या कोई भी वाहन हो, कोई घर से यह सोचकर नहीं निकलता है कि आज हम दुर्घटना के शिकार हो जायेंगे । सभापति महोदय, इसका मुख्य कारण यह भी है कि प्लाण्ट से राखड़ लेकर जो ओव्हर लोडेड हाईवा चलती है, वे लोग इतनी हैवी स्पीड में जाते हैं और वे एन.जी.टी. और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का भी उल्लंघन करते हुए निकलते हैं । गांव की सड़क से गाड़ियां निकलती हैं, बाजार-हाट भी लगा रहता है, लेकिन उनके रफ्तार में कहीं पर कमी नहीं आती है । यातायात पुलिस तो बहुत है, वे ट्रैफिक चेक करते हैं, लेकिन वह सिर्फ वसूली का काम करते हैं । वे गाड़ियों को पकड़ लेंगे और कहते हैं कि हेलमेट नहीं लगाया है तो 200 रूपए दे दीजिए, सीट बेल्ट नहीं बांधा है तो 300 रूपए दे दीजिए । सब गाड़ियों को छोड़ना है, लेकिन उनको वसूली करनी है, पैसे मिलते हैं और छोड़ देते हैं । जहां पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, वहां ब्लैक स्पॉट भी कहीं पर चिह्नांकित नहीं किया गया है । मेरे विधान सभा में आये दिन, हर दूसरे दिन मौत होती है । 4 महीने में 15 मौतें हो चुकी हैं । एक ही परिवार के 3 लोग पामगढ़ विधान सभा में कोनार में...

सभापति महोदय :- एक्सीडेंट कहां होता है, यह तो बता दो । सरकार के संज्ञान में लाओ न ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- नियोको से हाईवा लेकर कोनार के टर्निंग से पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के लिए निकलती है और टर्निंग में इतनी स्पीड में रहते हैं, मोटर साईकिल के लिए भी नियम बनाना अति आवश्यक हो गया है क्योंकि अब एक मोटर साईकिल में चार लोग बैठने लगे हैं, ट्रैफिक पुलिस रहती भी है और उन चार लोगों को आगे जाने की अनुमति भी दे दी जाती है, वे स्पीड नियंत्रित भी नहीं कर पाते हैं, उनसे बैलेंस सम्हल नहीं पाता है और हाईवा भी कहीं भी स्पीड कम नहीं करते हैं । जब दोनों ओर से लापरवाही होती है तो दुर्घटना तो होनी ही है और अमूमन छोटी गाड़ी वाले की मौत होती है

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

क्योंकि बड़ी गाड़ी उसको कुचलते हुए आगे निकल जाती है। इसमें चक्का जाम का एक और बड़ा तमाशा होता है । चक्का जाम के लिए पूरा दिन निकल जाता है, 16-17 घंटे निकल जाते हैं, लेकिन ये जो 4-5 विभाग यहां पर हैं, कलेक्टर के द्वारा बीच-बीच में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक इन 6 महीनों में एक बार ली गयी है । उन्होंने सारे विभाग को लोक निर्माण, एन.एच. और सेतु विभाग को, सबको निर्देशित किया है कि ब्लैक स्पॉट भी चिह्नांकित करिए, लेकिन किसी एक-दो जगह को छोड़कर आजतक कहीं पर भी चिह्नांकित नहीं किया गया है। सड़कों में मवेशी ऐसे बैठे रहते हैं कि जगह खोजना मुश्किल हो जाता है कि कहां से निकलें और रात में तो वे मवेशी दिखते ही नहीं, बल्कि मवेशी के लिए तो हमारी पूर्व सरकार ने गौठान बनाया है, उसके लिए भी कड़ाई से नियम बनाईए, वह अति आवश्यक है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति जी, गौठान थे न ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- सड़क के लिए मरम्मत बहुत जरूरी है । पीएमजीएसवाई और एमएमजीएसवाई की सड़कों में हैवी व्हीकल्स चलाने की अनुमति नहीं है, लेकिन हाईवा तेज रफ्तार से दौड़ रही है । उसकी मानक कितनी है, जितनी उसकी मानक नहीं है, उतनी गाड़ियां दौड़ रही हैं । उस पर रोक लगाई जाये ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- सभापति महोदय, चन्द्राकर जी ने यहां बहुत विशिष्ट चर्चा शुरू की है, उसमें हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं और माननीय चन्द्राकर जी सो रहे हैं, वे लोगों की बातों को नहीं सुन रहे हैं ।

सभापति महोदय :- वे चिंतन कर रहे होंगे । (हंसी) चन्द्राकर जी, आप जागिए।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- सभापति महोदय, सड़क दुर्घटना में किसी भी परिवार के किसी व्यक्तिि की मृत्यु हो जाने का मतलब सिर्फ मुआवजा देना ही उसका समाधान नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति जी, मैं सुन रहा हूं या नहीं सुन रहा हूं, उसका एक प्रमाण दे देता हूं । जब मैंने भाषण दिया था तो यह बोला था कि आरोप-प्रत्यारोप मत करें । आप अपने भाषण से वसूली शब्द को डिलीट कर दीजिए । समस्या का हल कैसे हो, हम सबकी भूमिका क्या हो और यह सदन सिर्फ इधर-उधर के राजनीतिक प्रदर्शन के लिए है या यह सदन ऐसे जनहित के विषयों पर गंभीर विचार-विमर्श कर सकता है, यह हमको साबित करना है ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- सभापति महोदय, इसके लिए यहीं बात हो रही है कि जन-जागरूकता शिविर लगायी जाये, जिला स्तर पर और जनपद स्तर पर शिविर लगायी जाये और जो मोटर साईकिल चालक हैं या फोर व्हीलर चालक हैं, उनको इसमें विशेषकर बुलाया जाये, उनको ट्रेफिक के नियमों को भी समझाना अति आवश्यक है । ग्रामीण क्षेत्रों से जो हैवी व्हीकल्स निकलती हैं, उनका एक समय निर्धारित कर दिया जाये कि उस समय में नहीं निकला जाये, जहा बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं या फिर हर गांव में सपताह में बाजार लगती है, हफ्ते में एक दिन तय होता है, उस

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गांव में उस दिन हैवी व्हीकल्स नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीजें अति आवश्यक है । शहर के बीचों-बीच प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी बेरीकेट्स लगा दिए जाएं । अगर एम.एम.जी.एस.वाय. और पी.एम.जी.एस.वाय की सड़कें हैं, अगर गांव को टच करती है, तो वहां बैरीकेट्स भी लगाया जाये। मैं अपने ही विधानसभा क्षेत्र में बैरीकेट्स लगाने के लिए पुलिस विभाग, वहां के थानेदार को कितने ही बार बोल चुकी हूं, पी.डब्ल्यू.डी. विभाग वाले को बोल चुकी हूं। वह बिजली विभाग से खंभा मांग रहे हैं, आज तीन महीने हो गए हैं, उनको आज तक 3 पोल नहीं मिला है। गाड़ियां अंधाधुंध दौड़ रही हैं। उन लोग गाड़ियों को रोकने लिए एक हाईवा से ढाई हजार रूपया वसूलने में लगे हैं, लेकिन छोड़ रहे हैं। गाड़ियां जा रही हैं। पावर प्लांट्स की ओवरलोडिंग गाड़ियों को यातायात नियमों के अधीन किया जाये। यात्री बस में भी क्षमता से अधिक यात्री बैठे हैं, उसमें भी रोक लगाया जाये। ऐसा कोई भी दिन नहीं आता है, यह सिर्फ आपका ही नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। उसमें सबको भाग लेना चाहिए। सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

माननीय अजय चन्द्राकर जी ने एक लोक महत्व के विषय पर बड़ी चर्चा रखी है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको गंभीरता से सुन रहे हैं। प्रशासन की तरफ से आया वक्तव्य माननीय मंत्री जी ने उसे पढ़ा। अन्तर्विभागीय लीड एजेंसी या जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अंतिम बैठक कब हुई ? जब आप आपका वक्तव्य आयेगा तो माननीय मंत्री जी जवाब देंगे, चाहे जिला स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर हो, अंतिम बैठक कब हुई थी ? इसका भी जवाब आना चाहिए। परन्तु यह संयुक्त बैठक नहीं थी। परिवहन विभाग, पशुपालन विभाग, एन.एच.आई., पी.डब्ल्यू.डी. विभाग, पुलिस जो इसके हिस्सा होते हैं, परन्तु जो इसके हिस्से नहीं होते, उसमें महत्वपूर्ण है नगरीय निकाय, विद्युत मण्डल, वन विभाग, मायनिंग, स्वास्थ्य विभाग, ये बैठक के हिस्से होते ही नहीं हैं। मैं अभी बैठकर ऑनलाईन पढ़ रहा था, उसमें यह बात स्पष्ट रूप से दिखी है। तो प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक एक संयुक्त समिति बने, जिसमें जनप्रतिनिधि भी हिस्सा हों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि दुर्घटना में जान जाती है और जान से महत्वपूर्ण कोई भी विषय नहीं है। आम तौर पर यह देखने को मिलता है कि पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों या किन्हीं भी विभाग की सड़कों के निर्माण में एक पटरी का हिस्सा होता है, वह पटरी अधिकारी निर्माण कराते ही नहीं। एक-एक फीट, आधा-आधा फीट गड्ढे होते हैं, बुजुर्गों को जाने के समय, गाड़ियां चलाते समय गाड़ियां पलट जाती हैं और दुर्घटना का एक बड़ा कारण सड़कों के बगल में बनने वाली पटरियां, हम जिसको सोल्डर कहते हैं, वह भी एक महत्वपूर्ण कारण है।

सभापति महोदय, आजकल देखने में आ रहा है कि स्कूल के नाबालिग बच्चें दो पहिया वाहन में खुले आम धड़ल्ले से स्कूल जाते हैं। आप सड़कों में देखते होंगे कि स्कूल ड्रेस पहने हुए बच्चे खुले आम दो पहिया वाहनों में स्कूल जाते हैं। उनके माता-पिता के पास भी जागरूकता का विषय नहीं है। प्रशासन के पास भी जागरूकता का विषय नहीं है। स्कूल संचालित करने वाले संबंधित विद्यालय के प्रशासकों के पास भी यह विषय नहीं है कि उनके नाबालिग बच्चें खुले आम धड़ल्ले से दो पहिया वाहनों में आते हैं, इसके लिए आज दिनांक तक विषय नहीं है।

सभापति महोदय, दुर्घटनाएं होती हैं। स्थानीय प्रशासन एस.डी.एम. काम करता है। यदि आप सच मायने में आईना देखेंगे तो आज भी गाड़ियों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए कटर और अन्य उपकरण जिलों में उपलब्ध ही नहीं है। मैं बिलासपुर की एक घटना का उदाहरण देता हूं। तोरवा में एक बस पलटी, उसमें 5 लोगों के पैर इसलिए कट गए क्योंकि स्थानीय प्रशासन के पास काटकर निकालने के लिए कटर की व्यवहारिक व्यवस्था नहीं थी। यह बिलासपुर के तोरवा की घटना है। दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे अजय चन्द्राकर जी बता रहे थे कि शुरूआती 5 मिनट बहुत अमूल्य होते है। उसके लिए राज्य सरकार ने 108 की व्यवस्था कर रखी है। जब 108 को ही ईलाज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वह गाड़ियां 3 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं, फिटनेस खो चुके हैं। आज 108 की गाड़ियों को ही ईलाज की आवश्यकता है तो वह दुर्घटनागस्त लोगों को क्या ईलाज की व्यवस्था देंगे। उसमें जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, वह कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, प्रदेश की यह व्यवहारिक स्थिति है। वहीं पर जब फिटनेस की बात करें तो आर.टी.ओ. का मिलाजुला खेल और गाड़ियां बगैर फिटनेस के सड़कों पर धड़ल्ले से चल रही है। मैं अभी दो दिन पहले विधान सभा आने के लिए रायपुर आ रहा था तो एक हाईवा चिंगारी फेकते हुए बिलासपुर-रायपुर हाईवे पर चल रही थी। जब मैं उसके ड्रायवर को रोकवा कर कागजात चैक किया तो फिटनेस के पूरे प्रमाण-पत्र, वैध पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध थे। अब इससे बड़ा क्या विषय हो सकता है कि हाईवे के ऊपर ट्रक चिंगारी फेंकते हुए चल रही थी। उस ट्रक का पीछे का चक्का रोड पर रगड़ाते हुए चल रहा था। यह यथार्थ स्थिति है। कवर्धा, बिलासपुर, बस्तर जैसी जगहों में पिछले 7 महीनों में हमने ऐसी अनेक चीजें देखी हैं या हमारी जनता से भोगा है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय पी.एम.जे.एस.वाई. और सी.एम.जे.एस.वाई. हैं। शेषराज हरवंश जी एक बहुत बड़ा विषय उठा रही थी कि रेत घाट के परमिशन के जो 5-7 मानक होते हैं, उसमें से एक मानक यह भी होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की अनुमति भी उस परिवहन के लिए ली जाए क्योंकि गांव के अंदर से राखड़, अन्य माइनिंग के पदार्थ और रेत खुले तौर पर बगैर किसी अनुमति के अवैध रूप से परिवहन किये जा रहे हैं। यह प्रदेश में गांव के अंदर घनी आबादी के बीच में दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है। ओव्हर लोड भी एक बहुत बड़ा विषय है। ब्लैक स्पॉट के बारे में किरण देव जी कह रहे थे। आप बिलासपुर से अंबिकापुर जाएंगे तो वहां पर ब्लैक स्पॉट की भरमार है। बिलासपुर में ही

सेंदरी, रतनपुर जैसी जगहों में N.H.A.I. ने सड़कें बनाई हैं, लेकिन उनमें ब्लैक स्पॉट के प्वाइंट हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि नेशनल हाइवे नहीं बनाई है, चौड़ी सड़कें बनी हैं। उसमें तकनीकी दिक्कत यह है कि उसकी डिजाइन फेल है। वह डिजाइन कैसे फेल है ? सन्नी देओल की एक फिल्म आई थी - गड्डी जानदी है छलांगा मार दी।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, मौका अच्छा है तो आप यहां पर थोड़ा बिलासपुर, रतनपुर, रायपुर, सीपत के ब्लैक स्पॉट की चर्चा कर दीजिए। बाकी सब तो ठीक है कि यह होता है, वह होता है।

श्री सुशांत शुक्ला :- जी। सेंदरी, रतनपुर, भैरव बाबा मोड़, सीपत, बलौदा, अकलतरा के सबसे बड़े मोड़ में नेशनल हाईवे के अंदर पूरी डिजाइन में तकनीकी त्रुटि है।

सभापति महोदय :- आप काम की बात बोल दीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मैं काम की बात बोल रहा हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसको नोट करेंगे। अकलतरा का मोड़ पूरी नेशनल हाईवे की डिजाइन के failure को दिखाता है। राघवेन्द्र जी बता रहे हैं कि अकलतरा में कोई चौक है। बिलासपुर शहर सबसे बड़ा उदाहरण है।

सभापति महोदय :- एक मिनट। किरण जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल लीजिए, फिर वह बोलेंगे। उनका भाषण अभी चलेगा।

श्री किरण देव :- माननीय सभापति महोदय, आपने सुझाव के बारे में कहा तो मैं एक बहुत ही dangerous point की ओर आपका ध्याना दिलाना चाहता हूं। वैसे अभी मैं उसी बात को यहां पर रख रहा था। जगदलपुर और रायपुर मार्ग के बीच में एक इतना dangerous spot है, जिसे हम केशकाल घाटी के रूप में जानते हैं। प्रतिदिन वहां कम से कम हजारों की संख्या में चार पहिया बड़ी वाहनें गुजरती हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है, जब वहां पर जाम नहीं लगता है या 2-4 दिनों में किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना कारित न हो। आप उस ओर जरूर ध्यान दीजिएगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय सभापति महोदय, इसी में एक बात है।

सभापति महोदय :- एक मिनट। लता जी, मैं आपको समय दे दूंगा। आप इनका थोड़ा सा समाप्त हो जाने दीजिए। आप बैठिये। मैं सबको समय दूंगा।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अकलतरा के बारे में कहा है इसलिए मैं केवल एक लाइन बोलूंगा।

सभापति महोदय :- ठीक है। बोल लीजिए।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, उन्होंने जो त्रुटि की बात कही है, उससे मैं एकदम सहमत हूं। वहां पर हाल यह है कि हर दूसरे दिन एक्सीडेंट हो रहा है। वहां मृत्यु की संख्या बहुत ज्यादा है। आम शब्दों में रात 9 बजे के बाद उसे यमराज चौक नाम दे दिया गया है।

सभापति महोदय :- किसको ?

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- जिस चौक की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं। वह बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह मजाक की बात नहीं है। उस चौक का नामकरण हो सकता है लेकिन वहां पर बहुत गंभीर स्थिति है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- लता जी, आप भी बोल लीजिए। आप भी कुछ कहना चाहती हैं। सुशांत जी, फिर आप बोलियेगा।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय सभापति महोदय, केशकाल से जगदलपुर के बीच की बात आती है तो केशकाल घाटी की बात को माननीय किरण देव जी ने रखा है। इसी में कोण्डागांव शहर से लेकर भानपुरी तक 3-4 spot ऐसे हैं, जहां पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं और आये दिन एक्सीडेंट में कई मौतें भी होती हैं। साल भर के अंदर हमने अपने 2 कार्यकर्ताओं को भी उसमें खोया है। कोण्डागांव में बायपास बन रहा है, जो नारंगी नदी से निकलकर नया बस स्टैण्ड, सिकलपुट्टी के पास निकल रहा है। उस बायपास में एक्सटेंशन की आवश्यकता है जो सीधे दहीकोंगा की तरफ निकल जाए। आने वाले समय में वह दोनों चौक होंगे। जहां से बायपास निकल रहा है, वहां नारंगी नदी में भी हमको कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके अंतिम spot के लिए भी कोई प्लानिंग करनी होगी ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। आप इसको भी इसमें सम्मिलित कर लीजिए।

सभापति महोदय :- ठीक है। सुशांत जी, अब आप बोलिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, जैसे अकलतरा के चौक का राघवेन्द्र कुमार सिंह जी उल्लेख कर रहे थे कि उसका नाम ही दुर्घटना चौक हो गया है। प्रशासन उस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है। N.H.A.I. के अधिकारियों के कान में तो जूं नहीं रेंगती है क्योंकि जब मैं विधायक नहीं था तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनके पास बीसों बार गया था कि सेंदरी, रतनपुर, भैरव बाबा का मोड़ ठीक कर दीजिए क्योंकि यह व्यावहारिक दिक्कत है। बेलतरा बस्ती मेरे विधान सभा का मुख्यालय है, वहॉं पर वह किसी प्रकार का काम करने को तैयार नहीं है और आज दिनांक तक स्थिति यह है कि पूरे छत्तीसगढ़ में एनएचआई की डिजाईन फेल है। उसके पीछे एक कारण है, सनी देवोल की एक पिक्चर थी, उसमें एक गाना था- “गड्डी जांडी ई छलांगा मार दी”, तो गांव से लोग निकलते हैं और सीधे हाईवे में आते हैं और हाईवे में जो तेज गति से गाड़ी चलती रहती है, वह गांव के लोगों को कुचलते हुए निकल जाती है, क्योंकि डिज़ाईन फेल्योर है। गांव की सड़कों को सीधे-सीधे जोड़ दिया गया है। ट्रैक्टर हों, बाईक हों या अन्य व्यावसायिक वाहन हों, वे सीधे एनएचआई में आ जाते हैं क्योंकि सड़कें सीधे गांव में खुलती

हैं। एक जो सबसे बड़ा विषय है, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि ऐसे जितने भी प्वाइंट हैं, जो चौड़ी सड़कें हैं, जिन्हें आजकल हम हाईवे कहते हैं, उन पर गांव की सड़कों को सीधे न जोड़ा जाए, बल्कि उनके लिए अलग से व्यवस्था कर सपोर्टिंग रोड दी जाए। वैसे ही बिगड़ी गाड़ियों को सड़क पर खड़ी करने की बात है। आप किसी भी सड़क पर देखेंगे, तो बिगड़ी गाड़ियों को खड़ी करने के लिए कोई भी जगह तय नहीं है। मैं आपको बिलासपुर का एक उदाहरण देता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन विभाग के द्वारा बिलासपुर में एक हाईड्रा गाड़ी को खराब गाड़ियों को उठाने के लिए दी गई, पर वह आज दिनांक तक पुलिस लाईन में सड़ रही है। ये बड़ी चिन्ता का विषय है कि कोई व्यवस्था किसी के द्वारा प्रदाय की गई, चूँकि उसका ऑपरेशन और ऑपरेटर नहीं है, इसलिए आज दिनांक तक वह पुलिस लाईन में सड़ रही है। उसे आप दिखवा सकते हैं। वैसे ही आप पूरे हाईवे में कहीं पर भी देखेंगे, सार्वजनिक शौचालय नहीं हैं और यदि है, तो वह चालू नहीं है। उसके कारण रात में जब लोग अपने दिशा मैदान के लिए रुकते हैं, उनकी गाड़ियॉ रुकती हैं, तो वह भी एक दुर्घटना का विषय बनता है। जो बड़े परिवहन वाहन हैं, उनमें रेडियम की व्यवस्था नहीं है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं कि फिटनेश का ठेका प्रायवेट लोगों को देकर जो व्यावहारिक व्यवस्था परिवहन विभाग ने बनाई है, उसमें ट्रकों के पीछे रेडियम की व्यवस्था आज दिनांक तक लग नहीं पाती है। मैं बिलासपुर शहर के लिए खासकर कहना चाहता हूं कि कोनी से लेकर सिरगिट्टी तक रोज हैवी वाहन शहर के मध्य से कोयला, रेत और अन्य खनिज लेकर गुजरते हैं, जिससे उनमें दुर्घटना आम दिनों की बात है। बिलासपुर में सामान्य दिनों में दुर्घटना की खबरें रोज समाचार पत्रों में छपती हैं कि इस रोड पर एक दुर्घटना हो गई। इस पर भी मैं मांग करुंगा कि शहरों के अंदर भारी वाहन गुजरने पर रोक लगाई जाए। खासकर हर शहर में व्यस्तता के समय को अधिसूचित किया जाए यदि जो मुख्य मार्ग हैं, यदि वे व्यस्त हैं। मैं अपने विधान सभा की बात कर रहा हूं कि मैं आज विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने विधान सभा आ रहा था, तो इसी विधान सभा मार्ग में जबकि विधान सभा चल रही है, भारी वाहन अधिसूचित क्षेत्र में भी घुसकर चल रहे थे, आप पता करवा सकते हैं।

सभापति महोदय :- चलिए समाप्त कीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला:- सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं, थोड़ा सा आपका संरक्षण चाहिए। यही हाल बिलासपुर के तोरवा चौक का भी है। एक शायर हैं तहसीन हुसैन रिज़्वी, उन्होंने जिम्मेदार लोगों के लिए दुर्घटना पर कहा है। बैठे हुए जिम्मेदार लोग भी समझ रहे हैं क्योंकि उनके घर से भी लोग निकलकर दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। सरकार दुर्घटना की व्यवस्था नहीं बनाती बल्कि प्रशासन में बैठे हुए जिम्मेदार लोग दुर्घटना की व्यवस्था बनाते हैं। शायर तहसीन हुसैन रिज़्वी कहते हैं :-

मुझसा अनजान किसी रोड पर, किसी मोड़ पर हो सकता है
हादसा कोई भी हो इस शहर में ,यह आपके साथ भी हो सकता है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से जिम्मेदार लोगों से आग्रह है कि इस गंभीर विषय पर अपने विषय और अपने कार्य पर निष्पक्षता की छाप छोंड़े। आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री अटल श्रीवास्तव जी, आप लोग थोड़ा शॉर्ट में बोल लीजिएगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जी को भी बोलना है। आप दोनों पक्ष से आग्रह है।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय सभापति महोदय, हम लोग लगभग 50 सदस्य इस पवित्र सदन में नए आये हैं और आज मैं अजय चन्द्राकर जी को जो कि बहुत वरिष्ठ, बहुत विद्वान हैं, उनको बधाई देता हूं क्योंकि हमें ये जानकारी भी हुई कि हम लोग पक्ष-विपक्ष के अलावा लोकहित के मामले में भी यहॉ चर्चा कर सकते हैं। इसके लिए मैं सभी नए सदस्यों की ओर से उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, एक ऐसी विकराल समस्या के बारे में उन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से बहुत बड़े-बड़े प्वाइंट्स दिए कि उन समस्याओं का समाधान कैसे हो। एक होता है बीमारी होने से पहले सावधानी लेना और एक होता है, बीमारी होने के बाद उसका इलाज करना। माननीय चन्द्राकर जी ने बताया कि हम बीमारी होने से पहले कैसे रोकें। पुलिस का काम एक्सीडेंट के बाद शुरु होता है कि उसे अस्पताल पहुंचाया जाए और जब एक्सीडेंट में कोई घायल होता है, तो अस्पताल का काम है, उसका इलाज करे। परंतु उसके पहले बीमारी ही न हो, उसके लिए क्या उपाय हो सकता है, इसके बारे में discussion होना चाहिए। जैसे हम लोग आज से 20 साल पहले ट्रक जानते थे। ट्रक के बाद हाईवा आया, जो 6 चक्के से 10 चक्के का हुआ। 10 चक्के के बाद 18 चक्के की गाड़ी आयी, 18 चक्के के बाद 30 चक्के की गाड़ी आ गयी है। अब मैंने सुना है कि 48 या 50 चक्के की भी गाड़ियां हैं, जो माल लोड करती है। हमारी रोड की क्षमता नहीं है, हमारी रोड के नियम नहीं है। क्या हम आर.टी.ओ. मे माध्यम से इन गाड़ियों की डेनसिटी को कम नहीं कर सकते ? कि हम साल भर में केवल इतनी ही गाड़ियों की परमिशन देंगे या यह गाड़ियां केवल खदान के क्षेत्र को छोड़कर बाहर नहीं चलेंगी। यदि हम डेनसिटी को कंट्रोल कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि एक्सीडेंट को भी कंट्रोल किया जा सकता है। मैं टू-व्हीलर की बात करूंगा। हमारे क्षेत्र में बीच में दो, चार, दस साल पहले एक अच्छे ऑफिसर आये थे, उन्होंने एक अच्छा सिस्टम शुरू किया था। उन्होंने कहा कि हम चालान के लिये टू-व्हीलर्स को रोकेंगे परंतु उनसे 500 रूपये लेकर उन्हें हेल्मेट प्रदान करेंगे। एक बहुत अच्छी स्कीम चली कि हम उनसे चालान की जगह पैसे लेंगे और हमारे पास जो हेलमेट रखे होंगे, वह हम उनको देंगे। यह एक अच्छी योजना है, जिससे अवेयरनेस आयेगी कि आपका चालान नहीं कट रहा है परंतु हम आपको सुरक्षा का एक उपकरण दे रहे हैं। यदि यह व्यवस्था फिर से हर जगहों पर शुरू हो, तो मुझे लगता है कि कुछ फायदा होगा, कुछ अवेयरनेस आयेगी। आदरणीय चन्द्राकर जी ने ट्रॉमा यूनिट की बात की कि कितने

ट्रॉमा यूनिट है। अगर हम डिस्टेंस केलकुलेट करते हैं, तो बिलासपुर से रायपुर के बीच 114 किलोमीटर की दूरी है, उस बीच सिमगा, एक बड़ी जगह आती है। जहां एक ट्रॉमा यूनिट हो सकता है। अगर हम रायपुर से जगदलपुर की तरफ जाते हैं, तो 350 किलोमीटर के बीच ऐसे 3-4 ट्रॉमा यूनिट बनाये जा सकते हैं, जो एक्सीडेंट के अलावा बाकी काम भी करें। इस योजना पर भी आगे काम किया जा सकता है। आदरणीय चन्द्राकर जी ने जो मोटर व्हिकल ट्रेनिंग की बात की, वह सबसे सही बात है। मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे ड्राईवर ने ट्रेनिंग ली है या नहीं ली है परंतु वह ड्राईविंग अच्छी करता है इसलिए मैंने उसे रखा है। कहीं न कहीं कोई सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए। खासकर हेवी व्हिकल्स के लिये सर्टिफिकेशन होने चाहिए। अगर आप हेवी व्हिकल्स चला रहे हैं, आप टू व्हीलर चला रहे हैं, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आर.टी.ओ. का काम केवल जिला स्तर में बैठना, जिला स्तर की गाड़ियों का चालान करना, गाड़ियों को पकड़ना इत्यादि है परंतु ब्लॉक स्तर पर कभी-भी आर.टी.ओ. का कोई साथी जाता ही नहीं है। अभी मेरे क्षेत्र में करीब 15 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। मैं रतनपुर से कोटा की तरफ एक ग्रामीण रास्ते से जा रहा था। उस रास्ते में एक आदमी गिरा हुआ था। मैंने देखा कि वहां पर मोबाईल का टॉवर भी नहीं था। जब मैंने उसे उठाने की कोशिश की तो मुझे लगा कि वह मर चुका है। वहां कोई अन्य आदमी नहीं था। मैं वहां से 2 किलोमीटर आगे गया, फिर वहां टॉवर आया। मैंने थाने में फोन किया और मुझे यह बोलते हुए बहुत खुशी है कि थाने से मेरा फोन रिसिव किया गया और 15-20 मिनट के अंदर उस आदमी के पास गाड़ी पहुंची और उसको लेकर हॉस्पिटल गयी। ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम फेलियर है। सिस्टम है और सिस्टम को अच्छे से चलाने करने की जरूरत है। मैं ड्राईवर की ट्रेनिंग के लिये बोल रहा था कि इसके लिये अलग-अलग कैंपस होने चाहिए। ब्लॉक लेवल पर हेवी व्हिकल्स के लिये और लाईट मोटर व्हिकल्स के लिये ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए। एक्सीडेंट के पीछे अधिकतर यह कारण होता है कि जो कोयले की गाड़ियां रहती है, वह सामने चलती है तो पीछे दिखता ही नहीं है कि कोई गाड़ी है। वह काले रंग से ढकी होती है, उसकी बैकलाईट नहीं होती है। उसके लिये भी आर.टी.ओ. के माध्यम से या ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से व्यवस्था होनी चाहिए कि हम ऐसे ट्रकों को तुरंत खड़ा करें और उसमें बैकलाईट लगाने की व्यवस्था करें। सभापित महोदय, मैं एक अंतिम बात कहना चाहूंगा कि पहले ढाबे होते थे। हम लोग सोचते थे कि यह ढाबे बनते क्यों है। अधिकतर ढाबों में ट्रक वालों की भीड़ होती थी। जब ट्रक वाला लंबी दूरी तय करता है तो रास्ते में खाने के लिये रूकता है और सोचता है कि मैं एक-दो घण्टे आराम कर लू, उसके बाद आगे गाड़ी चलाऊंगा। मैं चाहता हूं कि रायपुर-बिलासपुर, रायपुर-जगदलपुर, रायपुर-सरगुजा-अंबिकापुर के बीच में टूरिज्म के माध्यम से एक मिड-वे ट्रीट की व्यवस्था की जाये। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम लम्बी दूरी में चलते हैं, तो हमें नींद आती है, उस समय हमारे पास यह विकल्प होता है कि हम गाड़ी किनारे खड़ी करके थोड़ी देर आराम कर ले। यदि टू-व्हीलर हो या फोर-व्हीलर हो, यदि उन सब के लिये मिड-वे ट्रीट मिल जायेगा तो

उनको ऑफिशियली आराम करने की एक जगह मिल जायेगी, जहां पर वह रूक के दो-तीन घण्टे आराम कर सकते हैं। इससे नींद की झपकी के कारण जो एक्सीडेंट होता है, उससे बचाव हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं फिर से अजय चन्द्राकर जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आने वाले समय में ऐसे ही लोकहित मुद्दों को सदन में लाकर हम नये सदस्यों को सिखाते रहेंगे। धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- श्री राजेश अग्रवाल जी। दो मिनट में अपनी बात रखिये। आप सीधा अंबिकापुर चले जाईये।

श्री राजेश अग्रवाल (अम्बिकापुर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री अजय चन्द्राकर जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चिंता जाहिर की है। सभापति महोदय, आपने सीधे अंबिकापुर जाने को कहा है तो मैं रायपुर से अंबिकापुर के रास्ते की ही चर्चा कर रहा हूं।

सभापति महोदय :- आप बिलासपुर से आगे चलिये।

श्री राजेश अग्रवाल :- सभापति महोदय, जो एन.एच.ए.आई. की रोड है, वह कटघोरा तक फोरलेन है, उसके बाद वह टू लेन हो गयी है और उधर यातायात का दबाव ज्यादा रहता है। दीपका, कटघोरा के आस-पास की कॉलड़ी का बहुत ज्यादा कोयला बनारस के लिये जाता है। एक तो उसको फोर लेन होना जरूरी है। कटघोरा बिलासपुर जो रोड है वहां बहुत अंधे मोड़े हैं, सीधी सड़कें नहीं है और ब्लैक स्पॉट बहुत ज्यादा हैं । वहां पशु धन भी सड़कों पर होते हैं और वहां पर मार्गदर्शिका भी नहीं लगी है। वहां की सड़कें गुणवत्तापूर्ण भी नहीं बनी हैं तथा यातायात का दबाव बहुत ज्यादा है। वहां फोर- लेन की आवश्यकता है। अंबिकापुर शहर के बाहर जाने वाली सभी सड़कें सकरी हैं। शहर से 3, 4 किलोमीटर चारों तरफ की लगी हुई सड़कों का कड़ाई से चौड़ीकरण करना नितांत आवश्यक है। सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं Motorcycle के जो चालक होते हैं, वह ज्यादा सवारी बैठाते हैं। अभी कई बाईकें ऐसी आयी हैं जो हमेशा दुर्घटनाग्रस्त होती हैं उनको चिन्हांकित किया जाये। Motorcycle वालों को हेलमेट लगाना, एक उपाए है ही। एक हमारा अंबिकापुर एक मध्यम टाईप का शहर है और शहर के बीच में जो गाड़िया खड़ी होती हैं आप पार्किंग की कमी से कह लीजिए या पार्किंग में नहीं ले जाते हैं रात में बसें और ट्रकें जो रिंग रोड में खड़ी होती है। कई बार ऐसा होता है कि अंधेरे में Motorcycle चालक जिसके पीछे टक्कर मारते हैं जिससे बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। एक ग्रामीण सड़कों को जो हाईवे से जोड़ने वाली सड़कें जुड़ती हैं। गांव वाले अचानक मेन रोड में आते हैं और गाड़ियों से टकराते हैं। वहां पर ग्रामीण क्षेत्र वाली सड़कों में ब्रेकर लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे यह लग रहा है कि उससे भी कहीं दुर्घटनाओं में कुछ कमी आ सकती है। अगर सभी विभागों के द्वारा कड़ाई से नियम-कायदों का पालन किया जाये तो निश्चित रूप से वह भी दुर्घटनाओं में कमी लाएगा।

सभापति महोदय, इस पर मेरा एक सुझाव और है। हालांकि उसके लिए बहुत से सदस्य सहमत नहीं होंगे। मैं अंबिकापुर की बात करूं कि पहले शहर में हमारी विदेशी शराब की दुकानें थीं, उसे लोग खरीदकर घर चले जाते थे। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशी शराब दुकानों को कर दिया गया है। यह कई जगह की समस्या है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशी शराब दुकानों को कर दिया गया है। अब लोग वहीं शराब खरीदते हैं और उसी के आसपास पीते हैं फिर नशे की हालत में घर जाते हैं। कम से कम उन दुकानों को शहरों में शिफ्ट कर दिया जाये । यहां रायपुर में पंडरी में दुकान है वहां अगल-बगल में कोई नहीं पीता है। वह शराब खरीदते हैं और अपने घर निकल जाते हैं। हमारे उधर ग्रामीण में विदेशी शराब दुकानों को ले गये हैं तो उन्हें शहरों में शिफ्ट किया जाये और इन शराब दुकानों की संख्या भी बढ़ा दी जाये ताकि लोग नजदीक की दुकानों से शराब लें और अपने घर चले जाएं। शराब की दुकानें दूर होने से वह रास्ते में ही शराब पी लेते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वह भी एक बड़ा कारण है। मेरे यही सब सुझाव थे। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- आपके द्वारा बढ़िया सुझाव दिये गये हैं। कृपा करके आप भी चन्द्रपुर तरफ आ जाईये।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- सभापति महोदय जी आपको धन्यवाद्। अगर सक्ती जिला में हमर विपक्ष के नेता आदरणीय महंत जी बइठे हे मे ओकर जिला के रहवैया हौं। अगर सबले ज्यादा दुर्घटना होथे तो मोर विधान सभा चन्द्रपुर में होथे। चूंकि मोर क्षेत्र में बहुत सारा पॉवर प्लांट हे। अउ जिंदल हो, चाहे मोनेट हो, ओ मन के जो भी लोहा लाखड़ जाना रहिथे तो ओ मन मोर क्षेत्र ले लेकर जाथे। इहां तक के बलौदाबाजार के जतका सीमेंट फैक्ट्री हे, ओ मन ला मटेरियल भी लाना रिहिथे तो मोरे क्षेत्र ले लाथे तो आये दिन मोर इहां दुर्घटना होवत रहिथे। हम सब ला ए बात के दु:ख हे कि ए प्रदेश मा सड़क दुर्घटना मा आदमी हा बेमौत मरत हे। अतका संख्या में मरत हे आप समाचार ला देखिहौ। रोज कम से कम आप ला टी.व्ही. समाचार में दो ठोक, तीन ठोक, चार जगह हमेशा दुर्घटना देखे बर मिलथे। आज मैं यह कहना चाहथौं कि जब कभी दुर्घटना होथे तो हम जाकर पूछथन कि आपके एक्सीडेंट कईसे होईस तो ऊकर द्वारा ए कहे जाथे कि एहर राखड़ ढोवत रिहिस हे। अउ राखड़ हो, चाहे कोयला हो। एक ड्रायवर हा 24 घण्टा ड्यूटी करथे। हमर माननीय मंत्री जी ए बार ला सुनत हे। मैं यह कहना चाहत हौं कि अगर इहां से निर्देशित हो जाए कि कोई भी मालिक, जो गाड़ी के मालिक हे ओ ए तय करए कि अगर अपन ड्रायवर ला 12 घण्टा से 24 घण्टा ड्यूटी कराए जाथे तो आप ला निर्देशित किये जाही। आप अइसे कोई पढ़-लिख के बढ़िया से विचार बनाए। ओ ड्रायवर मन से 24 घण्टा ड्यूटी न लिया जाये, आप ला अइसे उपाए करना चाहिए।

सभापति महोदय, दूसरा बात हमन देखे हन की कि कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाथे तो जो ट्रक चलाथे, कोयला ढोवत हे तेहा छोटे मोटे आदमी नइ राहय। ओ बड़े-बड़े मंत्री ला जेब में धरे किंजरत रथे। ओ ए कहे रहिथे कि आपको चिंता नहीं करना है।

सभापति महोदय :- आप सीधा विषय में आईये, कहां यह मंत्री की बात कर रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति जी, ये बात ओमा आत हे। मोर ये कहना हे कि अगर हम ला कोई ऐसे कड़ा कानून बनाये जाये ताकि ओकरो जी डरावय, दुर्घटना होय ला सजा मिलथे। ये नई कि बडे आदमी हमला छुड़ा लेही। आज से 15 पहले 25 हजार रुपये दुर्घटना में मिलत रहिस हे। सब के भाव बढ़ गये, तुंहर हमर के वेतन घलव बढ़ गये, लेकिन वो दुर्घटना में मरने आदमी के परिवार को मिलने वाले पैसा 25 हजार के 25 हजार रुपये हे। जो 15 साल पहले 25 हजार रुपये रहिस हे, आज भी 25 हजार रुपये हे। तुंहर, हमर विधायक मन के आज 10 हजार से 1 लाख रुपये वेतन हो गये। मोर आपसे निवेदन हे कि दुर्घटना में 25 हजार रुपये 15 साल पहले मिलत रहिस हवय, वो राशि ला बढ़ाना चाहिए ताकि वो गरीब आदमी ला कुछ मिल जाये। ये मोर निवेदन हे।

श्री दलेश्वर साहू :- ये सामान्य प्रशासन विभाग के मुद्दा है।

श्री रामकुमार यादव :- सामान्य प्रशासन विभाग के मुद्दा रहय या कोई विभाग के रहय। हम तो ये कहना चाहत हन कि देख हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नई हन। हम बस यही जानबो कि 15 साल पहले 25 हजार रुपया दुर्घटना में मिलत रहिस हे और आज भी 25 हजार रुपये हे, ओला बढ़ाये जाये।

सभापति महोदय :- आप बोलते रहिये, वह सब समझ रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, ओकर बाद में मैं कहना चाहत हवं कि हमन कहे गये रहिस कि आपदा में अवसर नई खोजना चाहिए। आपके आर.टी.ओ. विभाग में, मैं सब ला आरोप नई लगात हवं, लेकिन आज भी कोई भी व्यक्ति आर.टी.ओ. वाले मन ला देखथे न ओकर चेती के रूंआ खड़े हो जाथे। वो कुछु हेलमेट पहने हे, वो दुनिया भर के कागजात लिये रहिही, तभु आर.टी.ओ. विभाग के आदमी अइसने हे कि वोहा 500 रुपया ओकरे से लेबय करिही। आदमी ये मन में लगा लेथे कि हेलमेट लगात हवं, कागजात झोला में धर के जाथवं, तभु वोहा पैसा देय ला लागथे, तो वह कहथे कि तेकर ला कुछु नई धरवं।

सभापति महोदय :- और कोई सुझाव है तो दे दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, मोर ये सुझाव हे कि आपके आर.टी.ओ. विभाग ला कहो कि वह मुस्कुराते हुए बात करके समझाये। आदमी हा प्रेम से मानथे। ओला दंड दीहा तो वह कहिही कि हेमलेट खलव पहने हवं तभो भी देय लागथे, एकर सती कुछु नई धरवं।

सभापति महोदय :- ठीक है। आपने मुस्कुराने के लिए सुझाव दे दिया है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मोर आपसे निवेदन हे पावर प्लांट वाला मन भी ऐसे कुछ कानून बनावा। शर्मा जी, आप तो पढ़े-लिखे भारी ज्ञानी आदमी हव। अगर वोहा दुर्घटना करय तो ओकर झालार हा ओकर मालिक तक जाना चाहिए। मालिक के नाम मा जाही तो ओकर पोटा हा कांपही और ड्रॉइवर हा बार-बार समझाही कि गड़बड़ मत करबे। तय गड़बड़ करथस, मैं फंसथवं। एकर लिए आप ला बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आप मोला बोलय पर समय देव, ओकर लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- गजेन्द्र यादव जी आप बोलिये, फिर आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी बोलेंगे।

श्री गजेन्द्र यादव (दुर्ग शहर) :- माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज माननीय वरिष्ठ सदस्य के द्वारा नियम 139 की चर्चा के माध्यम से बहुत विचाराणीय प्रश्न को सदन में रखा गया है। बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। अभी जितनी भी सड़क दुर्घटनाओं में मौत होती है, ज्यादातर ऐसी सड़कों में होती हैं जो सड़कें चकाचक बनी हुई नहीं रहती हैं। हम देखेंगे कि जितनी भी दुर्घटनायें होती हैं, वह डी.आई. 207, मिनीडोर, मेटाडोर और मोटर साइकिल से मृत्यु होने वालो की ज्यादा संख्या होती है। मेरे ध्यान में यह आता है कि जब से बसों में स्पीड गवर्नर लगाये गये हैं, पहले बसों से बहुत बड़ी-बड़ी दुर्घटनायें हुआ करती थीं, लोगों की मौत होती थी। जब से स्पीड गवर्नर बसों में लगाया गया है, ऐसा देखने में आया है कि बसों में दुर्घटनाओं की संख्या कम हुई है। मेरा सदन से आग्रह है कि अगर हम दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक बड़ा उपाय करें, आज कल की जितनी भी बाईकें आती हैं, वह हाईस्पीड की आती हैं, 180 किलोमीटर से भी ज्यादा स्पीड से दौड़ने वाली बाईकें आती हैं। उसका भी रेंज स्पीड ब्रेकर के द्वारा, आर.टी.ओ. विभाग यह तय करे कि कोई भी बाईक 80 कि.मी. से ज्यादा स्पीड में न चले। डी.आई. 207 के ज्यादातर ड्रॉइवर होते हैं, अनट्रेंड लेबर केटेगरी के ड्रॉइवर चलाते हैं। उनको किसी भी प्रकार के परिवहन नियमों की जानकारी नहीं रहती है। वह तेज गति से गाड़ी को चलाते हैं, अचानक कोई मोड़ आता है, कोई ओवरटेक होता है, इसी ओवरटेक में दुर्घटनायें घटती हैं और बहुत लोगों को काल कलवित हो जाना पड़ता है। मेरा आपसे आग्रह है कि सामान ढोने के लिए जितनी भी फोर व्हीलर मालवाहक गाड़ियां आती हैं, डी.आई. 207, मिनीडोर हैं, इन सभी गाड़ियों में भी स्पीड गवर्नर अनिवार्य रूप से लगायें। मैं आपसे एक और आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे सदस्यों ने बहुत सारी बातें कहीं। मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूं हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का सुशासन है। आपने जितनी बातें सड़क सुरक्षा के लिए बोती हैं, सारे नेशनल हाईवे में, आप चिचोला से लेकर अंबिकापुर तक वह सारी डिमांड, ऑन डिमांड है, वह सारी चीज होती है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय डॉ. रमन सिंह जी के समय इंटरसेप्टर वाहन इनोवा गाड़ी सारे नेशनल हाईवे में लगी थी। पूरे 05 साल बाद फिर से अभी हमारे विधान सभा सत्र के 03 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सी.एम. हाउस से 15 नये अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहन इनोवा

को दुर्घटनाग्रस्त स्थानों पर जहां दुर्घटना घटती है, उन स्थानों के लिए गाड़िया दी है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं उनको एक और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सड़कों में जो सर्वाधिक दुर्घटना घटती है, उस दुर्घटना का बहुत बड़ा मूल कारण गौवंश है। पिछली सरकार ने जो गलती की है, उन्होंने जो गौठान और रोका-छेका अभियान चलाया था, उसका एक साईड इफेक्ट यह हुआ कि लोगों ने गाय पालना छोड़ दिया।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- हमने रोका-छेका अभियान चालू ही नहीं किया है।

श्री गजेन्द्र यादव :- मुझे याद है, आपने रोका-छेका अभियान चालू किया है।

सभापति महोदय :- सुनिये न, आप इसमें कहां रोका-छेका अभियान के बारे में बोल रहे हैं। आप सीधा मोटर और एक्सीडेंट के बारे में बात करिये।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग चले जाईये या चाहे जिले के किसी भी मार्ग में चले जाईये, सारी जगहों के रोड में मवेशियां बैठी रहती हैं। बरसात के दिनों में पानी गिरता है, एक गाड़ी वाले को सामने वाले की गाड़ी नहीं दिखता है, बीच में मवेशी रहती है। ज्यादातर एक्सीडेंट मवेशियों के कारण होती है।

श्री रामकुमार यादव :- ओइ ला हटाबो कइ के तो बने हावय।

सभापति महोदय :- आप बोलिये न कि मवेशी है।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौ अभ्यारण्य बनाया, उसके लिए मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जल्दी प्रारंभ हो। मेरा इसमें एक आग्रह है कि जैसे सड़क किनारे रेडियम लगा रहता है। सड़कों में बैठने वाली जितनी भी मवेशियां हैं, उनको पशुपालन विभाग के माध्यम से चिन्हित करके बेल्ट पहनायें, उनके सिंग में अंधेरे में चमकने वाला रेडियम लगायें, जिससे कि एक्सीडेंट में कमी हो। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं छोटा था तो हम लोग चारामा गये थे। जब हम लोग नेशनल हाईवे से चारामा जा रहे थे तो रास्ते में हमारा एक साथी बोलता है कि देवारी आ गे का, पूरा दीया बरत हे। हम लोगों ने देखा कि कहां दीया जल रहा है तो नेशनल हाईवे के द्वारा सड़क किनारे जो छोटी-छोटी पट्टियां लगाते थे, वह रात को ऐसा लगता था कि कोई लाईट जल रहा है, कोई दीपक जल रहा है। इसको पेड़ों में भी लगाते थे। ऐसा देखने में आया है कि पिछले कई वर्षों से वह रेडियम पट्टी कहीं भी, किसी सड़क किनारे में लगता था जो दीपक जलने के समान दिखता था, वह लगना बंद हो गया है। जितने भी मोड़ वाले स्थान हैं, मेरा आग्रह है कि उन सब स्थानों में एक रेडियमयुक्त पट्टी अनिवार्य रूप से हों, जिससे इन सब प्रकार की दुर्घटनाएं न हो। सभापति महोदय, मैं एक अंतिम बात बोलना चाहता हूं कि यह जितने भी ड्राइवरों को ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास प्रशिक्षण के नाम से कौशल विभाग को वी.पी.टी. के तहत सारे लोगों को परिवहन ड्राइविंग क्लास अनिवार्य किए हैं। मैं

माननीय कौशल विकास मंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि आप सारे संभाग मुख्यालयों के सारे जिलों में ड्राइवरों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत ड्राइविंग स्कूल को खोलें, जिससे लोग प्रापर ड्राइविंग सिख सकें, यही आपसे आग्रह करते हुए अपनी बात को समापत करता हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- डॉ. चरण दास महंत जी।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं सबसे पहले जागृत अवस्था में चन्द्राकर जी आए हैं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज एक अच्छा सवाल उठाया है कि लोक महत्व के विषय पर चर्चा कैसे होती है, कौन-कौन से विषय होते हैं, इसको हमारे साथी समझेंगे और वह आपने वाले दिनों में आपका अनुसरण करते हुए अपनी सदन की जानकारी को बढ़ायेंगे। इस संदर्भ में अटल श्रीवास्तव जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की है, मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि रायपुर के बाद कोरबा ऐसा जिला है, जहां एक्सीडेंट से प्रतिवर्ष 336 मौतें होती हैं। हम रायपुर कहें, कोरबा कहें, बिलासपुर कहें या जहां भी कहें, यह मौतें सिर्फ एक्सीडेंट से ही होती हैं और 2920 लोगों की मौत सिर्फ इसी वर्ष हुई हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- इतने लोगों की मौत 5 महीनों में ही हुई हैं।

डॉ. चरण दास महंत :- पांच महीनों में हुई है। मैं यह भी कह देता हूं कि अभी जो पांच महीनों में पुरानी चर्चा हो रही थी कि हमारे पांच महीने और आपके पांच महीने, तो हमारे 5 महीने में 5 परसेंट कम मौत हुई थी और आपके 5 महीने में 5 परसेंट ज्यादा मौत हुई है । यहां तो ऐसे ही चर्चा होती है न ।

सभापति महोदय :- उन्होंने बोला भी है कि 5 परसेंट बढ़ा है करके ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, अभी तो हम सब लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं । अभी किरणदेव जी ने यातायात नियमों के बारे में बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं कि कैसे कड़ाई से पालन किया जाये, किसका उल्लंघन हो रहा है, कौन उल्लंघन कर रहा है । चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और विधायक भी हैं इसलिये शर्मा जी आपकी ज्यादा बात सुनेंगे, हम लोगों की तो सुनते नहीं हैं । अगर हम यही बात कहें तो हम लोगों की नहीं सुनी जाती तो मैं आपके उपमुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि आपकी बातों को थोड़ा गंभीरता से लें और यातायात के नियमों के बारे में, उस पर कड़ाई होने के बारे में, उल्लंघन के बारे में और पैसा लेन-देन के बारे में आपने जो बातें ईशारे-ईशारे में कही हैं उस पर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे यह मेरा निवेदन है । माननीय सभापति महोदय, हाईवा की बहुत बात चल रही है । आपने भी अभी-अभी 2-4 साल में ही हाईवा देखा होगा उसके पहले तो हम हाईवा जानते ही नहीं थे ।

सभापति महोदय :- पहले 6 चक्का देखते थे ।

डॉ. चरणदास महंत :- हां, पहले 6 चक्का देखते थे । माननीय सभापति महोदय, मुझे विश्वास नहीं होता । शायद आपको भी विश्वास होगा कि नहीं होगा कि कोरबा में 25,000 हाईवा चलती हैं । मैं माननीय परिवहन विभाग के जो भी जिम्मेदार हैं उनसे कहना चाहूंगा कि यदि 25,000 हाईवा चलती हैं तो उसमें कितने हाईवा में केवल ड्राईवर होता है, हेल्पर नहीं होता । क्या आप इसकी जांच करा पायेंगे? मैंने 1 दिन, 2 दिन नहीं कई दिन कोशिश की है कि मैं गाड़ी रोकूं, किसी को गाली दूं, किसी पुलिस वाले को कहूं । एक भी हाईवा में हेल्पर नहीं होता और वह जिस मूड में चलाये, चाहे पीकर चलाये, चाहे बिना पिये चलाये । वह धुआं उड़ाते हुए जैसा कि सुशांत ने कहा, वह उसी स्पीड में चलेगा और वे अपना कागजात तो पुलिस को धरा दिये रहते हैं । हर सप्ताह धराते हैं कि महीने में धराते हैं ? इसको मैं नहीं जानता लेकिन उनके कागजात पुलिसवालों के पास होते हैं । यह अभी 6 महीने में नहीं बल्कि सालों से हो रहा है । जब से हमारा छत्तीसगढ़ बना है तब से हो रहा है, मैं आज किसी को दोषी नहीं बता रहा हूं । अब एंट्री बोलते हैं कि पेंट्री बोलते हैं नहीं मालूम लेकिन खाने की चीज है । चाहे पेस्ट्री खायें चाहें कुछ भी खायें तो इन चीजों को बंद कौन करायेगा ? चंद्राकर जी आपने कोई सुझाव नहीं दिया । आज हमारा हर आदमी भ्रष्ट हो रहा है । हम लोग भ्रष्ट हो रहे हैं उसको कौन रोकेगा ? सिवाय ऊपर वाले के तो कोई रोक नहीं सकता, सिवाय सद्बुद्धि के तो कोई रोक नहीं सकता, सिवाय ईमानदारी के तो कोई रोक नहीं सकता ।

उप मुख्यमंत्री (श्री अरूण साव) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय अजय चंद्राकर जी बोले तो कुछ अजीब तरह का ईशारा माननीय नेता जी ने किया था और अभी बार-बार उन्हीं की तरफ देखकर बोल रहे हैं यह क्या राज है ? यह सदन को भी पता चलना चाहिए ।

डॉ. चरणदास महंत :- आपको नहीं पता कि हम दोनों के अवैध संबंध हैं । (हंसी)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अब बदल गये, पहले दूसरा था और अब दूसरा अवैध संबंध है । (हंसी)

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, ये ऐसे व्यक्ति हैं कि हम जब वहां बैठते थे तो परेशान करके रखते थे, यहां बैठे हैं तो भी परेशान करके रखे हैं। ज्ञानी आदमी हैं लेकिन थोड़ा ज्यादा ज्ञान बघारते हैं, इसको कम करना चाहिए । क्षमा करिये, मैं अपनी पोजिशन बदल रहा हूं । अभी माननीय चंद्राकर जी ने केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो अधिकार क्षेत्र है उसमें अनावश्यक प्रवेश करने की चेष्टा की है । केंद्रीय गृहमंत्री जी ने आदेश जारी करा दिया था, पता नहीं अब लागू होगा कि नहीं होगा, मैं नहीं जानता कि जो भी चालक एक्सीडेंट करेगा उससे 10 लाख रूपये की वसूली करेंगे या 10 साल की सजा देंगे तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, वे उन्हीं की पार्टी के हैं । वे उनसे जल्दी यह निवेदन करें तो हो सकता है कि इस मामले में कम से कम ड्राईवर लोग सचेत हों कि 10 लाख कहां से पायेंगे ? और यह नियम लागू होने के बाद कुछ मौतें कम हो जाएंगी, मैं ऐसा मानता हूं। दूसरी बात, मोटरसाइकिल में चार लोगों का चढ़ना, तीन लोगों चढ़ना और बीच-बीच में गड्ढा होना, ये तो एक और

मुख्य कारण है महाराज। तो सड़कें बराबर बनें। वो कहते हैं कि अभी इसको इसने बनाया, इस फर्म ने बनाया और क्या-क्या? कहीं एन.एच. भी बन रहा है? मगर वहां गड्ढे छह महीने में ही बन रहा है। चाहे वह सीमेंट का रोड बने या क्या बोलते हैं, हमारे जमाने में डामर का रोड बनता था। सीमेंट का रोड बन रहा है तो। डामर का रोड बन रहा है तो। साहब, आप अकलतरा जाते होंगे। वह एक चढ़ाई है जिसको ओवरब्रिज कहते हैं उसमें कितनी बार हिचकोले खाते हैं, आपको पता है? आपने गिना है? आप तो वहीं के हैं।

सभापति महोदय :- हर दो स्टेप के बाद एक बार रच्च से करता है।

डॉ. चरणदास महंत :- आप बिलासपुर के हाइवे पर चढ़ते हैं, पास पर तो कितने हिचकोले खाते हैं, वह पता है? ये क्या कारण है? इन दोनों को बंद नहीं किया जाता।

सभापति महोदय :- हां, साहब जब यहां बैठता था ना तो मैंने सब हिचकोले को बता दिया था। बिलासपुर, रायपुर के हर हिचकोले को गिनकर बता दिया था।

डॉ. चरणदास महंत :- 65 हैं?

सभापति महोदय :- ऐसी करीब हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- 65 है या 62 हैं।

सभापति महोदय :- ऐसी 65, 60 हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- कोई जानता हो तो बता दे। अटल बैठे हो तो बता दो। अगर ये विषय आपका पी.डब्ल्यू.डी. से संबंधित है तो एक तो महाराज हिचकोलों को बंद होना चाहिए ।

सभापति महोदय :- नहीं वो पुल के जोड़ में इधर और इधर झटका लगता है। क्योंकि वो दब जाता है।

डॉ. चरणदास महंत :- और ये जो ट्रकें चल रही हैं, जो हाइवा चल रही हैं, जो नियम विरूद्ध चल रही हैं, उनके बारे में मैं किरण देव जी के बाद भी फिर से चेतावनी देना चाहता हूं कि उसके बारे में कड़ाई से नियमों का पालन हो और उसमें काम होना चाहिए। दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूं साहब। शायद आपने एक्साइज विभाग का नाम नहीं लिया? लिया था? सभापति महोदय, तो एक्साइज़ विभाग भी बड़ा जवाबदार है। आजकल जो स्टेट हाइवे है, उसके किनारे नियम के विरुद्ध भी है। क्या दारू भट्टी कहें या शराब भट्टी कहें या इंग्लिश वाइन की दुकान कहें, खुल रहे हैं और बैठने की जगह की भी व्यवस्था हो रही है? वहां बढ़िया पीकर निकलते भी हैं। जहां बैठ कर पीते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वहां से निकलने वालों की मौतें ज्यादा हो रही हैं। पी खाकर बैठ रहे हैं तो एक्सीडेंट ज्यादा हो रही है, उसमें भी आप नया नियम बना लें और इसमें बहुत सारे लोगों ने चर्चा की और बहुत लोगों की और आशा है कि चर्चा करें। मैं उन्हें धन्यवाद देते हुए यह कहूंगा कि आज आप अगर परीक्षण कराएंगे तो सबसे ज्यादा मौतें इस साल हाइवे पर राखड़ के गाड़ी पर हुई है, जो राखड़ ढोती है। अब वो चाहे एन.टी.पी.सी.

सीपत हो, चाहे एन.टी.पी.सी. कोरबा हो, चाहे बालको हो, चाहे लैंको हो। चाहे जो भी हो। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिस पॉइंट से ये राखड़ उठाते हैं, उस पॉइंट पर एक चेकिंग पॉइंट बना दें। वहां जांच करवा दें कि कितना भर रहे हो? कितना उड़ेगा? कितना हाई ओवरवेट ले जा रहे हो? क्योंकि पुलिस को देखकर ओवरवेट ले जाने वाला भी हाइवे चालक दौड़ता है। हम सब लोग सदन को एक परिवार मानते हुए चंद्राकर जी के द्वारा एक पारिवारिक चर्चा में शामिल हुए हैं। न कोई यहां भा.ज.पा. है, न कोई कांग्रेस है जो एक प्रदेश के लिए जो यह लोक महत्त्व का विषय है, उसकी प्रशंसा कर रहे है और आप के संबंध में जो भी विभाग आते हैं, उसके लिए हम लोग भी निवेदन कर रहे है कि इस संबंध में अगर मेरी आप सुन लें तो मैं आपके सामने एक बात जरूर कहूंगा। क्या आप भी वचन के पक्के है? अपने जो भी मंत्रीगण हैं, उनसे ज़रा हेलमेट लगाने के बारे में एक निर्णय लेवा दें। क्योंकि हेलमेट से तो जीवन रक्षा ही होना है और 500 रूपये में कुछ नहीं जाता साहब। 500 रूपये तो शायद अच्छी शराब भी नहीं आती तो एक शराब की कीमत पर एक हेलमेट आ जाएगा । (श्री अजय चंद्राकर की ओर संकेत करते हुए) इधर सुनो भाई मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं । आपके कथन अनुसार हेलमेट लगाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए, नियम बनाने के लिए इनसे आग्रह कर रहा हूं और एक बहुत अच्छी चर्चा हुई है, ये धन्यवाद् के भी हकदार हैं । इन्होंने हमारे नये विधायकों को समझाने की भी कोशिश की और आपकी प्रशंसा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

समय
7.00 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- नेता प्रतिपक्ष जी के बाद तो बोलने की परम्परा नहीं है । किंतु चूंकि मैं आसंदी पर बैठा था इसलिए आप दोनों की अनुमति से दो शब्द बोलना चाहता हूं ।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति और अध्यक्ष बोल सकते हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, जैसे कि स्कूल से बच्चों को घुमाने फिराने ले जाते हैं वैसे ही बच्चों को ट्रैफिक पार्क में घुमाने के लिए आदेश जारी करिये । बचपन से वे ट्रैफिक नियमों के बारे में जाने समझें । तीन सवारी, चार सवारी वाली प्राब्लम बच्चों के साथ ही है । हेलमेट लगाते नहीं हैं और नेताओं से सिफारिश करवाते हैं । नेता सिफारिश करेगा और पुलिस को छोड़ना पड़ेगा तो कहां से दुर्घटना रूकेगी । माननीय मंत्री जी आप जवाब दे रहे हैं और आपके ही जिले के पंडरिया में एक बायपास बनना था । पंडरिया बहुत कंजस्टेड है सर, आपने देखा है । मैं तो वहां का रहने वाला हूं । वहां की विधायक ने भी यहां भाषण दिया है । वह एन.एच. का बायपास कैन्सिल हो गया । उसको बनवा दीजिए अन्यथा किसी दिन 25-50 लोगों को कुचलते हुए ट्रक निकलेगा । कृपा करके उस एन.एच. का जो बायपास बनना है जो पोड़ी की तरफ से आ रहा है, वह पंडरिया से 3 किलोमीटर दूर टर्न होकर मुंगेली रोड में

लोरमी की तरफ निकलना है । उस पर एक बार विचार करिएगा । पहले तो मंजूर था टेंडर भी हुआ था फिर अभी पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन आपसे आग्रह है कि पंडरिया के लोगों की हिफाजत के लिए आप एन.एच. पर बायपास बनवा दीजिए । हमारे उसलापुर की तरफ, मोपका की तरफ, रतनपुर मार्ग में बहुत बड़ा डेंजरस प्वाइंट है जहां कभी भी दुर्घटना होती रहती है । वहां के लिए फिलहाल प्रारंभिक रूप से पीडब्ल्यूडी और ट्रेफिक वालों की तरफ से मिलकर इंतजाम करवा दीजिए । शराब के कारण तो चल ही रहा है । हम तो अपने आगे आगे देखते हैं, लहराते हुए सांप के समान गाड़ी चलाते हैं और पलटकर देखते हैं कि यह क्या बोल रहा है ? लड़ाई झगड़े से बचना पड़ता है । खैर वह तो सरकार देखेगी । लेकिन आप इस सड़क के बारे में माननीय उप मुख्यमंत्री साव जी, आपसे आग्रह करूंगा की इस पर जरूर विचार करूंगा ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बोल चुकी हैं । पूरा समय दिया आपको ।

श्रीमती हर्षता स्वामी बघेल :- जी, एक निवेदन मेरा भी था । हमारे यहां डोंगरगढ़ में भी ऐसी ही स्थिति है । डोंगरगढ़ शहर बहुत छोटा शहर और वहां की सड़कें भी संकरी हैं । जहां महाराष्ट्र की भी गाड़ियां अंदर प्रवेश कर रही हैं । वहां भी लम्बे समय से बायपास की मांग चल रही है । मैं आपसे मांग करूंगी कि उसको बनवाया जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- उसके लिए मंत्री जी को अलग से बोल दीजिएगा ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- उसमें पहले भी काम हो चुका है और बजट में भी था, इसलिए निवेदन करना चाहूंगी ।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी के बहुत अच्छे प्रस्ताव में सिर्फ एक लाईन मैं भी जोड़ना चाहता हूं । मैं पूरी चर्चा को सुन रहा था । जितने भी वाहन चालक हैं उनमें से अधिकांश के आईसाइट वीक रहता है । एक्सीटेंड का सबसे बड़ा कारण होता है कि उनको दिखाई नहीं देता । जितने वाहन चालक हैं उनको कम से कम आंख चेक करके नम्बर दे दिया जाए । मैं ऐसे ड्रायवर के साथ चला हूं जिसको दिखता ही नहीं था और 15 दिन से मेरी गाड़ी चला रहा था (हंसी) ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, उसको अंधरौटी बोलते हैं । रात में अंधरौटी छा जाती है ।

अध्यक्ष महोदय :- अंधरौटी था । इतनी खतरनाक स्थिति है । आप देखेंगे 20 परसेंट ऐसे ड्रायवर निकलेंगे जिनका लांग साइट वीक है । इसको 100 प्रतिशत करना चाहिए । चश्मा लगाने से दुर्घटना में अपने आप कमी आ जाएगी । पहला उपाय यह करना चाहिए, यह मेरा छोटा सा सुझाव जोड़ रहा हूं (मेजो की थपथपाहट) ।

डॉ. चरणदास महंत :- सर हम लोग अपने ज्ञान वृद्धि के लिए आपसे जानना चाहते हैं कि जब 15 दिन बिना आंख वाले ड्रायवर के साथ चल रहे थे तब आपकी सरकार थी, आप मुख्यमंत्री थे या अभी आप अध्यक्ष हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- उसके पहले की बात है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैंने विषय रखते हुए ही कहा था कि आज की चर्चा को सदन की चर्चा मानी जाए।

डॉ. चरणदास महंत :- उसमें कोई सवाल ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए मंत्री जी।

उप मुख्यमंत्री (गृह) श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी लोगों ने बोला है, मैंने सभी का सुना है, सभी का नोट किया है, आप सबको बता देता हूं, अभी सबको 2, 3 घंटे रूकना है। (हंसी) माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा ही वाक्या मेरे साथ भी हुआ था। एक ड्राईवर के साथ मैं भी जा रहा था, बारिश थी और बीच-बीच में वह हार्न बजा रहा था, सामने कोई नहीं था, फिर भी हार्न बजाता था, मैंने कहा भाई आप हार्न क्यों बजा रहे हो, उन्होंने कहा मुझे दिख नहीं रहा है, कम से कम उसे सुनाई तो देगा। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय, बड़ी सारगर्भित चर्चा के साथ आज का यह नियम 139 (1) के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व की सूचना के आधार पर सदन की चर्चा हुई है। सबकी चिंता जायज है और सच में यह अविलंबनीय चिंतन का ही विषय है। उपरांत भी मैं यह अवश्य बताना चाहता हूं। जैसे कि अटल जी ने भी कहा, व्यवस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इसमें काम भी हो रहा है और अच्छा हो सकता है। एक बड़ी बात भारत के बारे में कह दी जाती है कि इतनी जनसंख्या है क्या होगा ? एक विषय थोड़ा ध्यान भी आ रहा था कि पापुलेशन डेंसिटी कहां कितनी ज्यादा है ? भारत तो कहीं दुनिया के अन्य देशों में जहां बड़े-बड़े शहर हैं, मकाऊ आदि जो टॉप में हैं, उसके बाद भारत का नंबर तो कहीं 20वें, 25वें पर आता है। हमारी पापुलेशन डेंसिटी उतनी नहीं है जिस पर सारी चीजों का नियंत्रण न हो सके। जागरूकता का विषय जरूर है। माननीय किरण देव जी ने भी अपने उद्बोधन में बहुत स्पष्टता से कहा कि जब वे किसी हमारे से ज्यादा उन्नत देश के दौरे पर गये थे, वैसे मलेशिया हमारे से ज्यादा उन्नत नहीं है, परंतु फिर भी वहां पर नियमों का पालन होता है और नियम के पालन के कारण उनकी व्यवस्थाएं दुरूस्त हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मलेशिया गरीब देशों की सूची में शुमार है। मैं टी.व्ही. में देख रहा था, वह गरीब देशों में है।

श्री विजय शर्मा :- मैंने कहा, हमारे से ज्यादा उन्नत नहीं है परंतु उन्होंने बताया कि वहां पर कानून का पालन हो रहा है। इसमें बहुत सारी बातें आई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

साथ काफी व्यवस्थाएं भी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से समूचे सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था है। प्रदेश में ऐसे 326 एम्बुलेंस सेवारत हैं, उसमें एडवांस लाईव सपोर्ट सिस्टम 30 में है और बेसिक लाईव सपोर्ट सिस्टम 296 में है, इसका रिस्पांस टाईम लगभग 30 मिनट का है। 30 मिनट में 108 एम्बुलेंस पहुंच जाता है। यह व्यवस्थाएं अभी है परंतु हम चिंता इस बात के लिए कर रहे थे कि एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। साथ ही सदन की चर्चा में यह विषय भी आया कि एक्सीडेंट के बाद जो हमारी व्यवस्थाएं होती है, हम उसमें कहां पर हैं। ट्रामा सेंटर के बारे में बात आई। इन सारे विषयों के बारे मे बात आई। एक यह भी स्थिति है। दूसरा, 112 है, जो पुलिस के अन्य विषयों के साथ-साथ एक्सीडेंट में भी पहले पहुंच जाए, अगर उसकी व्यवस्था के नाते सारी चीजें हों तो 112 भी सुविधा प्रदान करता है। ऐसे 240 वाहन हमारे पास हैं, अब तक 112 की सेवा 16 जिलों में हैं परंतु माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने निर्णय किया है कि आने वाले सत्र में ही इसको प्रदेश के समूचे जिले में एक साथ लागू कर दिया जाएगा। इसकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। (मेजों की थपथपाहट) इसका रिस्पांस टाईम अर्बन एरिया में 10 मिनट का है और रूरल एरिया में 30 मिनट का है। यह व्यवस्था भी हम सब के बीच में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदनपूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि सड़कों पर बहुत सारे पशु हैं, इस बात की चिंता की गयी है, निसंदेह यह चिंता का विषय है, जो एक्सीडेंट हो जाता है, वह बहुत बड़ा दुख का विषय है। इसके लिए भी एन.एच. में 52 स्थानों पर दो-दो व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है, उनका काम ही है कि पशुओं को सड़कों से हटाया जाए। यह नियुक्तियां हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, जिले में एक सड़क पशु मुक्त हो, इसकी जिम्मेदारी कलेक्टर को दी गई है । प्रदेश में 37 काऊ कोचर की चर्चा माननीय अजय चन्द्राकर जी कर रहे थे, वह कार्यरत है । मैं सोचता हूँ कि हमको ध्यान भी नहीं होगा, 1100 और 1033 यह नंबर है, एन.एच. पर ऐसी स्थिति मिलती है तो इस नंबर पर सूचित कर सकते हैं, यह हमको भी ध्यान नहीं होगा । सदन में कुछ माननीय सदस्यों को ध्यान होगा, मुझे नहीं था । अध्यक्ष महोदय, 1100 या 1033 इसका क्या उपयोग है, इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, सबके बीच में कैसे इसको प्रचारित कर सकते हैं, इस बात का ध्यान हमको जरूर देना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब आप यहां से जायेंगे और एन.एच. पर आपको कोई परेशानी दिखती है तो अवश्य इन नंबरों पर आप सूचना करें । अध्यक्ष महोदय, उनकी अपनी व्यवस्था है, व्यवस्था के नाते आगे बढ़ते हैं, इसका उपयोग भी जरूर करें । आदरणीय यादव जी कह रहे थे कि पशुओं के गले और सिंग में रेडियम वगैरह होना चाहिये, निस्संदेह होना चाहिये, सब कुछ शासन और प्रशासन पर निर्भर होकर ही नहीं हो सकता है, अन्य माध्यमों से किया जा सकता है और जरूर किया जाना चाहिये, जनजागरण के माध्यम से करना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, इन सभी बातों के साथ एक निवेदनपूर्वक जरूर एक बात कहना चाहूंगा, यहां पर सभी जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हैं, जब आप यहां से जायेंगे, कल अपने क्षेत्र में जायेंगे, अपने

कार्यक्षेत्र में जायेंगे, जहां पर भी आपको रास्ते में जानवर दिखता है, एक बार अपनी गाड़ी को रोक कर, किनारे से निकालकर मत ले जाईये, निवेदन है आज इस बात का, आपने यदि चिंतन किया है, आपने चिंता करके इस बात का संकल्प अपने मन में धारण किया है तो किनारे से न निकले, एक बार रूक कर गाय जितनी किनारे हो सकती है, पशु जितने किनारे हो सकते हैं, उसको किनारे करने की कोशिश करें । अध्यक्ष महोदय, वहां पर स्थानीय प्रशासन को निर्देशित करें । वह क्षेत्र जिस जनपद में आता है, ग्राम पंचायत में आता है, ग्राम पंचायत और जनपद को निर्देशित करने का कष्ट करें । अध्यक्ष महोदय, जिस थाना क्षेत्र में आता है, वहां भी निर्देशित करने का कष्ट करें, आने वाले समय में आप सब के अनुभव से आगे इस पर और प्रावधान बनाने की कोशिश करेंगे । अध्यक्ष महोदय, हम सब इस बात का ध्यान रखें तो अच्छा होगा, अभी बहुत सारे विषय है, जो आपसे कहना चाहता हूँ, ओव्हर लोडेड गाड़ियों के बारे में बात हुई है, वेबरेज हमारे पास है, अभी 14 सक्रिय हैं जो सरकारी हैं, अन्य प्रायवेट हैं ही और अन्य कुछ निर्माणाधीन है । अध्यक्ष महोदय, वाहनों के ट्रेकिंग के लिये व्हील ट्रैकिंग प्लैटफार्म का क्रियान्वयन, जो विभाग के कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर में इसकी सूचना जायेगी । अध्यक्ष महोदय, 112 के माध्यम से इसका ट्रैकिंग किया जायेगा । परिवहन सुविधा केन्द्र 503 है, जो कि छत्तीसगढ़ में खोले जा चुके हैं, वेबरेज है, आटोमेटेड नंबर प्लेट, रिकग्निशन कैमरा, ट्रैफिक रिसर्च, आईडीटीआर, इंस्टिट्यूट ऑफ ड्राइविंग रिसर्च सेंटर, यह सभी काम कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहता हूँ कि जो एएनपीआर आटोमेटेड नंबर प्लेट, रिकग्नेशन कैमरा, यह 37 लोकेशन पर लगाये गये हैं, जो इस बात का रिकग्नेशन के लिये है, जो लीकेज वाली रोड है, नेशनल हाईवे पर नहीं, जो दूसरे रोड है, उन रोड पर लगाये गये हैं, जो नेशनल हाईवे को जोड़ते हैं । अध्यक्ष महोदय, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जिस पर काम किया जा रहा है । मैं इस बात को अवश्य बताना चाहता हूँ कि स्पीड गवर्नर की बात हुई थी, इसमें भारत सरकार के द्वारा केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम बनाया गया है, इसमें टू व्हीलर को, थ्री व्हीलर को, एम्बुलेंस को, फायर टेंडर को और पुलिस की गाड़ियों को, इससे अभी तक छूट है, जिसमें टू व्हीलर का विषय आज आया है । अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण है, मैं सोचता हूँ कि इसमें पूरा सदन मिलकर काम करेगा तो अच्छा होगा और परिणाम शायद निकल आयेगा, लेकिन टू व्हीलर का नियम भी है तो केन्द्रीय नियमों के अंतर्गत है, इसके कानूनी प्रावधान क्या हो सकते हैं, क्या इस प्रदेश में हो सकता है, इस पर कानूनी सलाह जरूर ली जायेगी । अध्यक्ष महोदय, ट्रामा सेंटर के लिये माननीय अजय चन्द्राकर जी, जिन्होंने यह विषय लाया है और सब के बीच में जनकल्याण के विषय में आज चर्चा है, उन्होंने कहा था तो अभी 6 ट्रामा सेंटर्स है, जो स्वीकृत हैं, जिन पर काम प्रारंभ है, रायपुर, बिलासपुर, कांकेर, रायगढ़, जगदलपुर और अंबिकापुर ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उसमें कब से काम चल रहा है, मैं कितने साल से पूछ रहा हूँ, महीने या दिन नहीं, क्योंकि मैं भी स्वास्थ्य मंत्री थी । उसमें कब से काम चल रहा है ? मंत्री जी के अधिकारी हैं, उनकी ज्वाईंट रिसपांसिबिलिटी हैं, बता सकते हैं ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- अध्यक्ष महोदय, उसमें कोई नया निर्माण नहीं चल रहा है । ट्रामा सेन्टर के रूप में जो मेकाहारा है, उसमें एक्सीडेंट के केस आते हैं तो वहां उसकी पूरी सुविधा है । सिम्स, बिलासपुर में सुविधा है । जगदलपुर और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में सुविधा है । जैसा माननीय सदस्य चाह रहे हैं, उस प्रकार की सुविधा अलग से नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, मैं बता देता हूं- वह हरि अनंत, हरि कथा अनंता है । ट्रामा सेन्टर के जिन पॉच जगह का नाम आपने लिया, वह हरि अनंत, हरि कथा अनंता है ।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, इसमें लेवल 1 है, जो सभी स्पेशियलिटी न्यूरो सर्जन सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के साथ है, वह एम्स रायपुर है, उसमें इस विषय को रखा गया है । दूसरी तरह की श्रेणी है, जिसमें बिना न्यूरो सर्जन है । वह छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बिलासपुर और बीआरएएम हॉस्पिटल, रायपुर, ऐसे दो स्थानों को रखा गया है और फिर तीसरी केटेगिरी होती है, जिसमें स्टेबलाईजेशन विथ एस पर इंजूरियन रेफर यह हैं तो अन्य जो शेष माननीय मंत्री जी ने बताया, वहां पर इन ट्रामा सेन्टर्स को रखा गया है ।

अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ स्टेबलाईजेशन यूनिट भी 30 जगह पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डेव्हलप किए गए हैं । ड्राईविंग लायसेंस के संदर्भ में 173 संस्थान हैं, जो प्रदेश में काम कर रहे हैं । उसमें सरकार की संस्था एक ही है, बाकी सब प्राईवेट है, जो गवर्नमेंट से रिकगनाईज्ड हैं, उस पर काम चल रहा है । विभिन्न सड़कों के संदर्भ में चिन्ता की गई है । उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों पर कम, परन्तु पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर उसके रिपेयरिंग आदि के लिए जुलाई, 2024 के अनुपूरक बजट में 150 करोड़ रूपए का प्रावधान है । सड़कों की चौड़ाई और सड़कों की क्षमता आदि के संदर्भ में माननीय अजय चन्द्राकर जी ने चिन्ता व्यक्त की थी । वह सारा डिटेल है । मैं सोचता हूं कि वह सभी माननीय सदस्यों की जानकारी में है, उस विषय पर और जाने की आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सर्वे के अनुसार हम यह जानते हैं कि अगर हेलमेट लगा लें और सीट बेल्ट पहन लें तो लगभग 40 से 42 प्रतिशत तक एक्सीडेंट से मृत्यु को कम किया जा सकता है, परन्तु इसमें मेरा विशेष निवेदन है कि रायपुर शहर हो या आसपास को कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आप स्वयं जानते हैं, स्वयं घूमे हैं, यहां आपका कह देना एक अलग बात है, लेकिन आपसे यही निवेदन है कि हर विषय को कानून के माध्यम से, हर विषय के वैसे कानून बने हुए हैं, ऐसा कोई भी विषय नहीं है, जिस पर कानून न हो । ऐसा कोई भी विषय ऐसा नहीं है, जिस पर इम्प्लीमेंटेशन की बात न हो ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय रमन सिंह जी अध्यक्ष के तौर पर आज विराजमान हैं । जब उनके नेतृत्व में सरकार थी तो स्वच्छता, साक्षरता, खाद्न्न सुरक्षा जैसे सामाजिक मामलों में इस विधान सभा ने कानून बनाए हैं और बाद में आगे चलकर वे देश के माईल स्टोन बने । छत्तीसगढ़ पहली विधान सभा है, जिसने सामाजिक मुद्दों में कानून बनाया, जिसके निर्देश थे, जिसके कानून बनाये । सवाल जन-जागरण का नहीं है । यदि हम जन जागरण में जाएंगे तो फिर अच्छे-अच्छे लोग नहीं समझते, जिनको सबसे ज्यादा जागरूक मानेंगे । यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। वैसे आप क्या सोचते हैं, लेकिन इस विधान सभा में सामाजिक विषयों में कानून बने हैं, जिसको देश ने अपनाया है ।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सुशांत शुक्ला जी जो विषय कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी समितियां हैं, उनकी कितनी बैठकें होती हैं । यह चिन्ता माननीय अजय चन्द्राकर जी की भी थी । छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा परिषद में उसकी पूरी फारमेंशन है कि कैसे फार्म होता है, कब-कब होता है । मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति गठित है, जिसकी हमारी नई सरकार बनने के बाद, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कहेंगे कि फिर 6 महीना करने लगे, मसला वह नहीं है । जनवरी के बाद जो काम हुए हैं, इसलिए नई सरकार न कहकर कहना चाहिए कि जनवरी के बाद से अभी तक विभिन्न जिलों में 55 बैठकें हुई हैं । 25.6.2024 को इसकी अंतिम बैठक हुई है और राज्य स्तर की बैठक के मंत्रियों की बैठक के स्थान पर उसके फालोवर के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक बैठक हुई, उसकी बैठक वीडियों कॉफ्रेंसिंग के थ्रु हुई है और वह 20.7.24 को यह बैठक हुई है, जिसमें इन सारे विषयों पर चर्चा की गई है । एक विषय केशकाल के बायपास के सन्दर्भ में है, तो वर्ष 2024-25 के वार्षिक कार्य योजना में 280 करोड़ रूपये स्वीकृत किया गया है। माननीय दीदी मेरी बात सुन नहीं रही हैं, परन्तु यह उनके ध्यान में है। चन्द्रपुर के विधायक जी ने चिंता की थी, उसके सन्दर्भ में उनको एक बात याद दिला दूं कि hit & run वाला जो प्रकरण होता है, उसमें अब मृत्यु होने पर दो लाख रूपया क्षतिपूर्ति देने का संशोधन हो चुका है और घायल होने पर 50 हजार रूपया क्षतिपूर्ति देने का संशोधन हो चुका है। हम सब इसका प्रचार-प्रसार करें तो अच्छा है। जो 25 हजार रूपया था, वह अब समाप्त हो चुका है, अभी मृत्यु होने पर दो लाख रूपये देन का और घायल होने पर 50 हजार रूपये देने का हो चुका है। हम सब इस बात को ध्यान देंगे। विभिन्न बातें हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कुछ विशेष बातों का उल्लेख किया था। कोरबा में दुर्घटना अधिक है, हाईवा में हेल्पर नहीं होते हैं। माननीय अजय चन्द्राकर जी के साथ उनके जो अघोषित सम्बन्ध है, उसके सन्दर्भ में भी।

श्री अजय चन्द्राकर :- अवैध।

श्री विजय शर्मा :- मैं वह नहीं जानता, अघोषित को जानता हूं। अघोषित ठीक है।

श्री केदार कश्यप :- आप ज्यादा कड़ाई कर देंगे तो यह बोलेंगे कि मोर भाचा हा ठोके हे।

श्री विजय शर्मा :- मैं उसको बोल नहीं पा रहा हूं, आप लोगों का जो भी है।

डॉ. चरण दास महंत :- वह सम्बन्ध नहीं है, जो आप सोच रहे हैं। (हंसी)

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राखड़ ढोने वाले जो वाहन हैं, मैं उसके सन्दर्भ में व्यक्तिगत तौर पर कुछ काम करके माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को इसकी सूचना दूंगा। माननीय गजेन्द्र यादव जी ने बाईक में स्पीड गवर्नर के लिए कहा है, उसके लिए जो प्रावधान हो सकते हैं, अभी वह बोलकर निकल गये, अच्छा हैं, तो उस पर जरूर एक कोशिश करते हैं, उस पर क्या हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 104 ऐसे ब्लेक स्पाट्स हैं, जो पूरे प्रदेश में डिफाइन्ड हैं। वह ब्लेक स्पाट्स 3 साल के पुराने आंकड़े कि किस स्थान पर कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, उसके आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस विष्य पर कहा कि आगामी समय में जो 104 ब्लेक स्पाट्स हैं, उसको अगले बजट में लेकर करेंगे। हालांकि इस पर काम होता है, रेल्युलर बेसिक पर होता है, परन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसको एक अलग ढंग से अगले बजट में लेकर उस पर काम शुरू करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) श्री राजेश अग्रवाल जी का एक विषय था कि शराब दुकानों को शहर में शिफ्ट करने का था। इस विषय पर अनेक मामले हैं, इस पर चिंता तो ठीक है, इस पर विभिन्न विभागों से बात की जा सकती है। परन्तु यह कहना कितना लाजिमी है, कितना सही है, यह तो समय बतायेगा। श्री सुशांत शुक्ला जी की अनेक विषयों पर चिंता थी, उसमें स्पेसीफिक कुछ लोकेशन्स की बात थी, अभी माननीय लोक निर्माण मंत्री थे और वह समिति में भी हैं, हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उनके ध्यान में सारा विषय है। मैं उन विषयों पर नहीं जाता हूं। थोड़ा समाप्त करके विषय को कनक्लूड किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा मसला यह है कि जो 104 ब्लेक स्पाट्स हैं, उन सारे ब्लेक स्पाट्स पर काम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि अगले बजट में इस पर काम किया जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी ने एक बात कही है कि जितने ड्रायवर्स हैं, उनके eye sight में problem होती है और उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण किस्सा भी कहा। मैं यह सोचता हूं कि सभी डायवर्स की उनके eye sight टेस्ट कराने का स्पेशल कैंपेन, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने लिखकर दिया है कि इसका एक स्पेशल कैंपेन कराकर सभी डायवर्स का eye sight टेस्ट कराकर, अगर आवश्यकता है तो चश्मा वितरण का काम जरूर करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल जी, आदरणीय किरण देव जी, श्रीमती शेषराज हरवंश जी ने भी कहा है। श्रीमती भावना बोहरा जी ने एक अच्छी बात कही कि हमेशा शासन-प्रशासन को दोष देना उचित नहीं है। इसमें साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। परिवहन के सन्दर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में जिन वाहनों का उपयोग होता है, हम

सब भलीभांति परिचित हैं। हम यहां भले ही अलग विषय पर बात कर लें, जो भी कह ले, आम जनता के नजर में क्या उपयोगिता है, वह हमारे ध्यान में है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, एक मिनट। यदि आप अनुमति दें तो। अध्यक्ष महोदय, पंडरिया से बजाक मार्ग है, जिसके आसपास यह घटना हुई थी, बैगा लोगों की ट्रक पलटी थी, वह इन्टरस्टेट रोड है। उसमे आजकल बहुत गाड़ियां चलती हैं । लेकिन वहां पर ट्रैफिक या पुलिस के कोई भी अधिकारी ज्यादा देख-रेख नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह बहुत घनघोर जंगल का क्षेत्र है। वहां के कुकदुर थाने को आप निर्देशित करें कि वहां पर डम्फर में सवारी ले जाने वालों को रोके-टोंके। हो सकता है कि इससे दुर्घटना न हो। इससे दुर्घटना होगी ही नहीं। वह तेंदूपत्ता रखकर आ रहे थे और एक अनाड़ी ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। वह बहुत घनघोर घाट है, लेकिन बहुत सुंदर भी है। उसमें वह गाड़ी अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। वह रास्ता शहडोल को जोड़ता है और बजाग से सीधे जाकर मध्य प्रदेश की सीमा में मिलता है। वह अंतर्राज्यीय सड़क है। उसमें भी आप पुलिस के अधिकारियों को बोलकर बीच में थोड़ी जांच-परख करवाइये। शायद कोई देखता नहीं है इसलिए वहां पर घटना होती है। शायद देख-रेख में वहां घटना रूक सकती है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग की तरफ से एक बड़ा वक्तव्य दिया गया है। वह भी है, परंतु मैं यह सोचता हूं कि इसमें से अधिकतम विषय आ गये हैं और मैं यह सोचता हूं कि आज की इस चर्चा का सारांश भी निकलकर आ गया है। इसके माध्यम से ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करना, जन-जागरण करना, स्वयं की तरफ से भी एफर्ड करना और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मेडिकल कैम्प के लिए कहा है तो ये सब बातें आ चुकी हैं। आने वाले समय में हमारे यहां की यातायात व्यवस्था और अच्छी होगी। हम दुनिया के दूसरे देशों की तरह अपने बच्चों को भी सिखा पाएंगे कि अच्छी यातायात के लिए अच्छी व्यवस्था कैसे खड़ी हो सकती है और हम अपने लोगों को भी बता पाएंगे। आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ में भी विश्व स्तर की यातायात व्यवस्था होगी। ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी, बोलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय गृहमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी।

श्री रामकुमार यादव :- कोनो सुनइया नइ हे गा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ब्लैक स्पॉट के लिए एकमुश्त बजट देने की जो बात कही है, उसमें शहरी क्षेत्र जैसे रायपुर में भी ब्लैक स्पॉट चिन्हित है तो मेरा इसमें कहना है कि भले आप परिवहन विभाग या पुलिस विभाग एकमुश्त हम लोगों की एक-एक सड़क काट दीजिए या बजट में कम ले लें, लेकिन सारे ब्लैक स्पॉट के लिए अगले बजट में आप दे दें। आपने जितने के लिए

दिया है, उसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय गृहमंत्री जी, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आपने अपने बहुत सारे काम गिनाये हैं। मैं आपसे यह कह सकता हूं कि वह काम हो रहे हैं लेकिन इसी 5 महीने में सड़क दुर्घटना में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह मेरा आंकड़ा नहीं बोल रहा है। मैंने जो सोर्सेस बताये हैं, यह उसके आंकड़ें हैं। हम जो काम कर रहे हैं, वह सरकारी रिपोर्ट की तरह न हो। नेता प्रतिपक्ष जी भी यहां पर मौजूद हैं तो मैं कहूंगा कि मैं जिन सामाजिक कानूनों का उल्लेख कर रहा था तो आप एक बार हेल्मेट की आदत डालिये और बिना घबराये निर्णय लीजिये। आज से अपने डी.पी.आर. को बोल दीजिये कि 1 जनवरी, 2025 से हेल्मेट अनिवार्य होगा, हेल्मेट अनिवार्य होगा, हेल्मेट अनिवार्य होगा। आप कोई भी तारीख तय कर दीजिए। दूसरी बात जो डॉ. साहब ने कही, वैसे ही ड्राइविंग स्कूल यहां की एक बड़ी समस्या है। हर तरह के प्रशिक्षित ड्राइवर होना। ये थोड़े छोटे-छोटे उपाय हैं। आपने अपने भाषण में ड्राइविंग की प्रशिक्षण, जन-जागरण के बारे में बात कही। मैं आपको एक ही बात ध्यान दिलाना चाहता था कि आपने पिछले 6-7 महीने में अपने जितने काम गिनाये हैं, उतनी ही दुर्घटना में वृद्धि हुई है। आप चाहे तो किसी स्वतंत्र संस्था जैसे-प्राइस वाटर हाऊस कूपर्स, के.पी.एम.जी. जैसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, जो अध्ययन करती हैं। आप यह अध्ययन करवा लीजिए कि इसको रोकने के क्या-क्या उपाय हो सकते हैं। बजट या किसी भी फण्ड से पैसे लेकर या आपके पास 20 करोड़ रूपये हैं या चालान के पैसे हैं, उससे पैसे लेकर कर दीजिए। हमारे जैसे लोग बोले, जो कम जानते हैं तो उससे ज्यादा अच्छे सुझाव आएंगे और छत्तीसगढ़ में दुर्घटना से मृत्यु कम होगी। मेरा यह कहना है। आपने ठोस घोषणा में केवल ब्लैक स्पॉट की बात कही है। जो छोटे-छोटे बिना बजट के हो सकते हैं, उनसे आप थोड़ा बचते नजर आए और उनको आपने समाज की ओर कनवर्ट दिया, जो आपके माध्यम से हो सकते थे।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 2024 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(रात्रि 7 बजकर 30 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 2024 (श्रावण 4, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक 25 जुलाई, 2024

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं